बुन्देलखण्ड में स्वातन्त्रय आन्दोलन 1919-1947

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी में

इतिहास विषय की पी-एच0 डी0 की उपाधि हेतु

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध

1993

शोध छात्रा :

श्रीमती रंजना मोदी
सहायक प्राध्यापक इतिहास
श्री ज०. रा० कीमती कन्या महाविद्यालय,
रामपुरा, जिला-मन्दसौर (म० प्र०)

शोध निर्देशक :

डा० एस० पी० पाठक
एम0 ए0, पी-एच0 डी0
अध्यक्ष - इतिहास विभाग
बुन्देलखण्ड कालेज; झाँसी

स्व0 श्रीमती कमला मोदी (सास) तथा स्व0 ममतामयी माँ
श्रीमती कृष्णा गौरहार

को

सादर सर्मपित

—श्रीमती रंजना मोदी

प्रथम स्वाधीनता-संग्राम की संचालिका
महारानी झांसी वीराङ्गना लक्ष्मीबाई

Dr. S.P. PATHAK
M.A., Ph.D.
Head, Deptt. of History
Bundelkhand College, Jhansi
&
Ex- Convenor
Board of Studies History
Bundelkhand University
JHANSI.
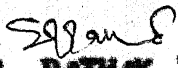
Residence :
32, CIVIL LINES
JHANSI.

Date : 11.5.93

CERTIFICATE

This is to Certify that the research work embodied in this Thesis, submitted for the Degree of Ph.D. in History, entitled "बुन्देलखण्ड में स्वातंत्र्य आन्दोलन 1919-1947 ई0" is the original research work done by Smt. Ranjana Modi.

She has worked under my guidance and supervision for the required period.

(S. P. PATHAK)

आमुख

बुन्देलखण्ड का इतिहास विदेशी शासन से स्वतन्त्रता प्राप्त करने का एक गौरवपूर्ण अभिलेख है । स्वतन्त्रता की प्रवृत्ति बुन्देलखण्ड के जन-मानस में कूट-कूट कर भरी हुई है । मुगल सत्ता से लगातार जूझते हुए अपने अन्तिम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिस स्वातंत्र्य आन्दोलन का प्रारम्भ ओरछा नरेश वीर सिंह देव से प्रारम्भ हुआ, वह जुझार सिंह और चम्पत राय के समय में और शक्तिशाली हुआ । महाराज छत्रसाल बुन्देला के समय में मुगल सत्ता की समाप्ति हुई और यह क्षेत्र स्वतन्त्र हुआ । घटनाओं के बदलते हुए क्रम में 1802 की बेसिन की संधि से इस क्षेत्र में अंग्रेजी प्रभुसत्ता का प्रारम्भ हुआ । विदेशी शासन को बुन्देलखण्ड के लोगों ने घृणा करते हुए उससे मुक्ति पाने के लिए संघर्ष निरन्तर जारी रखा । यद्यपि 10 मई, 1857 में स्वतन्त्रता-संग्राम मेरठ से प्रारम्भ हुआ, किन्तु इसका प्रभाव बुन्देलखण्ड पर शीघ्र ही दिखाई पड़ा । फलतः जून 1857 के मध्य तक बुन्देलखण्ड के प्रत्येक क्षेत्र से ब्रिटिश सत्ता लगभग समाप्त हो गई थी और यहाँ के लोगों ने झाँसी, चन्देरी, जालौन, बाँदा, करवी तथा हमीरपुर में क्रान्तिकारी सरकारों की स्थापना भी कर ली थी ।

झाँसी की महारानी लक्ष्मीबाई, बाँदा के नवाब अली बहादुर, बानपुर के राजा मर्दन सिंह, शाहगढ़ के राजा बखतबली, करवी के नारायण

राव और माधोराव ने इस संघर्ष को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । स्वातन्त्र्य आन्दोलन में बुन्देलखण्ड की जनता ने अपने चरित्र और परम्परा के अनुसार पूर्ण सहयोग दिया । बुन्देली जनता की स्वातन्त्र-भावना और शौर्य के बारे में 1872 में अंग्रेज गवर्नर जनरल के एजेन्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था - "ओरछा में से गुजरते हुए मैं यह भली भाँति देखे बिना न रह सका कि चट्टानों, डाँगों और किलों में से इस देश में हजारों की संख्या में ऐसे लोग बसते हैं जो कि यदि ब्रिटिश प्रतिष्ठा (यानी आतंक) न हो तो पुन: इन पहाड़ियों को अपने युद्ध-घोषों से गुँजा देंगे ।"[1]

अंग्रेजों की महान सैनिक शक्ति, कूटनीति तथा छल-कपट और कुछ रियासतों के राजाओं की स्वार्थपूर्ण नीतियों के कारण 1857 का विद्रोह दबा तो दिया गया, किन्तु बुन्देलखण्ड में स्वतन्त्रता की भावना 1858 से लेकर 1947 तक की अवधि में निरन्तर पुष्पित और पल्लवित होती रही । 1858 में शान्ति स्थापित होने के बाद अंग्रेजों ने बुन्देलखण्ड का सामाजिक व आर्थिक शोषण प्रारम्भ किया । हम यह जानते हैं कि 1857 के विद्रोह के दमन में बुन्देलखण्ड में अंग्रेजों को बड़ा कटु अनुभव

---

1. Statistical,Description and Historical Account of the North Western Provinces of India, edited under orders of the Govt.of India by Edwin T.Atkinson B.A.Bengal Civil Service Vol.I Bundelkhand. Printed at the North-Western Provinces Govt.Press,Allahabad 1874.

हुआ था अतः अब वे यहाँ की जनता पर किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं करते थे । यहाँ के लोगों को सामूहिक दण्ड देने के उद्देश्य से बुन्देलखण्ड के उद्योग धन्धों का विनाश कर दिया गया । राजस्व की कठोर दरें निर्धारित की गई तथा प्रत्येक दृष्टि से इस क्षेत्र को सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा बनाये रखा गया ।

आर्थिक पिछड़ेपन को सहन करते हुए भुखमरी, गरीबी तथा सभी परेशानियों को उठाते हुए बुन्देलखण्ड के लोगों ने अंग्रेजी शासन से मुक्त होने के लिए महात्मा गाँधी के नेतृत्व से प्रेरित होकर देश को आजाद कराने के लिए अपना पूर्णरूपेण सहयोग प्रदान किया । बुन्देलखण्ड में अहिंसक आन्दोलनों के साथ ही साथ क्रान्तिकारी आन्दोलन भी तेजी से पनपा । ओरछा के निकट सातार में निवास कर रहे क्रान्तिकारी चन्द्र शेखर आजाद तथा उनके साथियों को झाँसी के मास्टर रुद्र नारायण तथा उनके सहयोगी खाने-पीने की वस्तुएं निरन्तर पहुँचाते रहे । बुन्देलखण्ड का जंगली और पहाड़ी क्षेत्र, ऐसे क्रान्तिकारियों के लिए अत्यन्त सहायक साबित हुआ । इस क्षेत्र की जनता ने राष्ट्रीय आन्दोलनों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए 1947 में देश को स्वतन्त्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

यह मेरा परम कर्तव्य है कि मेरे इस शोध-कार्य में जिन सहयोगियों ने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया है उनके प्रति आभार व्यक्त करूँ ।

प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ मैं अपनी परम पूजनीय स्नेही माँ स्व0 श्रीमती कमला मोदी एवं स्व0 श्रीमती कृष्णा गोरहा को सादर समर्पित करती हूँ ।

आदरणीय निर्देशक डाॅ0 एस.पी.पाठक जी के प्रति अपना विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि मेरे इस शोध-कार्य में उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर मेरे कार्य को सम्पादित कराने में आवश्यक व महत्वपूर्ण सुझावों से अवगत करा, सहायता प्रदान की । मेरे लिए यह गर्व का विषय है कि मुझे उनके मार्ग निर्देशन में शोध-कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ ।
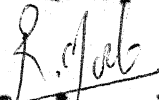
मैं हृदय से अपने पति श्री उमेश मोदी के प्रति आभारी हूँ जिन्होंने समय-समय पर अपने महत्वपूर्ण सुझावों से अवगत कराया और मेरे इस कार्य को पूर्ण कराने में मुझे हमेशा नैतिक बल प्रदान किया । प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, जो मेरे लिए प्रेरणास्त्रोत बन गयी । उनके सहयोग के बिना यह कार्य-सम्पादन असम्भव था । पत्नी के होने के नाते अपना मूक आभार हृदय से व्यक्त करती हूँ । मैं अपने परिवार के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ जिन्होंने हर कदम पर मुझे सहयोग प्रदानकर मेरे कार्य को सुलभ बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया ।

मैं श्रीमान् सूर्यकान्त जी गन्दे, क्षेत्रीय प्रबन्धक - पंजाब नैशनल बैंक, इन्दौर क्षेत्र, इन्दौर के प्रति अपना विशेष आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे सदैव प्रोत्साहन और प्रेरणा प्रदान की ।

मैं अपने पूज्य पिता श्री रमेश चन्द्र जी गौरहार के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करना अपना परम कर्तव्य समझती हूँ, क्योंकि उनके सहयोग के बिना यह कार्य पूर्ण होना सम्भव नहीं था । जब भी मुझे उनके सहयोग की जरूरत पड़ी, उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से भी अपना अमूल्य समय मेरे कार्य को आगे बढ़ाने व पूर्ण कराने में सहयोग दिया और मेरा हमेशा मनोबल बढ़ाते रहे ।

मैं अपने महाविद्यालय के चेयरमैन श्री सुनील नाहटा एवं प्राचार्या श्रीमती ऊषा गुप्ता के प्रति भी आभारी हूँ जिन्होंने समय-समय पर अपना सहयोग एवं अवकाश की जरूरत होने पर अवकाश स्वीकृतकर मेरे इस कार्य को परिपूर्ण करने में अपना सहयोग प्रदान किया ।

भवदीया

॥ श्रीमती रचना मोदी ॥
स0 प्रा0 इतिहास
श्री च0 रा0 बीमती कन्या महाविद्यालय
रामपुरा, जिला-मन्दसौर ॥म0प्र0॥

विषय-सूची

------ :0: ------

अध्याय - 1

भूमिका :

(अ) बुन्देलखण्ड की भौगोलिक परिस्थिति

नामकरण :

बुन्देलखण्ड की स्थिति भारत के ठीक मध्य में है । अपने प्राचीन समय से ही वीरता और शौर्य एवं प्राकृतिक छटा के लिये प्रसिद्ध रहा है । इस प्रदेश का सबसे प्राचीन नाम "दशार्ण" प्राप्त होता है । ईसा से पूर्व कात्यायन, कौटिल्य तथा कालिदास आदि ने अपने ग्रन्थों में दशार्ण नाम का उल्लेख किया है । इसी प्रान्त को आगे चल कर "जैजाक भुक्ति" नाम भी प्राप्त होता है । इनसाईक्लोपेडिया ब्रिटानिका में भी बुन्देलखण्ड का जैजाक भुक्ति के रूप में उल्लेख किया गया है । राजा जैजाक का कथाकथित बड़ा प्रतापी राजा हुआ तथा इसके राज्य का विस्तार यमुना से नर्मदा तक बतलाया गया है । इसी नाम पर यमुना से नर्मदा तक का भाग "जीजक" या "जैजाक" भूमि कहलाया ।[1]

1- बुन्देली और उसके क्षेत्रीय रूप - डॉ० कृष्ण लाल हंस, पृष्ठ- 3.

एक अन्य मत के अनुसार वैदिक कालीन यजुर्वेदीय कर्मकाण्ड का यहाँ की सर्वप्रथम अभ्युदय होने के कारण यह प्रदेश यज्ञहोर्त कहा गया था, जिसका अपभ्रंश रूप जैजाक भुक्ति है ।[1]

कुछ विद्वानों की मान्यता है कि चन्देलों के पश्चात् इस प्रदेश पर काशी के गहरवार जाति के वंशजों ने अपना आधिपत्य जमाया । यह अपने को काशी के गहरवार राजा वीरभद्र के पंचम पुत्र के वंशज मानते हैं ।[2] गहरवार जाति के नरेशों ने आगे चलकर अपने नाम के आगे "बुन्देला" शब्द जोड़ लिया । बाद में इन्हीं नरेशों के प्रभुत्व से प्रसारित हो सम्पूर्ण प्रदेश का नाम बुन्देलखण्ड हो गया ।[3]

बुन्देलखण्ड का भौगोलिक आधार

बुन्देलखण्ड 22^0 और 27^0 अक्षांश तक तथा 75^0 और 84^0 पूर्वीय भू-रेखाओं के मध्य में है । उत्तर की ओर गंगा और यमुना के मकानद तथा दक्षिण में नर्मदा नदी जिसमें मालवा भी सम्मिलित था, इसकी सीमाओं को निर्धारित करती हैं । पश्चिम में इसकी सीमा

1- मधुकर पाक्षिक, 15 दिसम्बर, पृष्ठ-33.

2- महाराजा छत्रसाल बुन्देला - डा0 भगवान दास गुप्त, पृष्ठ-18.

3- मधुकर 1943, पृष्ठ-249.

सामान्य रूप से चम्बल नदी थी जो विन्ध्य मेखला तक पहुँचती है । बैधाक भुक्ति की पूर्वी सीमा इतनी स्पष्ट नहीं रखी जा सकती । उत्तर पूर्व में सोन नदी सीमा थी, परन्तु इसका दक्षिण भाग बुन्देल - साम्राज्य में घुल गया था । यदि बनारस के एक अंश पूर्व की देशान्तर रेखा को सीमा मान लिया जाय तो कुछ अनुचित नहीं होगा ।[1]

बुन्देलखण्ड मध्य भारत का वह भाग है जिसकी पूर्वी सीमा बघेलखण्ड की सीमा से मिलती है ।[2]

बुन्देलखण्ड का प्राचीन नाम "दशार्ण" था और "दशार्ण" शब्द का अर्थ है दश जल वाला या दश दुर्ग भूमि वाला । इस प्रकार बुन्देलखण्ड या दशार्ण नाम दस नदियों के कारण पड़ा, जो इस प्रकार हैं -- धसान, पार्वती, सिन्ध, बेतवा, चम्बल, यमुना, नर्मदा, केन, टोंस और जामनेर ।

इसी के मध्य विन्ध्य पर्वत माला विराजमान है । प्राकृतिक दृष्टिकोण से इस प्रदेश को विन्ध्याचल की पर्वत श्रेणियों और पुण्य - सरिताओं का वरदान प्राप्त है । समुद्र तल से इसकी ऊँचाई 400 फुट से 3000 फुट तक है और इसका क्षेत्रफल लगभग 80,000 वर्ग मील है तथा आबादी लगभग तीन करोड़ है । इसकी लम्बाई उत्तर से दक्षिण तक 366 मील और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक 280 मील है ।[3]

1- बुन्देले और उनका राज्यकाल - केशव चन्द्र मिश्र, पृष्ठ-6.
2- इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, पृष्ठ- 409.
3- बुन्देलखण्ड दर्शन - मोतीलाल त्रिपाठी, पृष्ठ 27-28.

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के झाँसी, जालौन, बाँदा, और हमीरपुर जिले तथा भूतपूर्व बुन्देलखण्ड एजेन्सी के ओरछा, दतिया, समथर, पन्ना, चरखारी, बिजावर, अजयगढ़, छतरपुर, अलीपुरा, टोड़ी-फतेहपुर, बिजना पहाड़ी, बंका, बरौंधा, बावनी, बेरी, बीहट, चौबियान, कालिंजर, भैसोंठा, कामता, रजौला, पालदेव, पथरा, तराय, गहरोली, गौरिहार, जसो, जिगनी, खनियाधाना, लुगासी, नैगवाँ, सरीला, आदि देशी राज्यों एवं जागीरें शामिल थीं ।[1]

अतः सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड वर्तमान उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में बंटा हुआ है । इससे बुन्देलखण्ड के दो भाग दृष्टि-गोचर होते हैं -- प्रथम : उत्तर प्रदेशीय बुन्देलखण्ड और द्वितीय- मध्य प्रदेशीय बुन्देलखण्ड । उत्तर प्रदेशीय बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत झाँसी,जालौन, बाँदा, हमीरपुर तथा ललितपुर जिले सम्मिलित हैं और मध्य प्रदेशीय बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, जबलपुर, सागर, मुरैना, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, दमोह, गुना, सतना, पन्ना, विदिशा, नरसिंहपुर, मंडला, रायसेन, बैतूल, होशंगाबाद, छिन्दवाड़ा, कजाघाट, सियोनी, बालाघाट आदि सम्मिलित हैं ।

1- इन्ट्रोडक्ट्री नोट टू डिस्क्रीप्टिव लिस्ट आफ रिकार्ड्स आफ दि बुन्देलखण्ड पोलिटिकल एजेन्सी -- राष्ट्रीय अभिलेखागार ।

<u>सीमा :-</u>

सामान्य तौर पर विन्ध्य परिक्षेत्र ही बुन्देलखण्ड है, किन्तु इसका सीमांकन समय-समय पर प्रशासनिक आधारों पर भी गढ़ा गया है । ओरछा के महाराजा वीरसिंह देव प्रथम के समय बुन्देलखण्ड में वर्तमान बुन्देलखण्ड तथा कुछ भू-भाग पश्चिमी बघेलखण्ड का भी शामिल था ।[1] जबकि डमई क्षेत्र (पन्ना) के राजा छत्रसाल के समय इत यमुना, उत नर्मदा, इत चम्बल, उत टोंस बुन्देलखण्ड की सीमा मानी जाने लगी थी । अलैक्जेण्डर कनिंघम ने बुन्देलखण्ड की सीमा प्राचीन जुझौति प्रदेश की सीमा ही अर्थात् यमुना से नर्मदा और बेतवा से विन्ध्यवासिनी (मिर्जापुर) तक मानी है ।[2] परन्तु किसी प्रदेश की सीमा का निर्धारण प्रशासनिक आधार पर नहीं, बल्कि भाषा, बोली, सामाजिक, सांस्कृतिक, आचार-विचार, संस्कार, भोजन-भजन और लोक-संस्कृति के स्थाई आधारों पर की जाना श्रेयस्कर होता है । बुन्देलखण्ड की बोली बुन्देली है जो यमुना-नर्मदा के मध्य की काली, सिन्ध, पहूज, बेतवा, जमुनी, धसान, बीना, बेरमा, सोनार, सिरन और केन के कछारी भू-भाग के ग्रामीण अंचलों में बोली और समझी जाती है जिसके केन्द्रीय स्थल झाँसी, टीकमगढ़ और सागर हैं । यहाँ बुन्देली का परिनिष्ठित रूप प्राप्त होता है ।[3]

1- ई.एस.बी.-बुन्देलखण्ड, पृष्ठ-22.

2- अलैक्जेण्डर कनिंघम, दि एनसियेन्ट ज्योग्राफी आफ इण्डिया, पृ0-406

3- सर जी.ए.ग्रीयर्सन - ज्योग्राफिक सर्वे आफ इण्डिया, वोल्यूम-9, भाग-1,
डॉ0 एस.पी.जायसवाल - ए ज्योग्राफिक स्टडी आफ बुन्देलखण्ड, पृ0-9.

नर्मदा से यमुना नदियों के मध्य के क्षेत्र के लोगों का सामाजिक जीवन, त्यौहार, व्रत, राग-रंग, ध्वनि, वेश-भूषा, धर्म-कर्म, संस्कार, वस्त्राभूषण और नित्यप्रति की दैनिक क्रिया-कलाप समान हैं ।

इस प्रकार सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा बोली के ठोस आधारों पर निर्मित मौलिक इकाई 23° = 00 से 26° = 00 उत्तरी अक्षांश एवं 77°.5 से 79°.5 पूर्वी देशान्तर के मध्य, कुछ लम्बाकार वाला भू-भाग ही सही बुन्देलखण्ड है जिसके पूर्व में बघेलखण्ड, पश्चिम में भिण्ड-भदावर, उत्तर में अन्तर्वेद और दक्षिण में मालवा तथा गोंड़वाना आदि सांस्कृतिक इकाइयाँ स्थित हैं जिसे संक्षेप में प्राकृतिक तौर पर इस प्रकार निरूपित किया जा सकता है कि "इत नर्मदा उत यमुना, इत सिंध उत तमसा" । अर्थात् नर्मदा से यमुना और सिंध से तमसा नदियों के मध्य स्थित भू-भाग ही सही बुन्देलखण्ड हैं ।

खनिज सम्पदा :-

बुन्देलखण्ड की भूमि खनिजों से भरपूर हैं । यहाँ लोहा, अभ्रक, सीसा, चाँदी, हीरा और चूना जैसी बहुमूल्य सम्पदा प्राप्त है । हीरा- छतरपुर, पन्ना और अजयगढ़ क्षेत्रों में, लोहा एवं सीसा टीकमगढ़, छतरपुर, बिजावर में, चूना व पन्ना जबलपुर, दतिया में, अभ्रक टीकमगढ़, गोरा पत्थर पन्ना, टीकमगढ़ में, सिलाव (चीप) पत्थर ललितपुर, सागर, पन्ना, नमक चिरगाँव के पास उपारी में प्राप्त होता है । वर्षा ऋतु में पहाड़ियों एवं टौरियों की तलहटी के नीचे क्षेत्रों में पानी के ऊपर चिकना द्रव पदार्थ दिखता है, जो

पैट्रोलियम जैसे चिकने तेल पदार्थों के होने के स्पष्ट संकेत हैं ।

सामाजिक सम्प्रेक्षा :-

बुन्देलखण्ड में प्राचीन काल से ही सनातनी हिन्दू वर्ण व्यवस्था प्रचलित रही है । यहाँ के ग्रामीण वनाच्छादित क्षेत्रों विशेषकर पूर्वी हिस्से में शैव उपासक एवं नगरीय क्षेत्रों में तथा पश्चिमी हिस्से में वैष्णव उपासना का अधिक प्रचलन रहा है । दिगम्बर जैन मतावलंबी भी यहाँ छठवीं शदी से रहे हैं, परन्तु उनकी उपासना पद्धति और सामाजिक जीवन शैली हिन्दू-समाज के अनुरूप ही रही है । यहाँ के लोगों में धर्म भीरुता अधिक है । धार्मिक संस्कार वैदिक रीति से सम्पन्न होते हैं ।

बुन्देलखण्ड, उत्तर एवं दक्षिण भारत का संधि-स्थल होने से उनके सांस्कृतिक एवं भौतिक आक्रमणों का अखाड़ा बना रहा है जिसके परिणाम-स्वरूप यहाँ की समाज में जाति-विभेद, भूतवाद, संपवाद जैसे अंधविश्वास गहरे घर किये हुये हैं, परन्तु सांस्कृतिक एवं भौतिक आघातों को सहते-झेलते हुये यहाँ के निवासी अक्खड़ प्रकृति के धर्मभीरु हो गये हैं ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :-

बुन्देलखण्ड का इतिहास शौर्य,साहस तथा स्वतन्त्रता प्रिय भावना से सम्बन्धित रहा है । यहाँ की पठारी जलवायु तथा उबड़-खाबड़ भूमि के कारण लोगों के कठिन परिश्रम तथा स्वतंत्रता प्रेरणा की भावना प्रबल रही है । इसीलिए यहाँ के लोग भारतीय सत्ता से संघर्ष करते रहे । यहाँ के लोगों ने हमेशा-हमेशा के लिए किसी विदेशी सत्ता के सामने समर्पण नहीं

किया और न ही उनकी स्वतन्त्रता की भावना हमेशा के लिये समाप्त हुई । ऐसी परिस्थिति में जबकि अपने विपक्षियों की महती शक्ति के कारण परिस्थिति विपरीत हुई तो थोड़े समय तक यहाँ के लोग अवश्य शान्त रहे, किन्तु फिर भी स्वतन्त्रता की भावना किसी न किसी रूप में परिलक्षित होती रही ।

इसका सबसे अच्छा उदाहरण पन्ना नरेश छत्रसाल बुन्देला ने 18वीं शताब्दी के प्रारम्भ में प्रस्तुत किया । मुगलों की सत्ता के विरुद्ध उनका संघर्ष वीरसिंह देव, जुझारसिंह तथा उनके पिता चम्पतराय के ही संघर्ष के क्रम में था । औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई थी उसके फलस्वरूप इस साहसी बुन्देला शासक ने बहादुरशाह के समय में बुन्देलखण्ड में एक स्वतन्त्र सत्ता की स्थापना कर ली थी ।[1] जिस समय छत्रसाल बुन्देलखण्ड में अपनी स्वतन्त्र सत्ता की स्थापना कर रहे थे उस समय मुगल सम्राट, फर्रुखशियर (1713-19) ने बुन्देलखण्ड में अपनी शासन सत्ता की पुनः स्थापना करने के लिये अपने सबसे बहादुर सरदार मुहम्मद खान बंगश को इस आशय से बुन्देलखण्ड भेजा कि वह छत्रसाल की सत्ता को नष्ट कर सके । एक विशाल सेना के साथ मोहम्मद खान बंगश ने बुन्देलखण्ड में प्रवेश किया और ऐसी परिस्थितियों में छत्रसाल को पुन 1728 में जैतपुर के किले में स्वयं को बन्द करना पड़ा । जिस समय बंगश जैतपुर के

1- गोरे लाल तिवारी - बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास, काशी नागरी-प्रचारणी सभा, वाराणसी, पृष्ठ- 66-116.

किले में घेरा डाले हुए थे उस समय पेशवा बाजीराव प्रथम उत्तर भारत के अभियान के सिलसिले में गढ़मंडला के दुर्ग के पास घेरा डाले हुए था । छत्रसाल ने अपना एक प्रतिनिधि भेजकर पेशवा से मदद की याचना की जिससे प्रेरित होकर बाजीराव ने बंगश के विरुद्ध छत्रसाल की सहायता की ।[1] अतः मराठा तथा बुन्देला सेनाओं ने मिलकर न केवल बंगश को पराजित ही किया, बल्कि उसे वहाँ से भाग जाने के लिए विवश किया ।

इस सामयिक मदद से प्रसन्न होकर छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव को अपने तीसरे पुत्र के रूप में समझकर अपने साम्राज्य का 1/3 भाग उसे दे दिया ।[2] अपनी मृत्यु से पूर्व 14 दिसम्बर, 1731 को उन्होंने पेशवा के सम्मान में एक दरबार किया तथा अपने दोनों पुत्रों हृदयशाह तथा जगतराज को पेशवा के संरक्षण में प्रस्तुत किया ।

साम्राज्य के बंटवारे के समय पेशवा को जो हिस्सा मिला उसमें काल्पी, सागर, झाँसी, सिरोंज, पूँछ, कोंच, गढ़कोटा तथा हृदयनगर शामिल हैं । पेशवा का हिस्सा धसान नदी की दक्षिणी क्षेत्र में था जिसकी वार्षिक आय 32 लाख रुपये थी ।[3]

1- जी.एस.सरदेसाई - न्यू हिस्ट्री आफ दि मराठाज, वोल्यूम-II, पृष्ठ संख्या 105-107.

2- ,, ,, ,, ,,

3- इम्पीरियल गजेटियर - सेन्ट्रल इण्डिया 1908, पृष्ठ- 366.

मराठाओं तथा बुन्देलों के मधुर सम्बन्ध आगे आने वाले वर्षों में कायम न रह सके । शीघ्र ही बुन्देलखण्ड को क्षेत्र बनाकर मराठाओं ने अपनी शक्ति का विस्तार प्रारम्भ किया । अतः मराठा तथा बुन्देला सम्बन्धों में कटुता प्रारम्भ हो गई । पेशवा ने अपने बुन्देलखण्ड के साम्राज्य का तीन भागों में बंटवारा किया -- पहला भाग गोविन्द पंत खेर को मिला जिसका मुख्यालय सागर था । दूसरा भाग जिसमें बाँदा व काल्पी शामिल था वह पेशवा के पुत्र शमशेर बहादुर को मिला । तीसरा भाग जिसमें झाँसी शामिल था वह रघुनाथ हरी निवालकर के पास को मिला ।[1]

बुन्देलखण्ड में अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने के पश्चात् मराठाओं ने दिल्ली तथा उत्तर भारत की ओर साम्राज्य विस्तार प्रारम्भ किया, किन्तु 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की पराजय के पश्चात् उनकी सत्ता और प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा । गोविन्द पंत खेर की मृत्यु पानीपत के युद्ध में हुई, परिणामस्वरूप बुन्देलखण्ड में अराजकता तथा अस्त-व्यस्तता प्रारम्भ हुई और बुन्देला सरदार मराठा के विरुद्ध विद्रोह करने लगे ।

हिम्मत बहादुर गुसाईं का बुन्देलखण्ड अभियान :-

बुन्देलखण्ड में मराठों की गिरती हुई प्रतिष्ठा तथा बुन्देलाओं के उनके प्रति विद्रोह से उत्पन्न अराजक स्थिति का लाभ लेने के लिये अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने इस क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिये अपने

1- एस.एन.सेन 1857, पृष्ठ- 267.

बहादुर सरदार हिम्मत बहादुर गुसाईं को भेजा । यद्यपि 1963 के तिंदवारी के युद्ध में उसकी पराजय हुई थी, किन्तु इसके बावजूद भी हिम्मत बहादुर उस क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए डटा रहा ।

हिम्मत बहादुर का वास्तविक नाम अनूप गिरि गुसाईं था जिसका प्रारम्भिक इतिहास के बारे में विशेष जानकारी नहीं मिलती । सर यदुनाथ सरकार के अनुसार यह गुसाईं दतिया का निवासी था, जहाँ अकाल पड़ने के कारण उसकी माँ ने उसे किसी सन्यासी के हाथ बेच दिया था ।[1] बाद में चलकर यह नवाब वजीर शुजाउद्दौला की सेवा में अवध चला आया और अपनी बहादुरी के बल पर उसका विश्वास-पात्र बन गया । बक्सर के युद्ध में उसने अपने साहस का परिचय देते हुए उसने अपने मालिक शुजाउद्दौला के प्राणों की रक्षा की थी जिससे प्रभावित होकर शुजाउद्दौला ने उसे हिम्मत बहादुर की पदवी दी ।

अवध की एक विशाल सेना के साथ हिम्मत बहादुर ने बुन्देलखण्ड अभियान प्रारम्भ किया । सबसे पहले दतिया के राजा रामचन्द्र को पराजित करके उसने उससे चौथ वसूल किया तत्पश्चात् मोठ और गुरसराय पर आक्रमण किया । फलतः मराठा सरदार बालाजी गोविन्द ने पूना

1- फाल आफ दि मुगल इम्पायर - बाई जे.एन.सरकार, जिल्द-3, पृष्ठ- 226.

दरबार में सहायता की माँग की । किसी प्रकार नाना फड़नवीस ने दिनकर राव अन्ना के नेतृत्व में एक मराठा सेना बालाजी गोविन्द की मदद के लिये भेज दी । साथ ही ग्वालियर तथा इन्दौर के मराठा सरदारों को दिनकर राव की मदद करने के लिए आदेश दिया । दिनकर राव अन्ना ने उस समय झाँसी के सूबेदार रघुनाथ राव हरिनिवालकर के सहयोग से हिम्मत बहादुर गुसाँई को परास्त किया । फलत: उसे गुरसराय छोड़कर भागना पड़ा । सिन्धिया और होल्कर की सेनाओं के आगमन से हिम्मत बहादुर को और अधिक आतंकित कर मोठ से भी बाहर भेज दिया गया ।

अपने साम्राज्यवादी लिप्सा तथा बुन्देलखण्ड में सत्ता की स्थापना के लिए हिम्मत बहादुर दृढ़ निश्चय था । स्थिति का अवलोकन करते हुए अब वह अवध वापस चला गया ।

1775 में हिम्मत बहादुर मराठों की सेवा में आ गया और इसी समय मराठाओं की ओर से लड़ते हुए उत्तर भारत के अभियान में वह अली-बहादुर के सम्पर्क में आया । बाद में अली बहादुर से साँठ-गाँठ करके उसने बुन्देलखण्ड विजय कर आपस में बाँटने का निश्चय किया ।

बुन्देलखण्ड में अंग्रेजों का प्रवेश :-

जिस समय अली बहादुर और हिम्मत बहादुर बुन्देलखण्ड की विजय की योजना बना रहे थे उसी समय 1778 में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर अधिकार

करने की योजना बनाई । इस क्षेत्र की केन्द्रीय स्थिति, सामरिक महत्व आदि कारणों से ब्रिटिश शासक प्रारम्भ से ही यहाँ अपनी शक्ति स्थापित करना चाहते थे । अब समय भी अनुकूल था । मराठे और बुन्देले जो पहले एक दूसरे के मित्र थे, वे अब आपस में एक दूसरे का गला दबाने लगे । साथ ही हिम्मत बहादुर और अली बहादुर इस क्षेत्र के विजय की अपनी योजना बना रहे थे । ऐसी स्थिति में 1775 में रघोवा को पेशवा पद पर समर्थन देने के लिए अंग्रेजों ने एक सेना कालपी होकर महाराष्ट्र भेजना चाही । वारेन हेस्टिंग कालपी को मध्य भारत में प्रवेश का मुख्य द्वार मानता था फलत: 1778 में यहाँ अधिकार कर लिया गया । यद्यपि एक बार पुन: मराठाओं ने अंग्रेजों का पदार्पण का विरोध करना चाहा, लेकिन वारेन हेस्टिंग ने कालिंजर के शासक कायमजी चौबे, भोपाल के नवाब तथा नागपुर के भोंसला राजा से सन्धि करके कर्नल गोडार्ड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना महाराष्ट्र भेज दी ।

बुन्देलखण्ड की छाती पर से ब्रिटिश सेना का पदार्पण यहाँ की प्रतिष्ठा तथा स्वतन्त्रता के लिए आघात था ।

1789 में अली बहादुर और हिम्मत बहादुर ने इस क्षेत्र पर विजय अभियान प्रारम्भ किया जिसमें विजित प्रदेशों में बाँदा सहित कुछ प्रदेश अली बहादुर को मिलेंगे तथा शेष हिम्मत बहादुर को मिलेंगे ।[1]

1- बुन्देलखण्ड का इतिहास - गोरेलाल तिवारी, पृष्ठ- 176.

दोनों की लगभग 40 हजार सेनाओं ने बांदा, चरखारी, बिजावर, पन्ना और छतरपुर पर अधिकार किया । जिस समय यह लोग कालिंजर पर घेरा डाले हुए थे उसी समय 28 अगस्त सन् 1802 में अली बहादुर की मृत्यु हो गई । अतः घेरा समाप्त करना पड़ा । अली बहादुर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी शमशेर बहादुर हुआ ।

एक बार पुनः ग्वालियर के सिन्धिया ने बुन्देलखण्ड पर मराठा साम्राज्य स्थापना के लिए अभियान प्रारम्भ किया, लेकिन इसी बीच हिम्मत बहादुर ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया जिससे मराठाओं का प्रयास सफल नहीं हुआ । हिम्मत बहादुर अंग्रेजों की ओर से लड़ते हुए अंग्रेजों की सत्ता बुन्देलखण्ड में स्थापित कराने का अथक प्रयास किया । इसके बदले यमुना के दाहिने किनारे की जागीर जिसकी वार्षिक आय 20 लाख रुपये थी, हिम्मत बहादुर को दिया गया ।[1]

हिम्मत बहादुर के इस धोखेपूर्ण नीति से इस क्षेत्र की स्वतन्त्रता को धक्का लगा और 1802-1803 में बेसिन की सन्धि से बुन्देलखण्ड में अंग्रेजों का आधिपत्य प्रारम्भ हुआ । 1803 में कैप्टन बेली बुन्देलखण्ड आया जिसने यहाँ का शासन प्रारम्भ किया ।[2]

1- ट्रिटीज इंगेजमेन्ट्स एण्ड सनद्स - चाई.सी.यू. एटचिसन, पृ0- 187.

2- ,, ,, पृ0 227-230.

हिम्मत बहादुर को जमुना के आसपास के जो क्षेत्र मिले थे वे उसकी मृत्यु के बाद अंग्रेजी शासन का अंग बन गये और उन्हीं क्षेत्रों से बाँदा, हमीरपुर और जालौन जिलों का गठन हुआ ।

इस प्रकार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक पूरा बुन्देलखण्ड अंग्रेजी शासन के आधीन आ गया । अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में अपने संगठन को दिन प्रतिदिन मजबूत बना लिया । विदेशी शासक के घातक परिणाम निकले । उदाहरण के लिये - बुन्देला सरदारों का साहस, शौर्य तथा उनमें युद्ध लड़ने की प्रवृत्ति लगभग समाप्त होती गयी । शान्ती स्थापित हो जाने के बाद अब वे सरदार आराम की जिन्दगी जीने लगे । यही स्थिति मराठा सरदारों की भी हुई । इसके साथ ही साथ उनमें धोखा, छल तथा कपट जैसी बुरी प्रवृत्तियों का जन्म हुआ । इसका 1804-1852 तक अंग्रेजी शासन में बुन्देलखण्ड के इतिहास में दुखद अध्याय प्रारम्भ हुआ जिसमें यहाँ के शासक तथा शासित दोनों न केवल दयनीय स्थिति का शिकार हुए बल्कि उन दोनों के बीच आपसी विश्वास का अभाव हुआ ।

1857 का विद्रोह और बुन्देलखण्ड :-

ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के प्रतिक्रिया के रूप में चारों ओर असन्तोष तथा निराशा का जन्म हो चुका था । लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति ने इस असन्तोष में और अधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप बुन्देलखण्ड में

जालौन तथा झाँसी की रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया । बाँदा के नवाब अली बहादुर के साथ भी अंग्रेजों ने इसी साम्राज्य-वादी नीति का परिचय दिया । फलतः बुन्देलखण्ड के राजे-महाराजे अंग्रेजी शासन से असन्तुष्ट हो चुके थे । अंग्रेजी शासन के आधीन राजस्व का जो निर्धारण किया गया वह तर्कसंगत न होकर राजस्व की कठोर नीति पर आधारित था ।[1] राजस्व की इस कठोर नीति ने कृषकों की स्थिति दयनीय बनाने में काफी सहायक सिद्ध हुई ।

ब्रिटिश शासन काल में ईसाई मिशनरियों का बुन्देलखण्ड में प्रवेश से यहाँ के लोगों में विदेशी धर्म के प्रति प्रतिक्रिया पैदा हुई । प्रायः सोचा जाता था कि इन मिशनरियों की नियुक्ति सरकार द्वारा होती थी तथा उनके कार्य में पुलिस मदद किया करती थी ।[2]

इस क्षेत्र की धर्मभीरु जनता ईसाई मिशनरियों के भारत आगमन तथा उनके क्रिया-कलापों से चिन्तित थी और उनकी यह धारणा बन रही थी कि किसी भी समय बुन्देलखण्ड भी ईसाई मिशनरियों के कार्य-क्षेत्र में आ जायेगा । इसके अतिरिक्त अंग्रेज सरकार ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून (विडो रिमैरीज एक्ट) पास किया ।[3] जिसमें विधवाओं को

1- सिन्हा एस.एन. - दि रिवोल्ट आफ 1857 इन बुन्देलखण्ड, लखनऊ, सन् 1982, पृष्ठ-39.

2- .... तदैव .... पृष्ठ-40.

3- श्री धारनर, लाइफ आफ दि मारक्वुस डलहौजी, वोल्यूम-2, पृष्ठ-364.

पुन: विवाह करने की छूट दे दी । हिन्दुओं ने उसे अपने धार्मिक विश्वासों में हस्तक्षेप समझा । 1850 में जातीय अयोग्यता उन्मूलन कानून पास हुआ जिसमें यह नियम बनाया गया कि कोई व्यक्ति दूसरी जाति अथवा धर्म स्वीकार कर लेता है तो उसे पूर्वजों की सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा । इसके पूर्व 1802 में सती प्रथा पर प्रतिबन्ध लगा दिया था । 1829 में बैटिंग ने इस पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया ।[1] यद्यपि यह एक अच्छा कार्य था, किन्तु रूढ़िवादी हिन्दुओं ने इसे भी धार्मिक विश्वासों में हस्तक्षेप समझा । इन तमाम तथ्यों ने असन्तोष की आग में घी डालने का काम किया ।

बुन्देलखण्ड में लार्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई को गोद लेने के अधिकार से वंचित रखकर झाँसी की रियासत अंग्रेजी राज्य में मिला दी गयी ।[2] इसके अतिरिक्त झाँसी के राजा ने महालक्ष्मी मन्दिर के लिए जो गाँव दिये थे उसे भी अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया ।[3] अपने पति की मृत्यु के बाद तत्कालीन परम्परा के अनुसार अपना मुण्डन कराने के लिए लक्ष्मीबाई ने बनारस जाने के लिए अनुमति चाही ।[4] इन घटनाओं ने असन्तोष रूपी झरने को भर दिया था ।

1- रेगूलेशन्स आफ दि बंगाल कोड, पृष्ठ- 1145.
2- सिन्हा एस.एन. - दि रिवोल्ट आफ 1857 इन बुन्देलखण्ड, पृष्ठ-48.
3- झाँसी डिवीजन म्युटिनी रिकार्ड वाल्यूम-47, डिपार्टमेन्ट-111, फाइल नं0-319, -तदैव- वाल्यूम-84, डिपार्टमेन्ट-19, फाइल नं0-175.
4- वी गोडसे, माँझा प्रवास, हिन्दी अनुवाद, वाई.ए.एस.नागर, आँखों देखा गदर, पृष्ठ-79.

बानपुर के राजा मर्दन सिंह को भी उनके राज्य के 1/3 हिस्से से वंचित रखा गया । मर्दन सिंह ने जवाहर सिंह को अंग्रेजी शासन के प्रति विद्रोह करने के लिए भड़काया ।[1] शाहगढ़ के राजा बखत बली के साथ भी यही व्यवहार हुआ ।[2] बाँदा के नबाब अली बहादुर के भी अधिकारों को छीनकर सरकार ने पेन्शन ही देने का निश्चय किया । जालौन की ताई बाई को भी ब्रिटिश अधिकारियों ने हेय दृष्टि से देखा ।[3] इन कारणों से बुन्देलखण्ड में विद्रोह का प्रारम्भ हुआ ।

बुन्देलखण्ड में सब से पहले झाँसी से ही विद्रोह का सूत्रपात हुआ । 12वीं रेजीमेन्ट का मुख्यालय झाँसी में ही स्थित था जिसका कैप्टन डनलप था ।[4] इसमें योरोपीय सैनिकों की संख्या देशी सैनिकों की तुलना में काफी कम थी । देशी सैनिकों की संख्या 522 थी, जबकि योरोपीय सैनिक केवल 6 ही थे । कुल मिलाकर 881 देशी सैनिकों में केवल 11 ही योरोपीय सैनिक थे । मई 30, 1957 को झाँसी में क्रान्तिकारियों की एक बैठक हुई जिसमें पैदल सेना के सिपाही भी शामिल थे । जून 1, 1857 को कैप्टन गार्डन ने कैप्टन स्कीने को सूचित किया कि करेरा के पवार ठाकुर 2 जून को विद्रोहकर करेरा पर अधिकार करना चाहते हैं । एक या

1- एन.ई. झाँसी डिवीजन, पृष्ठ-3.

2- सिन्हा एस.एन. रिवोल्ट आफ 1857 इन बुन्देलखण्ड, पृष्ठ-49.

3- ,, ,, ,, पृष्ठ-52.

4- कार्य वाल्यूम-111, पृष्ठ-362.

दो जून को झाँसी छावनी में स्थित दो बंगलों को आग लगा दी गई ।[1] इसी तरह बाँदा में अली बहादुर के नेतृत्व में क्रान्ति का श्रीगणेश हुआ ।

झाँसी, नौगाँव तथा चन्देरी में क्रान्तिकारियों का विशेष प्रभाव रहा । अपनी जागीरें छीन लिए जाने के कारण बुन्देला ठाकुरों ने चारों ओर विद्रोह कर दिया ।[2] चन्देरी, तालबेहट तथा ललितपुर के चारों ओर बुन्देला ठाकुरों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध झण्डे उठा लिए । बानपुर में मर्दन सिंह ने क्रान्ति का नेतृत्व किया । यही स्थिति जालौन,हमीरपुर आदि सभी जिलों में हुई ।

झाँसी के सुपरिन्टेन्डेन्ट पिनकने ने सेक्रेटरी उत्तर-पश्चिम प्रान्त को 11 मार्च, 1858 को सूचित किया कि हीरोज के नेतृत्व में हमारी सेना ने शाहगढ़ के राजा तथा वहाँ के विद्रोहियों को 3 मार्च, 1858 को मदनपुर में पराजित कर दिया है ।[3] झाँसी की स्थिति का उल्लेख करते हुए इसी पत्र में पिनकने ने लिखा कि झाँसी में क्रान्तिकारियों की कुल संख्या लगभग 10,000 है । कुछ ही दिन पूर्व इन लोगों ने हमारा साथ देने वाली टहरी की रानी पर आक्रमण किया है ।[4]

1- एन.ई.झाँसी डिवीजन, पृष्ठ- 4.

2- फारेन सीक्रेट कंसल्टेशन, 18 दिसम्बर 1857, नं0-237.

3- लेटर नं0-19, 1858 डेटेड कैम्प बानपुर, 11 मार्च 1858.

4- ,, ,, ,,

14 मार्च को पिनकने ने अपने शासन के सचिव को पुनः सूचित किया कि झाँसी तथा मऊरानीपुर के क्रान्तिकारियों ने बरुआसागर किले पर अधिकार कर लिया है तथा ओरछा के किले पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। इसके साथ ही साथ बानपुर के राजा मर्दन सिंह भी अब मदनपुर से भाग कर झाँसी में आ चुका है।[1] 22 मार्च को पिनकने ने पुनः सूचित किया कि हीरोज के नेतृत्व में सेना 21 मार्च को पहुँच चुकी है, लेकिन तब तक रानी लक्ष्मी बाई ने झाँसी की रक्षा के लिये किले की दीवारें ऊँची कर दी हैं तथा कल ही किले की दीवारों से लक्ष्मीबाई की तोपों ने हमारी सेना पर गोला-बारूद प्रारम्भ कर दी है। रानी इस समय किले में ही रह रही हैं। यह कहा जाता है कि उनके पास 20 से 30 के बीच तोपें हैं जो किले पर चारों किनारों पर लगा दी हैं। झाँसी के क्रान्तिकारियों के विद्रोह के बारे में प्राप्त सूचना के आधार पर कहा जा सकता है कि विद्रोही सैनिकों की संख्या लगभग 300 या 400 है। 100 तथा 150 के बीच घुड़सवार विद्रोही सैनिक हैं। 400 विलायती तथा 5000 या 6000 बुन्देला और मेवाती इसमें शामिल हैं, लेकिन इस संख्या पर पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि चारों ओर से शहर के दरवाजे बन्द कर दिये गये हैं।[2] 29 मार्च को पिनकने ने यह सूचित किया कि झाँसी के क्रान्तिकारियों ने हमारी मदद कर रही दतिया की सेना को परास्त कर दिया है।[3]

1- लेटर सं0-22 आफ 1858 डेटेड कैम्प तालबेहट, दि 14 मार्च, 1858.
2- ,, -48 ,, ,, विफोर झाँसी, दि 22 मार्च, 1858.
3- ,, -69 ,, ,, ,, 29 मार्च, 1858.

झाँसी के अतिरिक्त हमीरपुर, जालौन, ललितपुर आदि क्षेत्रों में भी यही स्थिति चली आरही थी । 20 नवम्बर, 1858 को हमीरपुर की स्थिति का उल्लेख करते हुये पिनकने ने लिखा कि इस जिले में अब भी क्रान्तिकारियों के गुट अधिक सक्रिय हैं और जैसाकि मैंने पहले संस्तुति की है कि जबतक इस जिले के राठ और जैतपुर के क्षेत्र में स्थायी सेना पुलिस की मदद के लिये स्थायी नियुक्त नहीं कर दी जाती, तब तक इस जिले में क्रान्तिकारियों का सफाया नहीं किया जा सकता । हमीरपुर के क्रान्तिकारियों में गुलाब सिंह तथा ईश्वरी बाजपेई का नाम विशेष उल्लेखनीय है जिन्हें 5 दिसम्बर, 1858 को इमलिया (अलीपुर जागीर) नामक स्थान पर कैप्टन फ्रीलिंग ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की ।

विद्रोह सम्बन्धी गतिविधियाँ इस क्षेत्र में व्यापक स्तर पर चलती रहीं, किन्तु ब्रिटिश साम्राज्य की महान शक्ति तथा देशी रियासतों द्वारा अंग्रेजों का समर्थन करने की नीति के कारण यह आन्दोलन कमजोर पड़ता गया और अन्ततः दबा दिया गया ।

1858 से लेकर 1919 तक का जनपद का राष्ट्रीय आन्दोलन :-

यद्यपि 1857 का विद्रोह लगभग एक वर्ष बाद ही दबा दिया गया, किन्तु फिर भी बुन्देलखण्ड के लोगों में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के विरुद्ध आक्रोश और घृणा की भावना निरन्तर पल्लवित होती रही । इस बात की

पुष्टि 1858 के झाँसी के सुपरिन्टेन्डेन्ट पिनकने के एक गोपनीय पत्र से होती है जिसमें उसने लिखा है कि यद्यपि इस देश में शान्ति व्यवस्था स्थापित हो चुकी है फिर भी झाँसी के लोग हमसे घृणा करते हैं तथा हमारे समीप नहीं आते हैं ।[1] लोगों में घृणा की यह भावना ब्रिटिश शासन की आर्थिक शोषण, धार्मिक असमानता, झाँसी रियासत के प्रति अंग्रेजी सरकार के सौतेले व्यवहार की उपज थी । इसी के अन्तर्गत रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में बुन्देलखण्ड में जन-आन्दोलन का सूत्रपात हुआ था । 1858 में विद्रोह दबा दिये जाने के बाद लोगों में स्वतन्त्रता की भावना निरन्तर विकसित होती रही । निःसन्देह तत्कालीन परिस्थितियों में चारों ओर दमन आदि का बोलबाला था, अतः ऐसी परिस्थिति में स्वतन्त्रता की यह भावना अन्दर ही अन्दर प्रस्फुटित होती रही । धीरे-धीरे यह देश के राष्ट्रीय आन्दोलन में शामिल हो गयी ।[2]

1857 के विद्रोह के दमन के लिए सरकार ने जो तरीके अपनाये वह अत्यन्त बर्बर और अमानुषिक थे । विद्रोह के दमन के लिये उस समय अंग्रेज सेना ने झाँसी में भयंकर लूटपाट की । ऐसा प्रतीत होता है कि तैमूर लंग और चंगेज खाँ जैसे बर्बर आक्रमणकारियों ने जो अमानुषिक तरीके अपनाये

1- पिनकने वीकली रिपोर्ट नम्बर-48, 22 मार्च 1858.

2- प्रोसीडिंग (होम डिपार्टमेन्ट पालिटिकल ब्रांच), फाइल नं०-19/1908 राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली.

थे, वे सभी 1857 में अपनाये गए ब्रिटिश तरीकों की तुलना में कम थे ।[1] झाँसी में कई महीनों तक सैनिक कानून लागू रहा । सर ह्यूरोज जिसे झाँसी में विद्रोह दबाने का कार्य सौंपा गया था, वह शान्ति व्यवस्था स्थापित हो जाने के बाद भी 19 दिनों तक झाँसी में डटा रहा । उसकी उपस्थिति में यहाँ चारों ओर लूटपाट का दृश्य रहा ।[2]

1857 का विद्रोह की समाप्ति के बाद बुन्देलखण्ड में स्वतन्त्रता की भावना अन्दर ही अन्दर सुलगती रही । चूँकि ब्रिटिश शासन की असीमित शक्ति, दमन और आतंक का प्रभाव अधिक था जिसके कारण लोग खुलकर तुरन्त बाद ही विद्रोह नहीं करना चाहते थे । साथ ही साथ 1857 के विद्रोह के समय क्रान्तिकारियों के सैनिक सामान में काफी क्षति भी हो चुकी थी । आर्थिक स्थिति भी उतनी सुदृढ़ नहीं थी । साथ ही साथ नेतृत्व प्रदान करने वाले वर्ग जैसे लक्ष्मीबाई, तात्याँ टोपे, अली बहादुर आदि भी दृश्य से बाहर हो गये थे । 1856 से 1876 के बीच के 20 वर्षों के कुछ इतिहासकारों ने भारत में ब्रिटिश शासन की प्रगति तथा पुनः स्थापना का युग माना है ।[3] इन दिनों देश में राजनैतिक गतिविधियों का अन्दर ही अन्दर प्रस्फुटन हो रहा था । 8 जून 1880 को जैसे ही लार्ड रिपन ने

1- श्रीवास्तव ज्वाली लाल - दि रिवोल्ट आफ 1857 इन सेन्ट्रल इण्डिया एण्ड मालवा 1966, पृष्ठ-188.

2- तदैव.

3- रघुवंशी कम वी.पी.यस - इण्डियन नेशनलिस्ट मूवमेन्ट, पृष्ठ- 31.

भारत के गवर्नर जनरल का पद -भार ग्रहण किया[1] वैसे ही भारत में राजनैतिक आन्दोलन की दिशा में नई दिशा और आशा का संचार हुआ ।[2] रिपन एक उदारवादी गवर्नर जनरल था जिसे भारत में इसलिए भेजा गया था ताकि ब्रिटिश प्रजा के मन में इस देश में जो असन्तोष पनप रहा था उसे रिपन अपने उदारवादी तरीकों द्वारा शान्त कर दें । वास्तव में लार्ड रिपन का समय भारत के राष्ट्रीय आन्दोलनों के बीजारोपण का समय था ।[3]

1858 के बाद ब्रिटिश शासन का भारतीय दशाओं पर जो प्रभाव पड़ा उससे उन परिस्थितियों का जन्म हुआ जिससे इस देश में साम्राज्यवादी शक्ति के विरुद्ध संगठित आन्दोलन का इस आशय से उदय हुआ, ताकि भारतीय जनता को एक राष्ट्र के रूप में संगठित किया जा सके ।[4] अंग्रेजी शासन की नीतियों के फलस्वरूप 19वीं शताब्दी के अन्त तक भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में परिवर्तित किया जा चुका था । यहाँ के कृषि-उत्पादनों पर इस उद्देश्य से अधिक से अधिक कर लगा दिया, ताकि ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों की रक्षा की जा सके । ब्रिटिश सरकार ने भू-राजस्व तथा भूमि सुधार के लिए दो प्रथाओं को जन्म दिया — पहला

1- सिंह एस. फ्रीडम मूवमेन्ट इन दिल्ली (1858 से 1919), 1992, नई - दिल्ली, पृष्ठ-57.
2- बरगेस जेम्स - दि क्रोनोलॉजी आफ इण्डियन हिस्ट्री, पृष्ठ-404.
3- रघुवंशी वन वी.पी.एस. - इण्डियन नेशनलिस्ट मूवमेन्ट, पृष्ठ-38.
4- बी. चन्द्रा - फ्रीडम स्ट्रगल, पृष्ठ-16.

रैयतवारी प्रथा तथा दूसरा-जमींदारी प्रथा । जमींदारी प्रथा के अन्तर्गत गाँव में जमींदार सर्वेसर्वा हुआ करता था । उसकी भूमि पर खेती करने वाले किसान जमींदार की इच्छा पर्यन्त किरायेदार होते थे । अतः यह किसान जमींदारों को अधिक से अधिक लगान देते थे । इसके अतिरिक्त समय-समय पर उन्हें अवैधानिक कर भी जमींदार को देना पड़ते थे ।[1] अवसर आने पर यह कृषक जमींदारों के लिए बेगार भी किया करते थे । ब्रिटिश राजस्व प्रणाली का सबसे बुरा परिणाम यह निकला कि इस देश में ऋण-दाताओं के एक ऐसे प्रभावशाली आर्थिक वर्ग का विकास हुआ जिसने सभी क्षेत्रों में इस देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया ।[2]

अंग्रेजी शासन का मुख्य उद्देश्य इस देश से अधिक लगान वसूल करना था । इसके अतिरिक्त यहाँ तक की राजस्व नियम इतने कठोर थे कि कृषकों को उसके भुगतान के लिए जब बाध्य किया जाने लगता था तब उनके पास अन्य रास्ता नहीं था, मात्र इसके कि वे अधिक से अधिक ब्याज देकर ऋण-दाताओं से कर लेकर सरकारी राजस्व का भुगतान कर सकें । प्रायः देखा गया है कि ऐसे समय में जब देश में अकाल पड़ रहा हो या अधिक वर्षा से फसल नष्ट हो गई हो तब लोग अधिक से अधिक ऋणदाताओं के चंगुल में

1- विपिन चन्द्रा, पृष्ठ- 18.

2- विपिन चन्द्रा, पृष्ठ- 18.

आते रहे । जैसे ही फसल तैयार होती थी ये किसान ऋणदाताओं द्वारा इस बात के लिए बाध्य किये जाते थे जिससे उस पैदावार को सस्ती दर पर ऋणदाताओं को ही बेच दें । बुन्देलखण्ड में ऋण देने की जो पद्धति अपनाई गयी वह कुछ अजीबो-गरीब थी । इस पद्धति के अनुसार ऋण का लेन-देन करने वाले जैनी तथा मारवाड़ी किसानों की भूमि को गिरवी रख लेते थे और आर्थिक कठिनाई से पीड़ित किसान जब समय से ऋण का भुगतान नहीं कर पाते थे, उस समय उनकी भूमि ऋणदाताओं के हाथ में आ जाती थी ।[1]

बुन्देलखण्ड में ऋण का लेन-देन करने की सुनियोजित ढंग से पद्धति अपनाई गयी । इस धन्धे में लगे हुए जो ऋणदाता थे, वे अंग्रेजी शासन के आधीन विकसित हुए । एक नये धनाढ्य वर्ग के रूप में थे, फलतः बुन्देलखण्ड को अधिकांश जमीन कृषकों के हाथ से निकल कर ऋणदाताओं के हाथ में आ गयी ।[2] 1866 में झाँसी के कमिश्नर जिन किन्सन ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को वास्तविक ऋणों की जाँच पड़ताल करने का आदेश दिया था, किन्तु[3] ऐसा प्रतीत होता है कि जिन किन्सन के सुझावों को उच्चाधिकारियों ने महत्व प्रदान नहीं किया । जिन किन्सन के 15 वर्ष

1- पाठक एस.पी. - झाँसी डियीजन ब्रिटिश रूल, पृष्ठ-90.

2- पाठक एस.पी. - झाँसी डिवीजन ब्रिटिश रूल, पृष्ठ- 90.

3- जिन किन्सन ई.जी. - झाँसी सेटिलमेन्ट रिपोर्ट, इलाहाबाद 1871, पृष्ठ- 442 से 448 तक.

पश्चात् सरकार ने उसके द्वारा दिये गये सुझावों की महत्ता को स्वीकार किया, किन्तु दुर्भाग्यवश उस समय तक ऋण से पीड़ित किसानों की स्थिति अत्यन्त खराब हो चुकी थी और इस क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि का अधिकांश भाग ऋणदाताओं के हाथ में आ चुका था ।

नवम्बर, 1873 में झाँसी के स्थानापन्न कमिश्नर, कालविन[1] ने यह रिपोर्ट किया । 1869 के अकाल के समय तक झाँसी जिले में राजस्व की पूरी वसूली की जा चुकी थी, लेकिन 28 प्रतिशत लोग या तो अपनी भूमि को गिरवी रख चुके थे या बेच चुके थे । इस जिले में लगभग 7 लाख रुपये का ऋण किसानों पर था जिसमें अधिक से अधिक ब्याज ऋणदाताओं ने किसानों से वसूल कर लिया था ।[2] 1892 में झाँसी जिले का दूसरा राजस्व बन्दोबस्त हुआ ।[3] इस बन्दोबस्त को पूरा करने का श्रेय मेस्टन तथा इम्पे नामक अधिकारियों को है । 1892 में बन्दोबस्त अधिकारी ने जिले की आख्या देते हुए लिखा-- "1868-1871" के बीच झाँसी जिले में किसानों द्वारा अपनी भूमि अधिक से अधिक विक्रय ऋणदाताओं को किया गया । इस अवधि में 11251 एकड़ भूमि इन किसानों ने ऋणदाताओं

1- इम्पे तथा मेस्टन - झाँसी सेटिलमेन्ट रिपोर्ट 1892, पृष्ठ- 55.

2- तदैव.

3- तदैव.

को बेंच दी तथा लगभग 45,276 एकड़ भूमि ऋणदाताओं के पास गिरवी रखकर दी गयी । ललितपुर का क्षेत्र सूदखोरी के व्यापार से प्रभावित था । यहाँ सूद की कार्य करने वाले अधिकांश जैनी लोग थे । प्रचलित परम्परा के अनुसार देवपत तथा खेवपत नाम के दो जैनियों ने मेरठ से चलकर बुन्देलखण्ड में प्रस्थान किया तथा ललितपुर को अपने व्यापार का केन्द्र बनाया । इन जैनी व्यापारियों ने ऋण देने का कार्य प्रारम्भ किया। जिले की गिरती हुई दशा लगातार पड़ने वाले अकालों का प्रकोप अंग्रेज सरकार की कठोर राजस्व दरें, उद्योग तथा व्यापार, आदि का नष्ट होने के कारण इस क्षेत्र में भुखमरी और गरीबी आयी । इसके कारण लोगों को अपनी भूमि गिरवी रखकर ऋणदाताओं से कर्ज लेना पड़ा, किन्तु इस कर्ज का भुगतान न कर पाने के कारण किसानों की भूमि ऋणदाताओं के हाथ में आ गई ।[1]

ललितपुर में बुन्देला ठाकुर जो इस क्षेत्र के समस्त जमींदार थे, आर्थिक मन्दी की चपेट के कारण धीरे-धीरे ऋणग्रस्त हो गये और उन्होंने भी बहुत सारी भूमि जैनी और मारवाड़ियों को गिरवी रख दी जो बाद में ऋणदाताओं के हाथ में आ गयी । इस क्षेत्र की ऋण की परम्परा ने लेफ्टीनेन्ट गवर्नर विलियम म्यूर का ध्यान आकृष्ट किया ।[2] जनवरी 1872

1- पाठक एस.पी. - झाँसी ब्रिटिश रूल, पृष्ठ 170-171.

2- इम्पे तथा मेस्टन, झाँसी सेटिलमेन्ट रिपोर्ट 1892, पृष्ठ-55.

में उसने इस क्षेत्र का दौरा किया । बुन्देलखण्ड यात्रा के दौरान म्यूर ने यह अनुभव किया कि शीघ्र ही एक कानून पास कर ऋणदाताओं के वास्तविक हिसाब की जानकारी प्राप्त की जाये तथा इसेसे किसानों को मुक्त किया जाये ।[1] लेफ्टीनेन्ट गवर्नर के आदेश के आधार पर 1875 में कमिश्नर डालविन को जाँच-पड़ताल हेतु नियुक्त किया गया । 1876 में झाँसी के मऊ, गरौठा और मोंठ परगना में किसानों के ऊपर लदे हुए कर्ज की जाँच-पड़ताल का कार्य पोर्टर नामक अधिकारी को दिया गया, किन्तु पोर्टर अपना कार्य पूरा न कर सका और बीच में ही उसका स्थानान्तरण हो गया ।[2] उसके स्थान पर माँटाव नामक अधिकारी को नियुक्त किया गया जिसने अपनी आख्या में यह स्पष्ट किया कि इन परगनों में साढ़े 16 लाख रुपये का कर्ज किसानों पर लदा हुआ है ।[3]

<u>बुन्देलखण्ड भूमि हस्तान्तरण कानून 1882 :-</u>

माँटाव ने ऋण की परम्परा को समाप्त करने के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट दी थी उसके आधार पर यह अनुभव किया गया कि कानून पास करके भूमि के हस्तान्तरण पर रोक लगा दी जाय । इस प्रकार का कानून

1- इम्पे तथा मेस्टन - झाँसी सेटिलमेन्ट रिपोर्ट 1892, पृष्ठ-56.
2- तदैव. ---
3- तदैव. --- पृष्ठ-58.

सिन्ध प्रान्त में 1882 में पास हो चुका था ।[1] इसमें यह व्यवस्था कर दी गयी कि ऋण से लदे किसानों का बोझ को हल्का करने के लिए सम्बंधित मजिस्ट्रेट इसके लेखे-जोखे का विवरण दें और ऋणग्रस्त किसान की भूमि का एक हिस्सा बेचकर शेष भूमि उन्हीं किसानों को सौंप दी जाय । बेचे हुए भाग से प्राप्त पैसे से ऋणदाताओं के ऋण की पूर्ति कर दी जाय ।[2]

इस नये कानून के अन्तर्गत जून 1882 में ईवान नामक अधिकारी को स्पेशल जज के रूप में नियुक्त कर दिया गया ।[3] लेकिन अन्तत: यह महसूस किया गया कि जबतक किसानों को भूमि बेचने पर रोक नहीं लगाई जायेगी तबतक कृषि योग्य भूमि ऋणदाताओं के हाथ में जाने से नहीं रोकी जा सकेगी ।

भूमि हस्तान्तरण कानून 1903 :-

भूमि का हस्तान्तरण रोकने के लिए तथा बुन्देलखण्ड के कृषकों किसानों की दशा में कुछ सुधार करने के लिए 1903 में सरकार को बाध्य होकर भूमि हस्तान्तरण कानून पास करना पड़ा ।[4] जिसमें यह व्यवस्था

1- पाठक एस.पी. - झाँसी ब्रिटिश रूल, पृष्ठ 88-89.
2- इम्पे तथा मेस्टन- झाँसी सेटिलमेन्ट रिपोर्ट 1892, पृष्ठ 58-59.
3- पाठक एस.पी. - झाँसी ब्रिटिश रूल, पृष्ठ-90.
4- ड्रेक ब्राक मैन,डी.एल.- झाँसी गजेटियर,इलाहाबाद 1909,पृ0-15.

कर दी कि यदि कोई किसान किन्हीं कारणों से भूमि बेचना चाहता है तो वह उस भूमि का विक्रय केवल उसी वर्ग को करेगा जो वर्ग कृषि-कार्य में संलग्न है । इस एक्ट के पास करने के पीछे विशेष उद्देश्य यह था कि अन्नदाताओं एवं गैर कृषक वर्ग में कृषि योग्य भूमि का विक्रय न होने दिया जाय । ऐसा प्रतीत होता है कि इस कानून द्वारा 1882 के एक्ट की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और बुन्देलखण्ड के अधिकांश किसान अन्नदाताओं के चंगुल में आ चुके थे ।[1] यदि सरकार ने यह तरीका पहले ही अपनाया होता तो विशेषत: उस समय जब 1864 में झाँसी के कमिश्नर मेन फिन्सन, ने इस खतरे के प्रति सचेत किया था तो यह निश्चित था कि इस क्षेत्र में कृषकों की इतनी आर्थिक दुर्गति नहीं होती ।[2]

संक्षेप में बुन्देलखण्ड का इतिहास अत्यन्त ही शौर्य और साहस की परम्पराओं से सम्बद्ध था । 1804 में अंग्रेजी शासन की स्थापना के समय से लेकर 1947 तक यह क्षेत्र विदेशी शासन के आधीन सभी प्रकार की शोषण एवं अन्याय की नीति का शिकार रहा फलत: बुन्देलखण्ड के जमींदारों तथा कृषकों का आर्थिक रूप से न केवल शोषण ही हुआ, बल्कि विदेशी शासन

1- ड्रेक ब्राक मैन, डी.एल. - झाँसी गजेटियर इलाहाबाद 1909, पृ0-154.

2- पाठक एस.पी. - झाँसी ब्रिटिश रूल, पृष्ठ- 90.

के कारण उनमें अपराधिक प्रवृत्तियाँ जैसे डकैती, ठगी, आदि का भी जन्म हुआ । इस क्षेत्र के जमींदार, राजे तथा महाराजे जो अपने शौर्य के लिए प्रख्यात थे, वे अंग्रेजी शासन में शान्ति स्थापित हो जाने के बाद विलासता पूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे । अब उन्हें न तो युद्ध लड़ने पड़े और न ही अपनी रियासत में शान्ति स्थापित करने के लिए प्रयास ही करना पड़ा । विलासतापूर्ण जीवन के कारण इनमें अनेकों बुराइयाँ विकसित हुईं तथा वीर-सिंह देव और छत्रसाल जैसे इस क्षेत्र के राजाओं ने शौर्य और पराक्रम का जो उदाहरण प्रस्तुत किया था उससे बुन्देलखण्ड के राजे और महाराजे अंग्रेजी शासनकाल में विमुख हो गये । यहाँ तक कि उनमें एक दूसरे के प्रति धोखा देने की प्रवृत्ति पैदा हो गई । अनेकों ने तो अंग्रेजी शासन का साथ दे दिया जिसमें विदेशी शासन को मजबूती मिली ।

ऐसे वातावरण में भी कुछ साहसी लोग अब भी विद्यमान थे जिन्होंने अंग्रेजी शासन के प्रति विरोध की भावना को जागृत रखा । झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, बानपुर के राजा मर्दन सिंह तथा बाँदा के नवाब अली बहादुर जैसे साहसी सूरवीरों ने 1857 में अंग्रेजी सरकार के दाँत खट्टे कर दिये थे । रानी लक्ष्मीबाई ने तो अपने विरोधी हीरोज से शहीद होने के पश्चात् सम्मान भी प्राप्त किया ।

1858 में शान्ति स्थापित हो जाने के बाद अंग्रेजी शासन सत्ता ईस्ट इण्डिया कम्पनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गई । इसी समय वाईसराय के पद पर केनिंग की नियुक्ति हुई जिसे महारानी -

विक्टोरिया का घोषणा-पत्र भारतीयों के समक्ष रखा । इस घोषणा में यद्यपि महारानी विक्टोरिया ने यह कहा था कि अंग्रेज सरकार भारतीयों के धर्म, विश्वासों, परम्पराओं, रीति-रिवाजों में किसीप्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी । इसी के साथ ही सरकार ने साम्राज्य विस्तार की नीति का भी अन्त कर दिया, किन्तु वास्तव में 1858 के बाद भी अंग्रेजों ने भारतीय मामलों में बराबर हस्तक्षेप किया । बुन्देलखण्ड में तो एक नीति के अन्तर्गत इस क्षेत्र के अन्तर्गत लोगों को सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़ा बनाये रखा गया । ऐसा जानबूझ कर किया गया, क्योंकि यहाँ के लोगों ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का डटकर विरोध किया था अतः बदला लेने की दृष्टि से यहाँ के लोगों को सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ा बनाये रखा गया । इस पिछड़ेपन के बावजूद भी राष्ट्रीय आन्दोलन की चिंगारी लोगों के दिल में धधकती रही । रानी लक्ष्मी बाई का त्याग तथा बुन्देलखण्ड के क्रान्तिकारियों जैसे- अली बहादुर, मर्दन सिंह आदि की कुर्बानियाँ लोगों के सामने आदर्श थीं । यहाँ के ग्रामीण अंचलों में राष्ट्रीयता के गीत, लोरी अथवा लोक-गीतों में गाये जाते रहे, जो लोगों के अंग्रेजी शासन के प्रति विरोध की भावना को प्रकट करते हैं ।

----- :0: -----

अध्याय - 2

बुन्देलखण्ड में स्वतन्त्रता आन्दोलन की सामाजिक व आर्थिक पृष्ठ-भूमि.

अंग्रेजी शासनकाल में आर्थिक शोषण तथा सामाजिक अन्याय एवं जातीय विद्वेष की पृष्ठ भूमि में ही इस देश के राष्ट्रीय आन्दोलन को दृष्टिगत करना समीचीन प्रतीत होता है । बुन्देलखण्ड में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना 1802 की बेसीन की सन्धि से की जा चुकी थी । ठीक इसी वर्ष कैप्टन जॉन बैली को एक अंग्रेजी सेना के साथ बाँदा में नियुक्त कर दिया गया, ताकि इस क्षेत्र में विदेशी सत्ता का कारगर ढंग से नियंत्रण स्थापित किया जा सके । बैली ने अपने शासकों की ही नीति के अन्तर्गत आर्थिक शोषण तथा अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त करने की नीति का पालन किया, अतः यह स्वाभाविक ही था कि उसने बुन्देलखण्ड के किसानों से अधिक से अधिक राजस्व की दरें वसूल करने की कोशिश की । राजस्व की दरों के निर्धारण के मामले में वह बुन्देलखण्ड की दशाओं से पूर्णतः परिचित नहीं था । अतः मिर्जा जाफर नामक व्यक्ति को लखनऊ से बुलाकर उसने इस क्षेत्र में राजस्व की दरों के निर्धारण का कार्य प्रारम्भ किया ।

बाँदा के नवाब के समय राजस्व बन्दोबस्त को ध्यान में रखते हुए स्थायी बन्दोबस्त होने तक बन्दवाजी में भूमि-कर की कुछ दरें निर्धारित कर दी गयीं ।

बाँदा का लगभग सम्पूर्ण जिला अंग्रेजों को दिसम्बर 1803 की पूना की सन्धि के अनुसार प्राप्त हुआ था ।[1] इस सम्पूर्ण क्षेत्र पर 1804 का रेगुलेशन नम्बर-4 लागू किया गया ।[2]

1854 में झाँसी के राजा गंगाधरराव की मृत्यु के बाद झाँसी की रियासत को अंग्रेजी शासन में सम्मिलित कर लिया गया था, किन्तु स्व0 गंगाधरराव की पत्नी रानी लक्ष्मीबाई तथा अंग्रेजों के बीच कुछ वर्षों तक का समय परस्पर विरोधी दावों के बीच गुजरता रहा और जब 1858 में शान्ति व्यवस्था हो जाने पर राजस्व के निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी । राजा गंगाधरराव की मृत्यु के समय झाँसी की रियासत में 9 परगने थे -- झाँसी, पिछोर, करेरा, पण्डवाहा, मऊ और विजयगढ़ । साथ ही मोठ, भाण्डेर तथा गरौठा भी अंग्रेजी शासन के अंग थे ।[3] ललितपुर 1891 तक एक पृथक जिला था ।[4] अतः झाँसी व ललितपुर के राजस्व बन्दोबस्त अलग-अलग समय पर किये गये, किन्तु 1903 में ललितपुर झाँसी में मिलाकर एक सब डिवीजन बना दिया गया था अतः राजस्व प्रबन्ध भी साथ-साथ किया गया ।

1- एटकिन्सन सी॰यू॰ - ट्रीटीज इंगेजमेन्ट एण्ड सनद जिल्द-5, कलकत्ता 1909, पृष्ठ- 295.
2- तदैव.
3- पाठक एस.पी. - झाँसी ड्यूरिंग दि ब्रिटिश रूल, पृष्ठ- 92.
4- तदैव.

क्षेत्रों में प्राय: परिवर्तन होने के कारण राजस्व इतिहास के प्रारम्भिक स्वरूप के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना कठिन प्रतीत होता है ।[1] 1857 के विद्रोह के समय राजस्व निर्धारण सम्बन्धी पत्रावलियों के नष्ट हो जाने के कारण भी हमें इस सम्बन्ध में काफी कठिनाई उठानी पड़ी है ।[2]

झाँसी जिले की राजस्व-व्यवस्था :-

झाँसी जिले के आधे क्षेत्र की राजस्व व्यवस्था 1857 के विद्रोह के पूर्व ही कैप्टन गोर्डन द्वारा कर दिया गया था और शेष आधे क्षेत्र का राजस्व प्रबन्ध शान्ति व्यवस्था स्थापित हो जाने के पश्चात् किया गया। कैप्टन गोर्डन ने मोठ, गरौठा और भाण्डेर के परगनों का भी बन्दोबस्त कर दिया था । चूँकि बुन्देला और मराठों के कार्यकाल में किसी निश्चित अवधि तक राजस्व बन्दोबस्त नहीं किये जाते थे ।[3] ये शासक अपने वफादारों तथा रिश्तेदारों को अनेक गाँव जागीर के रूप में दे दिया करते थे । ऐसे गाँव जिन्हें ये शासक बिना कोई कर लिये हुये अपने जमींदारों को दे दिया करते थे, उन्हें उबारी जमा के नाम से पुकारा जाता है ।[4] शेष

1- ड्रेक ब्राॅक मैन डी.एल. -झाँसी गजेटियर,इलाहाबाद 1909,पृष्ठ-136.

2- जेनकिन्सन ई.जी. -झाँसी सेटिलमेन्ट रिपोर्ट,इलाहाबाद 1871,पृ0-108.

3- वही. पृ0-81.

4- वही.

गाँव में राजस्व वसूल करने की प्रथा यह थी कि उस गाँव के मुखिया अथवा सेठी को समय-समय पर कुछ धनराशि दे दी जाती और उसी के माध्यम से वहाँ का कर वसूल किया जाय ।[1] मराठों के समय से इस क्षेत्र में राजस्व लेने की देखा-परखी व्यवस्था चली आ रही थी । जेनकिन्सन ने इस प्रथा के बारे में लिखा है कि इस पद्धति से वर्ष के प्रारम्भ में भूमि का राजस्व निर्धारित कर दिया जाता था जिसमें गाँवों के मुखिया को इसकी वसूली का पट्टा दे दिया जाता था । इस पट्टे में भूमि की किस्मों के अनुसार विभिन्न फसलों पर राजस्व की दरें लिखी होती थीं । कभी-कभी भूमि का इकट्ठा कर निर्धारित कर दिया जाता था । इस प्रथा को "धक्का" या "धन्ता" के नाम से पुकारा जाता था ।[2]

सबसे पहले 1839 में भाण्डेर, मोठ और गरौठा परगनों में थोड़े समय के लिए बन्दोबस्त किया गया । यह बन्दोबस्त जालौन के सुपरिन्टेन्डेन्ट ने किया था । बाद में अर्सकिन ने उपरोक्त परगनों का संक्षिप्त बन्दोबस्त किया, किन्तु यह बन्दोबस्त भूमि के ठीक नाप-तौल पर आधारित नहीं था अतः राजस्व की दरें काफी ऊँची निर्धारित की गयीं । फलतः यहाँ के किसानों और जमींदारों को बहुत कठिनाई उठानी पड़ी ।[3] इसके पश्चात् जोर्डन ने इन परगनों का बन्दोबस्त किया जो 1857 के पूर्व पूर्ण हो चुका था,

---

1- जेनकिन्सन ई.जी.--झाँसी सेटिलमेन्ट रिपोर्ट,इलाहाबाद 1871,पृ0-81.

2- तदैव.

3- जेनकिन्सन ई.जी.-- रिव्यू आफ द सिटिलमेन्ट, पृष्ठ-1.

किन्तु 1857 के विद्रोह के समय ये रिकार्ड सम्पूर्ण रूप से नष्ट हो गए ।

झाँसी के अलावा ललितपुर जिले में भी राजस्व व्यवस्था कई चरणों में बनाई गई । ललितपुर में पहला स्थायी बन्दोबस्त 1869 में हुआ । इससे पूर्व 1844 और 1860 के बीच वहाँ राजस्व की संक्षिप्त व्यवस्था की गयी ।[1] ये बन्दोबस्त मुख्यतः सैनिक अधिकारियों द्वारा किये गये थे । निःसन्देह बन्दोबस्त की स्थायी व्यवस्था ललितपुर में भी 1858 में शान्ति व्यवस्था स्थापित हो जाने के बाद ही सम्भव हो सकी ।

झाँसी तथा ललितपुर के स्थायी राजस्व प्रबन्ध :-

वस्तुतः झाँसी और ललितपुर दोनों जिलों में राजस्व निर्धारण की प्रक्रिया 1857 के विद्रोह के पश्चात् शान्ति स्थापना होते ही झाँसी के डिप्टी कमिश्नर कैप्टन मैक्लीन ने अगस्त 1858 में प्रारम्भ किया ।[2] 1859 में कैप्टन क्लर्क ने मैक्लीन के स्थान पर कार्य अपने हाथ में लिया तथा उसने गरौठा परगनों के 15 गाँवों में बन्दोबस्त के कार्य का श्रीगणेश किया। उल्लेखनीय है कि यह परगना पहले जोर्डन द्वारा राजस्व के लिए व्यवस्थित किया गया था ।

1- ड्रेक ब्राँक मैन डी.एल. - झाँसी गजेटियर, इलाहाबाद 1909, पृ0-141.

2- पैनिंग्टन ई.जी. - रिव्यू आफ द सेटिलमेन्ट, पृष्ठ 83-85.

1861 में डेनियल ने वर्मा से कार्यभार ग्रहण करके दूसरे ही वर्ष पण्डवाहा और मऊ परगनों में बन्दोबस्त कार्य प्रारम्भ किया । 1864 में डेनियल की जगह मेजर डेविडसन नियुक्त हुआ[1] जिसने मार्च 1864 तक झाँसी के 119 गाँवों का बन्दोबस्त कर दिया । 1864 में मेजर वैनकिन्सन ने झाँसी जिले का कार्य अपने हाथ में लिया तथा इस बन्दोबस्त को पूरा किया । यह बन्दोबस्त 20 साल के लिए किया गया जो सरकारी नोटी-फिकेशन के अनुसार 30 सितम्बर,1884 तक वैध था ।

झाँसी का दूसरा और तीसरा बन्दोबस्त :-

झाँसी जिले का दूसरा बन्दोबस्त इम्पे और मेस्टन नामक राजस्व अधिकारियों ने किया । अक्टूबर,1881 में इस बन्दोबस्त की घोषणा की गई ।[2] इम्पे ने बन्दोबस्त अधिकारी के रूप में अक्टूबर 1889 में कार्य अपने हाथ में लिया तथा मेस्टन की सहायता से 1892 के जाड़े के समय तक बन्दोबस्त का कार्य पूरा किया ।[3] यद्यपि ललितपुर जिला 1891 में झाँसी में मिला लिया गया था, लेकिन इस बन्दोबस्त में ललितपुर को झाँसी में सम्मिलित नहीं किया गया था ।[4] ठीक इसी प्रकार गुरसराय और

1- पाठक एस0 पी0 - झाँसी ड्युरिंग ब्रिटिश रूल, पृष्ठ- 96.

2- सरकारी आदेश संख्या-1479/1-505, 11 अक्टूबर 1888 देखिये झाँसी का दूसरा बन्दोबस्त,इलाहाबाद 1892, पृष्ठ-1.

3- कार्यवाई नोट सं0-75/1262,देखिये झाँसी द्वितीय बन्दोबस्त, वही- .

4- वही.

बकरवई की जागीरों को भी इस बन्दोबस्त की कार्य पद्धति से बाहर रखा गया । 1892 से पूर्व झाँसी और ग्वालियर के बीच क्षेत्रों का आदान-प्रदान हुआ और इस समय तक झाँसी में तहसीलों की संख्या मात्र 4 थीं ।

तीसरा बन्दोबस्त पिम ने 1903 में किया जिसे हम अन्तिम बन्दोबस्त के नाम से पुकारते हैं । इस समय ललितपुर भी झाँसी जिले में सम्मिलित कर लिया गया था ।[1] इस प्रकार झाँसी और ललितपुर सब-डिवीजन का बन्दोबस्त 1906 में पूरा किया गया ।

ललितपुर जिले में स्थायी बन्दोबस्त का कार्य 1858 के बाद प्रारम्भ हुआ, किन्तु कैप्टन टीलर के 1860 में यूरोप चले जाने से बन्दोबस्त का कार्य कैप्टन गार्वेट को दिया गया ।[2] लेकिन 1862 में गार्वेट का जालौन के लिए स्थानान्तरण हो गया । इसी वर्ष कैप्टन टीलर यूरोप से वापस लौट कर पुन: ललितपुर आये और उसने पुन: यह बन्दोबस्त का कार्य प्रारम्भ कर दिया । सर्वप्रथम उसने तालबेहट और ललितपुर के गाँवों का राजस्व-निर्धारण किया । बाँसी का सर्वे चूँकि कैप्टन गार्वेट पहले कर चुका

1- पाठक एस0 पी0 - झाँसी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, पृष्ठ- 97-98.

2- एटकिन्सन-पु0 ग्रं0, पृष्ठ 335-336.

था, किन्तु न ही उसने और न ही कैप्टन टीलर ने इसकी कोई रिपोर्ट प्रकाशित की । कर्नल डेविडसन ने फरवरी, 1866 में यह कार्य प्रारम्भ किया जो तीन वर्षों तक चलता रहा और 1869 में पूरा हुआ । यह बन्दोबस्त 16 वर्षों के लिये किया गया ।[1]

पूर्व निश्चित् अवधि के अनुसार ललितपुर को पहले बन्दोबस्त की अवधि 1889 में समाप्त होनी थी, किन्तु अकाल आदि के कारण इसकी अवधि 10 वर्षों तक बढ़ा दी गयी । इस जिले का दूसरा बन्दोबस्त होरे ने 1899 में किया । इसकी अवधि 30 वर्ष तक रखी गई और अन्त में ललितपुर जिले को झाँसी में मिलाकर 1903 में पिम ने इन दोनों भागों का एक साथ बन्दोबस्त किया ।

1- एटकिन्सन - बुन्देलखण्ड गजेटियर, पृष्ठ- 335-336.

बाँदा जिले का राजस्व-प्रबन्ध

1804 में कैप्टन बैली ने मिर्जा जाफर की सहायता से राजस्व की जो व्यवस्था की थी वह बाँदा जिले के दक्षिणी तथा पूर्वी भागों तक ही सीमित थी ।[1] 1805 में जे0 डी0 अरिस्किन को कलक्टर बनाकर बुन्देलखण्ड को एक स्थायी जिला बना दिया गया और अरिस्किन ने इस पूरे क्षेत्र के लिये एक जैसी राजस्व व्यवस्था का निर्माण किया । 1806 में हिम्मत बहादुर की मृत्यु हो जाने के बाद उसे जो जागीर दी गई थी वह भी अंग्रेजों के हाथ आ गई । इस प्रकार पूरे क्षेत्र का प्रबन्ध अरिस्किन ने 1806 में किया । ठीक इसी प्रकार 1808 में बाम्बुप ने तीसरा तथा 1815 में स्काट वारिंग ने बाँदा जिले में चौथा राजस्व प्रबन्ध किया ।[2] 1820 में कैम्पबेल और रीडे ने पाँचवे बन्दोबस्त का निर्माण किया जो 1825 तक चलता रहा ।[3] इस जिले के छठें राजस्व प्रबन्ध का कार्य 1825 में प्रारम्भ हुआ । विलकिन्सन, पेन और केनवी नामक अधिकारियों ने इस कार्य को प्रारम्भ किया । विलकिन्सन ने बबीं सब डिवीजन के साथ-साथ बदौसा का भी प्रबन्ध किया । ब्बुर तहसील की राजस्व व्यवस्था का प्रबन्ध पेन ने किया, जबकि केनवी ने पैलानी और अगौसी तहसीलों के राजस्व निर्धारण का कार्य किया ।[4]

1- केडिल ए. सिटिलमेन्ट रिपोर्ट आफ बाँदा, इला0 1881, पेज- 96.

2- ड्रेक ब्राक मैन, डी0एल0, बाँदा गजे0, इला0 1909, पृष्ठ-127.

3- केडिल ए. सिटिलमेन्ट रिपोर्ट आफ बाँदा, इला0 1881, पृष्ठ-115.

4- ,, ,, ,, पृष्ठ-115.

इस जिले का पहला वैज्ञानिक ढंग से किया हुआ सर्वेक्षण और राजस्व प्रबन्ध 1842 में हुआ जिसमें विभिन्न प्रकार की भूमि का सर्वेक्षण करते हुए राजस्व-कर का निर्धारण किया गया । इस कार्य का दायित्व रार्इट को दिया गया जिसने राजस्व की दरें निर्धारित कीं ।[1]

1857 के विद्रोह की समाप्ति के बाद जैसे ही 1858 में शान्ति स्थापित हुई वैसे ही राजस्व-कर की दरों में संशोधन करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई ।

सन् 1874 का बन्दोबस्त

बाँदा जिले में बन्दोबस्त अधिकारी केडिल ने 10 दिसम्बर, 1874 को सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ किया ।[2] उसने इस कार्य में राजस्व अधिकारी फिनले को सहायता दी । केडिल और फिनले ने मिलकर बाँदा जिले की पश्चिमी पाँच तहसीलों का राजस्व निर्धारण किया, जबकि कर्वी सब - डिवीजन में इस कार्य को करने का दायित्व पैटरसिन को दिया गया ।[3]

हमीरपुर की राजस्व-व्यवस्था

हमीरपुर जिले का राजस्व प्रबन्ध सबसे पहले 1805-6 में गवर्नर जनरल के एजेन्ट कैप्टन बेली ने किया । इस जिले के कलेक्टर अरिस्किन ने वहाँ के विद्रोही नेता परसराम, गोपालसिंह और दउआ का दमन करने

1- प्रोसीडिंग, जून 9, 1847 कन्सलटेशन नम्बर-7.

2- केडिल ए॰ सिटिलमेन्ट रिपोर्ट आफ बाँदा, इला० 1881, पृष्ठ-98.

3- इम्प्रीय, ई०डी०, सिटिलमेन्ट रिपोर्ट आफ बाँदा, इला० 1909, पृ०-16 और पृष्ठ-18.

में काफी कठिनाई का अनुभव किया था । अन्ततः सैनिकों की सहायता से इस क्षेत्र का प्रबन्ध किया गया ।[1] अरिस्किन ने इस जिले का दूसरा राजस्व प्रबन्ध 1807 में किया, लेकिन उस समय तक गोपालसिंह तथा अन्य विद्रोही जिले के पश्चिमी क्षेत्रों में अपना प्रभाव जमाये हुए था । तीसरा राजस्व प्रबन्ध 1811,12 में वाल्बुप ने किया ।[2] इसके पश्चात् स्काट-बारिंग ने 1815 में इस जिले के लिए राजस्व व्यवस्था का निर्माण किया। स्काट तथा बारिंग ने हमीरपुर जिले का पाँचवा राजस्व प्रबन्ध 1815,20 के बीच की अवधि में पूरा किया ।[3] 1825 में वालदी को राजस्व की दरों के पुनर्व्यवस्था का कार्य सौंपा गया । 1842 में ऐलन ने परगना सुमेरपुर, मौदहा, राठ, पनवाड़ी और खरका आदि क्षेत्रों का बन्दोबस्त किया, जबकि डब्लू म्यूर ने हमीरपुर, कालपी, जलालपुर, खरेला और कोंच का प्रबन्ध (जो उन दिनों हमीरपुर जिले में था) तथा फ्रीलिंग ने महोबा का बन्दोबस्त 1855-56 में किया ।[4] ऐलन तथा म्यूर द्वारा किये गये बन्दोबस्त की अवधि 1872 में समाप्त हुई ।[5]

1- एटकिन्शन ई०टी०, बुन्देलखण्ड गजे० (वही), पृष्ठ-173.

2- वही.

3- वही.

4- वही.

5- वही.

जालौन जिले का राजस्व-प्रबन्ध

जालौन जिले में मुख्यतः तीन राजस्व प्रबन्ध हुए । पहला प्रबन्ध 1863-64 में हुआ जिसमें इस जिले के 675 गाँवों का सर्वेक्षण करते हुए राजस्व की दरें निर्धारित की गईं ।[1] इस समय कुल 709282 एकड़ भूमि की पैमाईश की गई तथा उसकी दरों का निर्धारण किया गया । दूसरा बन्दोबस्त 1873 में कोंच व कालपी का किया गया जिसमें कुल 203 गाँव शामिल थे तथा कुल 214044 एकड़ भूमि का सर्वेक्षण हुआ । तीसरा बन्दोबस्त दबोह बन्दोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है जो 1876-77 में समाप्त हुआ । इसमें कुल 18 गाँव शामिल थे तथा 16487 एकड़ भूमि की पैमाईश करते हुए इसकी दरों का निर्धारण किया गया ।[2] बन्दोबस्त की उपरोक्त व्यवस्था में जालौन जिले के जागीरदार विशेषतः जगम्मनपुर, रामपुरा और गोपालपुर के क्षेत्रफल शामिल नहीं थे, क्योंकि यहाँ जमींदारों की जागीरदारी चली आ रही थी ।[3]

विभिन्न परगनों के क्षेत्रफल तथा गाँवों के आदान-प्रदान के कारण प्रायः कुछ गाँव जागीरदारों की सीमा में शामिल हो गए तथा उनके कुछ क्षेत्रफल इसके बदले में दिये जाते रहे अतः इन सभी क्षेत्रों का विस्तृत आर्थिक विवरण देना कठिन है,[4] लेकिन फिर भी राजस्व प्रबन्ध की दृष्टि से निम्नलिखित तथ्य उल्लेखनीय हैं ।

1- एटकिन्सन ई0टी0, बुन्देलखण्ड गजे0 [वही], पृष्ठ-212

2- वही. , पृष्ठ-212

3- वही. , पृष्ठ-212

4- कर्नल टर्नन, सिटिलमेन्ट रिपोर्ट, 1869 और कर्नल टर्नन स्टेटिस्टिकल-मेमायर 1870.

1838 में जालौन रियासत में शामिल परगनों को लेफ्टीनेन्ट डूलन की देख-रेख में रखा गया ।[1] इन परगनों में जालौन, कनार, मुहम्मदाबाद, इटौरा, रामपुरा और महोबा तथा मौंठ शामिल थे । 1839 में अल्प अवधि के लिए इनका बन्दोबस्त किया गया । 1840 में दूसरा बन्दोबस्त भी केवल एक वर्ष के लिए ही किया गया ।[2]

1841 से 1845 के बीच इस जिले का तीसरा राजस्व प्रबन्ध हुआ जिसकी अवधि 5 वर्ष की थी । 1841 में चिरगाँव के जमींदार के विद्रोही हो जाने के कारण उसे अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया । 1843 में गरोठा और दबोह को झाँसी में इस उद्देश्य से शामिल किया गया, ताकि अंग्रेजी सेना के खर्च के लिए आय की व्यवस्था की जा सके। 1844 में परगना कछवागढ़ तथा भाण्डेर जो पहले ग्वालियर रियासत में थे, उन्हें कैप्टन रोस की देख-रेख में दे दिया गया ।[3] अंग्रेज सरकार तथा ग्वालियर रियासत के बीच में एक सन्धि द्वारा इन परगनों को अंग्रेजी शासन को दे दिया गया जिन्हें जालौन जिले में शामिल कर लिया गया ।[4] 1847 तथा 1850 के बीच राजस्व प्रबन्ध की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई उसमें ग्वालियर रियासत से हस्तान्तरित परगने शामिल नहीं किये गये थे ।[5]

1- एटकिन्सन ई0 टी0, बुन्देलखण्ड गजे0 [वही], पृष्ठ-212
2- एटकिन्सन ई0 टी0, बुन्देलखण्ड गजे0 [वही], पृष्ठ-212
3- वही , पृष्ठ-213-214
4- देखिए सन्धि दिनांक 13 जनवरी, 1844
5- वही. , पृष्ठ 213-214

अप्रैल, 1849 में कैप्टन रोश के उत्तराधिकारी के रूप में कैप्टन अरिस्किन ने कार्य-भार ग्रहण किया । उसी वर्ष जैतपुर भी अरिस्किन की देख-रेख में रख दिया गया । मार्च, 1853 में परगना महोबा तथा जैतपुर को हमीरपुर जिले को दे दिया गया । इसके बदले कालपी तथा कोंच के क्षेत्र जालौन को प्राप्त हुए । कालपी और कोंच का बन्दोबस्त विलियम म्यूर ने 1840-41 में तथा 1870-71 में किया । 1860-61 में कोंच की राजस्व दरें पुन: निर्धारित हुई । 1854 में जालौन जिले के क्षेत्रफल में पुन: परिवर्तन हुआ, क्योंकि मोठ तथा चिरगांव और गरौठा के परगने झाँसी को दे दिये गये थे । 1856 में भाण्डेर भी झाँसी को दे दिया गया । इससे पहले 1850 में कैप्टन अरिस्किन ने जालौन के गाँवों के आदान-प्रदान के कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन अवश्य किये थे । कैप्टन अरिस्किन ने इस जिले का जो राजस्व प्रबन्ध किया वह 1863 तक चलता रहा ।[1]

1860 में जालौन जिले के पहूज नदी के पश्चिम में स्थित 255 गाँवों को ग्वालियर रियासत को हस्तान्तरित कर दिया गया ।[2] शेष 676 गाँवों का राजस्व प्रबन्ध 1863 में मेजर टर्नन ने पूर्ण किया जो 20 वर्ष तक की अवधि तक के लिए था ।[3] कालपी और पूंछ की राजस्व व्यवस्था का निर्धारण 1873 में स्वाइट ने किया जो 30 वर्षों तक के लिए था अर्थात् इसे 1903 में समाप्त होना था ।[4]

1- एटकिन्सन ई०टी०, बुन्देलखण्ड गजे०, पृष्ठ 213-214.

2- वही. पृष्ठ 214-215.

3- वही.

4- वही.

राजस्व-व्यवस्था का मूल्यांकन

अंग्रेजी शासन बुन्देलखण्ड में एक विदेशी शासन था । प्राय: सभी अधिकारी, सैनिक अधिकारी थे । राजस्व जैसी दरों के निर्धारण के लिए बुन्देलखण्ड के जिलों में एक जैसी नीति नहीं अपनाई गई । इसके साथ ही सभी अधिकारियों द्वारा निर्धारित की गई राजस्व की दरें अत्यन्त ही कठोर थीं । ऐसा प्रतीत होता है कि ये अधिकारी इस क्षेत्र से अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त कर अपने उच्च अधिकारियों को प्रसन्न करना चाहते थे । राजस्व निर्धारण के जो तरीके अपनाये गये उनमें एकरूपता का नितान्त अभाव दिखाई पड़ता है । उदाहरण के लिए बाँदा जिले में 1874 के बन्दोबस्त में बन्दोबस्त अधिकारी केडिल ने कई गाँवों को अनेकों भागों में विभाजित कर विभिन्न वर्ग बनाये थे।[1] वहीं दूसरी ओर इस जिले के कर्वी सब डिवीजन के बन्दोबस्त अधिकारी पैटरसिन ने 1881 के बन्दोबस्त के समय दरों का निर्धारण विभिन्न किस्म की भूमि पर आधारित किया ।[2]

राजस्व की दरें अत्यन्त ही कठोर थीं । 1804 में कैप्टन बेली ने जैसे ही इस क्षेत्र में पदार्पण किया उसने सर्वप्रथम बाँदा के लिए राजस्व की ऊँची से ऊँची दरों का निर्धारण किया । इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि एक ही वर्ष बाद 1805 में अरिस्किन को इन दरों में कमी करनी पड़ी ।[3] इस दुखद घटना का अन्त यहीं नहीं हुआ । अरिस्किन

1- केडिल ए०, सिटिलमेन्ट रिपोर्ट आफ बाँदा, इलाहाबाद 1881, पृ०-14.

2- ड्रेक ब्रोकमैन डी०एच०, बाँदा गजे० इलाहाबाद, 1909, पृष्ठ-132.

3- वही.

4- केडिल ए०, सिटिलमेन्ट रिपोर्ट आफ बाँदा, इलाहाबाद, 1881, पृ०-14.

के बाद बाँदा जिले के बन्दोबस्त का कार्य बाग्बुप को मिला था जिसने दरों में पुनः वृद्धि कर दी थी । परिणाम स्वरूप कृषकों की आर्थिक स्थिति दयनीय होती गयी । लगातार पड़ रहे अकालों तथा अन्य आपदाओं के कारण किसान पहले से ही परेशान थे, किन्तु राजस्व की बढ़ी हुई दरों ने उनके कन्धों पर और अधिक बोझ डाल दिया । आश्चर्य की बात तो यह थी कि उपरोक्त विपत्तियों में राहत तथा सुविधा पहुँचाने के स्थान पर सरकार ने राजस्व को बढ़ी हुई दरों को तीव्रता से वसूल करने का आदेश दे दिया ।[1] इस स्थिति में असन्तोष की लहर और बढ़ी । बन्दोबस्त अधिकारी तथा बाँदा के कलेक्टर कैडिल ने स्वयं ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा राजस्व की दरों के उच्च निर्धारण की तीखी आलोचना करते हुए कहा —"ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा प्रशासन राजस्व वसूली के तरीकों में उन अमानुषिक परम्पराओं का पालन कर रहा है जो किसी काल में अत्याचारी शासकों द्वारा किये जाते रहे ।"[2] राजस्व की उच्च दरें इसके साथ ही साथ उनकी तेजी से वसूली के कारण इस जिले के अधिकाँश लोगों को सरकारी करों की पूर्ति के लिए अपनी भूमि मारवाड़ियों, बैनियों तथा अनेक ऋण-दाताओं के हाथों में बेचनी पड़ी । बाँदा तथा कर्वी सब डिवीजन दोनों क्षेत्रों में राजस्व प्रबन्ध अकाल तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित होते रहे । किसी भी बन्दोबस्त ने अपनी अवधि पूरी नहीं की होगी । इस प्रकार की राजस्व नीति इस जिले के सामाजिक, आर्थिक पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी रही ।

1- कैडिल ए0, सिटिलमेन्ट रिपोर्ट आफ बाँदा, पृष्ठ-14.

2- वही.

झाँसी तथा ललितपुर जिलों की भी लगभग यही स्थिति रही । इन जिलों में बन्दोबस्त अधिकारियों का प्रायः स्थानान्तरण होता रहा । अतः राजस्व निर्धारण की एक समान नीति का पालन नहीं किया गया ।[1] यह उल्लेखनीय है कि कैप्टन जोर्डन ने जहाँ झाँसी जिले में भूमि के उत्पादन के आधार पर कर का निर्धारण किया था वहीं डेनियल और डेविडसन ने विभिन्न किस्म की भूमि का सर्वेक्षणकर उनकी किस्म के अनुसार लगान की दरें निर्धारित कीं । 1864 में अपने बन्दोबस्त के समय जेनकिन्सन झाँसी के बन्दोबस्त अधिकारी ने यह दावा किया था कि इस जिले की राजस्व दरें उचित हैं और ये दरें इतनी हल्की हैं[2] कि जिन्हें जमींदार आसानी से अदा कर सकता है । जेनकिन्सन ने उचित कर नीति का जो दावा पेश किया है इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि नई-नई दरें पूरे जिले में एक-समान नहीं थीं । कुछ परगनों में तो यह हल्की थीं, जबकि अन्य परगनों में ये दरें कठोर थीं । जेनकिन्सन के ही शब्दों में भाण्डेर परगना में राजस्व की दरें हल्की थीं, जबकि अन्य परगनों में यह काफी ऊँची थीं । इसके अतिरिक्त मऊ तथा पण्डवाहा परगनों के राजस्व की दरें भी भिन्न-भिन्न थीं । संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि इन परगनों में कुछ गाँवों में राजस्व की दरें कम थीं तथा कुछ अन्य गाँवों में ये अत्यन्त ही ऊँची थीं ।[3] डेनियल, जिसने इन परगनों का बन्दोबस्त किया था, उसने इस ओर उचित ध्यान नहीं दिया अथवा उसे इस सम्बन्ध में पर्याप्त सूचना प्राप्त नहीं हुई । निःसन्देह राजस्व

1- पाठक एस0 पी0-झाँसी, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, पृष्ठ-111.
2- जेनकिन्सन ई0बी0, झाँसी सिटिलमेन्ट रिपोर्ट, इलाहाबाद 1871, पृष्ठ-105.
3- वही.

के बोझ से इन परगनों में स्थिति दयनीय हुई । बाद में चल कर मऊ परगने के बन्दोवस्त की जब जाँच की गई तब जाँच अधिकारी पोर्टर ने इस बात को स्वीकार किया कि राजस्व की ऊँची दरें इन परगनों की गरीबी के लिए उत्तरदायी है ।[1]

बाँदा की भाँति झाँसी तथा ललितपुर में भी बन्दोवस्त अपना पूरा समय पूर्ण नहीं कर सके । इसका मुख्य कारण समय पर अकालों तथा प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव रहा । जैसे ही नया बन्दोवस्त लागू हुआ झाँसी में 1868 में भयंकर अकाल पड़ा ।[2] 1872 में इसी जिले की खेती योग्य भूमि का अधिकाँश भूमि-क्षिस्सा, काँस, घास के प्रकोप में आ गया । एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 1872 में इस जिले की 40,000 एकड़ जमीन[3] में काँस उग गई थी । निःसन्देह इससे कृषकों की आर्थिक स्थिति दयनीय हुई और वे गरीबी के कारण बैनियों, मारवाड़ियों तथा अन्य ऋणदाताओं को अपनी जमीनें बेचने लगे ।

झाँसी जिले का दूसरा बन्दोवस्त उस समय हुआ (1890-91) जबकि जिले की स्थिति अत्यन्त ही खराब थी । इसके बावजूद भी यहाँ के किसानों ने कठिन परिश्रम से लगभग 18.81% खेती का विस्तार किया । यही कारण था कि इस प्रगति को देखते हुए अँग्रेजी सरकार के पहले से ही बढ़ी आरही राजस्व की दरों में 12 प्रतिशत की वृद्धि कर दी । यह वृद्धि भी आर्थिक पिछड़ेपन का कारण बन गई ।

1- इम्पे0डब्लू0 एच0एल0 तथा मेस्टन जे0एस0, झाँसी सिटिलमेन्ट, इलाहाबाद, 1892, पृष्ठ 55-56.

2- उक्त.

3- ड्रेक ब्रोकमेन डी0एल0, झाँसी गजे0, इलाहाबाद 1909, पृष्ठ-140.

ललितपुर जिले में हुए बन्दोबस्त भी असमान तथा कठोर दरों की पुष्टि इसी बात से होती है कि परवर्ती बन्दोबस्त में राजस्व की पूर्व निर्धारित दरों को कम करना पड़ा ।[1]

1903 में यहाँ के बन्दोबस्त अधिकारी पिम ने लिखा था- इस जिले में पहले बन्दोबस्त से राजस्व की जो दरें निर्धारित की गई थीं वे दरें उन गाँवों में जहाँ पर कि परिश्रमी किसान थे वहाँ काफी ऊँची रखी गई, किन्तु ऐसे गाँव जहाँ बुन्देला ठाकुरों का बोलबाला था उनके लिए राजस्व की दरें कम रखी गई ।[2] ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रिटिश सरकार ने बुन्देला ठाकुरों को खुश करने का प्रयास किया, ताकि वे सरकार का सहयोग कर सकें । निःसन्देह इस प्रणाली से परिश्रमी किसानों को नुकसान हुआ जिनसे राजस्व की उच्च दरें वसूल की जाती थीं । इन किसानों का उत्साहवर्धन तथा प्रोत्साहन करने के स्थान पर सरकार ने राजस्व की दरें बढ़ाकर उन्हें हतोत्साहित करने का प्रयास किया ।

ललितपुर में दूसरा बन्दोबस्त जिसे लोरे ने 30 वर्ष के लिए बनाया था, वह अपनी अवधि पूरा नहीं कर सका ।[3] लगातार पड़ रहे अकालों, काँस की वृद्धि तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं ने किसानों की आर्थिक रीढ़ तोड़ दी थी और वे इस स्थिति में नहीं थे कि राजस्व का भुगतान कर सकें । अतः बाध्य होकर सरकार को 1903 में ही इस

1- पिम ए0डब्लू0, फाइनल सिटिलमेन्ट आफ झाँसी [ललितपुर सहित], इलाहाबाद 1907, पृष्ठ-14

2- वही , पृष्ठ-14

3- पाठक एस0पी0-झाँसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, पृष्ठ-114

बन्दोबस्त का पुन: निरीक्षण करना पड़ा जिसमें पुन: राजस्व की दरें कम करनी पड़ीं । राजस्व की इस छूट ने भी किसानों को कोई सहायता नहीं पहुँचाई, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं से लोग इतने परेशान थे जिससे उनकी स्थिति निरन्तर दयनीय होती चली जा रही थी । इस प्रकार झाँसी, ललितपुर, बाँदा आदि सभी जिलों में बन्दोबस्त न तो ठीक प्रकार से चल सके और न ही जनता को इससे सन्तोष हुआ ।

जालौन जिले का राजस्व प्रबन्ध भी लगातार गाँवों के परिवर्तन तथा उनके क्षेत्रफल के परिवर्तन के साथ-साथ प्रभावित होता रहा । ग्वालियर रियासत से मिलने वाली सीमा पर बसे गाँवों को हमेशा यह चिन्ता बनी रहती थी कि वे जालौन जिले में रहेंगे अथवा ग्वालियर जिले को दे दिये जायेंगे । ठीक यही अनिश्चय की स्थिति जालौन तथा झाँसी की सीमा पर बसे गाँवों की थी । किसी भी समय पूरे जिले का एक साथ बन्दोबस्त नहीं किया गया । कचवागढ़ परगना का जो बन्दोबस्त हुआ था उसकी दरें इतनी ऊँची थीं कि 1848-49 में इसमें संशोधन करना पड़ा ।[1] ठीक यही स्थिति अन्य परगनों की भी थी । इसके साथ ही मार्च 1853 में परगना महोबा और जैतपुर जो जालौन जिले के अंग थे,उन्हें हमीरपुर को स्थानान्तरित कर दिया गया । इसके बदले जालौन को कालपी और पूँछ के परगने मिले । 1854 में मोठ, चिरगांव और गरौठा और 1856 में भाण्डेर के परगने जालौन से झाँसी जिले को दे दिये गये ।[2] 1850 में भी अरिस्किन ने इसी प्रकार के परिवर्तन किये । नि:सन्देह इन परगनों में बसे हुए गाँवों को हमेशा अनिश्चय की स्थिति का सामना करना पड़ा जिससे वे हमेशा मनोवैज्ञानिक दबाव में बने रहे ।

1- एटकिन्सन ई0 टी0, बुन्देलखण्ड गजे0, पृ0- 219.

2- वही ।

जालौन के भी राजस्व प्रबन्ध अपना पूर्ण समय पूरा नहीं कर सके । इनकी दरें भी बुन्देलखण्ड के अन्य जिलों की तरह असमान तथा कठोर थीं । प्राकृतिक आपदाओं ने भी इनको अनेक प्रकार से चलने नहीं दिया । 1851 में अरिस्किन ने जो बन्दोबस्त किया था उसका जनता पर बुरा प्रभाव पड़ा । लोग अपनी भूमि को बेचने लगे । 1855में बालमैन ने यह अच्छी तरह स्पष्ट किया था कि -"गाँव में भूमि की बिक्री तेजी से हो रही है । ऐसा प्रतीत होता है कि खेती से लोगों को लाभ नहीं हो रहा था । फलतः सरकार को कुछ गाँवों को अपने नियन्त्रण में लेना पड़ा । अधिकांश जमींदार परेशान तथा ऋण से ग्रस्त थे । यदि उनके ऋणदाता उनको सहायता न करें तो वे अपनी भूमि के लिए बीज ही नहीं खरीद सकते थे । केवल जानवरों के अलावा उनके पास अन्य कोई व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं है ।"[1] बालमैन ने 1855 में जालौन जिले की स्थिति का वर्णन करते हुए पुनः लिखा है ---"इस जिले का 1/6 भाग खेती की परिधि से बाहर हो गया है । अकाल तथा प्राकृतिक आपदाओं से लोग खेती करना छोड़ रहे हैं । राजस्व की दरों से भी लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है ।" कैप्टन टर्नर जो 1855 में जालौन का सुपरिन्टेन्डेन्ट था,[2] उसने भी इसी मत की पुष्टि की है तथा लिखा है —"इस समय इन जिलों में जो बन्दोबस्त चल रहा है उसकी दरें इतनी ऊँची है जिसका दुष्परिणाम जमींदारों पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है;" यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कठोर राजस्व नीति बुन्देलखण्ड में 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण रही । निःसन्देह इस क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ापन के लिए राजस्व की कठोर दरें उत्तरदायी थीं ।

1- एटकिन्सन ई0 टी0, बुन्देलखण्ड गजे0, पृष्ठ-219.

2- वही.

हमीरपुर जिले की राजस्व स्थिति बुन्देलखण्ड के अन्य जिलों की भाँति ही दुखद रही । राजस्व की असमान तथा कठोर दरें इस व्यवस्था की मुख्य विशेषता को स्पष्ट करती है । इसके अतिरिक्त हमीरपुर जिले में डकैतीतथा लूटपाट करने वाले गिरोह नेता पारस-राम, गोपाल सिंह तथा दौआ इतने सक्रिय थे कि ये डकैत ब्रिटिश गांवों से किसानों से जबरन कर वसूल कर लेते थे । इस प्रकार अंग्रेजी शासन काल में असुरक्षा की भावना के कारण भी लोग बाध्य होकर इन डकैतों को कर दे देते थे ।[1] अरिस्किन ने जब इस जिले का बन्दोबस्त प्रारम्भ किया तब उस समय 1807 में यह पता चला कि इस जिले के बागी गोपाल सिंह तथा उसके समर्थकों ने पश्चिमी परगनों में अपना पूर्ण नियन्त्रण स्थापित कर रखा है ।[2] 1803में वाम्बुम ने इन पश्चिमी परगनों की राजस्व की दरों को बढ़ा दिया । एटकिन का मत है कि पनवाड़ी परगने में राजस्व वृद्धि का कारण यह था कि वहाँ के दो कानूनगो आपस में शत्रुता रखते थे और उनके षड्यन्त्र से यह वृद्धि हो गई ।[3] लेकिन इतना सारा दोष इन निम्न अधिकारियों को नहीं दिया जा सकता । राजस्व जैसी दरों के निर्धारण का महत्वपूर्ण कार्य के लिए अन्य उच्च अधिकारी भी अपने कर्तव्यों का उचित निर्वाह नहीं कर सके जिसके परिणाम स्वरूप हमीरपुर जिले के पश्चिमी परगनों में राजस्व की दरें ऊँची हो गईं । पनवाड़ी परगने में स्थिति इतनी खराब हुई कि लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर सके और 1815 में भुखमरी के

1- एटकिन्सन ई0 टी0, बुन्देलखण्ड गजे0, पृष्ठ-169.

2- वही.

3- वही. पृष्ठ-170.

शिकार हुए ।[1] 1815 में जब स्काट वारिंग ने पनवाड़ी का बन्दोबस्त प्रारम्भ किया तो उसने यह देखा कि पनवाड़ी की स्थिति अन्य परगनों से दयनीय है । स्काट वारिंग ने पूर्वी परगनों की राजस्व में 46% वृद्धि कर दी और पश्चिमी परगनों में 21% वृद्धि कर दी गई । यह उल्लेखनीय है कि पश्चिमी परगनों में पहले से ही राजस्व की दरें अत्यन्त ही ऊँची थीं । अधिकतम वृद्धि ने लोगों को भुखमरी की कगार पर ला दिया । राजस्व बोर्ड के कमिश्नर ने इस अनियमितता की ओर इशारा किया था, लेकिन बन्दोबस्त अधिकारी वारिंग ने इन ऊँची दरों का समर्थन किया । वारिंग के बाद बन्दोबस्त का कार्य वालपी को सौंपा गया । इसने भी राजस्व बोर्ड के कमिश्नर फोर्ड के इन सुझावों का-कि राजस्व दरों में कमी कर दी जाय, का प्रतिरोध किया तथा कमी के स्थान पर इन दरों की बढ़ोत्तरी की ओर संकेत किया ।[2] राजस्व की बढ़ोत्तरी का यह परिणाम निकला कि किसान ऋण-ग्रस्त हो गये और उन्हें राजस्व की अदायगी के लिए अपनी जमीन बेचनी पड़ी । यहाँ तक कि 1825-26 में जब वालपी ने दूसरी बार बन्दोबस्त अधिकारी का कार्य-भार ग्रहण किया तो उसने पुनः अपनी पुरानी राजस्व की दरों का ही समर्थन किया । परिणाम स्वरूप किसानों को जब भुगतान करने में कठिनाई हुई तो उसमें तहसीलदार तथा राजस्व विभाग के क्लर्कों के वेतन इसलिए बन्द कर दिये गये,[3] क्योंकि वे राजस्व की बकाया धनराशि की

1- एटकिन्सन ई0 टी0, बुन्देलखण्ड गजे0, पृष्ठ-170.

2- वही.

3- वही. पृष्ठ 175-176.

वसूली नहीं करा सके थे । निःसन्देह वालपी के बन्दोबस्त ने इस जिले की आर्थिक स्थिति को और खराब किया । संक्षेप में राजस्व की कठोर दरों के कारण लोगों को अपनी भूमि मारवाड़ियों तथा ऋण-दाताओं के हाथ बेचनी पड़ी । 1815 से लेकर 1819 के बीच इस जिले के 815 जागीरों की इसलिए नीलामी करनी पड़ी, क्योंकि इनके भू-स्वामी राजस्व की दरों का भुगतान नहीं कर सके थे ।[1] 1842 में इस जिले की गरीबी का वर्णन एलन की रिपोर्ट में देखने को मिलता है ।[2] जो उसी के शब्दों में राजस्व की ऊँची दरों का नतीजा था । उसने लिखा है--"1818 से लेकर 1824 के बीच में लखनऊ के एक व्यापारी कुतुबुद्दीन हुसेन खान ने हमीरपुर जिले की 8,000 रूपये राजस्व के मूल्य के कई गाँवों को इसलिए खरीद लिया था, क्योंकि वहाँ के भू-स्वामी राजस्व की पिछली धनराशि का भुगतान नहीं कर सके थे ।[3] उसी समय जैन-उद्दीन खान ने भी 7,000 रूपये की मालगुजारी की भूमि खरीद ली थी, लेकिन आगामी वर्षों में उसकी भी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे भिखारी के रूप में जिला छोड़ देना पड़ा ।" एलन ने भूमि स्थानान्तरण के अनेक उदाहरण दिये हैं । वह पुनः लिखता है कि हमीरपुर के एक ऋणदाता दयाराम ने ऋण लेन-देन का व्यापार करके लगभग 12,000 रूपये की मालगुजारी की जमीन खरीद ली थी जो उन किसानों की थी, जो आर्थिक तंगी के कारण राजस्व का भुगतान नहीं कर सके थे और बाध्य होकर अपनी जमीन ऋणदाताओं को बेच रहे थे, लेकिन दयाराम को भी सारी जमीन बाद में इसलिए बेच देनी पड़ी, क्योंकि वह स्वयं भी राजस्व

1- एटकिन्सन ई0 टी0, बुन्देलखण्ड गजे0, पृष्ठ 175-176.

2- वही. पृष्ठ-175.

3- वही. पृष्ठ-175.

का भुगतान नहीं कर सका था । इसी समय इलाहाबाद के मिर्जा मुहम्मद खान ने हमीरपुर के दो गाँवों की जमींदारी खरीद ली थी जिसकी वार्षिक मालगुजारी 4,000 रुपये थी ।[1] भूमि की खरीद करने वालों में हमीरपुर के एक सरकारी वकील नुनायत राय भी थे, लेकिन बाद में बढ़कर राजस्व की अदायगी न कर सकने के कारण उन्हें भी अपनी भूमि दूसरों को बेचनी पड़ी । यही स्थिति दीवान मदन सिंह की भी हुई जिन्होंने गरीब किसानों की भूमि खरीदी थी, किन्तु बाद में मदन सिंह की आर्थिक स्थिति स्वयं खराब हुई और उन्हें अपनी सारी जमीन बेच[2] देनी पड़ी । मजे की बात तो यह थी कि एक यूरोपीय जमींदार गुडस ने भी हमीरपुर जिले में कृषि के कुछ फार्म खरीदे थे, लेकिन उसकी भी आर्थिक स्थिति चिन्ताजनक हो गई थी । भूमि हस्तान्तरण की यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रही अतः इससे इस क्षेत्र में गरीबी, भुखमरी तथा बेरोजगारी का बोलबाला हुआ और सामाजिक, आर्थिक पिछड़ापन बढ़ता गया ।

बुन्देलखण्ड का आर्थिक शोषण

1804 में बुन्देलखण्ड में अंग्रेजी शासन की स्थापना बेसिन की सन्धि द्वारा हुई । 1947 तक विदेशी शासन पूरे देश की ही भाँति इस क्षेत्र में भी छाया रहा । यहाँ की केन्द्रीय स्थिति, सामरिक महत्व तथा शौर्यपूर्ण इतिहास के कारण ही विदेशी शासक इस क्षेत्र में अपना पूर्ण

1- एटकिन्सन ई0 टी0, बुन्देलखण्ड गजे0, पृष्ठ 175-176.

2- वही.

नियन्त्रण स्थापित करना चाहते थे और इस दिशा में उन्हें सफलता भी प्राप्त हो गई । अंग्रेजी शासन काल में पूरे देश का आर्थिक शोषण हुआ और बुन्देलखण्ड भी इसका अपवाद नहीं था । धीरे-धीरे ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा इंग्लैण्ड में हो रहे उत्पादन तथा व्यापारिक वस्तुओं को इस क्षेत्र में प्रवेश दिलाया गया अत: शीघ्र ही विदेशी कपड़े, लोहे तथा अन्य जरूरत की लगभग सभी चीजें मानचेस्टर, लीवर-पूल, लंकाशायर, बरमिंघम आदि औद्योगिक नगरों से लाकर पूरे देश की ही भाँति बुन्देलखण्ड में भी इसकी बिक्री प्रारम्भ की गई । विदेशी वस्तुओं की बिक्री को प्रसिद्ध बनाने के लिए इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि यहाँ के उद्योग तथा धन्धों का विनाश किया जाय और यदि इस क्षेत्र का व्यापार चौपट हो जायेगा, तो ऐसी स्थिति में लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंग्लैण्ड के उद्योग पर आधारित होना पड़ेगा । सरकार की इस नीति के परिणाम स्वरूप लिटन जैसे गवर्नर जनरल के समय इंग्लैण्ड से भारत आने वाली वस्तुओं पर से कर या तो बिलकुल नाममात्र का दिया गया अथवा बिलकुल ही समाप्त कर दिया गया । साथ ही विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि इस क्षेत्र में हो रहे औद्योगिक उत्पादनों तथा कुटीर उद्योग धन्धों को नष्ट कर दिया जाय । इसी नीति के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड के उद्योग तथा धन्धों का विनाश कर दिया गया ।

बुन्देलखण्ड में नील उद्योग का विनाश

अंग्रेजी शासन काल में बुन्देलखण्ड की अच्छी किस्म की मार भूमि में अल नामक पौधे की खेती की जाती थी[1] । इस पौधे की जड़ को खोद कर तथा उसे भट्टियों में जलाकर विभिन्न प्रकार के रंगों का निर्माण

1- एटकिन्सन ई० टी०, बुन्देलखण्ड गजे०, पृष्ठ-252

किया जाता था जिसका उपयोग वस्त्रों के रंगने के कार्य में होता था ।[1] यह रंगाई उद्योग इस क्षेत्र में मुख्यतः मऊरानीपुर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों तक फैला हुआ था । इस क्षेत्र में एक प्रकार के वस्त्र की बुनाई होती थी जिसे खरूआ वस्त्र उद्योग के नाम से पुकारा जाता है ।[2] खरूआ उद्योग का प्रधान केन्द्र मऊरानीपुर में स्थित था । इस कपड़े की रंगाई में जो विभिन्न प्रकार के रंग प्रयोग होते थे वे अल - पौधे की जड़ को पकाकर तैयार किये जाते थे । उन दिनों यह बड़ा ही प्रसिद्ध उद्योग था जिससे इसकी खेती करने वाले किसान लाभान्वित होते रहते थे ।

अल नामक पौधे की खेती अच्छी किस्म की मार भूमि में की जाती थी और लगभग एक एकड़ भूमि में इस पौधे की 10 मन जड़ का उत्पादन हो जाता था ।[3] 1873 में यह अनुमान लगाया गया था कि यह जड़ 8 रूपये प्रति मन के हिसाब से बेची जाती थी ।[4]

यह बड़े आश्चर्य का विषय है कि यह पौधा जो कि यहाँ के कृषकों के लिए आमदनी का एक प्रमुख स्रोत था, उसकी खेती का पतन अंग्रेजी शासन काल में हुआ । ऐसा प्रतीत होता है कि अंग्रेजी शासक इस क्षेत्र के रंग उद्योग को नष्ट करना चाहते थे । इसके पीछे उनका इरादा यह था कि इंग्लैण्ड में जिस रंग का उत्पादन हो रहा है उसे

1- पाठक एस0 पी0, झाँसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, पृष्ठ-57.

2- वही.

3- एटकिन्सन ई0 टी0, बुन्देलखण्ड गजे0, पृष्ठ-252.

4- वही.

भारत में बेचा जाय । यही कारण था कि इस पौधे की खेती को अंग्रेजी शासकों का संरक्षण नहीं मिला । झाँसी जिले के दूसरे बन्दोबस्त के समय 1892 में हूपर ने लिखा था कि इस पौधे की खेती इस क्षेत्र के किसानों के लिए एक लाभप्रद उद्योग था, लेकिन 1892 तक इसकी खेती काफी कम हो गई । परिणाम स्वरूप झाँसी, हमीरपुर , जालौन तथा बाँदा के वे क्षेत्र जहाँ यह पौधा उगाया जाता था, वहाँ के किसानों को आर्थिक रूप से भारी नुकसान हुआ ।[1] मऊरानीपुर का प्रसिद्ध खरुआ वस्त्र उद्योग जो इस पौधे के रंग से रंगा जाता था उसको भी गहरा धक्का लगा । इस पौधे की खेती को नष्ट होने के निम्नलिखित कारण प्रतीत होते है । पहला-- इस पौधे की खेती में लाभ का अनुपात कम था । दूसरा-- इस पौधे की खेती की देख-रेख करने की बहुत ही आवश्यकता थी, क्योंकि इसमें कीड़े भी लग जाते थे । तीसरा--इस पौधे की जड़ें काफी गहराई में जाती थीं तथा इनकी खुदाई के लिए काफी पैसा खर्च करना पड़ता था ।[2] इसके साथ ही सरकार की ओर से इस पौधे की खेती को हतोत्साहित किया गया अत: नील उद्योग पूर्णत:नष्ट हो गया ।

कुटीर उद्योग धन्धों का पतन

जहाँ बुन्देलखण्ड के किसान आर्थिक रूप से नष्ट हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर व्यापारी तथा उत्पादक वर्ग भी खुशहाल नहीं था । इसका कारण स्पष्ट था । अंग्रेज अधिकारियों को बुन्देलखण्ड के क्षेत्रीय विकास

1- हूपर, डब्लू0 एच0 एल0 तथा मेस्टन जे0 एस0, झांसी सिटिलमेन्ट रिपोर्ट, इलाहाबाद 1892, पृष्ठ-3.

2- एटकिन्सन ई0 टी0, बुन्देलखण्ड गजे0, पृष्ठ 252--253.

मे कोई रुचि नहीं थी और वे तो इस क्षेत्र को औद्योगिक रूप से पिछड़ा बनाये रखना चाहते थे, ताकि 1857 के विद्रोह मे भाग लेने की उचित सजा यहाँ के निवासियों को दी जा सके । 1872 में एटकिन्सन ने लिखा था कि झाँसी जिले मे कुल 6,222 व्यक्ति व्यापारिक कार्यों मे जुड़े हुए है । इसके अलावा कुछ ऐसे लोग है जो आयात-निर्यात तथा ऋण लेन-देन का काम भी किया करते है ।[1] ललितपुर जिले की भी यही स्थिति थी जो 1891 तक एक पृथक जिला था ।[2] यहाँ कुछ ऐसे जैन व्यापारी थे जो गल्ला, तम्बाकू तथा ऋण का देन-लेन का व्यापार करते थे ।[3] प्राप्त आँकड़ों से प्रतीत होता है कि इस जिले से अन्य क्षेत्रों को मोटा अनाज, दालें, तिलहन, सूती कपड़ा तथा घी का व्यापार यहाँ के लोगों को अधिक प्रेरणा प्रदान नहीं कर सका । 1880-81 मे झाँसी जिले मे 4,49,862 मन के मूल्य का सामान दूसरे जिलों को निर्यात किया गया, लेकिन दूसरी ओर विदेशी गल्ले के आयात नमक, चीनी, सूती कपड़े की वस्तुएँ तथा 7,50,308 मन तक केमूल्य के सामान इस क्षेत्र मे मंगाने पड़े । इस प्रकार व्यापार का सन्तुलन बिगड़ता ही चला गया और इस क्षेत्र के लोगों को आयात तथा निर्यात की दृष्टि से कोई लाभ नहीं हुआ ।

मऊरानीपुर का कपड़ा वस्त्र उद्योग का पतन

बुन्देलखण्ड मे ब्रिटिश शासन की स्थापना के लगभग 100 वर्ष पूर्व मऊरानीपुर इस सम्भाग के व्यापारिक तथा औद्योगिक केन्द्र के रूप मे विकसित हुआ । एटकिन्सन ने इसके बारे में जानकारी दी है --

---

1- एटकिन्सन ई0 टी0, बुन्देलखण्ड गजे0, पृष्ठ-269.

2- वही. पृष्ठ 347-348.

3- वही.

मऊरानीपुर पहले एक छोटा-सा गाँव था जहाँ लोगों का मुख्य पेशा खेती था । झाँसी के राजा रघुनाथराव के समय छतरपुर से कुछ व्यापारी भागकर मऊरानी आ गये जिन्हें रघुनाथराव ने संरक्षण प्रदान किया अतः इन व्यापारियों ने इस क्षेत्र में अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान खोलने प्रारम्भ कर दिये[1] तभी से यह क्षेत्र व्यापारिक केन्द्र के रूप में विकसित होने लगा ।

मऊ का एक औद्योगिक केन्द्र के रूप में विकसित होने के पीछे क्या कहानी रही है इसकी विवेचना किये बिना भी हम यह कह सकते हैं कि अंग्रेजी शासन से पूर्व ही यह क्षेत्र अपने खरूआ उद्योग के लिए महत्व-पूर्ण हो चुका था । खरूआ वस्त्र एक प्रकार के रंग से रंगा जाता था जिसे अल नामक पौधे की जड़ से पकाया जाता था ।[2] यही कारण था कि अल पौधे की खेती बुन्देलखण्ड के जिलों में काफी प्रसिद्ध हो चुकी थी । एटकिन्सन ने इस खरूआ उद्योग के अन्तर्गत बनाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के कपड़ों की विस्तृत सूची दी है जिसे वहाँ आस-पास के बुनकरों द्वारा बुना जाता था । इनकी रंगाई कर देने पर इसे खरूआ कपड़े के नाम से पुकारा जाता था । यह उद्योग इतना विकसित हो चुका था कि 1863 में डेनियल के अनुसार इस कपड़े का निर्यात लगभग 6 लाख,80 हजार रुपया वार्षिक की दर से हुआ । मऊरानीपुर के व्यापारी भारत के दूर-दूर क्षेत्रों में अपना सामान बेचते थे । अमरावती, मिर्जापुर, नागपुर, इन्दौर,फर्रुखाबाद,हाथरस,कालपी,कानपुर और दिल्ली जैसे नगर इनके व्यापारिक सम्बन्धों के प्रमुख केन्द्र थे ।[3]

1- पाठक एस०पी०, झाँसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, पृष्ठ-60.

2- वही.

3- एटकिन्सन ई०टी०, बुन्देलखण्ड गजे०, पृष्ठ-289.

यह आश्चर्य का विषय है कि खरुआ वस्त्र उद्योग जितना लाभप्रद था वह अचानक नष्ट हो गया । सरकार की ओर से इस उद्योग को कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, यहाँ तक कि विदेशी रंग आ जाने के कारण मऊरानीपुर के उद्योग को संरक्षण नहीं मिला तथा निषेधात्मक तरीके अपनाकर सरकारी नीति ने इन उद्योगों के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । इंग्लैण्ड से भारत आने वाले कपड़ों पर कर न होने के कारण वे कपड़े बुन्देलखण्ड के बाजारों में सस्ते दर पर बिकने लगे,ऐसी स्थिति में सरकारी कर से दबा हुआ मऊ का वस्त्र उद्योग पतन की कगार पर पहुँच गया । साथ ही सरकार की ओर से इस उद्योग में निर्मित वस्त्रों के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया जो इसके पतन का कारण हुआ।[1]

खरुआ वस्त्र उद्योग के अलावा मऊरानीपुर बुन्देलखण्ड के क्षेत्रों को विभिन्न व्यापारिक सामानों को पहुँचाने तथा उन्हें इकट्ठा करने का प्रमुख केन्द्र भी था । यहीं से दक्षिण बुन्देलखण्ड तथा मध्य भारत के नगरों को तथा हाथरस,फतेहगढ़, कानपुर, अलीगढ़ और मिर्जापुर आदि व्यापारिक नगरों को मऊरानीपुर से सामान भेजे तथा खरीदे जाते थे । इन दिनों बंजारे व्यापारिक सामानों को पहुँचाने व लाने का कार्य करते थे ।[2] धीरे-धीरे झाँसी में रेलवे स्टेशन हो जाने के कारण तथा इसकी केन्द्रीय स्थिति के कारण मऊरानीपुर का व्यापारिक महत्व घटने लगा और झाँसी इस क्षेत्र के आयात तथा निर्यात के लिए प्रसिद्ध हो गया ।

1- पाठक एस0 पी0, झाँसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, पृष्ठ-61।

2- वही। पृष्ठ-62

अन्य उद्योग

कालीन उद्योग के अलावा बुन्देलखण्ड में कुछ अन्य कुटीर उद्योग भी थे जिनका पतन अंग्रेजी शासनकाल में हुआ । 1825 में कैप्टन जेम्स फ्रेंकलिन ने झाँसी में बनने वाली अच्छी किस्म की कालीन का उल्लेख किया था ।[1] 1844 में कर्नल स्लीमैन ने भी इस क्षेत्र में बनने वाली ऊनी कालीन की प्रशंसा की थी,[2] लेकिन आगे आने वाले दिनों में सरकार की निषेधात्मक व्यापार की नीति और संरक्षण के अभाव में इस क्षेत्र का यह उद्योग नष्ट हो गया । इसके अतिरिक्त झाँसी जिले के तालबेहट परगने में आस-पास के गाँवों में कम्बल बुनाई का कार्य होता था ।[3] मड़ौरा में पीतल तथा लोहे की अनेक कलात्मक वस्तुएँ बनाई जाती थीं ।[4] ललितपुर में भी अमेरिकन मिशनरियों ने सुअर की चर्बी से मसक बनाने का कार्य प्रारम्भ किया था ।[5] एरच में वहाँ के गाँवों के आस-पास के मुसलमान बड़ी ही कलात्मक ढंग की चुनरी बनाते थे ।[6] इसके अतिरिक्त ललितपुर में चन्देरी में बनने वाली अच्छी प्रकार की साड़ी जैसा कुटीर उद्योग प्रारम्भ करने के लिए कुछ जुलाहे आकर बस

1- मेमायर्स आफ बुन्देलखण्ड, मई 12, 1825. पृष्ठ-277.

2- ड्रेक ब्रौक मैन डी0एल0, झाँसी गजे0, इलाहाबाद 1909, पृष्ठ-75 तथा जोशी ई0बी0, झाँसी गजे0-लखनऊ, 1965, पृष्ठ-144.

3- ड्रेक ब्रौक मैन डी0एल0, झाँसी गजे0, 1909, पृष्ठ-75.

4- वही.

5- वही.

6- इम्पे डब्लू0एच0एल0 एण्ड मेस्टन जे0एस0, झाँसी सिटिलमेन्ट रिपोर्ट-इलाहाबाद 1892, पृष्ठ-23.

गये थे, लेकिन 1865 में हैजा फैल जाने के कारण उनमें से अधिकांश जुलाहे मर गये ।[1] इसके बाद कभी भी ऐसा प्रयास नहीं किया गया ।

बाँदा जिले में भी इसी प्रकार के कुटीर उद्योग थे जिनका विकास करने पर इस क्षेत्र के लोगों को राहत प्रदान की जा सकती थी । यहाँ मोटे सूती कपड़े की बुनाई का कार्य होता था जिसे गजी कहा जाता था । इस कपड़े की रंगाई करके उसे फर्श इत्यादि पर बिछाने के कार्य में लाया जाता था ।[2] बाँदा के विभिन्न स्थानों में खाना पकाने के लिए पीतल तथा ताँबे के बर्तन बनाने के कार्य भी होते थे तथा जगह-जगह सोने व चाँदी के अच्छे किस्म के आभूषण बनाये जाते थे ।[3] इस जिले के कुछ कस्बों में कम्बल तथा सूती वस्त्र बुनाई के कार्य भी होते थे तथा कहीं-कहीं टाट भी बुना जाता था ।[4] 1909 में ड्रेक ब्रोक मैन ने लिखा है -- बाँदा से जुड़े हुए कुछ गाँवों में जैसे - रावली, कल्यानपुर, और गौंडा आदि स्थानों पर विभिन्न प्रकार के पत्थरों को काटकर उन पर पालिश करके अलंकृत किया जाता था ।[5] कर्वी में सिल्क की कढ़ाई का हस्तशिल्प विकसित दशा में था ।[6] इस जिले का सबसे प्रसिद्ध उद्योग पत्थरों की कटाई तथा पालिश करना था ।[7] केन नदी की तलहटी में जो छोटे किस्म के पत्थर पानी की रगड़ से मुलायम व

1- एटकिन्सन ई०टी०, बुन्देलखण्ड गजे०, पृष्ठ-348.

2- ड्रेक ब्रोक मैन डी०एल०, बाँदा गजे०, इलाहाबाद 1909, पृष्ठ-77.

3- वही.

4- वही.

5- वही. पृष्ठ 76-77.

6- वही.

7- वही.

बिकने हो जाते थे उन्हें लेकर यहाँ के कारीगर पालिश करके उन्हें अच्छी किस्म के चमकीले पत्थरों के रूप में कलात्मक सौन्दर्य प्रदान करते थे ।[1] इन पत्थरों को लकड़ी के टुकड़ों पर एक ऊँची ऊँचाई से मढ़कर अच्छी तरह निर्मित चीजें बनाई जाती थीं । इस कलात्मक कार्य ने यहाँ के कारीगरों को दिल्ली प्रदर्शनी में पारितोषिक भी प्राप्त किया था ।[2] लेकिन दुर्भाग्यवश अंग्रेजी शासनकाल में इन उद्योगों को कोई संरक्षण नहीं दिया गया, बल्कि सरकार ने निषेधात्मक तरीके अपनाकर इन्हें हतोत्साहित किया । आश्चर्य की बात तो यह थी कि सरकार ने बुन्देलखण्ड के व्यापार को नष्ट करने की एक योजना-सी बना ली थी । कर्वी स्थित सूती मिल[3] जिसमें बुन्देलखण्ड के आस-पास के सूत की कताई होती थी, 1903 में बन्द हो गई । अतः यहाँ कार्यरत 140 कर्मचारी निकाल दिये गये । इससे बेरोजगारी को बढ़ावा मिला।[4]

हमीरपुर जिले में भी खद्दा वस्त्र के निर्माण के कई केन्द्र थे[5] जो अंग्रेजी शासनकाल में नष्ट हो गये । यही स्थिति कुछ अन्य कुटीर उद्योग धन्धों की भी रही जिसमें जुलाहों द्वारा वस्त्र निर्मित, लोहे, पीतल आदि के बर्तन के निर्माण का कार्य, आभूषण निर्माण इत्यादि थे ।[6] 1847 में एलन ने लिखा था कि हमीरपुर जिले में कपड़ों की रंगाई का कार्य कुछ स्थानों पर होता है जिसमें खद्दा कपड़े शामिल

1- ड्रेक ब्रोकमैन डी०एल०, बाँदा गजे०, इलाहाबाद 1909, पृ० 76-77.

2- वही.

3- कैडिल ए० सिटिलमेन्ट रिपोर्ट, बाँदा 1881, पृष्ठ-102.

4- वही.

5- एटकिन्सन ई० टी०, बुन्देलखण्ड गजे०, पृष्ठ-183.

6- वही.

होते है । कहीं-कहीं पर आभूषण निर्माण कार्य होता था । ये सम्पूर्ण उद्योग अंग्रेजी सरकार की निषेधात्मक नीति से नष्ट हो गये ।

जालौन में भी अल पौधे की खेती काफी बड़े पैमाने पर की जाती थी । कोंच, कालपी, सैयद नगर, और कोटरा में अल पौधे की जड़ से जो रंग तैयार किया जाता था उससे वस्त्रों को रंगाई की जाती थी ।[1] इस इलाका कपड़े के कई प्रकार होते थे जिनको बड़े ही कलात्मक ढंग से रंगा जाता था । इस प्रकार इस क्षेत्र में स्थित सभी उद्योग धन्धे अंग्रेजी शासन की नीति के कारण नष्ट हो गये जिससे आर्थिक,सामाजिक पिछड़ापन आया और बेरोजगारी बढ़ी ।

<u>बुन्देलखण्ड में कपास की खेती का पतन</u>

अंग्रेजी शासनकाल से पूर्व ही बुन्देलखण्ड की अच्छी प्रकार की काली मिट्टी में उच्च किस्म की कपास पैदा होती थी । 1903 में झाँसी के बन्दोबस्त अधिकारी पिम[2] ने लिखा था -"इस जिले में 10.17 खेती योग्य जमीन में कपास उत्पादन होता है । मौंठ में यह प्रतिशत 10.1 है,जबकि गरौठा में 13.17 है ।"[3] झाँसी तथा मऊरानी पुर में कपास की खेती अधिक पैमाने पर नहीं होती थी । इसका कारण यह था कि यहाँ की भूमि इसके लिए विशेष उपयुक्त नहीं थी । ललितपुर जिले की भी यही स्थिति थी,[4] जहाँ पर निम्न कोटि की भूमि के

1-एटकिन्सन ई0टी0, बुन्देलखण्ड गजे0,पृष्ठ-20।

2-पाठक एस0पी0, झाँसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, पृष्ठ-55.

3-वही.

4-एटकिन्सन ई0टी0,बुन्देलखण्ड गजे0, पृष्ठ-316.

कारण इस फसल का उत्पादन अधिक नहीं हो सका । 1874 में एटकिन्शन ने लिखा था[1]- "ललितपुर में कपास का जितना उत्पादन होता है वह अत्यन्त कम है इससे केवल स्थानीय आवश्यकताओं की ही पूर्ति होती है जिससे आस-पास के जिलों से भी ललितपुर में कपास मंगानी पड़ती है ।"[2]

जालौन जिले मार भूमि कपास उत्पादन के लिए अत्यधिक अनुकूल थी । एक एकड़ मार जमीन में 15 मन कच्चा कपास होता था । उन दिनों 18 रु0 प्रति मन के हिसाब से उसकी बिक्री होती थी[3] इससे किसानों की आमदनी का अच्छा स्रोत था, लेकिन यह एक आश्चर्य का विषय है कि यह उत्पादन लगातार कम होता गया तथा इसका लगभग पतन हो गया । कपास उत्पादन के कुछ आँकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं । उदाहरण के लिए केवल झाँसी जिले में ही 1865 में यह फसल 35,107 एकड़ भूमि में बोई गई किन्तु 1903 तक आते-आते यह 34,363 एकड़ रह गई ।[4] धीरे-धीरे कपास का उत्पादन और कम होता गया । ऐसा प्रतीत होता है कि मऊरानीपुर, कालपी, कोंच, कोटरा, सैयद नगर, एरछ आदि स्थानों पर वस्त्रों की रंगाई तथा प्रिन्टिंग-निर्माण का कार्य होता था । उसमें बुन्देलखण्ड के ही कपास का प्रयोग होता था, किन्तु जैसे ही उपरोक्त केन्द्रों के उद्योग समाप्त हुए वैसे ही इस क्षेत्र के कपास की माँग कम हुई । इसके अलावा

1- एटकिन्शन ई0 टी0, बुन्देलखण्ड गजे0, पृष्ठ-316.

2- वही.

3- वही. पृष्ठ-201.

4- ड्रेक ब्रोकमेन डी0एल0, झाँसी गजे0 इलाहाबाद-1909, पृष्ठ 43-44.

1903 में वर्षों की सूती मिल भी बन्द हो गई । इससे भी कपास उत्पादकों को धक्का लगा । अत: सरकार द्वारा संरक्षण का अभाव तथा विदेशी कपड़ों के आगमन से बुन्देलखण्ड का कपास उद्योग बन्द हुआ । इससे इस क्षेत्र का सामाजिक, आर्थिक पिछड़ापन निरन्तर बढ़ता गया ।

कपास के अलावा बुन्देलखण्ड के जिलों में तिलहन का भी अच्छा उत्पादन होता था । इसमें मुख्यत: तिली का उत्पादन उच्च स्तर पर किया जाता था । 1864 में झाँसी जिले में लगभग 9,266 एकड़ में[1] तिली का उत्पादन हुआ । ललितपुर सब डिवीजन में तिलहन झाँसी से अधिक प्रसिद्ध था । 1869 के बन्दोबस्त के समय यह पता चला कि वहाँ की 10.7%[2] खेती योग्य जमीन में तिली बोई गई थी । जालौन में भी तिली का उत्पादन काफी अच्छे पैमाने पर किया जाता था । 1869 की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि इस जिले में 2,172 एकड़ जमीन[3] में तिली बोई गई इसके अतिरिक्त अलसी की फसल 2,476 एकड़ भूमि[4] में बोई गई । ठीक यही तरह हमीरपुर तथा बाँदा की स्थिति थी । ऐसा प्रतीत होता है कि तिलहन के उत्पादन में भी किसानों की अभिरुचि कम होती गई । उत्पादन में अधिक लागत तथा कम पारिश्रमिक की प्राप्ति इसका मुख्य कारण था । इस प्रकार कपास, तिलहन आदि खेती का पतन अंग्रेजी शासन काल में हुआ जिससे इस क्षेत्र में गरीबी, भुखमरी और मंहगाई बढ़ती चली गई ।

1- एटकिन्सन ई०टी०, बुन्देलखण्ड गजे०, पृष्ठ 250-251.

2- वही. पृष्ठ-316.

3- वही. पृष्ठ-198.

4- वही.

अकाल तथा प्राकृतिक आपदाएँ

बुन्देलखण्ड में समय-समय पर प्राकृतिक आपदाओं जैसे- अकाल, बाढ़ तथा काँस, घास के उदय के कारण न केवल भूमि की ही उर्वरा-शक्ति नष्ट हुई, बल्कि इससे लोगों को आर्थिक परेशानी तथा गरीबी का सामना करना पड़ा ।[1] उन दिनों कृषि ही जीविका का मुख्य साधन था अत: अकाल पड़ जाने के कारण जो क्षति होती थी उसे पूरा करना सम्भव नहीं था । फलत: किसानों को कर्ज लेना पड़ा और उन्हें अपनी भूमि ऋणदाताओं को बेच देनी पड़ी ।[2] यद्यपि अंग्रेजी सरकार ने समय-समय पर कुछ सहायता दे देने का प्रयास किया, किन्तु अंग्रेजों द्वारा अपनाए गये ये तरीके न तो सामयिक थे और न ही पर्याप्त[3] इसके अतिरिक्त बुन्देलखण्ड की रियासतों के कुछ राजाओं ने भी 1857 के विद्रोह में व्याप्त अराजकता का लाभ लेने के लिए अपने समीप के क्षेत्रों में कृषकों से बलपूर्वक कर वसूल किये ।[4] सबसे आश्चर्य की बात तो यह थी कि शान्ति व्यवस्था स्थापित हो जाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हीं क्षेत्रों में कर वसूल किये, इसका सबसे बड़ा उदाहरण झाँसी में देखने को मिलता है । 1857 के विद्रोह में जहाँ झाँसी के लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे वहीं अंग्रेजों का साथ देने वाली ओरछा की रियासत ने न केवल झाँसी पर आक्रमण किया बल्कि यहाँ के आस-पास के गाँवों से बलपूर्वक राजस्व वसूल किये[5] उन्हीं क्षेत्रों में बाद में चलकर अंग्रेजी सरकार ने बल-

---

1- पाठक एस0पी0, झाँसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल0, पृष्ठ-67.

2- वही.

3- वही.

4- इम्पे डब्लू0 एच0एल0 तथा मेस्टन जे0एस0, झाँसी सिटिलमेन्ट रिपोर्ट- इलाहाबाद 1892, पृष्ठ-56.

5- पाठक एस0पी0, झाँसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, पृष्ठ 67-68.

पूर्वक कर वसूल किया । दतिया ने भी इसी प्रकार झाँसी की जनता के साथ दुर्व्यवहार किया । पिनकने ने लिखा है कि -"ओरछा और दतिया के राजाओं ने झाँसी की सीमाओं में घुसकर वहाँ की जनता से लाखों रुपये कर के रूप में वसूल कर लिए ।"[1] अंग्रेज सरकार ने इस मामले में चुप्पी साध ली, क्योंकि उसे डर था कि यदि इन राजाओं से कुछ कहा जायेगा तो वे अंग्रेजी शासन का विरोध करने लगेंगे ।[2] 1857 में हुई लूट से झाँसी नगर के धनी लोगों को लूटा गया । यही स्थिति बाँदा की भी रही जहाँ 1858 में शान्ति स्थापित हो जाने के बाद अंग्रेजी सेनाओं ने लूटपाट की ।[3] 20 अप्रैल से 28 अप्रैल तक यह लूट खुलेआम चलती रही, अनेकों निर्दोष लोगों को भी इस अत्याचार का शिकार बनना पड़ा । बाँदा में शायद ही ऐसा घर रहा होगा जो अंग्रेजी सैनिकों के अत्याचार का शिकार न हुआ हो । यदि कोई भी अच्छी इमारत दिखाई पड़ी या तो उसे गिरा दिया गया, या फिर उसे बुरी तरह लूटा गया, क्योंकि अंग्रेजों को यह भय था कि यह क्रान्तिकारियों का निवास रहा होगा ।[4] जिन लोगों ने सरकार का तनिक भी विरोध किया उनकी जागीरें जब्त कर ली गईं । बाँदा के नवाब अलीबहादुर की शाही इमारत को नष्ट कर दिया गया । उसकी सम्पत्ति को भी जब्त कर लिया गया ।[5] निःसन्देह इन सब घटनाओं ने इस क्षेत्र की जनता को आर्थिक उत्पीड़न की कगार पर खड़ा कर दिया ।

1- रिपोर्ट नम्बर-122, कैम्प झाँसी 23 अप्रैल, 1858.

2- वही.

3- पाठक एस०पी०, झाँसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, पृष्ठ-17.

4- श्रीवास्तव एम०पी०, इण्डियन म्यूटनी, पृष्ठ-122.

5- फारेन सीक्रेट कन्सल्टेशन नं० 326-328, 25 सितम्बर, 1858.

बुन्देलखण्ड के अकाल

इस क्षेत्र में अकाल यहाँ के देहात से जुड़े हुए थे, चूँकि कृषि वर्षा पर आधारित थी इसलिए वर्षा कम होने के कारण जो सूखा पड़ता था इससे लोगों की स्थिति असहनीय हो जाती थी ।[1]
1783, 1833, 1837, 1847, 1848 आदि वर्षों में बुन्देलखण्ड के जिलों में जो अकाल पड़े उनके भयंकर परिणाम लोगों को भुगतने पड़े।[2]
1783 ई० का अकाल तो इतना भयानक था कि आज भी लोग इसे महान चालीसा के नाम से पुकारते हैं ।[3] 1857 के विद्रोह के बाद इस क्षेत्र का पहला अकाल 1868-69 में पड़ा जो अपनी तरह का सबसे भयावह था ।[4] लोग इसे महान चालीसा के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि यह सम्वत् 1925 में पड़ा था;[5] उन दिनों यह एक कहावत बन चुकी थी कि बुन्देलखण्ड में प्रति पाँच वर्ष बाद अकाल पड़ते हैं ।

सम्वत् 1925 के पड़े अकाल के बारे में हेन्वी ने लिखा है कि- "इस क्षेत्र में औसत वर्षा 30 से 40 इंच के बीच में होती है । 1867 में 45 इंच, 1869 में 46 इंच वृष्टि हुई, किन्तु 1868के जून से नवम्बर तक केवल 14 इंच पानी बरसा और वह भी समान रूप से नहीं था । जून में

1- एटकिन्सन ई०टी०, बुन्देलखण्ड गजे०, पृष्ठ-253.

2- वही.

3- सिंह प्रतिपाल, बुन्देलखण्ड संक्षिप्त इतिहास भाग-1, हितचिन्तक - प्रेस, वाराणसी, सम्वत् 1985.

4- श्रीवास्तव एच०एस०, फैमिन्स एण्ड फैमिन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया, पृष्ठ-94.

5- सिंह प्रतिपाल, पृष्ठ-101.

1.8 इंच, जुलाई में 8.2 इंच, सितम्बर में 2 इंच वर्षा हुई, किन्तु अक्टूबर और नवम्बर के महीनों में एक भी इंच पानी नहीं बरसा। दिसम्बर में थोड़ी-सी फुहार जरूर पड़ी, लेकिन वह बिलकुल ही अपर्याप्त थी।[1] आश्चर्य की बात तो यह थी कि इसके बाद बाढ़ आयी। हेन्वी ने पुनः लिखा है कि —"मार्च में इतनी वृष्टि हुई कि खलिहान में रखा हुआ गल्ला बह गया, सड़कें टूट गईं, पुल खराब हो गये तथा यातायात प्रायः ठप्प हो गया। जुलाई के अन्तिम सप्ताह में केवल झाँसी में 15 इंच पानी लगभग 16 घन्टे के अन्तर्गत बरसा। परिणामस्वरूप 1868 की खरीफ नष्ट हुई तथा रबी की फसल आधी से कम हुई।"[2] अकाल, बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के अलावा बीमारी का भयंकर प्रकोप भी शुरू हुआ। 1869 में प्रारम्भिक 6 महीनों में चेचक का प्रकोप आया। झाँसी के डिप्टी कमिश्नर ने बड़े ही मार्मिक ढंग से इसका वर्णन किया है —"लोग कमजोर तथा भूखे-प्यासे गर्मी में पानी पीते ही जमीन पर गिर पड़ते थे और मर जाते थे।"[3] 1869 में वर्षा ऋतु में हैजे का प्रकोप हुआ जिसमें केवल झाँसी जिले में ही लगभग 20 हजार 331 लोग मर गये।[4] ललितपुर जिले की स्थिति और खराब थी। हेन्वी ने लिखा है कि —"ललितपुर में तालबेहट, बाँसी और बानपुर परगनों की स्थिति सबसे खराब थी। 1869 के जून में परगनों में हैजा फैला जिससे अधिकांश लोग मर गये।[5] झाँसी तथा ललितपुर में मानव-

---

1- एटकिन्शन ई0टी0, बुन्देलखण्ड गजे0, पृष्ठ-254

2- वही.

3- वही. पृष्ठ- 253-254

4- वही.

5- वही.

जीवन को क्षति हुई थी, साथ ही साथ पशुओं को भी काफी नुकसान हुआ ।"[1] 1874 में एटकिन्शन ने लिखा था—"उत्तर-पश्चिमी प्रांत में बहुत ही कम ऐसे जिले रहे होंगे जो अकाल से इस प्रकार प्रभावित रहे हों, जिस प्रकार झाँसी तथा ललितपुर के जिले ।" भुखमरी की स्थिति के कारण यहाँ के गाँवों में लोग मर गये अथवा इसे खाली करके चले गये ।[2]

जालौन जिले में भी 1868-69 का अकाल विनाश लीला करने में सफल रहा । उरई तथा जालौन परगने सबसे ज्यादा प्रभावित हुए । ब्रिटिश सरकार को 28% राजस्व कर की वसूली रोकनी पड़ी ।[3] यही स्थिति हमीरपुर की भी थी । बाँदा भी इसी प्रकार प्रभावित हुआ । एटकिन्शन ने लिखा है कि —इस अकाल के कारण भी अधिकांश लोगों को आम, महुआ, झरबेरी आदि जंगली खाद्य पदार्थों को खाकर जीवन व्यतीत करना पड़ा ।[4]

इसी प्रकार 1895 और 1896 में अकाल पड़े जिससे बुन्देलखण्ड के जिलों की आर्थिक स्थिति निरन्तर खराब होती चली गई । चूँकि इस क्षेत्र में खरीफ की फसल रबी की अपेक्षा बहुत अधिक को जाती थी इसलिए वर्षा के अभाव में यह फसल नष्ट हुई जिससे कृषकों को बहुत हानि हुई ।[5] साथ ही साथ पशुओं के लिए चारे की भी कमी हुई ।[6] पानी

1- एटकिन्शन ई०टी०, बुन्देलखण्ड गजे०, पृष्ठ-256.

2- वही.

3- ड्रेक ब्रोकमैन डी०एल०, बाँदा गजे०, 1909, पृष्ठ-64.

4- वही.

5- ड्रेक ब्रोकमैन डी०एल०, झाँसी गजे०, इलाहाबाद 1909, पृष्ठ 63-64.

6- वही.

के अभाव में रबी की बुवाई भी कम हुई । इससे खाद्यान्न की पैदावार कम हुई । स्थिति उस समय अधिक गम्भीर हो गई जब सितम्बर, 1897 में गेहूँ की कीमत 9 सेर 4 छटाँक प्रति रुपया हुई ।[1] नि:सन्देह तत्कालीन परिस्थिति से इस क्षेत्र की अर्थ-व्यवस्था को काफी धक्का लगा ।

अकाल के अलावा अन्य प्राकृतिक आपदाएँ जैसे- टिड्डी, पाला, गेरू आदि भी समय-समय पर कृषि व्यवस्था को प्रभावित करती रहीं । 1894-95 में ललितपुर में ओला पड़ जाने के कारण फसल को काफी नुकसान हुआ ।[2]

सरकार द्वारा अकाल-पीड़ितों की सहायता के उपाय

ब्रिटिश शासन काल में अकाल से पीड़ित लोगों को सहायता देने के लिए कुछ नाम मात्र के राहत कार्य किए गए ।[3] झाँसी में 1868 में एक सहायता समिति बनाई गई जिसमें कुछ स्थानीय लोगों के अलावा सैनिक तथा राजस्व विभाग के अधिकारी थे ।[4] अक्टूबर, 1868 में ग्वालियर की रियासत ने 400 रु० झाँसी जिले की सहायता के लिये दिये ।[5] झाँसी, मऊरानीपुर, बरुआसागर, तथा बबीना में कुछ

1- ड्रेक ब्रोकमैन डी०एल०, झाँसी गजे०, इलाहाबाद-1909, पृ0 63-64.

2- वही. पृष्ठ-67 तथा डी०एल०ड्रेक ब्रोकमैन, बाँदा गजे०, इलाहाबाद-1909, पृष्ठ-70.

3- पाठक एस०पी०, झाँसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, पृष्ठ-72.

4- वही.

5- एटकिन्सन ई०टी०, बुन्देलखण्ड गजे०, पृष्ठ-255.

गरीबों की मदद करने के लिए केन्द्र खोले गये ।[1] सस्ते दर पर अकाल पीड़ितों के श्रम को प्राप्त कर सड़कों तथा पुलों का निर्माण कराया गया । इसी समय सिंचाई के लिए मऊ परगना में बाँध बनाए गये । इन कार्यों में लगभग 9,42,465 लोगों को नियुक्त किया गया जिस पर कुल लागत 71,881 रुपया खर्च हुआ ।[2] राजस्व की वसूली भी स्थगित कर दी गई तथा कुँए, ट्यूबवेल इत्यादि बनाने के लिए तकावी तथा ऋण दिये गये ।[3] ललितपुर में भी तालबेहट, बाँसी, बानपुर, महरौनी तथा बालाबेहट में सहायता-केन्द्र खोले गये ।[4] ठीक इसी प्रकार की व्यवस्था अन्य जिलों में भी की गई । उदाहरण के लिए - 1868-69 के अकालों से निपटने के लिए सरकार ने सहायता कार्य के लिए 10 लाख रुपये की स्वीकृति दी ।[5] इसके पीछे उद्देश्य अकाल द्वारा हुई क्षति को कुछ कम करना था । इस जिले में लगभग 11 हजार लोगों को सहायता देने के लिए अस्थायी श्रम देने के उद्देश्य से नियुक्त किया गया ।[6] कर्वी तहसील में भी यही स्थिति थी । बाँदा जिले के मानिकपुर, बबासिन तथा सरैयाँ क्षेत्रों में सबसे अधिक लोगों को सहायता हेतु कार्य प्रदान किया गया ।[7] 1895-96 में सार्वजनिक -

---

1- एटकिन्सन ई0टी0, बुन्देलखण्ड गजे0, पृष्ठ-255.

2- पाठक एस0पी0, झाँसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, पृष्ठ-73.

3- वही.

4- एटकिन्सन ई0टी0, बुन्देलखण्ड गजे0, पृष्ठ-319.

5- भाटिया बी0एम0, फैमिन्स इन इण्डिया, पृष्ठ-118 तथा एटकिन्सन ई0टी0, बुन्देलखण्ड गजे0, पृष्ठ 71-72.

6- ड्रेक ब्रोकमैन डी0एल0, बाँदा गजे0, पृष्ठ-65.

7- वही.

निर्माण विभाग में अकाल पीड़ितों को काम के बदले वेतन देने का प्रबंध किया, किन्तु यह सहायता 758 रु० खर्च हो जाने के बाद बन्द कर दी गई।[1] 1897 के भी अकाल में लोगों को कुछ सहायता प्रदान की गई।[2]

प्रश्न यह उठता है कि क्या सरकार द्वारा प्रदान किये गये ये तरीके बुन्देलखण्ड के सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए इलाकों का स्थायी हल निकालने के लिए सक्षम थे ? यह देखते हुए जब इस क्षेत्र में अकाल तथा अन्य प्राकृतिक आपदायें निरन्तर पड़ रही थीं तो क्या इन सहायता कार्यों से बचाव कुछ सम्भव था ? सरकार द्वारा दी गई सहायता की विवेचना यह स्पष्ट करती है कि केवल अस्थायी तौर पर ये राहत-कार्य प्रदान किये गये। इस क्षेत्र को भविष्य में अकालों से बचाने के लिए कुछ निश्चित् स्थायी कार्यक्रमों की आवश्यकता थी। वह नहीं अपनाई जा सकी। सिंचाई की सुविधा से इस समस्या का कुछ हल हो सकता था, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ। यदि बुन्देलखण्ड में सिंचाई का उचित बन्दोबस्त रहा होता तो यह निश्चित् था कि निरन्तर पड़ने वाले अकालों से हो रही क्षति को कुछ कम किया जा सकता था।

उपरोक्त अकालों के दूरगामी परिणाम निकले। इससे कृषकों के मस्तिष्क में अनिश्चितता पैदा हुई। अधिकांश लोगों ने अपने क्षेत्रों को खाली कर मालवा तथा अन्य क्षेत्रों में शरण ली। 1872 में केवल बाँदा जिले में यह देखा गया कि वहाँ की जनसंख्या का 3.67 कम हो गया है।

1- वही, तथा इम्पीरियल गजे० आफ इण्डिया, कलकत्ता-1908, पृ०-36.
2- वही.

बाँदा की कर्वी सब डिवीजन में अकालों की वजह से लोगों ने अपने क्षेत्र खाली कर दिये थे ।[1] यही स्थिति झाँसी की भी रही । 1872 में झाँसी की जन-संख्या में 12,427 की हानि हुई ।[2] इसका कारण था कि अधिकांश लोग यह क्षेत्र छोड़कर चले गये थे । सरकारी सहायता से कोई विशेष मदद नहीं मिली, और यह देखा गया कि न तो लोग जानवर ही रख सके और न ही कुएँ की मरम्मत कराई जा सकी । फलत: अधिकांश खेतों में कोई खेती करने वाला नहीं था । ललितपुर जिला सबसे अधिक प्रभावित रहा । एटकिन्सन ने लिखा है--"इस जिले में खेती योग्य अधिकांश भूमि खाली पड़ी है, किन्तु व्यक्ति तथा जानवरों की कमी के कारण खेती नहीं हो पा रही है ।"[3] इन अकालों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह हुआ कि लोग खेती को जुआ समझ बैठे, इससे उसकी ओर झुकाव कम हुआ ।[4]

काँश-घास का उद्गम

इलाहाबाद प्रखण्ड के कमिश्नर राइट ने 1892 में अपनी एक टिप्पणी में लिखा था कि --"कोई भी व्यक्ति बुन्देलखण्ड के बारे में तब तक नहीं बोल सकता जब तक कि वहाँ की काँश-घास से उत्पन्न असन्तोष को न समझ ले ।"[5] वास्तव में बुन्देलखण्ड के आर्थिक पिछड़ापन के लिए काँश-घास का उदय एक महत्वपूर्ण कारण था । इससे भूमि की उर्वरा

1- ड्रेक ब्रोकमेन डी०एल०, बाँदा गजे०, पृष्ठ-69.

2- पाठक एस०पी०, झाँसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, पृष्ठ-74.

3- एटकिन्सन ई०टी०, बुन्देलखण्ड गजे०, पृष्ठ-320.

4- पाठक एस०पी०, झाँसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, पृष्ठ-74.

5- इम्पे डब्लू०एच०एल० तथा मेस्टन जे०एस०, झाँसी सिटिलमेन्ट रिपोर्ट, इलाहाबाद-1892, पृष्ठ-2 (फारवर्ड नोट).

शक्ति नष्ट हो जाती थी तथा कृषकों में अराजकता व्याप्त होती थी । यह एक प्रकार की ऐसी एक लम्बी घास थी जो जुताई के अभाव में खेतों में काफी तेजी से उग जाती थी । इसकी जड़ें 6 या 7 फीट गहराई तक चली जाती थी और इस प्रकार हल चलाने में बाधा उत्पन्न करती थी ।[1] 10 तथा 15 वर्षों के बाद इसकी जड़ों से दूसरी घास निकल आती थी और तभी वह भूमि जोतने योग्य हो सकती थी ।[2] झाँसी के डिप्टी कमिश्नर जेनकिन्सन ने 1871 में इस घास के उग जाने के कारण कृषकों को हुई व्यापक हानि का विस्तृत वर्णन किया है ।[3] झाँसी जिले में मऊरानीपुर परगने में स्थित भसनेह गाँव के आस-पास की सारी जमीन इस घास से बुरी तरह प्रभावित हुई अत: परेशान हुए कृषकों में इतनी अराजकता की स्थिति पैदा हुई कि वे बाध्य होकर गाँव छोड़ कर चले गये और इस गाँव की भूमि का सारा प्रबन्ध अंग्रेज सरकार को अपने हाथों में लेना पड़ा ।[4]

सम्भवत: अत्यधिक वर्षा इस घास के उत्पन्न होने का कारण होती थी । 1868 की व्यापक वृष्टि के बाद यह घास काफी मात्रा में उत्पन्न हुई । 1872 में केवल झाँसी जिले में ही इसने 40 हजार एकड़ भूमि को तीव्रता से घेर लिया था ।[5]

1- इम्पेरियल गजे0 आफ इण्डिया भाग-1, पृष्ठ-91.

2- वही.

3- जेनकिन्सन ई0जी0, झाँसी सिटिलमेन्ट रिपोर्ट, इलाहाबाद-1871, पृष्ठ-92.

4- वही.

5- ड्रेक ब्रोकमैन डी0एल0, झाँसी गजे0, इलाहाबाद-1909, पृष्ठ-140.

1892 में जब झाँसी जिले का दूसरा बन्दोबस्त किया जा रहा था उस समय बन्दोबस्त अधिकारी को दो महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करना पड़ा[1] -- पहला -जमींदारों का ऋण-ग्रस्त होना, दूसरा- काँश घास का प्रकोप । निःसन्देह जमींदारों की आर्थिक स्थिति काँश घास के प्रकोप के कारण ही सम्भव हुई । इस प्रकार से खेती में इतनी क्षति हुई जिसके कारण सरकार को झाँसी जिले में 6 लाख रू0 की राजस्व की हानि हुई ।[2]

आगे आने वाले वर्षों में भी काँश ने इस क्षेत्र की कृषि व्यवस्था को क्षतिग्रस्त किया । 1896-97 में झाँसी जिले के अनेक क्षेत्रों में यह घास पुनः प्रगट हुई ।[3] 1886-87 में जालौन में सरकार को राजस्व की वसूली इसलिए रोक देनी पड़ी थी कि काँश से प्रभावित क्षेत्रों के कारण कृषि में कोई उत्पादन नहीं हो सका था ।[4] बाँदा जिले में भी 1867, 68, 69, 71 आदि वर्षों में इस घास ने कृषि व्यवस्था को हानि पहुँचाई ।[5] हमीरपुर की भी यही स्थिति थी ।[6] बाँदा में तो 1881 में जब कैडिल ने बन्दोबस्त प्रारम्भ किया उस समय उसे काँश से भरे हुए क्षेत्रों के कारण वहाँ की राजस्व दरों को संशोधित करना पड़ा ।[7] 1887-88 में अधिक वर्षा होने के कारण इस जिले में पुनः

1- इम्पे0 डब्लू0एच0एल0 तथा मेस्टन जे0एस0, झाँसी सिटिलमेन्ट रिपोर्ट, इलाहाबाद- 1892, पृष्ठ-56.

2- वही.

3- पाठक एस0पी0, झाँसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, पृष्ठ-75.

4- ड्रेक ब्रोकमेन डी0एल0, जालौन गजे0 -1909, पृष्ठ-96.

5- कैडिल ए0, सिटिलमेन्ट रिपोर्ट आफ बाँदा-इलाहाबाद 1881, पृ0-6.

6- एटकिन्शन ई0टी0, बुन्देलखण्ड गजे0, पृष्ठ-153.

7- कैडिल ए0, सिटिलमेन्ट रिपोर्ट आफ बाँदा, इलाहाबाद 1881, पृ0-6.

घास तेजी से उग आयी । बाँदा, पैलानी, बबेरू और कमासीन परगने इससे बुरी तरह प्रभावित हुए ।[1] वहाँ के कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इस घास से हुई क्षति के कारण 1297 फसली में राजस्व की वसूली रोकनी पड़ी ।[2]

राजस्व को होने वाली हानि को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश अधिकारियों को उन प्रयासों की ओर ध्यान देना पड़ा जिनसे काँस का उन्मूलन किया जा सके । पहली बार डब्लू ई० नीले ने इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये जिसके अन्तर्गत इस घास को जलाना, गहरी खुदाई अथवा अच्छी तरह जुताई करना या खेत को वैसे ही खाली छोड़ देना आदि तरीके शामिल थे ।[3] ये सभी तरीके बुन्देलखण्ड के जिलों में विशेषत: हमीरपुर में लागू किये गये, लेकिन इनका कोई परिणाम नहीं निकला ।[4] जब इसे जलाया गया तो यह दिखाई दिया कि दूसरे ही वर्ष और तेजी से यह घास पैदा हुई । जलाने का यह प्रयोग झाँसी जिले की गरौठा तहसील में प्रयोग में लाया गया था ।[5] सहारनपुर के वनस्पति विभाग के सुपरिन्टेन्डेन्ट ने इस सम्बन्ध में एक और सुझाव दिया ।[6] उनका यह मत था कि जिन खेतों में बराबर उर्वरक का उपयोग किया जा रहा हो वहाँ इस घास के पैदा होने की कम संभावना

1- हम्फ्रीज ई०डी०, एम०फाइनल रिपोर्ट ऑन द सिटिलमेन्ट रिपोर्ट- बाँदा-इलाहाबाद 1909, पृष्ठ-19.

2- वही.

3- हमीरपुर सिटिलमेन्ट रिपोर्ट, इलाहाबाद 1880, पृष्ठ-118.

4- वही.

5- इम्पे०डब्लू० एच०एल०, तथा मेस्टन जे०एस०, झाँसी सिटिलमेन्ट रिपोर्ट, इलाहाबाद -1892, पैरा-8.

6- वही.

रहती है ।[1] लेकिन यह प्रयास भी उन दिनों सफल नहीं हो सकता था, क्योंकि जब पुराने तरीकों से खेती की जा रही हो और लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो, तो ऐसे समय में उर्वरक और अन्य विकसित तरीकों का प्रयोग करना सम्भव नहीं था ।

काँश के अतिरिक्त इस क्षेत्र में भूमि कटाव भी बराबर होते रहे हैं जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट होती रही है । यही कारण था कि इस क्षेत्र में विशेषत: ब्रिटिश शासन काल में अच्छी खेती नहीं की जा सकी । झाँसी के बन्दोबस्त अधिकारी ने लिखा था कि 1854 से पहले इस क्षेत्र में अच्छी खेती होती थी, किन्तु लगातार भूमि कटाव के कारण कुछ गाँवों की उर्वरा शक्ति नष्ट होती गई फलत: 1892 तक आते-आते ये गाँव खेती की दृष्टि से बेकार साबित हो गये ।[2] झाँसी जिले की गरौठा तहसील जहाँ अच्छे किस्म की खेती योग्य जमीन थी, वह कटाव के कारण काफी कम हो गई ।[3] झाँसी तहसील में हो धसान नदी के किनारे तथा बेतवा के पश्चिमी किनारे पर बसे हुए गाँवों की भी यही स्थिति हुई ।[4] ललितपुर में यद्यपि बेतवा ने अधिक कटाव पैदा नहीं किया, किन्तु सजनाद, संजाम तथा जामिनी नदियों ने पर्याप्त भूमि कटाव किये हैं ।[5]

1- इम्पे०डब्लू०एच०एच० तथा मेस्टन जे०एस०, झाँसी सिटिलमेन्ट रिपोर्ट, इलाहाबाद -1892, पैरा-8.

2- उक्त. पृष्ठ-10.

3- उक्त.

4- पिम ए०डब्लू०, फाइनल सिटिलमेन्ट रिपोर्ट आफ झाँसी, इलाहाबाद-1907, पृष्ठ-3.

5- उक्त.

सरकार की ओर से इन कटावों को रोकने के लिए अल्प प्रयास किये गये । 1880 में झाँसी तहसील के रक्सा गाँव में एक बाँध के निर्माण की योजना बनाई गई,[1] किन्तु इसमें अधिक धनराशि खर्च होने की सम्भावना थी अत: सरकार ने यह प्रयास छोड़ दिया ।

इस प्रकार अकाल तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं व काँस के उद्गम से कटाव इस क्षेत्र की कृषि-व्यवस्था को प्रभावित करती रही ।

सिंचाई की सुविधाओं का अभाव

अंग्रेजी शासनकाल में पूरे बुन्देलखण्ड में सिंचाई की सुविधाओं का समुचित विकास नहीं किया जा सका । इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि सरकार ने 1862 में बुन्देलखण्ड सिंचाई विभाग का उन्मूलन कर दिया ।[2] इससे पहले चन्देलों तथा बुन्देलाओं के काल में बुन्देलखण्ड में सिंचाई के समुचित साधन उपलब्ध थे । 1825 में कैप्टन फ्रैंकलिन ने अपने संस्मरण में लिखा था — "बुन्देला राजाओं ने इस क्षेत्र में सिंचाई के साधन के विकास के लिए काफी धन खर्च किया था ।"[3] मराठा काल में भी सिंचाई के समुचित साधन इस क्षेत्र में विद्यमान थे, लेकिन अंग्रेजी शासन काल में इस ओर ध्यान नहीं दिया गया । 1864 में जेनकिन्सन ने अपने द्वारा किये जा रहे झाँसी के बन्दोबस्त के समय लिखा था कि कृषकों को सिंचाई की सुविधाओं के विकास के लिए सरकारी सहायता

1- इम्पे तथा मेस्टन (वही), पृष्ठ-11.

2- जेनकिन्सन ई0जी0, झाँसी सेटिलमेन्ट, इलाहाबाद-1871, पृ0 71-72.

3- मेमायर्स ऑन बुन्देलखण्ड, 21 मई, 1825, पृष्ठ- 274.

तथा ऋण प्रदान किये जाने चाहिए । उसने पहले से ही चले आ रहे तालाबों तथा नहरों की मरम्मत कराने के लिए भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया, ताकि कृषकों को राहत पहुँच सके । कर्नल डिक्सन ने भी राजपूताने में इसी तरह के प्रयास किये थे ।[1] जेनकिन्शन ने झाँसी जिले के तालाबों, झीलों आदि की सूची बनाते हुए यह आशा व्यक्त की थी कि इनका पुनरनिर्माण किया जाना चाहिए, लेकिन आश्चर्य का विषय है कि सरकार ने इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया ।

लगातार पड़ रहे अकालों से सरकार की निगाहें खुलीं । 1868-69 में सरकार को जेनकिन्शन की रिपोर्ट की उपयोगिता दिखाई पड़ी ।[2] अतः पुराने तालाबों तथा नहरों के पुनः निर्माण की ओर ध्यान दिया गया । यह उल्लेखनीय है कि वर्षा-ऋतु में इस क्षेत्र में जो पानी बर्बाद हो रहा था उसी को इकट्ठा करके सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता तो इससे सरकार को लगभग 4 लाख रुपये केवल पानी की बिक्री के रूप में ही प्राप्त होते । कर्नल स्मिथ ने इसी प्रकार का आँकलन किया था ।[3]

इन तमाम सुझावों के बावजूद भी बुन्देलखण्ड में सिंचाई का समुचित विकास नहीं किया जा सका । बेतवा नहर के निर्माण का सुझाव जो 1855 में दिया गया था उसकी योजना 1881 से पहले स्वीकृत

1- जेनकिन्शन ई०जी०, झाँसी सिटिलमेन्ट रिपोर्ट, इलाहाबाद-1871, पृष्ठ 71-72.

2- पाठक एस०पी०, झाँसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, पृष्ठ-80.

3- एटकिन्सन ई० टी०, बुन्देलखण्ड गजे०, पृष्ठ-243.

नहीं हो सकी ।[1] इसी तरह बाँदा में भी केन नदी से एक नहर निकालने की योजना पर 1870 में विचार किया गया ।[2] इस योजना की रूप रेखा एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर रिचर्डसन ने इस उद्देश्य से की थी कि इस क्षेत्र में लगातार पड़ रहे अकालों से गाँवों को राहत पहुँचाई जा सके,[3] चूँकि सरकार की नीति अधिक लागत वाली योजनाओं को क्रियान्वित न करने की थी अतः इस योजना को काट-छाँट के बाद काफी बाद में लागू किया गया और 1896-97 से पहले इसका कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ ।[4] इस प्रकार सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण बुन्देलखण्ड की कृषि व्यवस्था को गहरा आघात पहुँचा ।

सामाजिक,आर्थिक पिछड़ापन तथा अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा की भावना.

1804 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश शासन काल में बुन्देलखण्ड सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़ापन स्थिति का शिकार रहा । यहाँ के लघु उद्योग धन्धों के विनाश से बेरोजगारी तथा गरीबी निरंतर बढ़ती गई । कर्वी की सूती मिल तथा कालपी की सूती मिल,एरच की चुनरी, झाँसी का कालीन उद्योग, मऊरानीपुर का प्रसिद्ध खद्दर वस्त्र उद्योग, हमीरपुर,जालौन आदि क्षेत्रों में भी फैला हुआ खद्दर तथा नील उद्योग के विनाश से इस क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन बना रहा । ऐसा

1- ड्रेक ब्रोकमेन डी०एल०, झाँसी गजे०,इलाहाबाद-1909, पृष्ठ-54.

2- ,, , बाँदा गजे०,इलाहाबाद-1909, पृष्ठ-59.

3- वही.

4- ड्रेक ब्रोकमेन डी०एल०, बाँदा गजे०, इलाहाबाद-1909, पृष्ठ-59.

प्रतीत होता है कि यहाँ की स्वतन्त्रताप्रिय जनता से अंग्रेज शासक चिढ़े हुए थे । 1857 के विद्रोह में झाँसी की रानी, मर्दन सिंह, बाँदा के नवाब अलीबहादुर आदि नेताओं के नेतृत्व में बुन्देलखण्ड की जनता ने अंग्रेजों को गहरा आघात पहुँचाया था । यद्यपि 1857 के विद्रोह का दमन हो गया और 1858 में अंग्रेजों को इस क्षेत्र में शासन स्थापित करने में सफलता मिली, लेकिन अंग्रेज इस क्षेत्र की जनता से बदला लेने पर तुले हुए थे । वे जानते थे कि यहाँ की विद्रोही जनता को सजा देने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि बुन्देलखण्ड को आर्थिक रूप से पिछड़ा बनाये रखा जाये । यह नीति 1858 से जारी रही । राजस्व नीति की कठोरता ने अंग्रेजों को अपनी योजना के क्रियान्वयन में भरपूर मदद प्रदान की ।

अंग्रेजी नीति का यह परिणाम निकला कि लोगों के दिमाग में दमन तथा अत्याचार की छाया निरन्तर बनी रही । परिणामस्वरूप यहाँ के लोगों ने अंग्रेजी शासन से घृणा करना शुरू कर दिया । लोग अंग्रेजी शासन को अपने कष्ट का कारण समझते थे अतः लोग अंग्रेजों को कुत्ता कहकर पुकारने लगे । झाँसी में इलाहाबाद बैंक चौराहे के समीप स्थित झाँसी के तत्कालीन सुपरिन्टेन्डेन्ट मेजर एफ0डब्लू0 पिनकने के स्मारक को आज भी लोग कुत्ते की टौरिया के नाम से पुकारते हैं । इतना ही नहीं बल्कि अन्य भी स्मारक जो कि अंग्रेज अधिकारी की यादगार से बनाया गया उसे भी घृणा की दृष्टि से देखा जाता रहा । इस प्रकार बुन्देलखण्ड में अंग्रेजी शासन के परिणाम स्वरूप यहाँ घृणा का वातावरण पैदा हुआ । बुन्देलखण्ड से बाहर के लोगों को लाकर बसाना शुरू किया गया । झाँसी छावनी में स्थित अनेकों ठेकेदार बाहर से लाकर बसाये गये जो सेनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति किया करते थे । यहाँ

के लोग अंग्रेजी योजनाओं में भी सहयोग नहीं करते थे । यह उल्लेखनीय है कि लड़कियों की शिक्षा के लिए सरकार की ओर से जब स्कूल खोला गया तो थोड़े ही दिन बाद लड़कियों की संख्या कम होने से सरकार को स्कूल बन्द करना पड़ा ।[1] यह इस बात का प्रमाण है कि लोग सरकार के किसी भी मामले में सहयोग देने के लिए तैयार नहीं थे । ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजों के लिए यह आवश्यक हुआ कि इस क्षेत्र में एक वफादार प्रजा का निर्माण किया जाय और इस उद्देश्य से ईसाई धर्म के प्रचारकों को बसने के लिए प्रेरित किया गया, ताकि वे ईसाइयों के नाम पर वफादार लों । इसी पृष्ठ भूमि में बुन्देलखण्ड के पिछड़े क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों ने अपना कार्य शुरू किया जिन्हें सरकार की ओर से संरक्षण और सुविधाएं मिलीं । निःसन्देह इस धार्मिक वातावरण के लिए मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को स्थायित्व देना था ।

----- :0: -----

1- पाठक एस0पी0, झाँसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, पृष्ठ 152-153.

अध्याय - 3

1919 ई0 का असहयोग आन्दोलन तथा बुन्देलखण्ड [1919-20 ई0]

असहयोग आन्दोलन -

प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों और उनके मित्र राष्ट्रों ने तुर्की साम्राज्य को तोड़ कर अरब को उससे अलग कर दिया एवं उसके इराक, फिलिस्तीन, सीरिया आदि प्रान्तों पर अधिकार कर लिया । भारतीय मुसलमान प्रारम्भ से ही तुर्की सुलतान को इस्लाम का खलीफा मानते चले आ रहे थे । खलीफा का साम्राज्य टूटते देख भारतीय मुसलमानों में बहुत असन्तोष फैला ।[1]

इधर सन् 1919 ई0 का वर्ष भारतीय इतिहास में गाँधी युग का प्रारम्भ एवं राजनीतिक तूफानों का वर्ष था । मार्च 1919 ई0 में ब्रिटिश सरकार ने "रॉलट एक्ट" लागू किया । इसके अन्तर्गत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाये कारागार में डाल सकती थी । इस कानून के विरुद्ध समस्त देश में विरोध एवं प्रदर्शन हुए । पंजाब में इस आन्दोलन ने विराट रूप धारण कर लिया । 10 अप्रैल को कॉंग्रेस के दो प्रमुख नेता-सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू बन्दी बना लिये गये । इन गिरफ्तारियों के विरोध में 13 अप्रैल, 1919 ई0 को एक सार्वजनिक सभा का आयोजन पंजाब में एक छोटे से बाग में, जिसका नाम जलियाँ-वाला, कहा जाता है, किया गया । इस सभा पर ब्रिटिश सेना द्वारा

1- इतिहास प्रवेश - जयचन्द्र विद्यालंकार, पेज-743.

जनरल डायर के नेतृत्व में गोली चलाई गई । इस हत्याकाण्ड में लगभग 1000 व्यक्ति मारे गये, 2000 के लगभग घायल हुए । इस हत्या काण्ड से समस्त सभ्य संसार के लोगों के रोंगटे खड़े हो गये थे । इस हत्या-काण्ड में समस्त विश्व में निन्दा की गई ।[1] अंग्रेजों की इस बर्बरतापूर्ण अमानुषिक कृत्य पर देश भर में रोष एवं गुस्से की लहर दौड़ गई ।

भारतियों के इस बढ़ते हुए असन्तोष पर दिसम्बर, 1919 ई० में कांग्रेस की एक बैठक हुई जिसमें कांग्रेस को जनता की संस्था बनाने तथा स्वराज्य के लिये ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सीधी कार्यवाई करने के लिये विचार-विमर्श किया । कांग्रेस का नया संविधान बनाने का कार्य गांधी जी को सौंपा गया । गांधी जी ने कांग्रेस को खिलाफत आन्दोलन का साथ देने और सरकार के विरुद्ध असहयोग करने की सलाह दी ।[2] सरकार के विरुद्ध असहयोग आन्दोलन समस्त भारत में चलाया जाएगा तथा इस असहयोग आन्दोलन के उद्देश्य की पूर्ति के लिये कांग्रेस ने निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किये :-

1- सभी सम्मानित उपाधियाँ, खिताब व अवैतनिक पदों का त्याग किया जाये ।

2- सरकारी अधिकारियों या उनके सम्मान में आयोजित सभी सरकारी व अर्द्ध सरकारी सम्मेलनों, दरबारों व स्वागत सभाओं में शामिल होने का बहिष्कार किया जाये ।

1- हिस्ट्री ऑफ इण्डिया - भाग-2, पर्सीवल स्पीयर, पेज 120-121.

2- भारतीय राजनीति - रामगोपाल.

3- सरकारी नियन्त्रण वाली या सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं से धीरे-धीरे समस्त विद्यार्थियों को निकाल लिया जाये और उन शिक्षा संस्थाओं के स्थान पर प्रत्येक जिले में राष्ट्रीय स्कूल, विद्यालय स्थापित किये जायें ।

4- वकील अदालतों का बहिष्कार करें ।

5- नये सुधार वाली विधायिका कौंसिलों से लोग अपनी उम्मीदवारी वापिस लें ।

6- विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें ।

अन्तिम शर्त को व्यावहारिक बनाने के लिये प्रस्ताव में राय दी गई थी कि लोग स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग करें और प्रत्येक घर में चरखे एवं खादी का प्रयोग करें ।[1]

इस बीच कलकत्ते में कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में अंग्रेजी विधान सभाओं, स्कूल, कालेजों, अदालतों और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने तथा स्वदेशी अपनाने का व्रत लिया गया । इस प्रकार का हिन्दू-मुस्लिम संयुक्त सम्मेलन दिल्ली में भी हुआ । इसमें सर्वप्रथम गान्धी जी ने असहयोग शब्द का प्रयोग किया ।[2] विदेशी कपड़ों के बहिष्कार होने पर स्वदेशी मिलों का कपड़ा काफी न होगा, इसलिए हाथ की कताई-बुनाई को बढ़ावा देने का निश्चय हुआ । गान्धी जी का बनाया हुआ नया संविधान भी जो अधिकतर भाषानुसार प्रान्तों के आधार पर बनाया गया था, स्वीकार किया गया ।[3]

1- कांग्रेस का इतिहास - पट्टाभि सीता रम्मैया, भाग-3, पेज-54
2- भारतीय राजनीति - रामगोपाल, पेज-284
3- इतिहास प्रवेश - विद्यालंकार जयचन्द्र, पेज-744

नये संविधान से कॉंग्रेस, जनता की देश व्यापी संस्था बनाने लगी । कॉंग्रेस की पुकार पर सरकारी स्कूल,कालेजों के विद्यार्थी अपने-अपने विद्यालय छोड़ने लगे और राष्ट्रीय विद्यापीठों की स्थापना हुई, अदालतें खाली होने लगीं, विधान सभाओं में कॉंग्रेसी नहीं गये ।[1]

उधर करांची में खिलाफत सम्मेलन में घोषणा की गई कि मुसलमानों के लिये फौज में रहना हराम है । कॉंग्रेस ने विदेशी कपड़े का पूरा बहिष्कार किया, इस प्रसंग में स्वयं सेवकों ने घर-घर से विदेशी कपड़ा इकट्ठा करके उसकी होली जलाई ।[2]

राष्ट्रीय आन्दोलन में जन-साधारण के भाग लेने का एक प्रमुख कारण गाँधी जी का नेतृत्व तो था ही, साथ ही इसके कई अन्य कारण भी थे । ब्रिटिश सरकार ने युद्ध में बहुत धन व्यय किया था इससे भारतियों की आर्थिक दशा पहले से भी अधिक खराब हो गयी । इनफ्लुएंजा के रोग के व्यापक रूप में फैलने से बहुत से लोगों को अपनी जान भी खोनी पड़ी । महायुद्ध की समाप्ति पर संसार के अनेक देशों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो गई थी । महायुद्ध के कारण यौरूप में तीन देशों के निरंकुश शासन की समाप्ति हो गयी । जर्मनी में होनेन-जोर्लन वंश, आस्ट्रिया में हेप्सबर्ग वंश और रूस में रोमनोव वंश का शासन समाप्त हो गया । इन निरंकुश शासन व्यवस्थाओं की समाप्ति का संसार के राजनीतिक वातावरण पर अच्छा प्रभाव पड़ा । रूस की क्रांति के फल-स्वरूप उस देश में समाजवाद का विकास हुआ ।[3]

1- इतिहास प्रवेश - विद्यालंकार जयचन्द, पेज-744.

2- वहीं.

3- भारतीय राजनीति - रामगोपाल, पृष्ठ-285.

मॉटेग्यु चेम्सफोर्ड सुधारों की योजना सन् 1919 ई0 के गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया एक्ट के रूप में आयी । इसमें केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के अधिकारों का स्पष्ट रूप से अलग-अलग विवेचन किया गया । केन्द्र के विधान मण्डल में अब दो सदन रखे गये, जिनमें चुने हुए प्रतिनिधियों का बहुमत रखा गया, किन्तु मतदान का अधिकार बहुत सीमित था और विधान मण्डल के हाथ में कोई शक्ति नहीं थी । प्रान्तों में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारम्भ की गई । विधान परिषद् में चुने हुए सदस्यों का बहुमत था । मतदान का अधिकार सम्पत्ति रखने वाले व्यक्ति को ही था और निर्वाचन क्षेत्र साम्प्रदायिक आधार पर निर्धारित थे । कुछ प्रान्तीय विषय विधान परिषदों के आधीन रखे गये, किन्तु राज्यपालों को हस्तक्षेप करने के बहुत व्यापक अधिकार दिये गये थे । इस प्रकार विधान मण्डल वास्तव में शक्तिहीन थे ।[1] ये सुधार भारतीय जनता की स्वराज्य की मांग को सन्तुष्ट करने की दिशा में सर्वथा निष्फल हुए । कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इन सुधारों की कटु आलोचना की । इन सुधारों की घोषणा से जनता में अधिक रोष फैल गया और अधिकतर राजनीतिक दलों ने इन्हें पूर्णतया असन्तोषजनक बतलाया ।[2]

महायुद्ध में तुर्की की हार हुई और विजेयता राष्ट्रों ने उसका विभाजन कर डाला । इस कारण भारतीय मुसलमानों में बहुत रोष फैला और उनमें ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध की भावना व्यापक

1- भारतीय इतिहास कोष - सच्चिदानन्द भट्टाचार्य, पृष्ठ 357-358.
2- भारतीय राजनीति, पृष्ठ- 285.

रूप से फैल गई । ब्रिटिश सरकार ने दमन का चक्र फिर चलाया । सन् 1919 ई० में "रॉलट एक्ट" पास किया गया । इसके अन्तर्गत सरकार को बिना मुकदमा चलाये किसी भी व्यक्ति को कारागार में डालने का अधिकार मिल गया । रॉलट एक्ट से जन-साधारण में रोष की भावना फैल गई । इसी कारण जलियाँ वाला बाग का हत्या-काण्ड हुआ ।[1]

उपरोक्त कारणों से महात्मा गान्धी को असहयोग होना पड़ा तथा अपने नेतृत्व में असहयोग आन्दोलन चलाया । उधर महायुद्ध की समाप्ति पर साथी राष्ट्रों ने तुर्की के साथ जो अन्याय किया था, उस पर रोष प्रकट करने के लिये मुहम्मद अली और शौकत अली नाम के दो भाइयों ने खिलाफत आन्दोलन का संगठन किया । वस्तुतः इस आन्दोलन के साथ मुस्लिम जनता पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आन्दोलन में कूद पड़ी । कॉंग्रेस के नेता भी खिलाफत आन्दोलन में सम्मिलित हुए और उन्होंने सारे देश में इसको संगठित करने में मुस्लिम नेताओं की सहायता दी । सन् 1920 ई० में कॉंग्रेस ने अहिंसात्मक असहयोग - आन्दोलन का कार्यक्रम निर्धारित किया । असहयोग आन्दोलन के मुख्य रूप से उद्देश्य थे — पंजाब में किये गये अत्याचार, तुर्कों के प्रति अन्याय-पूर्ण नीति का निराकरण और स्वराज्य की प्राप्ति । इस नवीन कार्य-क्रम को कॉंग्रेस ने गान्धी जी और जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वीकार किया था । मोतीलाल नेहरू इस समय राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रमुख नेता थे । इस आन्दोलन की नई सीढ़ियाँ

1- ए हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, भाग-2, —पर्सीवल स्पीयर, पृष्ठ-199.

निश्चित की गई । सबसे प्रथम खिताब अथवा पदवी [टाईटिल] लौटाई जाएं, फिर विधान मण्डलों, अदालतों और शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार किया जाये और अन्त में कर न देने का अभियान प्रारम्भ किया जाये । इस असहयोग के अभियान को सुचारु रूप से चलाने के लिए काँग्रेस ने 1,50,000 स्वयं सेवक भर्ती करने का निश्चय किया ।

असहयोग आन्दोलन बहुत सफल हुआ । विधान मण्डलों के चुनाव में लगभग दो-तिहाई मतदाताओं ने मतदान नहीं किया । शिक्षा संस्थाओं में न विद्यार्थी पहुँचे, न अध्यापक । जामिया मिलिया और काशी विद्यापीठ जैसी राष्ट्रीय संस्थाएँ स्थापित की गयीं । अनेक भारतियों ने सरकारी नौकरियाँ छोड़ दीं । विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई । देशभर में हड़ताल हुई । मालाबार में मोपला मुसलमानों ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । हिन्दुओं और मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर इस आन्दोलन में भाग लिया । समस्त भारत में भाईचारे का वातावरण दिखाई दिया । सिक्खों ने सरकार के पिट्ठू और भ्रष्ट महन्तों को उनकी शक्तिशाली गद्दियों से उतारने के लिये आन्दोलन चलाया । हजारों व्यक्ति स्वयं सेवक बने । परन्तु जिस समय यह आन्दोलन अपने पूर्ण उग्र रूप में था, ठीक उसी समय गोरखपुर जिले के चौरा-चौरी नामक स्थान पर पुलिस की ज्यादतियों से उत्तेजित होकर एक क्रुद्ध भीड़ ने 4 फरवरी, 1922 ई० को पुलिस थाना घेर कर आग लगा दी । इस काण्ड में 21 पुलिस कर्मी एवं एक चौकीदार मारा गया । इस घटना से गाँधी जी को मार्मिक क्लेश हुआ और उन्होंने इसे ईश्वर की ओर से चेतावनी समझा । उन्होंने तुरन्त समस्त आन्दोलन को स्थगित करने का निश्चय किया । 12 फरवरी सन् 1922 ई० को काँग्रेस कार्यकारिणी समिति

ने गाँधी जी के इस निश्चय की स्वीकृति दी एवं आन्दोलन स्थगित करने के बाद चरखा प्रचार, हिन्दू-मुस्लिम एकता और अछूतोद्धार के कार्यक्रमों पर अपनी पूरी शक्ति लगाने का निर्णय लिया । परन्तु काँग्रेस में आन्दोलन स्थगित करने पर आपसी मत-भेद बढ़ गये जिसके फलस्वरूप काँग्रेस में परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी दो दल हो गये ।[1]

असहयोग आन्दोलन स्थगित करने के पश्चात् एक और दुखद परिणाम हुआ । जनता में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ गया और अनेक साम्प्रदायिक दंगे हुए ।[2]

खण्ड-ब

1919 ई० का असहयोग आन्दोलन तथा बुन्देलखण्ड

बुन्देलखण्ड में सर्वप्रथम झाँसी में 1916 ई० में एक "संयुक्त प्रांत राजनैतिक कॉंफ्रेन्स" का आयोजन किया गया था जिसके स्वागताध्यक्ष सी० वाई० चिन्तामणि[3] बनाये गये थे । इसके प्रायोजक हरनारायण गोरहार थे । इस कॉंफ्रेन्स में अन्य जिलों के भी काँग्रेस विचारधारा के लोग एकत्रित हुए थे । इसमें झाँसी के आत्माराम गोविन्द खेर, रघुनाथ विनायक धुलेकर, लक्ष्मण राव कदम, कामरेड अयोध्याप्रसाद, कुंजबिहारी लाल किशानी, कृष्ण गोपाल शर्मा, रामेश्वर प्रसाद शर्मा आदि ने भाग लिया था ।[4] बाद में सी० वाई० चिन्तामणि एवं

1- उत्तर प्रदेश में गाँधीजी - रामनाथ सुमन, पृष्ठ 102-103.
2- वहीं.
3- सरस्वती पाठशाला झांसी इण्टर कालेज,अंक-1991-92,पृ०-5.
4- व्यक्तिगत साक्षात्कार- पं०दुर्गाप्रसाद व्यास,मो०वासुदेव,मऊ०-222.

श्यामाचरण घोष ने 1919 ई0 के अमृतसर में कॉंग्रेस अधिवेशन में भी भाग लिया था ।[1]

इस समस्त कॉंग्रेसी विचारधारा के लोगों ने 1917-18 ई0 के कॉंग्रेस द्वारा चलाये गये होम रूल आन्दोलन में भी भाग लिया तथा उसकी एक शाखा की स्थापना भी की गयी थी ।[2]

दिसम्बर, 1919 ई0 को गाँधी जी के असहयोग आन्दोलन के आह्वान पर समस्त बुन्देलखण्ड में इसकी प्रतिक्रिया आरम्भ हो गई थी । इसमें बुन्देलखण्ड के चारों जिले प्रभावित हुए । झाँसी, हमीरपुर एवं बाँदा जिलों की इस आन्दोलन में प्रमुख भूमिका रही ।

झाँसी में असहयोग आन्दोलन

झाँसी नगर एवं जिले की जनता में असहयोग आन्दोलन की तीव्र प्रतिक्रिया हुई । इस आन्दोलन में आत्माराम गोविन्द खेर, रघुनाथ विनायक धुलेकर, लक्ष्मण राव कदम, कुंजबिहारी लाल शिवानी, कालका प्रसाद अग्रवाल, कृष्ण गोपाल शर्मा तथा स्त्रियों में पिस्तादेवी तथा चन्द्रमुखी देवी की प्रमुख भूमिका रही ।[3]

नगर में उस समय प्रमुख शिक्षण संस्था "मैक्डोनल हाई स्कूल" था । अनेक विद्यार्थियों ने इस संस्था से अपना अध्ययन समाप्त कर दिया । संयोग से इस समय कुछ प्रमुख गाँधीवादी अध्यापकों ने एक

1- झाँसी गजेटियर 1965, जोशी, पृष्ठ-78

2- तदैव.

3- व्यक्तिगत साक्षात्कार - पं0दुर्गाप्रसाद व्यास, 222 वासुदेव, झाँसी.

विद्यालय के संस्थापक

तपोमूर्ति स्व. श्री हरनारायण गौरहार

हे महामना ! हे तेजपुँज ! हे शिक्षाविद ! तुमको प्रणाम ।
हे कर्मवीर ! हे ज्ञानदीप ! हे वन्दनीय ! शत–शत प्रणाम ॥

विद्यालय की स्थापना की । इस संस्था का नाम "सरस्वती विद्यालय" था । इसके संस्थापक तत्कालीन प्रमुख शिक्षा विद हरनारायण गोरहार थे, जो कि "मैकडोनल हाई स्कूल" में अध्यापक थे ।[1] "उत्साही एवं राष्ट्रीय चेतना से ओत-प्रोत अध्यापक हरनारायण गोरहार ने मैकडोनल हाई स्कूल[2] से अलग होकर इस संस्था को प्रारम्भ किया था । असहयोग आन्दोलन के समय अनेक छात्रों ने इस नये विद्यालय में प्रवेश लिया । उधर अनेक वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया, इनमें प्रमुख थे कालका प्रसाद अग्रवाल ।

हमीरपुर में असहयोग आन्दोलन

हमीरपुर जिले में असहयोग आन्दोलन की प्रमुख लहर कुलपहाड़ एवं महोबा तहसीलों में तीव्र गति से चली । हमीरपुर जिले में असहयोग आन्दोलन के प्रमुख कार्यकर्ता दीवान शत्रुघ्न सिंह एवं उनकी पत्नी राजेन्द्र कुमार, कुँवर हरप्रसाद सिंह, महोबा के पं0 बैजनाथ तिवारी, बालेन्दु अरजरिया आदि थे । इस आन्दोलन का प्रमुख केन्द्र कुलपहाड़ था । बाद में यह आन्दोलन राठ,महोबा आदि तहसीलों में भी फैल गया था ।[3]

बाँदा में असहयोग आन्दोलन

महात्मा गाँधी के आह्वान पर बाँदा जिले में कुँवर हरप्रसाद के नेतृत्व में असहयोग आन्दोलन चलाया गया । कुँवर हरप्रसाद एवं रमाशंकर रावत आदि ने अदालतों में जाकर वकीलों से अदालतों का बहिष्कार करने के लिये कहा ।[4]

1- सरस्वती पाठशाला हीरक जयन्ती विशेषांक, पृष्ठ-5.
2- वर्तमान में यह विपिनबिहारी इंटर कालेज के नामसे जानाजाता है।
3- अनासक्त मनस्वी - बालेन्दु अभिनन्दन ग्रन्थ, पृष्ठ 56-57.
4- तदैव.

<u>अन्य जिलों में असहयोग आन्दोलन</u>

धीरे-धीरे असहयोग आन्दोलन समस्त बुन्देलखण्ड में फैल गया। ललितपुर जिले में नन्दकिशोर किलेदार, हुकुमचन्द्र बुखारिया, शालीलाल दुबे तथा उरई-जालौन में चन्द्रभान विद्यार्थी, मोतीलाल वर्मा आदि गाँधीवादी विचारधारा के व्यक्तियों ने इस आन्दोलन की बागडोर सम्भाली ।[1]

<u>खण्ड - ब</u>

<u>सत्याग्रह एवं आन्दोलन</u>

इस प्रकार 1919-20 ई० में गाँधी जी के नेतृत्व में शक्तिशाली, परन्तु अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन समस्त भारत के साथ बुन्देलखण्ड में भी प्रारम्भ हो गया । इस आन्दोलन में शान्तिपूर्ण प्रदर्शन किये गये । सर्वप्रथम न्यायालयों का बायकाट किया गया, हड़ताल एवं सत्याग्रह चलाये गये, शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, शराब एवं विदेशी वस्तुएँ बेचने वाली दुकानों पर धरना दिया गया, विदेशी वस्तुओं की होली जलायी गई । हिन्दुओं और मुसलमानों ने कंधा से कंधा मिलाकर इस आन्दोलन में भाग लिया । यह आन्दोलन बुन्देलखण्ड के गाँव-गाँव फैल गया । मऊरानीपुर (झाँसी) में सत्याग्रह करते हुए रामनाथ त्रिवेदी, धारीराम व्यास, ठाकुर दास, झाँसी में कालका प्रसाद अग्रवाल, आत्माराम गोविन्द खेर, रघुनाथ विनायक धुलेकर, कुंजबिहारी लाल शिवानी, कामरेड

1- "कंचन प्रभा" -मासिक पत्रिका, अप्रैल 1975, अंक

अयोध्या प्रसाद, कामरेड पन्नालाल शर्मा [बरुआसागर], रामसहाय शर्मा, चन्द्रमुखी देवी ।[1] दीवान शत्रुघ्न सिंह, बालेन्दु अरजरिया, किशोर देवी [बालेन्दु जी की पत्नी], राजेन्द्र कुमारी [दीवान-जी की पत्नी], राठ - कुलपहाड़ में तथा ललितपुर में बिलैया तथा बाँदा में कुँवर हरप्रसाद आदि ने सत्याग्रह एवं आन्दोलन का नेतृत्व किया ।[2]

खण्ड-ख

स्वदेशी आन्दोलन तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार

असहयोग आन्दोलन के प्रस्ताव की एक प्रमुख शर्त स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था । इस शर्त को स्वदेशी आन्दोलन कहा गया । इस आन्दोलन का प्रभाव समस्त देश पर हुआ । स्वयं सेवकों ने घर-घर जाकर इसका प्रचार किया । विदेशी वस्तुएं बेचने वाली दूकानों पर धरना दिया गया एवं विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई ।

बुन्देलखण्ड में यह आन्दोलन अनेक नगर, गाँव एवं कस्बों में चलाया गया । झाँसी नगर में विदेशी कपड़ों की होली सरस्वती पाठशाला के प्रांगण में रघुनाथ गौरहार के नेतृत्व में जलाई गई ।[3]

1- राष्ट्र कवि घासीराम व्यास - रामचरण ह्यारण, पृष्ठ 20-36.

2- अनासक्त मनस्वी, पृष्ठ-56.

3- सरस्वती पाठशाला हीरक जयन्ती अंक, पृष्ठ-6.

इस आन्दोलन में आत्माराम गोविन्द खेर, स0भा0 धुलेकर, लक्ष्मण-कदम के अतिरिक्त अनेक महिलाओं ने भाग लिया । इन महिलाओं में पिस्ता देवी अपनी पुत्रियों के सहित तथा चन्द्रमुखी देवी प्रमुख हैं । इन कार्यकर्ताओं ने मोतीलाल पुस्तकालय के सामने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी । इस आन्दोलन में नगर के प्रमुख मजदूर नेता रूस्तम सैटिन की महत्वपूर्ण भूमिका रही । बाद में इस स्वदेशी आन्दोलन में पिस्ता देवी अपने पुत्रियों सहित तथा चन्द्रमुखी तथा रूस्तम सैटिन आदि पुलिस द्वारा बन्दी बना लिये गये थे ।[1]

उधर झाँसी जिले के एक अन्य कस्बे एवं तहसील मऊरानीपुर में पं0 घासीराम व्यास के नेतृत्व में दूध-दही चौक के प्राँगण में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई । इसमें पं0 घासीराम व्यास, रामनाथ-त्रिवेदी, रामनाथ राव, छोटा पण्डा, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल एवं पन्नालाल अग्रवाल आदि ने भाग लिया । इन सब व्यक्तियों को लाल-बाजार में पुलिस द्वारा बन्दी बना लिया गया ।[2] झाँसी जिले के एक अन्य कस्बे चिरगाँव में भी गल्ला मण्डी के प्राँगण में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई ।

जिला हमीरपुर में स्वदेशी आन्दोलन के तहत कुलपहाड़, महोबा, राठ आदि कस्बों में विदेशी कपड़े की होली जलाई गई थी तथा गाँधी आश्रम खादी उत्पादन केन्द्र की स्थापना की गई । बाद में दीवान

1- व्यक्तिगत साक्षात्कार - पं0 दुर्गाप्रसाद व्यास.

2- राष्ट्र कवि घासीराम व्यास, रामचरण हयारण, पृष्ठ 20-21.

शत्रुघ्न सिंह, उनकी पत्नी राजेन्द्र कुमार तथा बालेन्दु अरजरिया आदि पुलिस द्वारा बन्दी बनाये गये ।[1]

खण्ड-द

जेल यात्रा तथा सरकारी दमन

गाँधी जी के आह्वान पर काँग्रेस पार्टी द्वारा चलाया गया अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन पूरे जोश एवं सफलता से समस्त भारत में चला जिससे ब्रिटिश सरकार अपंग बन कर रह गई । जुलूस, हड़तालें, प्रदर्शन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा वकीलों, शिक्षकों व अन्य सरकारी सेवाओं का जनता ने बहिष्कार किया । इन सब बातों से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने इस आन्दोलन को क्रूरता एवं शक्ति से दबाने की नाकाम कोशिश की, क्योंकि 1919 के प्रारम्भ में ही "रॉलेट एक्ट" कानून बना रखा था जिसके अन्तर्गत सरकार को बिना मुकदमा चलाये किसी भी व्यक्ति को बन्दी बनाने का अधिकार प्राप्त था ।[2] अत: सरकार का दमन चक्र आरम्भ हो गया । देशभर में गिरफ्तारियाँ आरम्भ हो गयीं । ठीक इसी समय 17 नवम्बर सन् 1921 ई0 में ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस आफ वेल्स भारत आये । जब उन्होंने भारत की भूमि पर कदम रखा तो उनका स्वागत भारतीय जनता ने हड़तालों और प्रदर्शनों से किया । अनेक स्थानों पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई । दमन चक्र चलता रहा और वर्ष के अन्त तक गाँधी जी को

1- अनासक्त मनस्वी, पृष्ठ-180.

2- हिस्ट्री आफ इण्डिया - भाग-2, पर्सीवल स्पीयर, पृष्ठ 120-121.

छोड़कर देश के सभी प्रमुख नेता बन्दी बना लिये गये । अली बन्धु, मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, सभी को जेलों में बन्द कर दिया गया । सन् 1922 ई0 के प्रारम्भ में लगभग 30,000 व्यक्ति जेलों में बन्द थे ।

इधर समस्त बुन्देलखण्ड में असहयोग आन्दोलन अपने पूरे वेग से चल रहा था । प्रदर्शन, हड़ताल, जुलूस आदि समस्त बुन्देलखण्ड में निकाले जा रहे थे । अदालतों, शिक्षण संस्थाओं तथा सरकारी सेवाओं का बहिष्कार जारी था । विदेशी कपड़ों एवं अन्य वस्तुओं की होली अनेक नगर, ग्रामों एवं कस्बों में जलाई जा रही थी । इन सबको दबाने के लिये सरकार ने गिरफ्तारियों एवं दमन चक्र चालू कर दिया । समस्त बुन्देलखण्ड में लगभग 1500 से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार किये गये तथा पुलिस ने अनेक स्थानों पर जुलूसों एवं प्रदर्शनों पर लाठी चार्ज किया । झाँसी नगर में बड़े बाजार में जुलूस को तितर-बितर करने के लिये लाठी चार्ज किया जिसमें अनेक व्यक्ति घायल हुए ।[1] विदेशी वस्तुओं की होली जलाते हुए मोतीलाल नेहरू लाइब्रेरी के सामने अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बन्दी बनाया गया जिनमें अनेक महिलाएँ भी थीं ।[2] मऊरानीपुर (झाँसी) में लाल बाजार में एक जुलूस पर लाठी चार्ज किया गया तथा अनेक लोगों को बन्दी बनाया गया । इसी प्रकार झाँसी जनपद में चिरगाँव, मोंठ, ललितपुर आदि अनेक स्थानों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जुलूस निकाला एवं अपनी गिरफ्तारी दी ।[3]

1- झाँसी गजेटियर 1965, जोशी ई0 बी0, पृष्ठ-72.
2- मोतीलाल नेहरू लाइब्रेरी को उस समय पब्लिक लाइब्रेरी कहते थे ।
3- घासीराम व्यास, मित्र स्मारण, पृष्ठ 20-21.

खण्ड-घ

आन्दोलन समाप्ति के परिणाम
व जनता की प्रतिक्रिया.

असहयोग आन्दोलन बहुत सफल हुआ । विधान मण्डलों के चुनावों में लगभग दो-तिहाई मतदाताओं ने मतदान नहीं किया । शिक्षा संस्थाओं में न विद्यार्थी पहुँचे न अध्यापक । जामिया मिलिया और काशी विद्यापीठ जैसी राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाएँ स्थापित हुयीं । अनेक भारतीयों ने सरकारी नौकरियाँ छोड़ दीं । विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया । देशभर में हड़तालें हुयीं । जिस समय असहयोग आन्दोलन पूरे वेग पर था और सरकार का दमन चक्र भी पूरे वेग से चल रहा था उसी समय 1921 ई० में काँग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ ।[1] हकीम अजमल खान के नेतृत्व में काँग्रेस ने अपना आन्दोलन उस समय तक चालू रखने का निश्चय किया, जब तक पंजाब और खिलाफत की शिकायतें दूर न हों और स्वराज्य की प्राप्ति न हो । इस समय जनता की भावना का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इस अधिवेशन में बहुत से व्यक्ति केवल स्वराज्य की माँग से सन्तुष्ट न थे, क्योंकि इसका अर्थ उस समय पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं समझा जाता था । एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता और उर्दू के प्रसिद्ध कवि मौलाना हसरत मोहानी ने सुझाव रखा कि स्वराज्य की परिभाषा इस प्रकार की जाए कि इस शब्द का अर्थ -"हर प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त व पूर्ण स्वतन्त्रता समझा जाए ।"[2] इस प्रस्ताव को

1- काँग्रेस का इतिहास, पट्टाभि सीता रमैया, भाग-2.

2- भारतीय राजनीति, रामगोपाल, पृष्ठ-296.

स्वीकार नहीं किया गया, किन्तु इससे यह बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता इस समय अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति पूर्णतया जागरूक हो चुकी थी ।

फरवरी, 1922 ई० में गाँधी जी ने गुजरात के बारदोली जिले में कर, न देने का आन्दोलन प्रारम्भ करने का निश्चय किया, किन्तु उत्तर प्रदेश में चौरी-चौरा नामक स्थान पर जनता ने कुछ हिंसात्मक कार्य किये । उन्होंने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे बाईस सिपाही मारे गये । जब यह समाचार गाँधी जी के पास पहुँचा तो उन्होंने सारे आन्दोलन को स्थगित करने का निश्चय किया । 12 फरवरी, 1922 को काँग्रेस की कार्यकारिणी ने इस निश्चय की स्वीकृति दी । समिति ने चरखा प्रचार, हिन्दू-मुस्लिम एकता और अछूतोद्धार के कार्यक्रमों पर अपनी पूरी शक्ति लगाने का निश्चय किया ।[1]

जब काँग्रेस के उन नेताओं को, जो उस समय जेलों में थे, यह पता लगा कि आन्दोलन स्थगित कर दिया गया है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ । गाँधी जी को भी बन्दी बना लिया गया और उन्हें छः वर्ष के कारावास की सजा दी गई, किन्तु उन्हें दो वर्ष के पूर्व ही छोड़ दिया गया । उन्होंने चरखा प्रचार, अछूतोद्धार और राष्ट्रीय शिक्षा का अपना राष्ट्रीय रचनात्मक कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया । इस कार्यक्रम से काँग्रेस को बल मिला ।[2]

काँग्रेस के एक वर्ग ने मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के नेतृत्व में "स्वराज्य पार्टी" बनाई । स्वराज्य पार्टी ने विभिन्न सभाओं

1- काँग्रेस का इतिहास, पट्टाभि सीता रमैया, भाग-3.

2- वहीं.

के चुनाव में भाग लेने का निश्चय किया । कॉंग्रेसियों ने इस चुनाव का बहिष्कार किया था । स्वराज्य पार्टी के सदस्यों का चुनाव में भाग लेने का उद्देश्य यह था कि जब तक जनता की मॉंगें पूरी न होंगी, वे विधान सभाओं को कार्य न करने देंगे । उनके हर काम में बाधाएँ उत्पन्न करेंगे ।[1] बुन्देलखण्ड में इस आन्दोलन का व्यापक असर हुआ । जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा तथा स्वराज्य की प्राप्ति की भावना जागृत हुई । झाँसी नगर में कुछ नागरिकों के अनुसार समस्त बुन्देलखण्ड में विदेशी वस्तुओं के प्रति नफरत तथा स्वदेशी वस्तुओं के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ । खादी, चरखा आदि का व्यापक प्रचार हुआ । हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित हुई । कॉंग्रेस पार्टी की प्रत्येक नगर, कस्बे,गाँव में शाखाएँ स्थापित हुयीं । झाँसी में सरस्वती पाठशाला तथा रात में गाँधी राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई । एक प्रकार समस्त बुन्देलखण्ड स्वतन्त्रता के प्रति जागृत हो गया । स्वयं - सेवकों की भर्ती आरम्भ की गई । झाँसी नगर तथा बुन्देलखण्ड के अन्य स्थानों पर स्वराज्य दल की स्थापना हुई । जनता में स्वराज्य के प्रति भावना जागृत हो गई । इन सब के परिणाम स्वरूप आगे चल कर 15 अगस्त, 1947 ई० को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई ।[2] सन् 1920-21 ई० के असहयोग आन्दोलन में झाँसी मण्डल (कमिश्नरी) के सत्याग्रही की सूची,जो कि असहयोग आन्दोलन में बन्दी बनाये गये थे,[3] निम्न प्रकार है:-

---

1- भारतीय राजनीति, रामगोपाल, पृष्ठ- 297.

2- व्यक्तिगत साक्षात्कार, पं०दुर्गाप्रसाद व्यास,बालकृष्ण मिश्र,फजल-अहमद, कृष्ण चन्द्र शर्मा, वियोगी मुंशी आदि ।

3- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक, भाग-1 से (झाँसी मण्डल),(सूचना-विभाग का प्रकाशन, 1963 ई०).

जिला - जालौन

क्रमांक	नाम	निवास स्थान
1-	श्री गौरी शंकर	कोंच, जिला जालौन
2-	श्री चतुर्भुज शर्मा	उरई, जिला जालौन
3-	श्री चित्तर सिंह निरंजन	कोंच, जिला जालौन
4-	श्री तखत सिंह	मुसमरिया, जिला जालौन
5-	श्री धनराज पालीवाल	पिंडारी, जिला जालौन
6-	श्री बद्रीप्रसाद पुरवार	जिला जालौन (नगर)
7-	श्री रामनारायण अग्रवाल	कोंच, जिला जालौन
8-	श्री शेर खान	पिंडारी, जिला जालौन

जिला - झाँसी

क्रमांक	नाम	निवास स्थान
1-	का० अयोध्या प्रसाद	मऊरानीपुर (झाँसी)
2-	श्री आत्मा गोविन्द खेर	गुरसराय (झाँसी)
3-	श्री अहमद खान पहलवान	ललितपुर (झाँसी)
4-	श्री कालकाप्रसाद अग्रवाल	जिला एवं नगर झाँसी
5-	श्री कुंजबिहारी लाल शिवानी	जिला एवं नगर झाँसी
6-	श्री कृष्ण गोपाल शर्मा	जिला एवं नगर झाँसी
7-	श्री कृष्ण चन्द्र पंगोरिया	जिला झाँसी
8-	श्री गुलई तिवारी	जिला एवं नगर झाँसी
9-	श्री जलील अहमद	पुरानी कोतवाली-झाँसी
10-	श्री नारायण सिंह	झाँसी शहर
11-	श्रीमती पिस्तादेवी गोयल	झाँसी शहर
12-	श्री मुहम्मद शेर खान	झाँसी शहर

क्रमांक	नाम	निवास स्थान
13-	श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर	झाँसी शहर
14-	श्री रामगोपाल शास्त्री	झाँसी शहर
15-	श्री रामचरण कंचन	झाँसी शहर
16-	श्री रामप्रसाद आर्य	मऊरानीपुर [झाँसी]
17-	श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा	सीपरी बाजार, झाँसी
18-	श्रीमती लक्ष्मण कुमारी शर्मा	सीपरी बाजार, झाँसी
19-	श्री लक्ष्मण राव कदम	जिला झाँसी, ग्राम-वेहटा

जिला - बाँदा

1-	श्री अनुसुईया प्रसाद गुप्ता	बबेरू, जिला-बाँदा
2-	श्री गज्जू खाँ	बबेरू, जिला-बाँदा
3-	बाबा जीवन दास	गौराही, बाँदा
4-	श्री जुगल किशोर सिंह	जिला बाँदा [नगर]
5-	ठाकुर श्री दिलीप सिंह	जिला बाँदा [नगर]
6-	श्री नारायण प्रसाद	जिला बाँदा [नगर]
7-	श्री मिथला शरण	जिला बाँदा [नगर]
8-	श्री रामदेव पिछौरिया	अतर्रा [बाँदा]
9-	श्री लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री	बाँदा [नगर]
10-	श्री हारून रशीद	मो० मोचियाना [बाँदा]
11-	श्री मथुराज खान	छिप्तहनी [बाँदा]

क्रमांक	नाम	निवास स्थान

जिला- हमीरपुर

क्रमांक	नाम	निवास स्थान
1-	श्री गरीब दास	राठ, (हमीरपुर)
2-	श्री बेनीप्रसाद अग्रवाल	जिला-हमीरपुर
3-	श्री भगवानदास अरजरिया-बालेन्दु.	कुलपहाड़ (हमीरपुर)
4-	श्री भागीरथ मगरौठ	मगरौठ (हमीरपुर)
5-	श्री मोहम्मद अहिया	चरखारी (हमीरपुर)
6-	श्री मूलचन्द्र शर्मा	राठ (हमीरपुर)
7-	श्रीमती राजेन्द्र कुमारी- (रानी)	मगरौठ (हमीरपुर)
8-	श्री लक्ष्मण राव	महोबा (हमीरपुर)
9-	श्रीमती किशोर देवी अरजरिया-	कुलपहाड़ (हमीरपुर)
10-	दीवान श्री शत्रुघ्न सिंह	मगरौठ (हमीरपुर)
11-	श्री रज्जाक	हमीरपुर.[1]

----- :0: -----

1- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश.

अध्याय - 4

बुन्देलखण्ड में स्वतन्त्रता आन्दोलन (1920-1930 ई0)

1921 ई0 के उत्तरार्द्ध में जब सरकार ने देखा कि देश के सामूहिक जागरण का स्वर दिन-ब-दिन तीव्र और प्रबल होता जा रहा है, तब सरकार ने ऊपर से दिखाऊ शान्ति का जो चोला पहिन रखा था, उसे भी उतार कर फैंक दिया और घोर दमन तथा उत्पीड़न पर उतर आयी ।

इधर गाँधी जी पंजाब, पश्चिमी भारत तथा मद्रास का दौरा करते रहे । सितम्बर में अली बन्धु गिरफ्तार कर लिये गये । 17 नवम्बर, 1921 में ब्रिटेन के राजकुमार के भारत आगमन पर उनके स्वागत का बहिष्कार किया गया । बम्बई में उनके आने पर दंगे-फसाद शुरू हो गये । गान्धी जी ने इन दंगों की गहरी निन्दा की, प्रायश्चित स्वरूप उपवास किया । युवराज के आगमन के बहिष्कार से सरकार और चिढ़ गई । सार्वजनिक विरोध को दबाने के लिये सरकार ने कड़ी कार्यवाई की । इलाहाबाद के जिलाधीश ने तो 25 नवम्बर, 1921 को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम सविनय अवज्ञा-सम्बन्धी सभाएं न करने का आदेश तक जारी कर दिया । दिसम्बर में लाला लाजपत राय, के0सन्तराम, मोतीलाल नेहरू, जवाहर लाल नेहरू, चितरंजन दास की गिरफ्तारी हुई । इलाहाबाद "इनडिपेंडेन्ट" के सम्पादक जार्ज जोसेफ को 18 मास की सजा दी गई । गाँधी जी के पुत्र हरिलाल को बन्दी बना लिया गया । बाबू भगवान दास, श्री स्टोक्स, जयराम दास, दौलत राम, श्याम सुन्दर चक्रवर्ती

इत्यादि देश के अनेक गणमान्य नेता गिरफ्तार करके जेल भेज दिये गये ।[1]

1922 ई० की जनवरी के अन्त में बारडोली तालुकासम्मेलन में बारडोली सत्याग्रह का निश्चय किया गया । इस समय ऐसा तीव्र दमन की प्रतिक्रिया सरकार ने अपना रक्खी थी कि इसके आवेश में जनता का एक भाग यह भूल गया कि इस आन्दोलन में अहिंसा एक केन्द्रीय सिद्धान्त है और घोर उत्तेजन की स्थिति में भी उससे हटना नहीं है, परन्तु संयुक्त प्रान्त में सरकार का दमन पाशविक सीमातक पहुँच गया था । गोरखपुर जिले के चौरा-चौरा स्थान पर पुलिस की ज्यादतियों से उत्तेजित होकर एक क्रुद्ध भीड़ ने 4 फरवरी, 1922 को पुलिस थाना घेर लिया और उसमें आग लगा दी । इस काण्ड में 21 सिपाही तथा चौकीदार मारे गये । इस घटना से गाँधी जी को मार्मिक क्लेश हुआ और उन्होंने इसे ईश्वर की ओर से चेतावनी समझा । 12 फरवरी, 1922 ई० को उन्होंने इस काण्ड के प्रायश्चित स्वरूप 5 दिन का उपवास आरम्भ कर दिया और उनके आग्रह पर काँग्रेस कार्य-समिति ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव पास किया जो 25 फरवरी को काँग्रेस कमेटी की बैठक में मंजूर कर लिया गया ।[2] सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित हो जाने पर ब्रिटिश सरकार ने भी दमन नीति में ढिलाई करने की घोषणा की, परन्तु प्रान्तों में किसी न किसी बहाने से बराबर दमन होता रहा । अब सरकार ने आन्दोलन के सूत्रधार गाँधीजी को ही 10 मार्च

1- उत्तर प्रदेश में गाँधी जी, पृष्ठ-101, श्री रामनाथ सुमन.

2- ,, पृष्ठ-102, ,, .

को बन्दी बना लिया । 18 मार्च, 1922 ई० को उन्हें 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई । दमन की प्रतिक्रिया यह हुई कि 11 नवम्बर, 1922 ई० को भारतीय कॉंग्रेस कमेटी ने अपनी कलकत्ता की बैठक में सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव पास कर दिया ।[1]

गाँधी जी यरवदा जेल में रखे गये थे । 21 अप्रैल, 1923 ई० को वह अस्वस्थ हो गये । बाद में 12 जनवरी, 1924 ई० में कर्नल मैडूक द्वारा गाँधी जी का ससून अस्पताल में अपेण्डिक्स का ऑपरेशन किया गया । अन्त में 4 अप्रैल, 1924 ई० को ब्रिटिश सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया, परन्तु वह अस्पताल में ही रहे । इस प्रकार 1924 ई० में उनके सक्रिय नेतृत्व के अभाव में आन्दोलन शिथिल पड़ गया । हिन्दू-मुसलमानों के वे सम्बन्ध नहीं रह गये, जो 1920-21 ई० में असहयोग आन्दोलन के समय थे । कॉंग्रेस में भी मतभेद के चिन्ह उभरने लगे जिसके फलस्वरूप आगे चलकर परिवर्तन और अपरिवर्तन नामक दो दल हो गये।[2] गाँधी जी ने मोतीलाल नेहरू के स्वराज्य दल को एक प्रकार से कॉंग्रेस की बागडोर सौंप दी और अपने अनुयायियों से रचनात्मक सेवा कार्य में लग जाने के लिए कहा, परन्तु देश की स्थिति बिगड़ती गई, हिन्दू मुसलमानों के सम्बन्धों में बराबर तनाव बढ़ता गया और दंगे हुए ।[3] 17 सितम्बर, 1924 ई० को गाँधी जी ने मुहम्मद अली के घर पर दिल्ली में प्रायश्चित और प्रार्थना के लिये 21 दिन का उपवास रक्खा । अच्छा होने पर वह बराबर हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न को सुलझाने का प्रयत्न

1- उत्तर प्रदेश में गाँधीजी - श्रीरामनाथ सुमन, पृष्ठ-102

2- वहीं   पृष्ठ- 103

3- वहीं

करते रहे, परन्तु वह उलझता ही गया ।[1] 1925 ई० के उत्तरार्द्ध में गाँधी जी ने देशव्यापी दौरों की शुरुआत की । 26 दिसम्बर को कानपुर के प्रसिद्ध मासिक "जमाना" को सन्देश देते हुए गाँधीजी ने कहा--"आप चाहे उदारवादी हों या राष्ट्रवादी, हिन्दू हों या मुसलमान, पूरब के रहने वाले हों या पश्चिम के, परन्तु यदि आप भारत की उस जनता के साथ अपना भाईचारा मानते हों, जिनके साथ आपका भाग्य जुड़ा है या जिनके बीच आप पैदा हुए, तो आप केवल हाथ की कती और हाथ की बुनी खादी के वस्त्र का ही उपयोग करें, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं ।"[2]

1920 से 1930 में बुन्देलखण्ड

बुन्देलखण्ड में स्वतन्त्रता आन्दोलन के 1920 से 1930 ई० तक दस साल अत्यन्त महत्वपूर्ण रहे थे । 1920 ई० में महात्मा गाँधी जी ने झाँसी नगर का दौरा किया । उनके आने से समस्त बुन्देलखण्ड में एक नई राजनैतिक चेतना की लहर दौड़ गयी थी । इन्हीं दस वर्षों में झाँसी, उरई, हमीरपुर जिलों में काँग्रेस की स्थापना हुई । अनेक नगर, कस्बों एवं गाँवों में काँग्रेस कमेटी कार्यालय बनाये गये । गाँधीजी झाँसी नगर के अतिरिक्त मऊरानीपुर [नवम्बर 1929 ई०][3] एवं कुलपहाड़ [नवम्बर 1929 ई०][4] में भी आये थे । महात्मा गाँधीके

1- उत्तर प्रदेश में गाँधी जी - रामनाथ सुमन, पृष्ठ-103.

2- तदैव पृष्ठ-117.

3- झाँसी गजेटियर 1965 ई०, ई० बी० जोशी, पृष्ठ-72.

4- अनासक्त मनस्वी, पृष्ठ-57.

अतिरिक्त कॉंग्रेस पार्टी के अन्य राष्ट्रीय नेता भी बुन्देलखण्ड आये थे । इनमें खिलाफत मूवमेंट के अली बन्धु (मौलाना शौकत अली, लियाकत अली) 1924 ई0 में[1] पं0 जवाहर लाल नेहरू 1922, 1928 एवं 1929 ई0 में ।[2] 1924 ई0 में खान अब्दुल गफ्फार खान (सीमान्त गांधी),[3] पं0 मदनमोहन मालवीय एवं पुरुषोत्तम दास टण्डन[4] आदि थे ।

इन सब राष्ट्रीय नेताओं ने बुन्देलखण्ड की जनता में स्वराज्य के प्रति एवं कॉंग्रेस के भावी कार्यक्रमों के प्रति ध्यान आकर्षित किया जिससे समस्त बुन्देलखण्ड में राष्ट्रीय आन्दोलन प्रबल वेग से चल निकला। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, प्रदर्शन, खादी एवं चरखे का प्रचार हुआ । असहयोग आन्दोलन के बाद अनेक गिरफ्तारियाँ हुयीं । इन सब घटनाओं से ब्रिटिश सरकार का ध्यान बुन्देलखण्ड की ओर आकर्षित हुआ ।

गाँधी जी का बुन्देलखण्ड में आगमन

1920-21 ई0 के तूफानी दिन, ऐसे लगता था, मानो सदियों से सोया हुआ राष्ट्र एकाएक जाग उठा था । गाँधी जी समस्त देश में त्याग, बलिदान और अहिंसात्मक असहयोग का प्रचार करते घूम रहे थे ।

1- झाँसी गजेटियर 1965 ई0, ई.बी. जोशी, पृष्ठ 72-73.

2- तदैव.

3- तदैव.

4- तदैव.

अक्टूबर 1920 ई0 में गाँधी जी ने संयुक्त प्रान्त के मुरादाबाद, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ और बरेली आदि नगरों का दौरा किया। नवम्बर, 1920 ई0 में वह पुनः संयुक्त प्रान्त में आये ।[1]

झाँसी में :-

संयुक्त प्रान्त में असहयोग और खिलाफत के प्रश्न का प्रचार करते हुए 20 नवम्बर, 1920 ई0 को गाँधी जी झाँसी आये । इस अवसर पर झाँसी नगर के मध्य में स्थित "हार्डगंज"[2] जहाँ पर गाँधी जी का भाषण होना था, उनके स्वागत के लिये बहुत सुन्दर रूप से सजाया गया था । गाँधी जी के साथ मौलाना शौकत अली भी आये थे ।[3] गाँधी जी को झाँसी के राष्ट्रीय आन्दोलन के सूत्रपात के मुख्य केन्द्र-बिन्दु सरस्वती पाठशाला में ठहराया गया था । गाँधी जी ने सरस्वती पाठशाला को राष्ट्रीय विद्यालय घोषित करने के लिये श्री गोरहार एवं धुलेकर जी से कहा था । गाँधी जी की इस प्रेरणा के प्रभाव से श्री धुलेकर एवं गोरहार ने सरस्वती पाठशाला को राष्ट्रीय विद्यालय घोषित कर दिया था । बाद में इस घोषणा का प्रभाव यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने विद्यालय का आठ हजार पाँचसौ रुपये की अनुदान-राशि बन्द कर दी ।[4] बाद में गाँधी जी ने 20 नवम्बर, 1920 ई0 को सायंकाल हार्डगंज में एक विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए सर्वप्रथम आयोजकों द्वारा सभा के कार्य-स्थल की रोशनी और सजावट की आलोचना करते हुए इसे फिजूल खर्ची बताया । सभा को सम्बोधित

1- उत्तर प्रदेश में गाँधी जी - श्री रामनाथ सुमन, पृष्ठ-73.

2- यह वर्तमान में सुभाषगंज के नाम से पुकारा जाता है ।

3- उत्तर प्रदेश में गाँधी जी - श्री रामनाथ सुमन, पृष्ठ-74.

4- सरस्वती पाठशाला हीरक जयन्ती विशेषांक 1991-92, पृष्ठ-6एवं 15.

करते हुए उन्होंने कहा --"जब तक खिलाफत का सवाल हल नहीं होता, पंजाब में किये गये अत्याचारों का इन्साफ नहीं किया जाता, और स्वराज्य नहीं हो जाता, तब तक किसी भारतीय को किसी भी तरह की खुशियों में शामिल नहीं होना चाहिये । हमारा उद्देश्य केवल हिन्दू-मुस्लिम एकता और हिंसा रहित असहयोग है । इसके बाद उन्होंने असहयोग-कार्यक्रम के विविध कार्यक्रमों पर अमल करने के लिए बल दिया और कहा -किसी को भी सेना में भरती नहीं होना चाहिए । अन्त में उन्होंने सरस्वती पाठशाला के लिये चन्दे की अपील की ।[1] सभा को मौलाना शौकत अली ने भी सम्बोधित किया था ।[2] गान्धी जी के बुन्देलखण्ड में आगमन से बुन्देलखण्ड के लोगों में एक नई चेतना की लहर दौड़ गयी । प्रत्येक नगर, कस्बों एवं गाँव में गाँधी जी एवं स्वराज्य का जयघोष होने लगा । गाँव-गाँव में खादी का प्रचार एवं चरखे की कक्षाएँ प्रारम्भ हो गयी । काँग्रेस कमेटियाँ बनाई गयीं तथा स्वराज्य प्राप्त करने के लिये गाँधी जी द्वारा बताये हुए मार्ग पर चलने का प्रण लिया गया । झाँसी जिले के जिन नगरों एवं कस्बों पर यह आन्दोलन का प्रभाव पड़ा उनमें मऊरानीपुर, बरुआसागर, चिरगाँव, गुरसराय, ललितपुर, तालबेहट एवं महरौनी प्रमुख हैं ।

मऊरानीपुर में गाँधी जी

नवम्बर, 1929 ई0 में गाँधी जी झाँसी जिले के मऊरानीपुर तहसील में आये थे । मऊरानीपुर नगर के लाल बाजार में सभा को

1- उत्तर प्रदेश में गाँधीजी -श्री रामनाथ सुमन, पृष्ठ-74.

2- जिला झाँसी गजेटियर 1965 ई0, ई. बी. जोशी, पृष्ठ-72.

सम्बोधित किया था । भाषण में उन्होंने स्वराज्य एवं स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आग्रह किया था ।[1]

हमीरपुर जिले में गाँधी जी

सन् 1928 ई० में काँग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हमीरपुर जिले से हमीरपुर जिले के कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एवं दीवान शत्रुघ्न सिंह जिला प्रतिनिधि बनकर इस अधिवेशन मेंशामिल हुए थे । तभी दीवान जी के साथ गये हमीरपुर जिला काँग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पण्डित भगवान दास बालेन्दु ने गान्धी जी को हमीरपुर जिले में आने के लिए आमंत्रित कर दिया था । फलस्वरूप महात्मा गान्धी जी सन् 1929 ई० में हमीरपुर जिले में आये थे । वह राठ,महोबा एवं कुलपहाड़ गये थे । रात्रि-विश्राम उन्होंने कुलपहाड़ में किया था । दूसरे दिन जनतन्त्र विद्यालय कुलपहाड़ में उन्होंने एक सार्वजनिक सभा को सम्बोधित किया था । सभा में उनको 1500/= रु० की थैली भेंट की गयी थी । दोपहर को वह रेलगाड़ी द्वारा मऊरानीपुर के लिए रवाना हो गये थे । कुलपहाड़ के रेलवे स्टेशन मार्ग पर ईसाई मिशन कुलपहाड़ के सदस्यों द्वारा उनका स्वागत किया गया था एवं 101/=रु० की थैली मिशन की ओर से भेंट की गई थी ।[2]

1- राष्ट्रकवि घासीराम व्यास -श्री रामचरण ह्यारण, पृष्ठ-29.

2- अनासक्त मनस्वी, पृष्ठ 57-58.

खण्ड-अ

बुन्देलखण्ड में कॉंग्रेस की स्थापना

18 दिसम्बर, 1885 ई० को अवकाश प्राप्त एक ब्रिटिश अधिकारी एलन ओक्टेवियन ह्यूम ने कॉंग्रेस की स्थापना की थी । इसका मुख्य ध्येय यह था कि तत्कालीन भारतीय समाज में एक बड़ा वेग जो शिक्षित होकर उभरा था, उसके अन्दर अथवा उस शिक्षित वेग में किसी प्रकार की राजनैतिक चेतना का प्रभाव हो, यह जानने के लिये तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड डफरिन [1884-88 ई०] ने कॉंग्रेस की स्थापना कराई थी एवं इसकी स्थापना का अप्रत्यक्ष रीति से समर्थन भी किया था । इसका पहला अधिवेशन बम्बई में बैरिस्टर उमेशचन्द्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था ।[1]

कॉंग्रेस स्थापना के प्रारम्भिक दस साल तक यह ब्रिटिश सरकार के रूप में कार्य करती रही तथा इस पर ब्रिटिश साम्राज्य की कृपा-दृष्टि रहती रही, परन्तु धीरेधीरे इसमें अनेक राष्ट्रवादी नेता एवं उच्च कोटि के विद्वानों का प्रवेश आरम्भ हुआ तथा ब्रिटिश सरकार के अनेक गलत कार्य जैसे - बंगाल विभाजन, मार्ले मिन्टो सुधार, आदि से यह दल ब्रिटिश सरकार की आलोचना का मुख्य केन्द्र बन गया । प्रथम विश्व युद्ध के बाद तथा महात्मा गाँधी का राजनीति में प्रवेश से इसका रूप ही बदल गया । अत: 1920ई0 के नागपुर - अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस ने अपना ध्येय खुलकर उजागर कर

1- भारतीय इतिहास कोश - श्री सच्चिदानन्द भट्टाचार्य, पृ0-330.

दिया । वह ध्येय था -सभी उचित तथा शांतिपूर्ण उपायों से पूर्ण - स्वराज्य की प्राप्ति था ।[1]

झाँसी में काँग्रेस की स्थापना

बुन्देलखण्ड में सर्वप्रथम काँग्रेस की स्थापना झाँसी नगर में हुई थी । प्रथम विश्व युद्ध के बाद झाँसी नगर में कुछ राष्ट्रवादी विचार-धारा के लोगों का एक समूह एकत्रित होने लगा था इसका मुख्य केन्द्र सरस्वती पाठशाला एवं मास्टर रुद्रनारायण का टकसाल मोहल्ले स्थित घर था ।[2] झाँसी नगर में सर्वप्रथम जिन राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है उनके नाम हैं - हरनारायण गोरहार, मास्टर रुद्रनारायण,रघुनाथ विनायक धुलेकर, आत्माराम गोविन्द खेर, लक्ष्मण राव कदम एवं अयोध्या प्रसाद आदि प्रमुख हैं ।[3] 1916 ई०में ही झाँसी में "संयुक्त प्रान्त राजनैतिक कॉन्फ्रेंस" का आयोजन उस भू-भाग पर हुआ था जहाँ पर वर्तमान में सरस्वती पाठशाला इण्टरमीडियट कालिज है । इस कॉन्फ्रेंस के प्रमुख आयोजक भी हरनारायण गोरहार ही थे । इस कॉन्फ्रेंस के स्वागत अध्यक्ष सी०वाई० चिन्तामणि थे । 1916 ई०में इस स्थान पर काँग्रेस कमेटी की स्थापना की गई थी ।[4] बाद में काँग्रेस कमेटी कार्यालय मानिक चौक स्थित तिराहे पर बनाया गया था ।[5] 1916 ई० के काँग्रेस अधिवेशन,जो कि लखनऊ में हुआ थाउसमें

1- भारतीय इतिहास कोष -श्री सच्चिदानन्द भट्टाचार्य,पृ० 331-332.
2- यश की धरोहर - श्री भगवानदास माहौर,पृ०- 59.
3- पं०दुर्गाप्रसाद व्यास के अनुसार ।साक्षात्कार। .
4- सरस्वती पाठशाला हीरक जयन्ती अंक -श्री गोरहारके जीवन्यसे, रमेश चन्द्र,पृ०-5.
5- पं० बालकृष्ण मिश्र के अनुसार ।साक्षात्कार। .

बुन्देलखण्ड से सी0 वाई0 चिन्तामणि प्रतिनिधि बन कर गये थे ।[1]

उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा झाँसी नगर में "होम रूल" आन्दोलन भी चलाया गया था एवं झाँसी में "होम रूल"लीग" की स्थापना की गई थी । 1920 में गाँधी जी ने झाँसी नगर स्थित काँग्रेस कमेटी कार्यालय का विधिवत् उद्‌घाटन किया था ।[2]

मऊरानीपुर में काँग्रेस की स्थापना

1920-21 ई0 में मऊरानीपुर जिला-झाँसी में प्रमुख राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्तियों, जिनमें घासीराम व्यास, रामनाथ - त्रिवेदी, रामनाथ राव, छोटा पण्डा, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल एवं पन्नालाल अग्रवाल आदि थे, ने भी अलियापुरा में काँग्रेस कमेटी कार्यालय की स्थापना की थी । इसी कार्यालय से मऊरानीपुर में विभिन्न भावी कार्यक्रमों एवं आन्दोलन की योजना बनाई जाती थी ।[3]

हमीरपुर जिले में काँग्रेस की स्थापना

हमीरपुर जिले में सर्वप्रथम काँग्रेस की स्थापना जिले के प्रमुख कस्बे कुलपहाड़ में हुई तदोपरान्त गैरोली (मौदहा), महोबा, राठ, आदि तहसीलों में भी काँग्रेस कमेटी कार्यालय खोले गये, परन्तु राजनैतिक गतिविधियों का मुख्य केन्द्र कुलपहाड़ ही रहा । इस जिले के

1- जिला झाँसी गजेटियर 1965, ई0बी0जोशी.

2- तदैव.

3- राष्ट्रकवि घासीराम व्यास - श्रीरामचरण स्यारण, पृ0- 20, 42.

सर्वप्रथम कॉंग्रेस दल के सदस्य के रूप में मूलचन्द्र टेलर मास्टर का नाम आता है । बाद में मंगरौठ [राज] के दीवान शत्रुघ्न सिंह तथा कुलपहाड़ के भगवानदास बालेन्दु आदि ने मिलकर कुलपहाड़ में कॉंग्रेस की स्थापना की ।[1] 1921 ई0 में यहाँ पर ही समस्त बुन्देलखण्ड में प्रथम खादी भण्डार की स्थापना की गई थी । आज भी देशभर से सबसे उत्तम खादी इस क्षेत्र में बनती है । कुलपहाड़ जैसे छोटे कस्बे में देश के अनेक बड़े-बड़े नेता आये उनमें गाँधी जी, नेहरू जी, लाल - बहादुर शास्त्री, आचार्य कृपलानी, बादशाह खान आदि प्रमुख हैं ।[2]

खण्ड-ब

यहाँ के प्रतिनिधियों का कॉंग्रेस अधिवेशन में भाग लेना

बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक तक लगभग बुन्देलखण्ड के अधिकांश नगर एवं कस्बों में कॉंग्रेस की स्थापना हो चुकी थी तथा इस क्षेत्र की अधिकांश जनता गाँधी जी, कॉंग्रेस एवं स्वराज्य के नाम से परिचित हो चुकी थी । खादी का प्रचार तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी प्रारम्भ हो चुका था तथा यहाँ प्रतिनिधियों ने कॉंग्रेस के अधिवेशनों में भाग लेना भी आरम्भ कर दिया था । सर्वप्रथम सन् 1916 का कॉंग्रेस का अधिवेशन जो कि लखनऊ में हुआ था एवं इसकी अध्यक्षता अम्बिका चरण मजूमदार ने की थी ।[3] इस अधिवेशन में झाँसी

1- अनासक्त मनस्वी, पृष्ठ 11, 26.

2- वही, पृष्ठ 63.

3- भारतीय इतिहास कोश - श्रीसच्चिदानन्द भट्टाचार्य, पृष्ठ-334.

नगर एवं जिले से सी0बार0 चिन्तामणि प्रतिनिधि बन कर गये थे ।[1] 1920 ई0 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी;[2] में झाँसी नगर से श्यामा चरण घोष प्रतिनिधि बनकर गये थे ।[3] इन दोनों अधिवेशनों में अर्थात् 1916 ई0 एवं 1920ई0 के काँग्रेस अधिवेशनों में यह बुन्देलखण्ड की ओर से पहला प्रतिनिधित्व था ।

1925 ई0 के काँग्रेस का अधिवेशन जो कि कानपुर में श्रीमती सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में हुआ था[4] इसमें बुन्देलखण्ड की ओर से झाँसी जनपद के अतिरिक्त हमीरपुर जिले के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे । इस अधिवेशन में झाँसी जनपद से रघुनाथ विनायक धुलेकर[5] एवं हमीरपुर से भगवान दास अरजरिया बालेन्दु प्रतिनिधि बनकर शामिल हुए थे ।[6]

1928 ई0 के कलकत्ता अधिवेशन में झाँसी की ओर से मणिराम कंचन एवं हमीरपुर जनपद से दीवान शत्रुघ्न सिंह[7] प्रतिनिधि बन कर शामिल हुए थे । इस अधिवेशन की अध्यक्षता पं0 मोतीलाल नेहरू ने की थी ।[8]

1- जिला झाँसी गजेटियर 1965 ई0- ई.बी. जोशी, पृष्ठ-72.
2- भारतीय इतिहास कोष - भट्टाचार्य, पृष्ठ- 334.
3- पं0 दुर्गादास व्यास -[साक्षात्कार].
4- भारतीय इतिहास कोष -भट्टाचार्य, पृष्ठ- 334.
5- पं0 दुर्गा दास व्यास - [साक्षात्कार] .
6- अनासक्त मनस्वी, पृष्ठ-4.
7- तदैव. पृष्ठ-57-58.
8- भारतीय इतिहास कोष, पृष्ठ- 334.

1929 ई0 के लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने की थी ।[1] इस अधिवेशन में हमीरपुर जिले से एक पूर्ण "डेलीगेशन" गया था । यह डेलीगेशन बस द्वारा गया था, इसमें भगवान दास बालेन्दु, दीवान शत्रुघ्न सिंह, महोबा के मिथिला-शरण आदि के अतिरिक्त कुलपहाड़ में फरारी स्थिति में रहे क्रान्तिकारी चन्द्र शेखर आजाद एवं योगेन्द्र सिंह भी इस डेलीगेशन में वेश बदल कर लाहौर तक गये थे ।[2]

खण्ड - स

सार्इमन कमीशन के प्रति जनता की प्रतिक्रिया

ब्रिटिश सरकार के सन् 1919 ई0 के एक्ट के अनुसार दस वर्ष पश्चात् फिर संवैधानिक परिवर्तनों पर विचार होना आवश्यक था । इसलिए नवम्बर सन् 1927 ई0 में ब्रिटिश सरकार ने सन् 1919 ई0 के एक्ट के अन्तर्गत किये गये सुधारों की सफलता पर प्रतिवेदन देने और नये अभीष्ट परिवर्तनों का सुझाव देने के लिये "सार्इमन कमीशन" की नियुक्ति की ।[3] इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे । एक भी भारतीय प्रतिनिधि इसका सदस्य नहीं था । इस आयोग से जिन बातों पर विचार करने के लिये कहा गया था, उनसे भारतीय जनता को जरा भी यह आशा न हुई कि उनका स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य

1- भारतीय इतिहास कोष, पृष्ठ-334.

2- अनासक्त मनस्वी, पृष्ठ 192-193.

3- इस कमीशन (आयोग) के अध्यक्ष सर जॉन सार्इमन था इस कारण इसे सार्इमन कमीशन कहा जाता था ।

पूरा होगा ।[1] दिसम्बर सन् 1927 ई0 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पारित हो गया । इस प्रकार पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वतन्त्रता का लक्ष्य जनता के सामने रखा । एक - दूसरे प्रस्ताव से यह निश्चय किया गया कि सार्इमन कमीशन का बहिष्कार किया जाय ।[2]

जनवरी सन् 1928 ई0 में यह कमीशन भारत पहुँचा था । उस समय समस्त देश में हड़ताल रक्खी गई । केन्द्रीय विधान सभा के अधिकतर सदस्यों ने भी कमीशन का बायकाट किया । सारे देश में सार्इमन कमीशन का विरोध करने के लिये समितियाँ बनाई गयीं । इन समितियों ने जहाँ कहीं भी सार्इमन कमीशन के सदस्य गये, प्रदर्शन और हड़तालें कीं । अनेक स्थानों पर पुलिस ने शान्तिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों पर लाठियों के प्रहार किये । देश के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय पर भी लाठियों का प्रहार किया गया जिससे थोड़े समय बाद उनकी मृत्यु हो गई । गोविन्द बल्लभ पन्त पर भी लाठियों के प्रहार किये गये जिसके कारण वह जीवनभर के लिये शारीरिक रूप से काफी अक्षम रहे ।[3]

बुन्देलखण्ड में

बुन्देलखण्ड में "सार्इमन कमीशन" के बहिष्कार और बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु का व्यापक असर हुआ । लगभग बुन्देलखण्ड के सभी जिलों के प्रमुख नगरों और जिले के मुख्यालयों पर लोगों ने प्रदर्शन किये । इन शान्तिपूर्वक प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस ने

1- भारतीय इतिहास कोष -श्री सच्चिदानन्द भट्टाचार्य, पृ0-467.
2- तदैव.
3- तदैव. पृष्ठ-420.

लाठी चार्ज किया । झाँसी, मऊरानीपुर, हमीरपुर नगर एवं बाँदा नगर में प्रमुख रूप से प्रदर्शन एवं गिरफ्तारियाँ हुयीं । झाँसी नगर में झाँसी रेलवे स्टेशन पर काला झण्डा लगाया गया, क्योंकि जिस ट्रेन से सार्इमन कमीशन के सदस्य बम्बई से दिल्ली जा रहे थे, वह ट्रेन झाँसी स्टेशन से होकर गुजरने वाली थी । जिस समय रेल गाड़ी झाँसी स्टेशन पर रुकी, उस समय झाँसी के अनेक काँग्रेसी एवं गैर काँग्रेसी सदस्यों ने "सार्इमन कमीशन वापस जाओ" [सायमन कमीशन गो बैक] के नारे लगाये । पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया एवं अनेक प्रदर्शनकारियों को बन्दी बना लिया ।[1] प्रदर्शनकारियों में प्रमुख जन थे -- आत्माराम गोविन्द खेर, का0 बेंजोमिन, का0 रूस्तम सेटिन, कुँजबिहारी लाल शिवानी, का0 पन्नालाल शर्मा, मास्टर रूद्र नारायण एवं लाड़िली प्रसाद श्रीवास्तव आदि ।[2]

मेरठ षड्यन्त्र केस

इस सन्दर्भ में यह चर्चा करना उचित होगा कि 1929 ई0 में एक षड्यन्त्र का दोषारोपण करके बहुत से मजदूर नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने बन्दी बना लिया था । इससे सार्इमन कमीशन के समय जन-साधारण में रोष की भावना फैल गई थी । झाँसी नगर के दो प्रमुख साम्यवादी दल के सदस्य का0 अयोध्या प्रसाद [मऊरानीपुर] एवं ए0 के0 खान [अब्दुल करीम खान] एवं लक्ष्मण राव कदम इस षड्यन्त्र केस में बन्दी बना लिये गये थे । इस षड्यन्त्र केस को "मेरठ षड्यंत्र केस"

1- जिला झाँसी गजेटियर - ई. बी. जोशी, पृष्ठ-72.

2- पं0 बाल कृष्ण मिश्रा - एक साक्षात्कार.

(मेरठ कांसपरेंसी केस) कहा जाता है । इस केस में अनेक ब्रिटिश साम्यवादी दल के नेता भी बन्दी बनाये गये । यह केस चार वर्ष तक चला था । झाँसी नगर के अनेक साम्यवादी दल के सदस्य का० बैंजामिन, का० रूस्तम सेटिन, का० पन्नालाल शर्मा, का० हफीज खान आदि लोगों ने काँग्रेस सदस्यों के साथ झाँसी नगर में "सार्इमन कमीशन" के विरूद्ध प्रदर्शन किया था एवं गिरफ्तारी दी थी ।[1]

खण्ड-द

स्वराज्य दल और बुन्देलखण्ड की जनता

1922 ई० का गया अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता चितरंजनदास ने की थी । यह काँग्रेस का अधिवेशन, काँग्रेस के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन साबित हुआ । इस अधिवेशन में काँग्रेस दल, परिषदों के बहिष्कार को लेकर आपस में उलझ गये, अन्त में विधान परिषदों के बहिष्कार के प्रश्न पर मत विभाजन हुआ । प्रस्ताव के पक्ष में 1740 एवं विरूद्ध 890 मत मिले । चितरंजन दास ने तुरन्त त्यागपत्र देकर कहा "मैं और मेरे साथी विधान परिषदों के बहिष्कार के प्रस्ताव के विरूद्ध है ।[2]

इस प्रकार 1923 के आरम्भ में काँग्रेस दो दलों में बंट गयी । एक परिवर्तनवादी तथा दूसरी अपरिवर्तनवादी । चितरंजन दास, पं० मोतीलाल नेहरू एवं हकीम अजमल खान, जो कि परिवर्तनवादी गुट

1- का० हरेन्द्र सक्सेना से व्यक्तिगत साक्षात्कार ।

2- भारतीय राजनीति, श्री रामगोपाल, पृष्ठ-302

के थे, उन्होंने "स्वराज्य पार्टी" अथवा "स्वराज्य दल" के नाम से एक अलग दल बनाया । गाँधी जी जो कि अपरिवर्तन वादी थे, उन्होंने भी काँग्रेस की बागडोर मोतीलाल नेहरू के स्वराज्य दल को ही सौंप दी और अपने अनुयायियों से रचनात्मक सेवा-कार्य तथा खादी प्रचार में लग जाने के लिये कहा ।[1] 1923 ई० के चुनाव में स्वराज्य दल ने भाग लिया और सफलता भी प्राप्त की, परन्तु आगे चल कर स्वराज्य पार्टी की ढुलमुल नीति के कारण दल कमजोर हो गया । विपिन चन्द्र पाल आदि "गरम दल" के कार्यक्रमों से इस पर विपरीत प्रभाव पड़ा । 1924 ई० के बेलगाँव अधिवेशन में गाँधीजी की नीति को स्वीकार कर वापिस अपरिवर्तनवादीदल में लौट आये । इस प्रकार अन्त में स्वराज्य दल केवल एक प्रतीक बन कर रह गया ।[2]

बुन्देलखण्ड में भी स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई । झाँसी नगर में खिलेया खिड़की के बाहर एवं झाँसी से आठ मील दूर बड़ागाँव में स्वराज्य दल का कैम्प लगाया गया । इस कैम्प को "स्वराज्य आश्रम" का नाम दिया गया । इस आश्रम के बाद में 28 कार्यकर्ता बन्दी बनाये गये ।[3]

झाँसी के अन्य एक ग्राम बरुआसागर एवं मऊरानीपुर में भी स्वराज्य आश्रम खोला गया । झाँसी के अन्य जिलों में भी इस दल के कार्यकर्ताओं ने स्वराज्य दल के कार्यालय खोले और अपने आपको अपरिवर्तनवादी गुट का सदस्य बताया तथा विधान परिषदों के

1- उत्तर प्रदेश में गाँधीजी -श्रीरामनाथ, पृष्ठ- 103.

2- भारतीय राजनीति - श्री रामगोपाल, पृष्ठ-308.

3- झाँसी गजेटियर 1965, ई० बी० जोशी, पृष्ठ- 73.

बहिष्कार के प्रश्न का समर्थन किया,परन्तु बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अपरिवर्तनवादियों की संख्या बहुत कम थी ।

हमीरपुर एवं बाँदा जिलों में 1923 ई० के विधान परिषदों के चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े किये गये । हमीरपुर में स्वराज्य पार्टी के विधायक कुँवर हरप्रसाद सिंह चुने गये । यह सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड में एक मात्र स्वराज्य पार्टी के विधायक थे । इस प्रकार स्वराज्य पार्टी बुन्देलखण्ड में सफल न हो सकी ।[1]

अन्त में 6 फरवरी,1937 ई० को पं० मोतीलाल नेहरू की मृत्यु के साथ स्वराज्य पार्टी समाप्त हो गई । पं० मोतीलाल नेहरू ने अपने अन्तिम समय में गाँधी जी से कहा था --" महात्मा जी,मैं तो शीघ्र जा रहा हूँ और मैं स्वराज्य देखने के लिये यहाँ नहीं रहूँगा, किन्तु मैं जानता हूँ -आपने उसे जीत लिया है और शीघ्र ही उसे प्राप्त कर लेंगे ।"[2]

------ :0:------

1- अनासक्त मनस्वी, पृष्ठ- 198.

2- उत्तर प्रदेश में गाँधी जी - श्री रामनाथ, पृष्ठ-151.

अध्याय - 5

1930-31 ई० का सविनय अवज्ञा आन्दोलन और बुन्देलखण्ड

दिसम्बर, 1929 ई० में कॉंग्रेस का अधिवेशन पं०जवाहर लाल नेहरू के सभापतित्व में लाहौर में हुआ । कॉंग्रेस ने इस अधिवेशन में अपना लक्ष्य "पूर्ण स्वतन्त्रता-प्राप्ति" घोषित किया । गाँधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने का और सारे देश में 26 जनवरी को स्वतन्त्रता-दिवस मनाने का निश्चय किया गया । जनवरी, 1930 ई० में कॉंग्रेस की कार्यकारिणी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया :-

"भारत की ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता को स्वतंत्रता से ही वंचित नहीं किया है, अपितु उसका आधार ही जनसाधारण का शोषण है । उसने भारत को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सभी रूप से अत्याधिक हानि पहुँचाई है । इसलिए हमारा विश्वास है कि भारत को ब्रिटेन से सम्बन्ध विच्छेद करके पूर्ण स्वराज्य करना चाहिए । जिस शासन-व्यवस्था ने हमारे देश की उपर्युक्त चारों प्रकार से महान क्षति की है, उसको स्वीकार करना अब हम मनुष्य मात्र और ईश्वर के प्रति अपराध समझते हैं । स्वतंत्रता-प्राप्ति का श्रेष्ठ ढंग अहिंसात्मक आन्दोलन ही है इसलिए हम अपने को सविनय अवज्ञा आन्दोलन के लिये तैयार करेंगे और करों [टैक्सेस] का न देना भी इस आन्दोलन का मुख्य अंग होगा ।"[1]

1- कॉंग्रेस का इतिहास - पट्टाभि सीता रमैया, भाग-2, पृष्ठ- 272.

समस्त देश में 26 जनवरी सन् 1930 को स्वतन्त्रता- दिवस मनाया गया और अनेक स्थानों पर तिरंगा झण्डा फहराया गया।[1]
सविनय अवज्ञा आन्दोलन का प्रारम्भ डांडी अभियान से हुआ । गाँधी जी अपने कुछ अनुयायियों के साथ पैदल ही समुद्र-तट पर स्थित डांडी- नामक स्थान पर पहुँचे और वहाँ नमक बनाकर स्वयं सरकारी कानून को भंग किया । अप्रैल में उन्होंने आन्दोलन प्रारम्भ करने की अनुमति दे दी जिसमें कहा -- "प्रत्येक गाँव में बिना कर दिये नमक लाया जाये या बनाया जाये । बहिनों को शराब की दुकानों,अफीम के अड्डों और विदेशी कपड़ा बेचने वाली दुकानों पर धरना देना चाहिये । विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाये । हिन्दुओं को छुआछूत की भावना पूर्णतया छोड़ देनी चाहिये । विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों और कालिजों में अध्ययन समाप्त कर देना चाहिये और सरकारी कर्मचारियों को अपनी नौकरी छोड़ देना चाहिये । इस सबका परिणाम होगा कि शीघ्र ही पूर्ण स्वराज्य स्वयं हमारे पास आ जाएगा ।"[2]

जैसे ही सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ किया गया गाँधी जी, पं०जवाहर लाल नेहरू सहित सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिये गये । सन् 1931 ई० के प्रारम्भ में लगभग 90,000 व्यक्ति जेलों में थे और सरकार ने 67 समाचार-पत्रों का प्रकाशन बन्द करा दिया था । पेशावर में जब भारतीय सिपाहियों को प्रदर्शनकारियों पर

1- ए हिस्ट्री आफ इण्डिया,भाग-2,लेखक-के०एन्टोनोवा,पृष्ठ-193.

2- उत्तर प्रदेश में गाँधी जी - श्री रामनाथ सुमन,पृष्ठ 149-150.

गोली चलाने का आदेश दिया गया, तो उन्होंने इस आदेश का पालन नहीं किया ।[1]

जनवरी सन् 1931 ई० में गाँधी जी और कुछ अन्य नेताओं को कारावास से मुक्त कर दिया गया । मार्च में गाँधी-इरविन समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत आन्दोलन समाप्त कर दिया गया । सरकार ने हिंसात्मक कार्य करने वाले व्यक्तियों को छोड़ कर सभी राजनीतिक बन्दियों को कारावास से मुक्त करने का आश्वासन दिया । अन्त में काँग्रेस दल दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिये सहमत हो गयी । यह सम्मेलन भारत के लिये नया संविधान बनाने के लिये बुलाया गया था ।[2]

सन् 1931 ई० में काँग्रेस का अधिवेशन कराँची में हुआ । इस अधिवेशन ने गाँधी-इरविन समझौते का अनुमोदन किया । इस अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया गया । इसका सम्बन्ध जनता के मौलिक अधिकारों और भारत की आर्थिक नीति से था । इस प्रस्ताव में भारत की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् भारतीय समाज के पुनर्गठन की रूप रेखा तैयार की गई । भारतीय संविधान में अनेक तत्व इस प्रस्ताव के लिये गये और आगे चलकर गणतन्त्र भारत की सामाजिक और आर्थिक नीति का आधार भी यही प्रस्ताव बना ।[3]

1- उत्तर प्रदेश में गाँधी जी -श्री रामनाथ सुमन, पृष्ठ-151.

2- ए हिस्ट्री ऑफ इण्डिया - पर्सीवल स्पीयर, पृष्ठ- 203.

3- उत्तर प्रदेश में गाँधी जी - श्री रामनाथ सुमन, पृष्ठ-151.

खण्ड-अ

बुन्देलखण्ड के विभिन्न जिलों में जनता द्वारा आन्दोलन में भाग लेना.
{1930-31 ई0}

सविनय अवज्ञा आन्दोलन और बुन्देलखण्ड :-

पं0 जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 ई0 की 31 दिसम्बर की अर्ध रात्रि में कॉंग्रेस के लाहौर-अधिवेशन में रावि के तट पर "पूर्ण स्वतन्त्रता" का प्रस्ताव पारित हो चुका था। इस प्रस्ताव को कार्य रूप में परिणित करने के लिये कॉंग्रेस ने 26 जनवरी, 1930 ई0 को प्रथम स्वाधीनता-दिवस सारे देश मे मनाया था। प्रस्ताव में जनता के लिये मौलिक अधिकारों की घोषणा एवं ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था कि यदि कॉंग्रेस की पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग स्वीकार नहीं की गई तो सविनय अवज्ञा आन्दोलन एवं सत्याग्रह आरम्भ किया जायेगा। उक्त प्रस्ताव केवल पारित ही नहीं किया गया, वरन् कॉंग्रेस कार्य समिति के निर्देशानुसार सभा अध्यक्ष के द्वारा शपथ-पत्र के रूप में पढ़ा भी गया था, तथा जनसमूह द्वारा दोहराया भी गया था।

इस अधिवेशन में बुन्देलखण्ड की ओर से जिला झाँसी एवं हमीरपुर के प्रतिनिधियों ने प्रतिनिधित्व किया था। लाहौर से लौटकर इस डेलीगेशन में गये लोगों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह की तैयारियाँ अपने-अपने क्षेत्रों में प्रारम्भ कर दीं। उधर कॉंग्रेस ने अपनी समस्त समितियाँ एवं शाखाओं को स्थगित किया तथा महात्मा गाँधी को सर्वेसर्वा बनाकर अपने समस्त अधिकार

स्थानान्तरित कर दिये । गाँधी जी को यह भी अधिकार दिया गया कि वे गिरफ्तार होने के बाद अपनी इच्छानुसार अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर सकते हैं । इसी प्रकार कानपुर में सत्याग्रह संग्राम के संचालन के लिये प्रान्तीय संचालक नियुक्त करने का अधिकार भी उन्हें दे दिया गया ।[1] प्रान्तीय संचालकों को भी यह अधिकार दिया गया था कि वे प्रत्येक जिले में एक-एक संचालक नियुक्त करें जिससे प्रत्येक जिले में एक साथ सत्याग्रह-संग्राम प्रारम्भ किया जाये । संयुक्त प्रान्त [यू0पी0] के लिये गाँधी जी ने गणेश शंकर विद्यार्थी को संचालक नियुक्त किया था।[2]

हमीरपुर जिले में सविनय अवज्ञा आन्दोलन :--

मार्च, 1930 ई0 को गणेश शंकर विद्यार्थी जो कि संयुक्त प्रांत के आन्दोलन के संचालक थे, उन्होंने हमीरपुर जिले के सत्याग्रह के संचालन की बागडोर भगवान दास अरजरिया "बालेन्दु" के हाथ में सौंप दी ।[3] बालेन्दु अरजरिया की अध्यक्षता में एक गुप्त सभा कुलपहाड़ कस्बे में की गई जिसमें सत्याग्रह के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की गई । अन्त में हमीरपुर जिले में सर्वप्रथम 13 अप्रैल, सन् 1930 ई0 को नमक कानून तोड़ने की योजना बनायी गई । सत्याग्रहियों का एक जत्था पैदल महोबा एवं राठ तहसीलों के लिये रवाना हुआ, इस जत्थे ने कुलपहाड़, राठ एवं महोबा में नमक कानून भंग किया, परन्तु पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया । गिरफ्तारियाँ न

1- अनासक्त मनस्वी , पृष्ठ - 196.

2- तदैव. पृष्ठ - 196.

3- तदैव. पृष्ठ - 196.

होने पर सत्याग्रहियों को निराशा हुयी, क्योंकि समस्त देश में हजारों व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके थे।[1] अन्त में बालेन्दु जी के नेतृत्व में एक जत्था ले जाकर पुलिस थाना कुलपहाड़ पर जो साहित्य जब्त हो चुका था उसको पढ़ कर सुनाया गया। परन्तु इतना करने पर भी पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया।[2]

हमीरपुर जिले में ब्रिटिश सरकार द्वारा आन्दोलन का मुकाबला करने में शिथिलता बरतने तथा जनता में राष्ट्र के प्रति उत्साह देख कर बालेन्दु जी ने हमीरपुर जिले में "समानान्तर सरकार" बनाने का निश्चय किया। समानान्तर सरकार बनाने के लिये एक समस्त जिले का संगठन तैयार किया गया। इस सम्बन्ध में कुलपहाड़ कस्बे में एक शिविर लगाया गया, जिसमें जनता की सुरक्षा, खादी प्रचार, एवं नये सत्याग्रहियों को भर्ती किया गया।[3]

7 मई, 1930 ई० को महात्मा गांधी नमक कानून भंग करते हुए बन्दी बना लिये गये। यह समाचार मिलते ही समस्त कुलपहाड़ में अभूतपूर्व हड़ताल की गयी। कुछ पुलिस वालों द्वारा अपने आतंक और दमन से दुकानें खुलवाकर सामान लेने का प्रयास किया गया, परन्तु दुकानदारों ने उन्हें सामान देने से इन्कार कर दिया।[4]

1- अनासक्त मनस्वी, पृष्ठ -196.

2- दैनिक जागरण दिनांक 26-1-78 के अंक से।

3- तदैव.

4- तदैव.

संध्या को कुलपहाड़ में एक विराट सार्वजनिक सभा में सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा देश के सबसे महान नेता महात्मा गाँधी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रत्येक भारतीय,सरकार का पूर्ण असहयोग करेंगे ।[1]

कहा गया कि स्थानीय पुलिस के लोग इस ऐतिहासिक अवसर पर ब्रिटिश सरकार की अवज्ञा करें तथा पद से त्यागपत्र देकर दमन में हाथ न बटावें । यदि उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया और ब्रिटिश सरकार की आज्ञा का पालन किया तो उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा । इस निर्णय पर गाँव के अनेक मुखिया और नम्बरदारों ने तथा जिला बोर्ड के अध्यापकों ने अपने पदों को त्याग कर आन्दोलन में सम्मिलित हो गये । कुलपहाड़ कस्बे के सभी वर्गों के मुखियों ने संकल्प लिया कि हमारे जाति-वर्ग के लोग पुलिस का सामाजिक बहिष्कार करेंगे ।[2]

दूसरे दिन से बाजार के दुकानदारों ने पुलिस के हाथ अपनी वस्तुएँ बेचना बन्द कर दिया । नाई,कहार,धोबी,मेहतर आदि ने भी पुलिस की सेवा समाप्त कर दी । उच्च अधिकारियों ने आकर इस समस्या का निपटारा करना चाहा,किन्तु जनता अपने संकल्प पर अडिग रही ।   14 मई,1930 ई० को सबसे पहले चारेन्दु जी को गिरफ्तार किया गया । उन्होंने सत्याग्रह के संचालन के लिये अपने स्थान पर रामदुलारे गोरहार को नियुक्त किया । इस प्रकार

1- दैनिक जागरण दिनांक 26-1-78 के अंक से ।

2- तदैव.

सत्याग्रह चलता रहा । आठ दिन के बाद रामदुलारे गोरहार सहित काँग्रेस के मुख्य लोगों को जेल भेज दिया गया । स्वयं सेवकों एवं दुकानदारों पर अमानुषिक व्यवहार किया गया । रामदुलारे गोरहार के गिरफ्तार होने पर सत्याग्रह के संचालन की बागडोर रानी राजेन्द्र कुमारी (मगरौठ)[1] के हाथों में सौंपी गई । बहिष्कार का कार्य पूर्ववत् जारी रहा । इस आन्दोलन में अनेक महिलायें भी कूद पड़ीं । प्रत्येक दुकान पर सशस्त्र पुलिस बैठा दी गई । धारा-144 लागू कर दी गयी । दुकानदारों से बात करना जुर्म करार दिया गया । लोगों ने बाजार में आना-जाना बन्द कर दिया । इन सब कारणों से हमीरपुर जिले में उत्तेजना फैल गयी । जिले के अन्य तहसीलों से लोग जत्था बनाकर बाजार में आने लगे । सैकड़ों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया । एक माह तक यह आन्दोलन चला, बाद में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट पी. बी. मटकर ने स्वराज्य पार्टी के विधायक कुँवर हरप्रसाद सिंह के माध्यम से रानी राजेन्द्र कुमारी मगरौठ से पुलिस बहिष्कार आन्दोलन समाप्त करने की अपील की । अन्त में सर्वसम्मति की राय से यह आन्दोलन समाप्त कर दिया गया । इस आन्दोलन के सम्बन्ध में आज तक लोग यह पंक्तियाँ गुनगुनाते हैं :-

> बहिष्कार को भओ है, यही शाँत संग्राम ।
> ब्रिटिश पुलिस में दर्ज है, कुलपहाड़ को नाम ।।

इस आन्दोलन में झाँसी, चरखारी, सरीला, जिगनी, छतरपुर एवं टीकमगढ़ के सत्याग्रहियों ने भाग लिया था ।[2]

1- सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दीवान शत्रुघ्नसिंह की पत्नी ।

2- दैनिक जागरण दिनाँक 26-1-78 ई0 के अंक से ।

झाँसी जिले में सविनय अवज्ञा आन्दोलन :-

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय भूमिका प्रमुख रूप से दो जिलों ने निभाई थी । झाँसी एवं हमीरपुर व अन्य दो जिले जालौन व बाँदा जिलों के लोगों ने इन जिलों के काँग्रेस पार्टी द्वारा किये गये विभिन्न आन्दोलनों में पूर्ण योगदान किया था ।

दिसम्बर, 1929 में काँग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हमीरपुर एवं झाँसी जिले से ही डेलीगेशन पहुँचे थे । झाँसी से इस डेलीगेशन में रघुनाथ विनायक धुलेकर, कुंजबिहारी लाल शिवानी एवं लाडलीप्रसाद आदि सदस्य थे । वहाँ से लौट कर इस डेलीगेशन ने झाँसी नगर में सत्याग्रह एवं सरकार को असहयोग आदि कार्यक्रमों की योजना बनाई। इस समय झाँसी जिले में प्रमुख सदस्य जिन्होंने इस सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाई थी, उनके नाम थे --घासीराम व्यास, रामनाथ त्रिवेदी, रामनाथ राव, पन्नालाल अग्रवाल [सभी मऊरानीपुर से], रघुनाथ - विनायक धुलेकर, आत्माराम गोविन्द खेर, भजिराम कंवन, कुंजबिहारी लाल शिवानी, कृष्ण चन्द्र शर्मा, रुस्तम सैटिन, लाडिली प्रसाद श्रीवास्तव [झाँसी नगर से][1] मैथिलीशरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त [चिरगाँवसे] कृष्ण गोपाल शर्मा, श्याम लाल आबाद "इंदीवर" [बरुआसागर से] तथा शादी लाल दुबे व सुदामा प्रसाद गोस्वामी, नन्दकिशोर किलेदार तथा हुकम चन्द्र बुखारिया आदि [ललितपुर से] थे ।[2]

1- राष्ट्रकवि घासीराम व्यास, श्रीरामचरण व्यास, पृष्ठ-37.

2- पं० दुर्गादास -एक साक्षात्कार [व्यक्तिगत] .

26 जनवरी, 1930 को गोलाकुआँ से एक जुलूस तिरंगा झण्डा लिये हुए प्रारम्भ किया गया, परन्तु उस जुलूस को बिसाती बाजार तक आते ही पुलिस ने तितर-बितर कर दिया एवं हल्का लाठी चार्ज किया गया जिससे जुलूस में शामिल सरमन पानवाले को चोट आयी थी, परन्तु किसी को बन्दी नहीं बनाया गया था ।[1] इसी बीच अक्टूबर, 1930 ई० को पं० जवाहर लाल नेहरू का झाँसी आगमन हुआ तथा सिविल अस्पताल के पास[2] उनका भाषण हुआ था ।[3]

उधर ललितपुर में मुख्य बाजार (अब सावरकर चौक) में सुदामा प्रसाद गोस्वामी के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया तथा विदेशी वस्त्रों की दुकानों एवं शराब के ठेकों पर धरने दिये गये । बरुआसागर, मऊरानीपुर, चिरगाँव आदि कस्बों में सत्याग्रह आरम्भ कर दिया गया एवं जुलूस निकाले गये और तिरंगा झण्डा फहराया गया ।[4]

खण्ड-ब

नमक कर का तोड़ना

दिसम्बर के अन्त में लाहौर के काँग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वतन्त्रता के ध्येय की घोषणा की गई । 26 जनवरी, 1930 ई०को

1- पं० दुर्गा प्रसाद व्यास - साक्षात्कार ।

2- यह भाषण सिविल अस्पताल में महिला अस्पताल जहाँ पर है वहाँ हुआ था ।

3- झाँसी गजेटियर 1965, ई.बी. जोशी , पृष्ठ 72-73.

4- पं० दुर्गा प्रसाद व्यास - साक्षात्कार ।

सम्पूर्ण देश में लाखों व्यक्तियों ने स्वतन्त्र होने की प्रतिज्ञा की । सर्वत्र उत्साह की लहर दौड़ गयी । गाँधी जी अब भी सरकार से समझौता करना और सरकार की नीयत परखना चाहते थे । उन्होंने सरकार द्वारा ग्यारह शर्तों की पूर्ति पर सत्याग्रह को स्थगित करने की इच्छा प्रकट की, पर उस पर ब्रिटिश सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया । फरवरी, 1930 ई0 में साबरमती में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई । इसमें सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह करने और चलाने का अधिकार उन्हीं को दिया गया, जिनका अहिंसा द्वारा ही पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने में विश्वास है। गाँधी जी ने अपने आश्रम के कार्यकर्ताओं को लेकर सत्याग्रह शुरू करने का विचार किया । 2 मार्च, 1930 को उन्होंने वायस रॉय को एक पत्र भारत प्रेमी अंग्रेज रेजीनाल्ड रेनाल्ड्स के हाथ भेजा, जिसमें सरकार से अब भी कुछ अनीतियों का अन्त कर देने की प्रार्थना की गयी थी और माँग की पूर्ति न होने की अवस्था में सत्याग्रह आरम्भ करने की सूचना भी थी। वायस रॉय ने उत्तर में केवल गाँधी जी द्वारा सत्याग्रह शुरू करने के निश्चय पर दुःख प्रकट किया ।[1]

7 मार्च, 1930 ई0 को रास [गुजरात] में सरदार वल्लभ भाई पटेल गिरफ्तार कर लिये गये । गाँधी जी ने अपने 78 आश्रमवासियों के साथ 12 मार्च को साबरमती से दाण्डी की ओर प्रयाण किया । वहाँ पहुँचकर उनका विचार नमक कानून तोड़ने का था । यह जत्था प्रति दिन 10 से 15 मील तक चलते थे । प्रतिदिन प्रार्थनादि के बाद

1- उत्तर प्रदेश में गाँधी जी - श्री रामनाथ सुमन, पृष्ठ 149-150.

प्रात: साढ़े छ: बजे यात्रा आरम्भ होती थी । इस यात्रा ने रास्ते के समस्त अंचल को उत्साह और नवजीवन से भर दिया । 241 मील की यह यात्रा 5 अप्रैल को पूरी हुई । 6 अप्रैल को प्रात: आठ बजे गाँधी जी ने नमक कानून भंग करके सत्याग्रह का शुभारम्भ किया । इसके बाद समस्त देश में नमक कानून तथा अन्य कानून तोड़ने की धूम-सी मच गई ।[1]

बुन्देलखण्ड में

इधर महात्मा गाँधी द्वारा नमक कानून भंग करने का समाचार समस्त बुन्देलखण्ड में फैल गया । समस्त बुन्देलखण्ड में अप्रैल के दूसरे सप्ताह को राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में नमक बनाने और कानून भंग करने के रूप में मनाया गया । सर्वप्रथम हमीरपुर जिले में इस कानून को तोड़ा गया । कुलपहाड़ में एक बैठक सत्याग्रहियों ने की, इसकी अध्यक्षता भगवान दास अरजरिया ने की, बैठक में 13 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग करने का निर्णय लिया गया । सत्याग्रहियों का एक जत्था पैदल राठ, महोबा आदि कस्बों के लिये रवाना हुआ । 13 अप्रैल 1930 ई० को कुलपहाड़,महोबा,राठ आदि कस्बों में नमक कानून भंग किया गया, परन्तु जिला प्रशासन ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया । इसके बाद भगवान दास बालेन्दु, दीवान-शत्रुधन सिंह, रामदुलारे गोरहार,रानी राजेन्द्र कुमारी,किशोरीदेवी आदि ने कुलपहाड़ पुलिस स्टेशन पर सरकार विरोधी नारे लगाये ।[2]

1- उत्तर प्रदेश में गाँधी जी - श्री रामनाथ सुमन,पृष्ठ- 150.

2- अनासक्त मनस्वी पृष्ठ -196 .

इधर झाँसी जिले में सुपारा गाँव में सर्वप्रथम बार व्यक्ति नमक बनाते हुए पकड़े गये ।[1] बाद में 150 सत्याग्रही नमक कानून भंग करते हुए पकड़े गये ।[2] दिनांक 13 अप्रैल 1930 ई0 में अन्य प्रान्तों की तरह झाँसी जिले में भी नमक सत्याग्रह की लहर दौड़ गई । झाँसी जिले के प्रमुख राष्ट्रीय कार्यकर्ता नमक सत्याग्रह में कूद पड़े जिसमें मऊरानीपुर के सत्याग्रही अग्रणी रहे । मऊरानीपुर से घासीराम व्यास, रामनाथ त्रिवेदी, रामनाथ राव, पन्नालाल अग्रवाल, झाँसी से रघुनाथ विनायक धुलेकर, कुंजबिहारी लाल शिवानी, मास्टर रुद्र नारायण, कृष्ण चन्द्र शर्मा, रुस्तम सेटिन, लाड़िली प्रसाद श्रीवास्तव,आत्माराम गोविन्द खेर, क्रमशः 13 अप्रैल से 27 अप्रैल 1930 ई0 को पुलिस द्वारा बंदी बनाये गये और जेल भेज दिये गये । बाद में गाँधी जी व इरविन के बीच समझौता होने पर मुक्त हुए ।[3] बुन्देलखण्ड के अन्य जिलों बाँदा एवं जालौन में भी नमक बनाया गया एवं कानून भंग किया गया । बाँदा में कुँवर हरप्रसाद सिंह तथा पंडित बैजनाथ तिवारी के नेतृत्व में एक जत्था नमक कानून भंग करने पर गिरफ्तार किया गया । इसी प्रकार जालौन जिले में चन्द्रभान विद्यार्थी तथा मोतीलाल वर्मा आदि इस कानून के तहत गिरफ्तार किये गये थे ।[4]

1- झाँसी गजेटियर 1965, ई0बी0 जोशी , पृष्ठ- 78
2- तदैव.
3- राष्ट्रकवि घासीराम व्यास - रामचरण ह्यारण,पृष्ठ-37.
4- पं0 दुर्गा प्रसाद व्यास के अनुसार -साक्षात्कार ।

खण्ड-स

गाँधीजी की गिरफ्तारी की जनता में प्रतिक्रिया

4 मई 1930 को गाँधी जी गिरफ्तार कर लिये गये । इसके विरोध में समस्त भारत में हड़ताल हुई । सत्याग्रह चलता रहा । समस्त देश के साथ-साथ समस्त बुन्देलखण्ड में भी गाँधी जी की गिरफ्तारी पर व्यापक प्रतिक्रिया हुई । हड़तालें की गयीं तथा बाजार आदि व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद किये गये ।

सर्वप्रथम हमीरपुर जिले में गाँधी जी की गिरफ्तारी का समाचार मिलते ही राठ, हमीरपुर, कुलपहाड़ एवं महोबा में बाजार बंद रहे एवं सार्वजनिक हड़ताल की गई । यह हड़ताल इतनी अभूतपूर्व थी कि लोग एवं विशेष रूप से पुलिस एवं सरकारी अमला दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिये तरस गया । संध्या को कुलपहाड़ में एक सभा का आयोजन किया गया । इस सभा में सरकार का पूर्ण रूप से असहयोग करने का प्रण किया गया । इस सभा में अनेक अध्यापकों ने एवं गाँव के मुखियों ने तत्काल अपने पद से इस्तीफे दे देने की घोषणा की । दैनिक सेवा में रत नाई, कहार, धोबी तथा मेहतर आदि ने पुलिस की सेवा न करने का प्रण किया ।[1]

जनता के इस सख्त रवैये पर जिला प्रशासन दमन पर उतर आया तथा जबरदस्ती दूकाने खुलवाने तथा अन्य कार्य करवाने पर अमादा हो गया । इसके बाद व्यापक गिरफ्तारियाँ हुयीं । भगवानदास

1- अनासक्त मनस्वी, पृष्ठ 197-198.

बालेन्दु ,रामदुलारे गोरहार तथा रानी राजेन्द्र कुमारी मगरौन को गिरफ्तार कर लिया गया । बाद में स्वराज्य पार्टी के विधायक एवं जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से हड़ताल समाप्त हुयी ।[1] भगवान दास बालेन्दु जी के जेल से छूटने के बाद गतिविधियाँ फिर प्रारम्भ हो गयीं । अन्त में पुरूषोत्तम दास टण्डन की सलाह पर भगवान दास बालेन्दु एवं दीवान शत्रुघ्न सिंह भूमिगत हो गये । बाद में बालेन्दु जी सपत्नीक तथा दीवान शत्रुघ्न सिंह गणेश मड़िया साबुन वाली गली मोहल्ले,झाँसी नगर में पकड़े गये ।[2] इधर झाँसी नगर में गाँधी जी की गिरफ्तारी का समाचार सुन कर झाँसी, चिरगाँव,बरुआसागर,मऊरानीपुर,तालबेहट एवं ललितपुर के बाजार तत्काल बन्द हो गये एवं व्यापक रोष व प्रदर्शन हुए,शराब की दुकानों,विदेशी कपड़ों की दुकानों पर स्त्रियों ने धरना दिया । पुलिस ने झाँसी नगर में तथा मऊरानीपुर में प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया और अनेक सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया । झाँसी एवं जालौन जिले में लगभग 1500 सौ सत्याग्रही बन्दी बनाये गये जिनमें अनेक महिलाएं भी थीं ।

समस्त बुन्देलखण्ड के सत्याग्रहियों की व्यापक गिरफ्तारियाँ हुयीं । उनमें कुछ प्रमुख सत्याग्रही है -- भगवान दास बालेन्दु,दीवान शत्रुघ्न सिंह,रामदुलारे गोरहार,रानी राजेन्द्र कुमारी,श्रीमती किशोरी देवी [सभी हमीरपुर जिले के] कुँवर हरप्रसाद सिंह,बैजनाथ तिवारी,

---

1-अनासक्त मनस्वी,पृष्ठ 197-198.

2-अनासक्त मनस्वी - पृ0 202 तथा पं0 दुर्गाप्रसाद व्यासके अनुसार.

ब्यास एवं रज्जाक (सभी बाँदा के) शादीलाल दुबे, सुदामा प्रसाद गोस्वामी, किलेदार, हुकम सिंह बुन्दारिया (सभी ललितपुर से) काशीराम व्यास, रामनाथ त्रिवेदी, रामनाथ राव, पन्नालाल (सभी मऊरानीपुर से) रघुनाथ विनायक धुलेकर, कुंजबिहारी लाल शिवानी, कालका प्रसाद अग्रवाल, कृष्ण चन्द्र शर्मा, रुस्तम सैटिन, लाड़िली प्रसाद, मणिराम कंचन, आत्माराम गोविन्द खेर (सभी झाँसी से), गोविन्ददास रिछारिया, पन्नालाल शर्मा, श्यामलाल आजाद चंदीवर (बबीना-सागर से) चन्द्रभान विद्यार्थी, मोतीलाल वर्मा (जालौन से)।[1]

बुन्देलखण्ड की कुछ प्रमुख महिला सत्याग्रही

क्र0	नाम	व	स्थान
1-	रानी राजेन्द्र कुमारी पत्नी दीवान शत्रुघ्न सिंह		(मगरौठ)
2-	श्रीमती किशोरीदेवी पत्नी भगवानदास बालेन्दु		(कुलपहाड़)
3-	श्रीमती रुक्मणी देवी	--	सुगरा ग्राम
4-	श्रीमती सरस्वती देवी	--	बैलपुरा, जिला-हमीरपुर
5-	श्रीमती सरजू देवी	--	महोबा, जिला-हमीरपुर
6-	श्रीमती जमुना देवी	---	राठ, जिला- हमीरपुर
7-	श्रीमती उर्मिला	--	राठ, जिला- हमीरपुर
8-	श्रीमती भगवती देवी	--	सैदपुर, जिला-हमीरपुर
9-	श्रीमती शान्ति देवी	--	बराखर, जिला- हमीरपुर
10-	श्रीमती मनोरमा देवी	---	राठ, जिला- हमीरपुर

1- स्वतन्त्रता सेनानी की सूची के अनुसार (नवर मोहम्मद कादरी) (स्वतन्त्रता सेनानी से प्राप्त) ।

क्र०	नाम	व	स्थान
11-	श्रीमती ज्ञानो देवी	--	राठ, जिला-हमीरपुर[1]
12-	श्रीमती पिस्ता देवी	--	झाँसी. [2]
13-	श्रीमती सूर्यमुखी शर्मा	--	झाँसी. [2]
14-	श्रीमती चन्द्रमुखी शर्मा	--	झाँसी. [2]

----- :0: -----

1- अनासक्त मनस्वी, पृष्ठ-89-90.

2- काँग्रेस कमेटी, झाँसी की सूची के अनुसार.

अध्याय - 6

1942 ई० का भारत छोड़ो आन्दोलन

भारत में अंग्रेजों के दमन चक्र के मुकाबले में स्वयं कुछ न कर पाने से जनता का क्रोध दिनब दिन बढ़ता जा रहा था । 1940-41 ई० से अनाज और अन्य अनेक वस्तुओं के यातायात, बिक्री और मूल्य पर नियंत्रण कर, सरकार उन्हें युद्ध क्षेत्रों में भेजने के लिए खरीदने लगी । इधर जनता को अन्न एवं वस्त्र मिलने में कठिनाई का सामना करना पड़ा । कॉंग्रेस ने 1931 के अधिवेशन में यह घोषणा की थी कि अंग्रेजों ने भारत पर मनमाने ढंग से जो कर्जा लाद दिया है, स्वतन्त्र होने पर भारत उसकी निष्पक्ष जाँच करवायेगा और उचित अंश को ही स्वीकार करेगा, किन्तु अंग्रेजी सरकार अब जाँच का मौका दिये बिना ही भारत के सिर थोपे उस कर्ज को स्वयं वसूल कर उसी के मूल्य से भारत से अन्न और युद्ध-सामग्री खरीद रही थी । जब वह कर्जा पूरा वसूला जा चुका तब भारत से कर्ज के रूप में रसद- सामान आदि खींचती रही । इस जबरन चुकाये गये और जबरन लिये गये कर्ज के मूल्य का माल जनता से खरीदने के लिए विशाल संख्या में कागजी नोट छापे गये, जिनकी बाढ़ से वस्तुओं के दाम बढ़ते गये । भारत में चलने वाले कागजी नोटों (पत्र मुद्रा) के पीछे भारत का जो स्वर्ण-भण्डार था, वह पहले से ही लन्दन में रखा गया था और अब युद्ध-सामग्री की खरीद में खर्च किया गया ।[1]

1- इतिहास प्रवेश, जयचन्द्र विद्यालंकार, पृष्ठ 773-774.

इधर मार्च 1942 ई0 में ब्रिटेन के एक अधिकारी स्टेफर्ड क्रिप्स अपने मिशन के साथ भारत के नेताओं से बातचीत करने दिल्ली आये । उनकी पेशकश यह थी कि "भारत के लोग जापान के विरुद्ध युद्ध में सरकार का पूर्ण सहयोग करें, युद्ध के बाद भारत को ब्रिटिश साम्राज्य में उपराज्य [डोमीनियन स्टेट] का पद दिया जायेगा और अभी केन्द्र में सर्वदल सरकार बना दी जायेगी ।" परन्तु भारत की जनता अंग्रेजी साम्राज्य को बचाने के लिये जापानियों से लड़ने को तैयार न हुई ।[1] अतः क्रिप्स मिशन असफल रहा । गाँधी जी ने क्रिप्स की पेशकश को दिवालिया बैंक की हुण्डी कह कर नकार दिया और मिशन में शामिल होने से इनकार कर दिया । इधर युद्ध के कारण भारत की जनता के कष्ट बढ़ते जा रहे थे । सरकार जापान को पराजय देने के लिये जी जान से तैयारी कर रही थी । दुश्मन [जापानियों] के हाथों कुछ न मिलने के लिये समुद्र-तटों पर सब कुछ नष्ट किया जा रहा था । समुद्र तटों, विशेषकर बंगाल और उड़ीसा, के लोगों की घबराहट अधिक बढ़ गई थी । हजारों लोग अपने घरों और खेतों से निकाल दिये गये थे, वे जीविका हीन होकर रह गये थे । उन्हें पुलिस और फौज दोनों ही परेशान करती थी । युद्ध फण्ड में जबरन चन्दे लिये जा रहे थे । चोर बाजारी से गरीब, और अधिक गरीब हो रहे थे एवं अमीर, और अधिक अमीर । उद्योग, व्यवसाय, कारपोरेशन द्वारा अंग्रेज भारतीय व्यापार से भारी लाभ कमा रहे थे । उपभोक्ता सामग्री को लड़ाई के काम लाने के लिये और जनता से बचाने के लिये सरकार मुद्रा स्फीति की नीति

1- इतिहास प्रवेश, जयचन्द्र विद्यालंकार, पृष्ठ-774

बरत रही थी । वह खाद्य व अन्य ..... ऊँचे दामों पर खरीदती और उसके लिये नोट छापती । निम्न और मध्यम वर्ग, जिनकी आय बढ़ती हुई कीमतों के अनुपात में नहीं बढ़ी थी, अपने आभूषण आदि बेच कर गुजारा कर रहे थे ।[1] इन सब घटनाओं को देख कर गाँधी जी ने कहा कि -"भारत एक शव के समान है जो मित्र राष्ट्रों के कन्धों पर भारी बोझ की तरह लदा हुआ है ।" भारत की समस्या का केवल एक ही हल था, और वह यह कि अंग्रेजी राज का अन्त हो ।[2]

इसलिये इसी आधार पर गाँधी जी ने 1942 ई० के आन्दोलन का संगठन किया और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिये कहा । 14 जुलाई को सेवाग्राम वर्धा में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई । गाँधी जी से "भारत छोड़ो आन्दोलन" का महत्व और आशय के सम्बन्ध में परामर्श किया गया और उसी के अनुसार एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया । यह प्रस्ताव इंग्लैण्ड से भारत के साथ न्याय करने की अपील के रूप में था जिसमें कहा गया था — "यदि यह अपील अस्वीकार हुयी तो कांग्रेस 1920 ई० से संचित अपनी समस्त अहिंसक शक्ति के प्रयोग के लिये मजबूर हो जायेगी । इतना व्यापक संघर्ष अनिवार्यतः गाँधी जी के नेतृत्व में ही होगा।[3]

1- भारतीय राजनीति, राम गोपाल, पृष्ठ -430.

2- तदैव. पृष्ठ- 430.

3- तदैव.

यह स्पष्ट था कि सार्वजनिक आन्दोलन होने वाला था । गाँधी जी ने कहा भी था कि यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष होगा । उन्होंने इंग्लैण्ड में कहा था – "भारत को ईश्वर के भरोसे छोड़कर चले जाओ, अगर यह तुम्हारे लिये बहुत बड़ी बात है तो उसे अराजकता में छोड़ दो, पर चले जाओ ।" लेकिन उन्होंने भारतवासियों को सलाह दी कि वे "अंग्रेजी सत्ता से छुटकारा पाने के लिये जापान से कोई आशा न लगायें ।"[1] 7 व 8 अगस्त, 1942 ई० को बम्बई में काँग्रेस महासमिति का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ । भारत छोड़ देने की ब्रिटिश सरकार से अपनी माँग और अपील दोहराते हुए काँग्रेस महासमिति ने अपने प्रस्तावों में कहा —"लेकिन महासमिति की धारणा है कि अब मानवता तथा स्वयं अपने हितों में काम करने से रोकने वाली साम्राज्यवादी और प्रभुत्वमत्त सरकार के विरुद्ध अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करने से राष्ट्रों को रोकना महासमिति के लिये उचित न होगा, इसलिए महासमिति निश्चय करती है कि स्वाधीनता और स्वतन्त्रता प्राप्त करने के अपने कभी न छिन सकने वाले अधिकारों का प्रयोग करने के लिये अधिक व्यापक सार्वजनिक अहिंसात्मक आन्दोलन की अनुमति दी जाय, ताकि पिछले बाईस वर्षों के शान्तिमय संघर्ष में संचित अपनी सारी अहिंसात्मक शक्ति का प्रयोग कर सके ।"[2] महासमिति ने अधिकार दे दिया कि नेताओं की गिरफ्तारी के बाद हर भारतवासी स्वयं पथ-प्रदर्शन करेगा । "भारत छोड़ो" प्रस्ताव स्वीकार हो जाने के बाद गाँधी जी ने 140 मिनट तक महासमिति के समक्ष भाषण किया । वे पहले हिन्दुस्तानी में बोले, फिर अंग्रेजी में । यह, सम्भवत: उनके जीवन का सबसे लम्बा भाषण था।

1-भारतीय राजनीति, रामगोपाल, पृष्ठ- 430 .

2- तदैव, पृष्ठ- 431.

उन्होंने कहा – "मैं फौरन आजादी चाहता हूं,आज रात को ही, कल सबेरे से पहले आजादी चाहता हूं, अगर वह प्राप्त हो सके । अब आजादी साम्प्रदायिक एकता की प्रतीक्षा नहीं कर सकती । यदि वह एकता अभी प्राप्त हुई तो उसके लिये अब कितनी भी कुर्बानी करनी पड़ेगी,पहले उससे कम में काम चल जाता । पर काँग्रेस को आजादी हासिल करनी है या उसे हासिल करने की कोशिश में मिट जाना है । और यह न भूलो कि जिस आजादी को पाने के लिये काँग्रेस जूझ रही है,वह सिर्फ काँग्रेसजनों के लिये ही न होगी, वरन् भारत की चालीस करोड़ जनता के लिये होगी । काँग्रेसजनों को सदैव जनता के तुच्छ सेवक बने रहना है ।"[1] फिर उन्होंने अपने जीवन के सबसे महान संघर्ष के लिये जनता को प्रोत्साहित किया । उन्होंने कहा –"इसी क्षण तुममें से हर स्त्री–पुरुष को अपने को स्वाधीन मानना चाहिये और इस तरह काम करना चाहिये मानो तुम आजाद हो और साम्राज्यवाद के चंगुल में जकड़े हुए नहीं हो । यह कोई कल्पना की बात नहीं है जो मैं तुमसे सच मान लेने के लिए कह रहा हूं । यह स्वतन्त्रता का सत्व है । गुलामी की जंजीर उसी वक्त टूट जाती है जिस क्षण गुलाम अपने आपको स्वतन्त्र मान ले । उन्होंने आगे कहा –– "यह एक छोटा–सा मन्त्र है, जो मैं तुम्हें देता हूं । तुम इसे अपने हृदय पर लिख लो,ताकि तुम्हारी हर साँस में यह प्रकाशित हो । यह मंत्र है –– "हम करेंगे या मरेंगे ।"[2]

1– काँग्रेस का इतिहास, भाग–3, डॉ0बी॰ पट्टाभि सीतारमैया, पृष्ठ 119–120 .

2– वहीं.

9 अगस्त, 1942 ई0 को कॉंग्रेस समिति की बैठक समाप्त होने के कुछ घंटों बाद गाँधी जी और कॉंग्रेस समिति के सदस्य गिरफ्तार कर लिये गये और किसी अज्ञात स्थान की ओर ले जाये गये । पूर्व निश्चित योजना के अनुसार प्रान्तों में कॉंग्रेस समितियाँ अवैध घोषित कर दी गयीं और 9 अगस्त की शाम तक देशभर के सभी प्रमुख कॉंग्रेसजन भारत रक्षा नियमों के आधीन पकड़ लिये गये । इससे जनता स्तब्ध रह गई । विशेषकर समाचार पत्रों में यह पढ़ कर कि गाँधी जी व कार्यसमिति के सदस्यों को किसी अज्ञात स्थान में ले जाया गया है । हर तरह की अफवाहें फैलने लगीं और जो विश्वास कर पाये, उन्होंने अफवाहों में विश्वास भी किया । देश भर में एक अभूतपूर्व तनाव और सनसनी का वातावरण हो गया और ऐसा लगने लगा कि जनता विद्रोह कर देगी और सरकारी व्यवस्था को नष्ट कर देगी ।[1] 9 अगस्त को गिरफ्तारियों के कुछ दिन पहले ही इस तरह की अफवाहें फैलने लगीं थीं कि 9 अगस्त को ट्रेनों का चलना बन्द हो जाएगा । कुछ लोग इस अफवाह पर हँसे, पर कुछ ने इसका विश्वास भी कर लिया, और हुआ भी यही । सैकड़ों मील लम्बी रेलवे लाइन उखाड़ डाली गयी और बहुत से क्षेत्र में रेलों का चलना स्थगित हो गया । यह काम इतना चुपचाप ढंग से संघटित हुआ और इस कुशलता से कार्यान्वित हुआ कि समस्त देश में फैले खुफिया पुलिस के अपने संगठन के बावजूद भी सरकार को इसका पता न लगा और वह स्तम्भित रह गयी ।[2]

1- भारतीय राजनीति - राम गोपाल, पृष्ठ -432

2- वहीं.

कुछ दिनों तक जनता की उत्तेजना सार्वजनिक प्रदर्शनों में परिलक्षित होती रही जिन्हें रोकने के लिये सरकार ने मारपीट, लाठी व गोली का सहारा लिया । फिर खुला विद्रोह आरम्भ हो गया । विद्रोही स्वयं अपने नेता थे और कहाँ ब्रिटिश सरकार पर चोट की जाये, इसका निर्णय वे स्वयं करते थे । जहाँ-जहाँ भीड़ तत्काल निर्णय करती कि सरकारी सत्ता के प्रतीक पर कहाँ हमला किया जाये और हमला कर देती । थाने, स्टेशन व दूसरी सरकारी इमारतें जला दी गयीं या नष्ट कर दी गयीं । तार के खम्भे उखाड़ डाले गये, तार तोड़ डाले गये अथवा काट डाले गये । सरकारी सम्पत्ति व यातायात-साधनों का विनाश महीनों तक जारी रहा ।[1]

22 अगस्त के बाद सरकारी दमन चक्र आरम्भ हुआ । यह दमन चक्र इतना भयानक था कि मानवता भी काँप गई । लगभग एकसौ पचास कांग्रेसियों के घरों को लूट कर जला दिया । लाठी, गोली एवं संगीनों से लोगों को घायल किया गया या मार दिया गया । लगभग 12लाख रुपये का सामूहिक जुर्माना किये गये, परन्तु गैर सरकारी सूत्रों के अनुसार लगभग 30 लाख से अधिक की रकम वसूल की गई । 46 से अधिक व्यक्ति गोलियों के शिकार हो गये और इनसे बहुत अधिक व्यक्ति घायल हुए और कई सौ मकान जला दिये गये । इस प्रकार 70,000 से अधिक व्यक्तियों को पाँच महीने के अन्दर बंदी बना लिया गया । सरकार के इस पाशविक अत्याचार के होते हुए भी जितने समय तक द्वितीय महायुद्ध चला, यह आन्दोलन चलता रहा ।[2]

1- भारतीय राजनीति - राम गोपाल, पृष्ठ - 433.

2- तदैव.

जिस तरह विद्रोह के विस्फोट ने हिंसात्मक रूप लिया,वह गाँधी जी की अहिंसा के बिलकुल विपरीत था । अपनी गिरफ्तारी के पाँच दिन बाद 14 अगस्त,1942 ई0 को गाँधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखा कि इस हिंसा से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं,और 13 फरवरी,1943 को सबेरे 10 बजे से बम्बई में आगा खाँ महल में गाँधी जी ने उपवास शुरू कर दिया । इस प्रकार यह आन्दोलन समाप्त हुआ, परन्तु भारत की आजादी का मार्ग अब सामने दिखाई देने लगा था ।[1]

भारत छोड़ो आन्दोलन और बुन्देलखण्ड

1920 ई0 से 1947 ई0 तक कांग्रेस दल द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जितने भी आन्दोलन चलाये गये उनमें से "भारत छोड़ो" आन्दोलन सबसे विराट एवं विकराल था । यद्यपि यह आन्दोलन विफल रहा, परन्तु इस आन्दोलन से ब्रिटिश सरकार की गद्दी हिलने लगी थी एवं आन्दोलन के पश्चात् स्वाधीनता का मार्ग नजर आने लगा था । बुन्देलखण्ड क्षेत्र में यह आन्दोलन पूरे जोश एवं उत्साह और वेग से चारों जिलों में चला । प्रदर्शन हुए,सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराये गये तथा रेलगाड़ियाँ रोकी गयीं और टेलीफोन के तार एवं खम्भे उखाड़े गये । समस्त बुन्देलखण्ड में इस आन्दोलन में लगभग 1500 सत्याग्रही गिरफ्तार किये गये एवं 4 व्यक्ति शहीद हुए ।[2]

1- भारतीय राजनीति, राम गोपाल, पृष्ठ-440

2- झाँसी गजेटियर 1965, ई.बी. जोशी, पृष्ठ- 72.

सन् 1942 ई० के "भारत छोड़ो" आन्दोलन में बुन्देलखण्ड के विभिन्न जिलों से बन्दी बनाये गये सत्याग्रहियों की विवरण-सूची निम्नलिखित है[1]:-

जिला झाँसी

क्र०	नाम	स्थान
1-	श्री अयोध्या	थाना बानपुर, झाँसी
2-	श्री आत्माराम गोविन्द खेर	गुरसराय, झाँसी
3-	श्री इमामी	झाँसी
4-	श्री इहसान चन्द	तहसील-ललितपुर, झाँसी
5-	श्री कन्हैया लाल	तहसील-मोंठ, झाँसी
6-	श्री कमला प्रसाद	मगरपुर, झाँसी
7-	श्री कमता प्रसाद चौबे	तहसील-मऊरानीपुर, झाँसी
8-	श्री कुंजबिहारी लाल शिवानी	झाँसी
9-	श्री कुंजी लाल	झाँसी
10-	श्री कृष्ण गोपाल शर्मा	झाँसी
11-	श्री कृष्ण चन्द्र पंगोरिया	झाँसी
12-	श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा	झाँसी
13-	श्री खूब चन्द्र	ग्राम-पिपरई, झाँसी
14-	श्री खैराती	झाँसी

1- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक - एस. पी. भट्टाचार्य.

क्र0	नाम	स्थान
15-	श्री गोरे लाल चौरसिया	ग्राम- पाली, झाँसी
16-	श्री जानकी प्रसाद पटकार	तहसील-ललितपुर, झाँसी
17-	श्री ठाकुर चन्द जैन	तहसील-ललितपुर, झाँसी
18-	श्री नाथूराम गंधी	चिरगांव, झाँसी
19-	श्री नारायण दास खरे	झाँसी, बाद में टीकमगढ़ - रियासत में शहीद हो गये ।
20-	श्री बाबू लाल उदैनिया	झाँसी
21-	श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर	झाँसी
22-	श्री रघुवर दयाल दरकार	झाँसी
23-	श्री लखपत राम शर्मा	झाँसी
24-	श्री रेड्डिक्स	झाँसी
25-	श्रीमती [डॉ0] सुशीला नैय्यर	झाँसी

जिला-बाँदा[1]

1-	श्री बलुआ	बाँदा
2-	श्री किशुन	बाँदा
3-	श्री गंगा प्रसाद	नरैनी, बाँदा [संसद भवन पर झण्डा फहराने पर बन्दी बनाये गये]
4-	श्री गजोधर प्रसाद	नरैनी, बाँदा

5- श्री गजोधर प्रसाद वल्द राजाराम-तहसील राजापुर, बाँदा

1-स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक - एस० पी० भट्टाचार्य, सूचना-विभाग, उत्तर प्रदेश ।

क्र0	नाम	स्थान
6-	श्री गोदिन शर्मा	करवी, बाँदा
7-	श्री चन्द्र कमल	तहसील-मऊ ,बाँदा
8-	श्री छोटेलाल	बाँदा
9-	श्री जमुना प्रसाद बोस	बलवान गंज,बाँदा
10-	श्री जुम्मन खान	बबेरू, बाँदा
11-	श्री ननकू	बाँदा
12-	श्री नारायण प्रसाद	बाँदा
13-	श्री फलकी सिंह	ग्राम-गौरी कलाँ,बाँदा
14-	श्री बद्री	नरैनी,बाँदा
15-	श्री बिन्दा सिंह	तहसील- बबेरू,बाँदा
16-	श्री बृजमोहन लाल गुप्त	बाँदा
17-	श्री भुजबल सिंह	बबेरू,बाँदा
18-	श्री महावीर	बाँदा
19-	श्री महेश्वरी	निम्मीपार(तहसील-बाँदा
20-	श्री मैयादीन सिंह	बाँदा
21-	श्री रघुवर दयाल	चिगुर, बाँदा
22-	श्रीमती रामकली	बाँदा
23-	श्री राम नारायण	करवी,बाँदा
24-	श्री राम प्रसाद	नरैनी,बाँदा
25-	श्री रामेश्वर	राजापुर,बाँदा
26-	श्री सरजू प्रसाद	बाँदा
27-	श्री सुरेश चन्द्र जैन	बलवान गंज,बाँदा

क्र०	नाम	स्थान
28-	श्री सुबराती	बाँदा
29-	श्री साँवले सिंह	बबेरू, बाँदा
30-	श्री सूरज प्रसाद	मदीन नाका, बाँदा

जिला-हमीरपुर[1]

1-	श्री अनन्दी प्रसाद अग्रवाल	राठ, हमीरपुर
2-	श्री अशर्फी लाल सक्सेना	तहसील-चरखारी, हमीरपुर
3-	श्री आजाद उर्फ उज्मन अली	तहसील-महोबा, हमीरपुर
4-	श्री उदय राम	हमीरपुर
5-	श्री गया सिंह	कंगोहाला, हमीरपुर
6-	श्री गोकुल प्रसाद दिहुलिया	चरखारी, हमीरपुर
7-	श्री चुन्नी लाल	हमीरपुर शहर
8-	श्री जगरूप सिंह	सुमेरपुर, हमीरपुर
9-	श्री जुझार सिंह	ग्राम-श्रीनगर, हमीरपुर
10-	श्री जै देव	मजगवाँ, हमीरपुर
11-	श्री पारीक्षत मुखिया	ग्राम-पहाड़िया, हमीरपुर
12-	श्री प्राग सिंह	कुलपहाड़, हमीरपुर
13-	श्री फूल चन्द	कोतवाली, हमीरपुर

1- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक - एस० पी० भट्टाचार्य

क्र0	नाम	स्थान
14-	श्री बिन्द्रावन	राठ, हमीरपुर
15-	श्री भगवान दास लोधी	थाना-महोबकंठ, हमीरपुर
16-	श्री भगवान दास मिश्र	गोरहारी, हमीरपुर
17-	श्री महादेव अवस्थी	महोबा, हमीरपुर
18-	श्री मुकुन्द लाल स्वर्णकार	राठ, हमीरपुर
19-	श्रीमती राजेन्द्र कुमारी	मगरौठ, हमीरपुर
20-	श्री रामदयाल	ग्राम-जरखराम, हमीरपुर
21-	श्री रामसेवक	मझगवाँ, हमीरपुर
22-	श्री रामाधर	ग्राम- जमखुरी, हमीरपुर
23-	श्री विद्याधर	बनवारी, हमीरपुर
24-	श्री दीवान शत्रुघ्न सिंह	मगरौठ, हमीरपुर
25-	श्री भगवानदास अरजरिया- "बालेन्दु"	कुलपहाड़, हमीरपुर
26-	श्रीमती किशोरी देवी	कुलपहाड़, हमीरपुर
27-	श्री रज्जाक	कुलपहाड़, हमीरपुर
28-	श्री सुन्दर लाल	गोरहारी, हमीरपुर
29-	श्री सुरेन्द्र दत्त बाजपेई	सुमेरपुर, हमीरपुर
30-	श्री हीरा लाल	राठ, हमीरपुर

जिला-जालौन [1]

क्र0	नाम	स्थान
1-	श्री अकबर सिंह	पो0 कुरसी, जालौन
2-	श्री कालीचरण बसरिया	कौंच, जालौन

1- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक -एस. पी. भट्टाचार्य.

क्र0	नाम	स्थान
3-	श्री कुन्दन लाल द्विवेदी	ग्राम-उमरी, जालौन
4-	श्री कृष्ण स्वरूप शर्मा	कालपी, जालौन
5-	श्री गोपाल दास तिवारी	कालपी, जालौन
6-	श्री पं0 चतुर्भुज शर्मा	उरई, जालौन
7-	श्री चित्तर सिंह निरंजन	कोंच, जालौन
8-	श्री तखत सिंह	ग्राम-मुसमरिया, जालौन
9-	श्री नारायण स्वामी उर्फ रघुनन्दन	कालपी, जालौन
10-	श्री प्रयाग नारायण मिश्रा	एट, जालौन
11-	श्री बद्री प्रसाद गुरवार	जालौन
12-	श्री बनवारी लाल	उरई, जालौन
13-	श्री बंशीधर	जालौन
14-	श्री बाल कृष्ण खरे	उरई, जालौन
15-	श्री मोतीचन्द्र वर्मा	कालपी, जालौन
16-	श्री रघुनाथ प्रसाद त्रिपाठी	मुसमरिया, जालौन
17-	श्री राम गोपाल गुप्त	कोंच, जालौन
18-	श्री रामदयाल पाँचाल	कस्सा, जालौन
19-	श्री रामबली सिंह	ग्राम- मुसमरिया, जालौन
20-	श्री लल्लू सिंह	बंगरा, जालौन
21-	श्री विजय सिंह	एट, जालौन
22-	श्री शम्भूदयाल शशांक	उरई, जालौन
23-	श्री सुल्तान सिंह गुर्जर	बंगरा, जालौन
24-	श्री शिवराम श्रीवास्तव	उरई, जालौन

क्र0	नाम	स्थान
25-	श्री मोतीचन्द्र वर्मा	कालपी, जालौन
26-	श्री मुहम्मद शकूर	माधौगढ़, जालौन
27-	श्री भगवान दास अग्रवाल	कौंच, जालौन
28-	श्री चन्द्रभान विद्यार्थी	कालपी, जालौन

—— :0: ——

खण्ड-अ

अहिंसात्मक आन्दोलन :-

1920 ई० से 1947 ई० तक बुन्देलखण्ड में गाँधी जी की अगुवाई में अथवा नेतृत्व में जो आन्दोलन चले, वह समस्त अहिंसात्मक आन्दोलन थे, परन्तु कुछ अहिंसात्मक आन्दोलन यहाँ की जनता ने व्यक्तिगत रूप से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध चलाये थे । इन आन्दोलनों से काँग्रेस द्वारा चलाये जारहे विभिन्न अहिंसात्मक आन्दोलनों को बल मिला था एवं बुन्देलखण्ड की जनता में स्वाधीनता आन्दोलन के प्रति रुझान हुआ तथा ब्रिटिश सरकार के प्रति द्वेष एवं घृणा की भावना उत्पन्न हुयी । इन आन्दोलनों में प्रमुख है — जिला झाँसी मऊरानीपुर का "किसान आन्दोलन", जिला हमीरपुर का " वाणी-बहिष्कार आन्दोलन", समस्त बुन्देलखण्ड में चलाया गया "व्यक्तिगत आन्दोलन" एवं "लगान आन्दोलन" । व्यक्तिगत आन्दोलन एवं लगान आन्दोलन में तो सैकड़ों की संख्या में आन्दोलनकारी जेल गये थे ।

किसान आन्दोलन :-

मऊरानीपुर जिला झाँसी में यह आन्दोलन 2 जून, 1932 ई० को हुआ जिसमें पं० जवाहर लाल नेहरू एवं उनकी पुत्री इन्दिरा गाँधी मऊरानीपुर आयी थीं । यह किसान सभा, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहर लाल नेहरू ने की थी, लाल बाजार में थी । इस किसान सभा में समस्त बुन्देलखण्ड के अनेक जागीरदार, काँग्रेसी नेता एवं जनता ने भाग लिया था । इस सभा में जागीरदार ठाकुर सुमेरसिंह,

रामनाथ त्रिवेदी, ठाकुर प्रसाद टंटा, रामेश्वर प्रसाद शर्मा, रामनाथ राव, घासीराम व्यास [सभी मऊरानीपुर],श्री र०वि० धुलेकर, आत्माराम गोविन्द खेर, कालका प्रसाद अग्रवाल [सभी झाँसी से],दीवान शत्रुघ्न सिंह, भगवान दास बालेन्दु,रानी - राजेन्द्र कुमारी मगरौठ [सभी हमीरपुर से] सम्मिलित हुए थे। मध्यान्ह लगभग 2 बजे सभा लाल बाजार मऊरानीपुर में आरम्भ हुई, परन्तु प्रशासन ने धारा 144 लगाकर सभा को चारों ओर से घेर लिया। जनता ने पुलिस के सामने "गाँधी- नेहरू जिन्दाबाद" के नारे लगाये थे।[1]

बाती-बहिष्कार आन्दोलन हमीरपुर :-

यह आन्दोलन 1932 ई० में कुलपहाड़ जिला-हमीरपुर में चलाया गया था। यह अपने तरह का अनूठा आन्दोलन था। इस आन्दोलन में कुलपहाड़ कस्बे की समस्त जनता ने पुलिस का बहिष्कार के साथ-साथ उनसे बातचीत करना भी बन्द कर दी थी। इस आन्दोलन में सैकड़ों लोग जेल में गये थे। इस आन्दोलन का नेतृत्व दीवान शत्रुघ्न सिंह की पत्नी रानी राजेन्द्र कुमारी मगरौठ ने किया था। इस आन्दोलन में हमीरपुर व झाँसी जिले के अतिरिक्त चरखारी, सरीला, जिगनी, छतरपुर एवं टीकमगढ़

1- राष्ट्रकवि घासीराम व्यास - रामचरण ह्यारण, पृष्ठ 44-45.

बुन्देली - स्वातन्त्र्य - चेतना के अग्रदूत

कवि - केशरी श्री भगवानदास 'बालेन्दु'

के देशी रियासतों के कार्यकर्ताओं ने भी सहयोग किया था । बाद में यह आन्दोलन समस्त जिले में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक जन-आन्दोलन बन गया था । जब आन्दोलन ने एक विराट रूप ले लिया तब एक गुप्त बैठक में पुरुषोत्तम दास टण्डन ने दीवान शत्रुघ्न सिंह तथा भगवान दास बालेन्दु को भूमिगत होकर गुप्त रूप से आन्दोलन का संचालन करने का निर्देश दिया । दोनों नेताओं ने जंगल में रिछवाहा ग्राम में छुप कर आन्दोलन का संचालन किया । बाद में भगवानदास बालेन्दु की गिरफ्तारी पर 500/= रु० का इनाम घोषित किया एवं घर की कुर्की करवा ली गयी । अंग्रेज जिला अधिकारी ने समस्त हमीरपुर में दमनचक्र प्रारम्भ करवा दिया । जिला अधिकारी मि० गार्डन ने समस्त जिले की पूर्ण रूप से नाका-बन्दी करवा दी । अन्त में अंग्रेज अधिकारियों की चुनौती पर महोबा में कांग्रेस की एक विराट जिला कॉन्फ्रेन्स की योजना बनायी । कॉन्फ्रेन्स की तारीख 2 जुलाई 1932 ई० रखी गई । इस चुनौती पर गवर्नर हेली मालकम एवं जिला अधिकारी गार्डन ने कानपुर व इलाहाबाद से रिजर्व पुलिस बुलाकर महोबा को चारों ओर से घेरवा दिया । अदालतें एवं शिक्षा संस्थायें बन्द करवा दी। बिना परमिट के महोबा में प्रवेश निषेध करवा दिया ।[1]

इधर कांग्रेस दल की गुप्त सभा में कार्यकर्ताओं को यह सूचित किया गया कि 2 जुलाई को जिस स्थान पर प्रथम विस्फोट होगा वहाँ पर झण्डा-अभिवादन होगा एवं वहाँ पर दूसरा बम-

---

1- अनासक्त मनस्वी, पृष्ठ 198-200.

विस्फोट होगा वहाँ कॉन्फ्रेन्स होगी ।[1] इस प्रकार 2 जुलाई को प्रात:6 बजे बम का विस्फोट बाँध के पास हुआ । तुरन्त स्वयं सेवकों ने बाँध पर चढ़ कर झण्डा फहराया और "झण्डा ऊँचा रहे-हमारा" गाना प्रारम्भ कर दिया । इस कार्य में लगभग 70 कार्य-कर्ता बन्दी बनाये गये । समस्त पुलिस इधर उलझ गयी । उधर उत्तर की ओर लगभग 100 प्रतिनिधियों ने अवसर पाकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के बंगले पर जाकर, बारामदे से मेज-कुर्सी निकाल कर मैदान में सम्मेलन आरम्भ कर दिया । जब तक पुलिस यहाँ तक पहुँचती, तब तक स्वागताध्यक्ष तथा सभापति ने सभा की कार्यवाही आरम्भ कर दी । इस मुहिम में सैकड़ों व्यक्ति गिरफ्तार हुए । महोबा नगर की समस्त हवालात भर गये, परन्तु फिर पुलिस, दीवान जी एवं बालेन्दु जी को नहीं पकड़ सकी । बाद में चार माह बाद यह लोग झाँसी नगर में पकड़े गये ।[2]

लगान एवं व्यक्तिगत आन्दोलन :-

ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1941 ई० में व्यक्तिगत तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान बढ़ाये जाने के विरोध में 1930 ई० में विशाल जन-आन्दोलन हुए थे । उससे समस्त प्रशासन हिल गया था ।

1- कंचन प्रभा मासिक पत्रिका का अप्रैल, 1975 ई० का अंक, प्रकाशन-स्थल कानपुर, उत्तर प्रदेश ।

2- वही.

जेलों में बन्दियों के लिये स्थान नहीं रहा था । बुन्देलखण्ड जिले के चारों जिलों -- झाँसी, बाँदा, जालौन तथा हमीरपुर के समस्त जिला कारागार भर गये थे । ब्रिटिश सरकार ने भी अपना दमनचक्र चलाया और प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज एवं कहीं-कहीं गोलियाँ चलाई गयीं । पहाड़िया ग्राम जिला- हमीरपुर में भी गोली चली थी ।

सन् 1930 ई० के "लगान विरोधी आन्दोलन" में बन्दी बनाये गये लोगों की सूची निम्न प्रकार है[1] :-

जिला- बाँदा

क्रमांक	नाम व्यक्ति	स्थान
1-	श्री नारायण	बबेरू, बाँदा
2-	श्री पुरुषोत्तम	करवी, बाँदा
3-	श्री बिन्दा सिंह	बबेरू, बाँदा
4-	श्री मुन्ना खाँ	बाँदा
5-	श्री रामकुमार	मऊ, बाँदा
6-	श्री शिव कुमार	करवी, बाँदा
7-	श्री सुबराती	बाँदा

1- स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, भाग-1, झाँसी डिवीजन, एस० पी० भट्टाचार्य [सम्पादक], सूचना विभाग उत्तर प्रदेश ।

जिला-हमीरपुर

क्रमांक	नाम व्यक्ति	स्थान
1-	श्री अमीर बख्श	महोबा, हमीरपुर
2-	श्री कामता प्रसाद	पुरैनी, हमीरपुर
3-	श्री कामता प्रसाद आत्मज श्री दुर्गा प्रसाद	महोबा, हमीरपुर
4-	श्री कुँवर कुलध्वज सिंह	मझगवाँ, हमीरपुर
5-	श्री गयादीन	गोहन्द, हमीरपुर

जिला-जालौन

क्रमांक	नाम व्यक्ति	स्थान
1-	श्री बद्री प्रसाद पुरवार	मोटर स्टैण्ड, जालौन
2-	श्री बेनीमाधव तिवारी	कालपी, जालौन
3-	श्री श्याम सुन्दर दीक्षित	कालपी, जालौन

सन् 1941 ई० के "व्यक्तिगत आन्दोलन" में बन्दी बनाये गये बुन्देलखण्ड के सत्याग्रही की सूची निम्नवत् है[1]:-

क्रमांक	नाम	स्थान
1-	श्रीमती अन्नपूर्णा देवी भदौरिया-	उमरी, जालौन
2-	श्री अयोध्या हरिजन	रामपुरा, जालौन

1- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक - सम्पादक भट्टाचार्य 1963, सूचना विभाग उत्तर प्रदेश की सूची के अनुसार व्यक्तिगत आन्दोलन में बन्दी बनाये गये सत्याग्रहियों की संख्या लगभग 100 है ।

क्रमांक	नाम व्यक्ति	स्थान
3-	श्री अशरफी लाल	मुसमरिया, जालौन
4-	श्रीओछे	उमरी, जालौन
5-	श्री कुंजी लाल	पिण्डारी, जालौन
6-	श्री कुंदन लाल श्रीवास्तव	बसरी कलां, जालौन
7-	श्री कामता प्रसाद	बसरीकलां, जालौन
8-	श्री कालीचरण बसारिया	कोंच, जालौन
9-	श्री कुन्दन लाल द्विवेदी	उमरी, जालौन
10-	श्री कृपाराम वर्मा	कोंच, जालौन
11-	श्री कृष्ण गोपाल शर्मा	कालपी, जालौन
12-	श्री कृष्ण स्वरूप शर्मा	कालपी, जालौन
13-	श्री गंगा प्रसाद	कोंच, जालौन
14-	श्री गोकुल सिंह	उमरी, जालौन
15-	श्री गोपाल चौरसिया	गरहर, जालौन
16-	श्री छदामी लाल	कुसमिलिया, जालौन
17-	श्री जगन्नाथ प्रसाद सक्सेना	हदरुख, जालौन
18-	श्री मुहम्मद शकूर	माधौगढ़, जालौन
19-	श्री माया देवी	उरई, जालौन
20-	श्री हरगोविन्द दयाल	हदरुख, जालौन
21-	श्री शेर खान	पिण्डारी, जालौन
22-	श्री लखपत सिंह	मुसमरिया, जालौन
23-	श्री लाल सिंह सागर	उमरी, जालौन
24-	श्री रामेश्वर दयाल	मुहम्मदाबाद, जालौन
25-	श्री रामप्रताप सिंह निरंजन	एट, जालौन

जिला-बाँदा[1]

क्रमांक	नाम व्यक्ति	स्थान
1-	श्री अन्तु	तरखरी, बाँदा
2-	श्री बैजन प्रसाद	बाँदा
3-	श्री गणेश प्रसाद	बबेरू, बाँदा
4-	श्री गया प्रसाद	नरैयनी, बाँदा
5-	श्री गुनकई	बबेरू, बाँदा
6-	श्री छोटे लाल	बाँदा
7-	श्री जगदीश प्रसाद	करवरिया, बाँदा
8-	श्री जगनत सिंह	सन्दा, बाँदा
9-	श्री जुम्मन खान	बबेरू, बाँदा
10-	श्री दीनदयाल गुप्ता	पलारा, बाँदा
11-	श्री देवी दास	करवी, बाँदा
12-	श्री द्वारिका ब्राम्हण	मऊ, बाँदा
13-	श्री बल्देव प्रसाद गुप्त	करवी, बाँदा
14-	श्री बिन्दा	बाँदा
15-	श्री बेकल	मऊ, बाँदा
16-	श्री बोधी सिंह	बबेरू, बाँदा
17-	श्री भुवनेश्वर शुक्ल	मऊ, बाँदा
18-	श्री राजाराम कनौजिया	नरैयनी, बाँदा
19-	श्री राम अधार	नरैयनी, बाँदा
20-	श्री राम किशोर	करवी, बाँदा
21-	श्री राम जियावन	बबेरू, बाँदा

1- स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, एस. पी. भट्टाचार्य 1963 ई०, सूचना विभाग उत्तर प्रदेश ।

क्रमांक	नाम व्यक्ति	स्थान
22-	श्री राम शरण	करवी, बाँदा
23-	श्री रामसनेही सिंह	बबेरू, बाँदा
24-	श्री सुख नन्दन प्रसाद	नरैयनी, बाँदा
25-	श्री श्याम चरण बाजपेई	कलवन गंज, बाँदा

हमीरपुर जनपद[1]

1-	श्री अच्छे दोआ	कुलपहाड़, हमीरपुर
2-	श्री अयोध्या प्रसाद (पहाड़िया गोलीकाण्ड में बन्दी)	पहाड़िया, हमीरपुर
3-	श्री अमीर बख्श	महोबा, हमीरपुर
4-	श्री अरकू (पहाड़िया-गोली काण्ड में बन्दी)	क्यारजो, हमीरपुर
5-	श्री आनन्द प्रसाद	वीरपुर, हमीरपुर
6-	श्री उमादत्त शुक्ल	महोबा, हमीरपुर
7-	श्री कमलापति	गोहन्द, हमीरपुर

1- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक, एस. पी. भट्टाचार्य (सम्पादक) सत्याग्रहियों की संख्या सौ से ऊपर है । यहाँ पर संक्षेप्त में सूची बनाई गयी है ।

क्रमांक	नाम व्यक्ति	स्थान
8-	श्री करलोरा (पहाड़िया गोली काण्ड में बन्दी)	पहाड़िया, हमीरपुर
9-	श्री कसिया (पहाड़िया गोली काण्ड में बन्दी)	पहाड़िया, हमीरपुर
10-	श्रीमती कान्ती देवी	पनवाड़ी, हमीरपुर
11-	श्री खानबू लाल	खेरा शिलाजीत, हमीरपुर
12-	श्री खलक सिंह (पहाड़िया गोली काण्ड में बन्दी)	क्यारावो, हमीरपुर
13-	श्री गंगादीन	बरिया, हमीरपुर
14-	श्री गंगानाथ	थाना-मुस्करा, हमीरपुर
15-	श्री गक्क महतो	औन्ता, हमीरपुर
16-	श्री गोविन्द माधव	पगवल, हमीरपुर
17-	श्री गोरी शंकर	थाना-मुस्करा, हमीरपुर
18-	श्री ठक्की लाल (पहाड़िया गोली काण्ड में बन्दी)	क्यारवो, हमीरपुर
19-	श्री जगन्नाथ सिंह	कबरई, हमीरपुर
20-	श्री जाहिर सिंह	कबरई, हमीरपुर

क्रमांक	नाम व्यक्ति	स्थान
21-	श्री दयाराम यादव	राठ, हमीरपुर
22-	श्री दल सिंह [सरीला रियासत के आन्दोलन में पुलिस के लाठी चार्ज में शहीद हुए]	सरीला, हमीरपुर
23-	श्री दुर्गा [पहाड़िया गोली काण्ड में बन्दी]	पहाड़िया, हमीरपुर
24-	श्री दुर्जन [पहाड़िया गोली काण्ड में बन्दी]	पहाड़िया, हमीरपुर
25-	श्री हीरामन	मकावाँ, हमीरपुर

झाँसी जनपद[1]

1-	श्री अयोध्या प्रसाद तिवारी	बानपुर, झाँसी
2-	श्री अहमद खान पहलवान	ललितपुर, झाँसी
3-	श्री अक्षरानन्द	गुरसराय, झाँसी

1- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक, एस० पी० भट्टाचार्य .

क्रमांक	नाम व्यक्ति	स्थान
4-	श्री कन्हई	महरोनी, झाँसी
5-	श्री कामता प्रसाद बदली	बेन्होरा, झाँसी
6-	श्री काली प्रसाद द्विवेदी	गरौठा, झाँसी
7-	श्री काली चरण निगम	चौधरयाना, झाँसी
8-	श्री कुन्दन लाल	महावरा, झाँसी
9-	श्रीमती केसरबाई	ललितपुर, झाँसी
10-	श्री खलक सिंह	महरोनी, झाँसी
11-	श्री खेमचन्द चौरसिया	झाँसी
12-	श्री गंगाधर राव	झाँसी
13-	श्री सिद्ध गोपाल तिवारी	मोंठ, झाँसी
14-	श्री गोपाल दास	महावरा, झाँसी
15-	श्री गोविन्द दास जैन	पाली, झाँसी
16-	श्री जमुना प्रसाद	लालबेल्ट, झाँसी
17-	श्री कुण्डन लाल चौबे	सिमरधा, झाँसी
18-	श्री ठाकुर दास शर्मा	ललितपुर, झाँसी
19-	श्री त्यागी बाबा	सिमलौआ, झाँसी
20-	श्री नजर मोहम्मद कादरी	एरच, झाँसी
21-	श्री नत्थूराम श्रीवास्तव	लुहार गाँव, झाँसी
22-	श्री परमानन्द	बार, झाँसी
23-	श्री बंसगोपाल वर्मा	चौधरयाना, झाँसी
24-	श्री बैजनाथ	ललितपुर, झाँसी
25-	पं० श्री भगवानदास उपाध्याय	झाँसी
26-	श्री रामजी शर्मा	लालबेल्ट, झाँसी.

क्रमांक	नाम व्यक्ति	स्थान
27-	श्री रामनाथ	गरौठा, झाँसी
28-	श्री रामपाल सिंह	तालबेहट, झाँसी
29-	श्री रामरतन गोस्वामी	तालबेहट, झाँसी
30-	श्री शफीक अहमद	नरसिंहराव, झाँसी

------:0:------

खण्ड-ब

क्रान्तिकारी आन्दोलन

20वीं शदी के प्रथम दशक से भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की तीन विभिन्न धारायें अथवा शाखायें बन गयी थीं। प्रथम- उदारवादी, दूसरी- उग्रवादी एवं तीसरी- शाखा थी आतंकवादी अथवा क्रान्तिकारी।

आतंकवादी अथवा क्रान्तिकारी भी उग्र राष्ट्रीयता का ही एक भाग था, किन्तु यह लोग विदेशी शासन से मुक्ति के लिये हिंसा का प्रयोग आवश्यक समझते थे। क्रान्तिकारी अथवा आतंक-वादी का उदय भारत में 1764 ई0 से सन्यासियों के विद्रोह से आरम्भ हो गया था। इसका विराट स्वरूप 1857 ई0 के प्रथम स्वतन्त्रता समर उदय होकर 1947 ई0 में समाप्त हो जाता है। इन 183 वर्षों के इतिहास में कभी इसकी धारा तीव्र एवं कभी धीमी चलती रही। 1857 ई0 के बाद इस आन्दोलन का उदय 1899 ई0 में होता है, जब महाराष्ट्र में मि0 रैण्ड एवं लेफ्टिनेन्ट आयरेस्ट नाम के दो ब्रिटिश आफीसरों को गोली का शिकार बनाया गया था। इस क्रान्तिकारी आन्दोलन को आगे बढ़ाने का श्रेय जिन वीर पुरुषों को जाता है, उनके नाम हैं -- सावरकर, चापेकर बन्धु, वीरेन्द्र - कुमार घोष (अरविन्द घोष के छोटे भाई), भूपेन्द्र नाथ दत्त[1] पंजाब में सरदार अजीत सिंह। आगे चल कर "गदर पार्टी की

1- यह विवेकानन्द के छोटे भाई थे।

की स्थापना हुई । इस पार्टी के प्रमुख क्रान्तिकारी थे-- हरदयाल, मौलाना बरकत उल्लाह एवं पण्डित परमानन्द ।[1]

1920 ई० में क्रान्तिकारियों का प्रमुख गढ़ पंजाब एवं संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) हो गया था । इन प्रान्तों में रिपब्लिक आर्मी की स्थापना हुई । इस दल के प्रमुख सदस्य थे ---

1- श्री चन्द्र शेखर आजाद
2- श्री सरदार भगत सिंह
3- पण्डित श्री रामप्रसाद बिस्मिल
4- श्री अशफाक उल्लाह खान
5- श्री भगवान दास माहोर
6- मास्टर रुद्र नारायण
7- श्री सुखदेव एवं
8- श्री राजगुरु ।[3]

बुन्देलखण्ड में क्रान्तिकारी आन्दोलन :-

सन् 1857 ई० के प्रथम स्वतन्त्रता समर में जो भूमिका अदा की थी, वह भारतीय इतिहास में एक मील के पत्थर के समान है । इसके पश्चात् भी विदेशी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलने वाले

1- भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास, पृष्ठ-76.
2- झाँसी गजेटियर 1965, डॉ बी. जोशी, पृष्ठ-72.

जनपद में क्रांति - चेतना के अग्रदूत

बालेन्दुजी के प्रेरक सहकर्मी
बुन्देलखण्ड केशरी दीवान शत्रुघ्नसिंह

हिंसात्मक एवं अहिंसात्मक आन्दोलनों में भी बुन्देलखण्ड ने प्रमुख भूमिका निभाई ।

1857 ई० के स्वतन्त्रता समर में बुन्देलखण्ड की महारानी लक्ष्मीबाई, तात्यां टोपे, बाँदा के नवाब अली बहादुर एवं बानपुर के राजा मर्दन सिंह का रण क्षेत्र रहा । इसी प्रकार बीसवीं शताब्दी के क्रान्तिकारी आन्दोलन के प्रमुख कर्णधार अमर क्रान्तिकारी चन्द्र शेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, भगवान दास माहौर, सदाशिवराव मलकापुरकर, मास्टर रुद्र नारायण, गदर पार्टी के प्रमुख सदस्य पं० परमानन्द एवं मेरठ कॉसप्रेसी केस के प्रमुख सदस्य कामरेड अयोध्या प्रसाद, लक्ष्मण राव कदम एवं पण्डित राम सेवक रावत का कर्म-स्थल रहा ।[1]

बुन्देलखण्ड में क्रान्तिकारी गतिविधियों के प्रमुख केन्द्र जिला झाँसी एवं जिला हमीरपुर रहा था । झाँसी जिले में चन्द्रशेखरआजाद, मास्टर रुद्र नारायण, भगवान दास माहौर, सदाशिवराव मलकापुरकर एवं खनिया धाना नरेश खलक सिंह जू देव थे ।[2]

जिला हमीरपुर में पण्डित परमानन्द, दीवान शत्रुघ्न सिंह, पण्डित बालेन्दु अरजरिया[3] एवं राजाराम अग्रवाल प्रमुख क्रान्तिकारी नेता थे ।[4]

1- श्री भगवान दास माहौर, लेख भगवान दास, पृष्ठ- 10 .
2- क्रान्तिकारी आजाद - शंकर सुल्तानपुरी, पृष्ठ- 69.
3- अनासक्त मनस्वी - बालेन्दु अभिनन्दन ग्रन्थ, पृष्ठ-190.
4- पं० परमानन्द अभिनन्दन ग्रन्थ [उत्तरार्द्ध], पृष्ठ- 44.

जिला ललितपुर में नरायण दास खरे[1] और उरई जिला-जालौन में वीरभद्र तिवारी भी क्रान्तिकारी दल के प्रमुख सदस्य थे ।[2]

झाँसी जिले की क्रान्तिकारी गतिविधियाँ :-

पंजाब की "नौजवान भारत सभा" तथा संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) की "शोसलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन" का एकीकरण होकर एक नये दल "हिन्दुस्तान शोसलिस्ट रिपब्लिकन-आर्मी" की स्थापना की गई, इसका मुख्य केन्द्र झाँसी था ।[3]

1923-24 ई0 में शचीन्द्र नाथ बख्शी क्रान्तिकारी दल को संगठित करने के लिये झाँसी आये थे । यहाँ पर उन्होंने मास्टर रुद्र नारायण एवं नाथूराम माहौर के साथ मिलकर "हिन्दुस्तान शोसलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी" के मुख्य केन्द्र की स्थापना की ।[4] इस दल का मुख्यालय मोहल्ला टकसाल में स्थित मास्टर रुद्रनारायण का घर बनाया गया ।[5] मास्टर रुद्र नारायण जो कि पहले से ही क्रान्तिकारी गतिविधियों में संलग्न थे,अपने घर में उन्होंने नौजवानों

1- यश की धरोहर, पृष्ठ- 143.

2- क्रान्तिकारी आजाद - शंकर सुल्तानपुरी, पृष्ठ-79.

3- भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन - वैद्य, भगवानदास, पृष्ठ-82.

4- झाँसी गजेटियर 1965 - ई. बी. जोशी (सम्पादक), पृ0- 72.

5- क्रान्तिकारी आजाद -माहौर, भगवानदास माहौर, पृ056-57.

के लिये एक अखाड़ा खोले हुए थे । यह अखाड़ा क्रान्तिकारी दल के लिये नौजवानों को चुनने के लिये बहुत लाभप्रद सिद्ध हुआ । मास्टर साहब के इस अखाड़े के माध्यम से सदाशिव राव मल्का-पुरकर, भगवान दास माहौर, विश्वनाथ गंगाधर वैशम्पायन, बाल कृष्ण गिधौरी वाले, सोमनाथ, कालिका प्रसाद अग्रवाल एवं कैलाशपति आदि नौजवानों को क्रान्तिकारी दल के सदस्यों के रूप में चुना था ।[1] शचीन्द्र नाथ बख्शी ने मास्टर रुद्र नारायण का सम्पर्क देश के अन्य क्रान्तिकारी एवं "हिन्दुस्तान सोसलिस्ट - रिपब्लिकन आर्मी" के प्रमुख सदस्यों से करवाया, जिसमें चन्द्र शेखर आजाद एवं पण्डित रामप्रसाद बिस्मिल प्रमुख थे ।[2] सन् 1924 ई० में चन्द्र शेखर आजाद किसी कार्य से झाँसी आये थे । झाँसी में शचीन्द्र नाथ बख्शी ने समस्त नौजवानों को, जो क्रान्तिकारी दल के सदस्य बन गये थे, उनका परिचय चन्द्र शेखर आजाद से करवाया । अपने सरल स्वभाव के स्वरूप परिचय में ही "आजाद" इन नौजवानों से खूब घुल-मिल गये । इस समय मास्टर रुद्र नारायण एवं चन्द्र शेखर आजाद के सम्बन्ध भी बहुत घनिष्ठ हो गये थे । भगवान दास माहौर एवं चन्द्र शेखर आजाद की प्रथम भेंट शचीन्द्र बख्शी के झाँसी स्थित निवास मोहल्ला मुकरयाने में हुयी थी ।[3]

1- यश की धरोहर - माहौर भगवान दास, पृ056-57.

2- भगवान दास माहौर - सेन भगवान दास, पृ0- 11.

3- तदैव.

सुखदेव

1925 ई0 में "काकोरी केस" में फरार की हैसियत से चन्द्र शेखर आजाद एक बार फिर झाँसी आये और टकसाल स्थित मास्टर रूद्र नारायण के मकान में ठहरे और वहीं से दल का संचालन करते रहे, परन्तु झाँसी शहर में खुफिया पुलिस (गुप्तचर पुलिस) का जाल बिछा रहने के कारण मास्टर साहब ने उनके रहने का प्रबन्ध झाँसी नगर से सात मील दूर ओरछा राज्य के "ढिमरपुरा"[1] नामक गाँव में, जो कि सातार नदी के तट पर स्थित था, कर दिया। वहाँ पर वह साधु के भेष में रहे ।[2]

कुछ समय पश्चात् चन्द्र शेखर आजाद पुन: झाँसी आये । सम्भवत: 1926 ई0 में गुप्तचर विभाग का समस्त अमला (फोर्स) उनके पीछे साये की तरह लगा हुआ था, इस कारण झाँसी आकर वह बुन्देलखण्ड मोटर वर्क्स[3] में एपरेन्टिस के रूप में कार्य करने लगे।[4] मोटर कम्पनी में काम करने वाले एक साथी रामानन्द मोटर ड्राईवर के साथ उनके मकान में, जो कि नई बस्ती में स्थित था, रहने लगे ।[5]

1926 ई0 में ही प्रसिद्ध क्रान्तिकारी सुखदेव एवं राजगुरू भी काफी समय तक झाँसी आकर रहे थे । झाँसी जिले के सघन जंगलों में उन्होंने निशानेबाजी का अभ्यास भी किया था ।[6]

1- यह वर्तमान में "आजादपुर" से जाना जाता है ।

2- तदैव.

3- वर्तमान में यह "बापू मोटर वर्क्स" के नाम से मिनर्वा सिनेमा के पास, गुलाम गौस चौराहे के पास स्थित है । उस समय यह मिशन स्कूल जेल चौराहे पर स्थित था ।

4- झाँसी गजेटियर-1965 , ई0 बी0 जोशी, पृ0-72.

5- भगवान दास माहौर - सेठ भगवान दास, पृ0-11.

6- झाँसी गजेटियर, जोशी, पृ0-72.

शिवराम हरि राजगुरू

1928 ई० में सरदार भगत सिंह भी झाँसी आकर फरारी हालात में रहे । झाँसी जिले के बबीना स्थित कस्बे में उन्होंने बम एवं हथगोलों का परीक्षण भी किया था ।[1]

उपरोक्त क्रान्तिकारी दल के अतिरिक्त झाँसी नगर के अनेक अन्य लोग भी अपने-अपने ढंग से क्रान्तिकारी कार्यकलापों में संलग्न रहे । कृष्ण गोपाल शर्मा जो क्रान्तिकारी विचारों के निर्भीक पत्रकार थे, झाँसी में "क्रान्तिकारी" नामक एक साप्ताहिक समाचार-पत्र निकाला करते थे । इस समाचार-पत्र में क्रान्तिकारी लेख एवं क्रान्तिकारियों के कारनामों की खबरें छापने के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हेंगिरफ्तार कर लिया । बाद में उन्हें चार साल की कैद की सजा हुयी थी ।[2] कृष्ण गोपाल शर्मा के अन्य दो भाई रामेश्वर प्रसाद शर्मा एवं लक्ष्मी नारायण शर्मा भी उनके साथ क्रान्तिकारी कार्यकलापों में संलग्न रहे ।[3]

"मेरठ षड्यन्त्र" केस में झाँसी के लक्ष्मण राव कदम, कामरेड अयोध्या प्रसाद (भवानीपुर), कामरेड बेन्जामिन एवं कामरेड एन०के० खान ने भाग लिया था । इस केस में लक्ष्मण राव कदम एवं कामरेड अयोध्या प्रसाद को सजा भी हुयी थी ।[4]

1- झाँसी गजेटियर 1965 ई०, जोशी, पृ०-72.

2- भगवान दास माहौर - लेख भगवान दास, पृ०-10.

3- व्यक्तिगत साक्षात्कार -पंडित दुर्गा प्रसाद व्यास उनके मकान 222, वासुदेव मोहल्ला, झाँसी ।

4- "ट्रान्सपोर्ट रिव्यु" कामरेड अयोध्या प्रसाद स्मृति अंक, संपादक- कामरेड हरेन्द्र प्रसाद सक्सेना, पृष्ठ - 6,7 एवं 8.

9 अगस्त, 1925 ई0 के "काकोरी काण्ड" ने ब्रिटिश सरकार का तख्ता हिला कर रख दिया था । इस केस के अधिकतर क्रान्तिकारी अभियुक्त झाँसी आकर रहे, परन्तु ब्रिटिश सरकार द्वारा गुप्तचर पुलिस का जाल चारों ओर बिछा दिया गया । इस कारण यह क्रान्तिकारी अधिक दिनों तक यहाँ पर नहीं रह पाये, क्योंकि झाँसी में भी स्थान- स्थान पर गुप्तचर पुलिस घूम रही थी ।[1] काकोरी केस के बाद क्रान्तिकारी संगठन बिखर गया था । आजाद पुनः आकर दल का पुनर्गठन करने लगे ।[2]

इसी बीच 26 सितम्बर, 1925 ई0 को भारी संख्या में गिरफ्तारियाँ हुयीं । झाँसी नगर के अधिकतर क्रान्तिकारी दल के सदस्य भूमिगत हो गये ।[3] बाद में राजेन्द्र लहड़ी, पण्डित राम प्रसाद "बिस्मिल", रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान, गिरफ्तार हो गये । इस केस का ऐतिहासिक मुकदमा अठारह माह तक लखनऊ में चला । बुन्देलखण्ड के एक क्रान्तिकारी उरई निवासी वीरभद्र तिवारी को किसी कारणवश छोड़ दिया गया ।[4] दफा 121 [सम्राट के विरुद्ध युद्ध घोषणा], 120/अ [राजनैतिक साजिश], 396 [कत्ल एवं डकैती], 302 [हत्या] के अन्तर्गत मुकदमे

1- यश की धरोहर -भगवान दास माहौर, पृ0 56-57.

2- तदैव.

3- क्रान्तिकारी मन्मथ नाथ गुप्त के संस्मरणों का संकलन, पृ0-79.

4- तदैव.

काकोरी षड्यंत्र के शहीद

रामप्रसाद बिस्मिल

अशफाकउल्ला खां

चलाये गये । अन्त में पण्डित राम प्रसाद बिस्मिल,अशफाक उल्लाह खान, राजेन्द्र लाहड़ी एवं रोशन सिंह को मृत्यु दण्ड की सजा दी गयी ।[1]

अन्त में 17 दिसम्बर,1927 ई० को राजेन्द्र लाहड़ी को गोण्डा जिला कारागार में एवं 19 दिसम्बर को पण्डित राम-प्रसाद बिस्मिल व रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में और अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद में फाँसी दे दी गयी ।[2] दल के प्रमुख सदस्यों को फाँसी हो जाने पर चन्द्र शेखर आजाद एकदम टूट-से गये और 27 फरवरी,1931 ई० को एल्फ्रेड पार्क में एक पुलिस - संघर्ष में शहीद हो गये ।[3]

झाँसी नगर में बम काण्ड :-

चन्द्र शेखर आजाद की शहादत के बाद क्रान्तिकारी गतिविधियाँ एकदम शान्त-सी हो गयी थीं । परन्तु झाँसी में चन्द्र शेखर आजाद जो क्रान्ति का पौधा लगा गये,वह धीरे-धीरे फिर हरा होने लगा । हिन्दुस्तानी शोसलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के कुछ सदस्य जिनका नाम रामसेवक रावत,नित्यानन्द एवं अनन्त-प्रकाश था और इनका हेड क्वार्टर्स मास्टर रुद्र नारायण का मोहल्ला

1- क्रान्तिकारी मन्मथनाथ गुप्त के संस्मरणों का संकलन,पृ०- 80-81.

2- तदैव.

3- तदैव. पृष्ठ-124.

टकसाल स्थित घर था । गुप्त रूप से वहाँ पर एकत्रित होकर सभायें करने लगे तथा क्रान्तिकारी गतिविधियों में संलग्न हो गये । पण्डित राम सेवक रावत दल के लिये बम बनाने का कार्य किया करते थे । अप्रैल 1937 ई० को झाँसी नगर के गोला कुँआ स्थित मोहल्ले में एक वीरान खण्डहर में जब पण्डित राम सेवक रावत, नित्यानन्द एवं अनन्त प्रकाश बम बना रहे थे तो किसी कारणवश बम फट गया और भयंकर विस्फोट से सारा वातावरण काँप गया । इस विस्फोट से समस्त झाँसी नगर में सनसनी फैल गयी । यह बम विस्फोट इतना भयंकर था कि इसमें नित्यानन्द एवं अनन्त प्रकाश की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी और पण्डित राम सेवक रावत जी का दाँयाँ हाथ खण्डित हो गया था । बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कई साल जेल में रहे ।[1]

झाँसी एवं ललितपुर जिले के कुछ प्रमुख क्रान्तिकारी

सदाशिव राव मलकापुरकर :-

सन् 1923 ई० में जब शचीन्द्र नाथ बख्शी "हिन्दुस्तान - रिपब्लिकन" संगठन के सम्बन्ध में झाँसी आये और दल के प्रमुख कार्यालय टकसाल स्थित मास्टर रुद्र नारायण के घर पर ठहरे ।

1- व्यक्तिगत साक्षात्कार -पण्डित दुर्गा प्रसाद व्यास, सदस्य - क्रान्तिकारी दल, झाँसी । निवास स्थान 222, मोहल्ला - वासुदेव, झाँसी ।

मास्टर रुद्र नारायण ने सर्वप्रथम जिन दो युवकों को दल का सदस्य बनाया था वे सदाशिव राव मल्कापुरकर एवं विश्वनाथ गंगाधर वैशम्पायन थे ।[1]

साधारण वेश-भूषा वाले पुनीत स्वभाव वाले सदाशिवराव से शचीन्द्र बख्शी बहुत प्रभावित हुए थे । बाद में सदाशिवराव चन्द्रशेखर आजाद के भी बहुत घनिष्ठों में हो गये थे ।[2]

राव साहब का जन्म मध्य प्रदेश के बीना के निकट रस्सी ग्राम में हुआ था । जब वह आठ साल के थे तब उनकी बहिन उन्हें लेकर झाँसी आ गयी थीं । उनकी प्रारम्भिक शिक्षा झाँसी में हुई थी । झाँसी में उनकी शिक्षा मेकडोनल हाई स्कूल [बिपिन बिहारी-कालिज] तथा राजकीय इण्टर कालिज में हुयी थी । जब वह विद्यार्थी थे उसी समय वह मास्टर रुद्र नारायण के सम्पर्क में आये और क्रान्तिकारी गतिविधियों में संलग्न हो गये थे ।[3]

1924 ई० में जब चन्द्र शेखर आजाद "काकोरी" केस में फरार की हालत में झाँसी आये तब सदाशिवराव उनके सम्पर्क में आये थे । राव साहब अपने अन्य साथी भगवान दास माहौर एवं वैशम्पायन सहित दल के प्रमुख सदस्य बन गये थे । उस समय सरदार भगत सिंह एवं फणीन्द्र घोष भी झाँसी आये हुए थे । राव साहब

1- यश की धरोहर, पृष्ठ -57.

2- तदैव.

3- क्रान्तिकारी परमानन्द अभिनन्दन ग्रन्थ [उत्तरार्द्ध], पृ0-42.

भुसावल बम काण्ड में बन्दी माहौर जी

स्वाधीन देश की चिन्ता के, पावन प्रतीक, वन्दन तेरा,
बलिपथ की पावक-परम्परा, की दक्ष लीक, वन्दन तेरा।
विप्लव के उन्मद शंखनाद, पीड़ा प्रमाद, वन्दन तेरा,
यौवन के ध्रुव संकल्पों की, गाथा सटीक, वन्दन तेरा।

—आनन्द मिश्र

इन दोनों के साथ बम का ट्रायल करने के लिये बबीना कैण्ट के जंगलों में जाया करते थे ।[1] बाद में 1929 ई० में एसेम्बली भवन के बम काण्ड में भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फाँसी की सजा हुयी । इसके साथ ही समस्त उत्तरी भारत में अनेक गिरफ्तारियाँ हुयीं । फलस्वरूप राव साहब और माहौर जी फरार हो गये । चन्द्र शेखर आजाद ने इन्हें एक नया क्रान्तिकारी संगठन तैयार करने के लिये दक्षिण भारत में भेजा, परन्तु दोनों 11 सितम्बर, 1929 ई० को भुसावल बम काण्ड में गिरफ्तार कर लिये गये ।[2] राव साहब को 15 वर्ष 6 माह का कारावास तथा माहौर जी को 9 वर्ष 6 माह का कारावास हुआ । इसी समय जलगाँव सेशन अदालत में पिस्तौल चलाने पर भगवान दास माहौर जी को 2 वर्ष की सजा और बढ़ा दी गयी, परन्तु किसी कारणवश मार्च 1938 ई० को सदाशिव राव को रिहा कर दिया गया । इसके पन्द्रह दिन के अन्दर भगवान दास माहौर को भी रिहा कर दिया गया । बाद में इन दोनों को पता चला कि तत्कालीन बम्बई राज्य के कानून मंत्री के० एम० मुंशी के अथक प्रयासों से इन लोगों को रिहा किया गया था । बाद में काफी समय तक यह दोनों उनके यहाँ अतिथि के रूप में भी रहे ।[3]

सदाशिव राव बम्बई से झाँसी आने पर एक बार फिर 1939 ई० में मजदूर आन्दोलन में गिरफ्तार हो गये और 14 जुलाई, 1945 ई० को रिहा कर दिये गये ।[4] 1951 ई० में चन्द्र शेखर आजाद

1- झाँसी गजेटियर, जोशी ई० बी०, पृष्ठ-72.

2- पण्डित परमानन्द अभिनन्दन ग्रन्थ, पृष्ठ-43.

3- तदैव.

4- तदैव.

की स्मृति में प्याऊ की स्थापना पर गोली काण्ड की घटना में एक बार फिर गिरफ्तार किये गये और रिहा कर दिये गये ।[1] चन्द्र शेखर आजाद की शहादत के बाद उनकी माँ जगरानी देवी भी अपने अन्त समय तक सदाशिव राव और मास्टर रुद्र नारायण के पास ही रहीं ।[2]

मास्टर रुद्र नारायण :-

1923 ई0 में शचीन्द्र नाथ बख्शी जब झाँसी आये थे, तब वह सर्वप्रथम मास्टर रुद्र नारायण जी से ही मिले थे । मास्टर रुद्र नारायण के यहाँ पर पहले से ही क्रान्तिकारी कार्य-कलापों में संलग्न थे । मास्टर साहब ने अपने घर को क्रान्तिकारियों का मुख्यालय बना रखा था जिसमें वह युवकों को क्रान्तिकारी कार्यों के लिये प्रोत्साहित करते रहते थे ।[3] कुछ समय बाद वह क्रान्तिकारी दल के संचालक भी बन गये । भगवान दास माहौर, सदाशिवराव, वैशम्पायन, दुर्गा प्रसाद व्यास, कालका प्रसाद अग्रवाल, राम सेवक रावत आदि उन्हीं के अखाड़े के युवक थे, जो आगे चलकर प्रसिद्ध क्रान्तिकारी बने । चन्द्र शेखर आजाद काकोरी केस में फरारी हालत में जब झाँसी आये थे तब मास्टर साहब के घर पर ही गुप्त रूप से रहते रहे । जिस आजाद को गिरफ्तार करने के लिये समस्त ब्रिटिश साम्राज्यवाद शक्ति एवं हजारों रुपये का इनाम घोषित कर चुकी थी । वही

1- पण्डित परमानन्द अभिनन्दन ग्रन्थ, पृष्ठ-43.

2- यश की धरोहर, पृष्ठ- 175.

3- तदैव. पृष्ठ-59 से 175 तक.

विद्यालय की स्थापना के अवसर पर लगाया गया पत्थर, जो आज भी विद्यालय में देखा जा सकता है।

आजाद झाँसी में टकसाल मोहल्ले में स्थित मास्टर रुद्र नारायण के घर पर सुरक्षित रहे । ओरछा में सातार नदी के तट पर एवं खनियाधाना नरेश के यहाँ पर भी मास्टर साहब ने आजाद के रहने का प्रबन्ध करवाया था । चन्द्र शेखर आजाद की शहादत के बाद उनकी माता जगरानी भी मास्टर साहब के पास ही रही थीं ।

1917 ई० में मास्टर रुद्र नारायण एवं तत्कालीन प्रसिद्ध शिक्षाविद हरनारायण गोरहार ने मिल कर झाँसी नगर में सरस्वती पाठशाला नामक विद्यालय की स्थापना भी की थी ।[1]

खनिया धाना नरेश खलक सिंह जू देव :-

खनिया धाना नरेश खलक सिंह जू देव भी क्रान्तिकारियों के संरक्षक एवं क्रान्तिकारी विचारधारा के पोषक थे । वे मास्टर रुद्र नारायण के गहरे मित्रों में थे । क्रान्तिकारी दल को वह धन, बन्दूक, पिस्तौल तथा कारतूस दिया करते थे । फरारी हालत में चन्द्र शेखर आजाद खनिया धाना स्टेट में भी रहे थे । चन्द्र शेखर आजाद ने खनिया धाना स्टेट में भगवान दास माहौर, सदाशिवराव तथा खनिया धाना नरेश के साथ निशानेबाजी का अभ्यास भी किया था ।[2] बाद में क्रान्तिकारियों का स्नेही मित्र बनना राजा साहब खनिया धाना को अपनी स्टेट देकर चुकाना पड़ा । उन्हें शासनाधिकार से वंचित कर

1- सरस्वती पाठशाला का हीरक जयन्ती अंक 1991-92, पृ0-5, सौजन्य से - रमेश चन्द्र गौरहार ।

2- चन्द्र शेखर आजाद, शंकर सुल्तानपुरी, पृ0-69.

दिया गया । छनियां धाना स्टेट में "सुपरिन्टेन्डेन्ट" शासन लागू कर दिया गया । इतना होने के पश्चात् भी वह बराबर क्रान्तिकारी दल की आर्थिक मदद करते रहे ।[1]

हमीरपुर जिले की क्रान्तिकारी गतिविधियाँ :-

हमीरपुर जिले के प्रमुख क्रान्तिकारियों में पण्डित परमानन्द का नाम सर्वप्रथम आता है । यह हिन्दुस्तानी गदर पार्टी के सदस्य रहे । हमीरपुर जनपद के राठ तहसील के एक छोटे से गाँव में एक कायस्थ परिवार में परमानन्द जी का जन्म हुआ था ।

गदर पार्टी और पण्डित परमानन्द :-

गदर पार्टी एक सशस्त्र क्रान्ति में विश्वास करने वाला दल था । इसकी स्थापना विदेशों में रोटी की तलाश में गये लोगों ने अमेरिका के ओरिगन प्रान्त में किया था । इस दल की स्थापना का प्रमुख कारण विदेशों में बसे हिन्दुस्तानियों के दिलों में संघर्ष करने की भावना उत्पन्न करना था, लेकिन उस समय उनको विदेशों में रोटी-रोजी की तलाश में सम्मान प्राप्त न हुआ एवं गुलामी बाधक आयी । उनके लिये पग-पग पर अड़चने खड़ी की जाती, कहीं पर उतरने नहीं दिया जाता था, और कहीं पर मजदूरी भी नहीं करने दी जाती थी । इन सब कारणों से उनके दिलों में संघर्ष की भावना उत्पन्न हुयी । अब तक वे लोग अपने-अपने स्वार्थ के सम्बन्ध

1- यश की धरोहर, पृष्ठ- 95.

में सोचते थे, किन्तु अब वह संगठित होकर सामूहिक रूप में विचार करने लगे । अमेरिका के ओरिगन प्रान्त में पण्डित काशीराम, बाबा-केशर सिंह, सोहन सिंह, मास्टर ऊधम सिंह आदि लोगों ने अपनी स्थिति को सुधारने के लिये एक आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया । उधर कैलिफोर्निया के हिन्दुस्तानी भी संगठित होने लगे । ओरिगन के भारतीय प्रवासियों ने लाला हरदयाल को कैलिफोर्निया में बुला लिया और परामर्श के बाद यह तय हुआ कि सारे हिन्दुस्तानी संगठित हो जायें ।[1] इस फैसले के फलस्वरूप जो सभा कायम हुयी उसका नाम "हिन्द एसोसियेशन" रखा गया । यही एसोसियेशन बाद में जाकर "गदर पार्टी" के रूप में तब्दील हो गयी । इस एसोसियेशन के पदाधिकारी निम्नलिखित व्यक्ति चुने गये :-

1- सभापति - बाबा सोहन सिंह
2- उप सभापति - बाबा केसर सिंह
3- मंत्री - लाला हरदयाल
4- कोषाध्यक्ष -पण्डित काशीराम

पार्टी ने अपना एक प्रेस भी स्थापित किया जिसका नाम "गदर प्रेस" था । इस प्रेस से "गदर" नामक अखबार का पहला अंक नवम्बर, 1913 ई० में प्रकाशित हुआ जिसके सम्पादक लाला हरदयाल थे ।[2] धीरे-धीरे "गदर पार्टी" के सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी तथा

1- भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास, लेखक - मन्मथ नाथ गुप्त, पृष्ठ 74-75.

2- तदैव. पृष्ठ- 75.

विदेशों में अनेक स्थानों पर इसकी शाखायें स्थापित हो गयीं । इसके प्रमुख सदस्यों में -- राम सिंह, भगत सिंह, मलाव सिंह, मोलवी बरकत उल्लाह, भगवान दास आदि थे । मार्च 1914 ई० में लाला हरदयाल पर अमेरिका सरकार ने मुकदमा दायर किया । उनको एक हजार डालर की जमानत पर रिहा कर दिया गया ।[1]

कोमा गाटा मारू आन्दोलन :-

इस आन्दोलन का सम्बन्ध एक समुद्री जहाज से था । बाबा गुरुदत्त सिंह का चार्टर किया हुआ जहाज जब बैंकोवर पहुँचा तो कैनेडा सरकार ने उसे बन्दरगाह पर लगने से रोक लिया । इस पर कैनेडा निवासी भारतियों में जबर्दस्त असन्तोष फैल गया ।[2] इस आन्दोलन में अनेक गिरफ्तारियाँ हुयीं । बाद में भरी अदालत में मेवा सिंह द्वारा इमिग्रेशन अफसर की हत्या किये जाने पर उन्हें फाँसी की सजा दी गयी ।[3]

23 जुलाई, 1914 ई० में "कोमा गाटा मारू" बैंकोवर से भारत के लिये रवाना हुआ । इस जहाज में विदेशों में बसे भारतियों का एक बड़ा दल सफर कर रहा था, जो कि भारत के स्वतन्त्रता-आन्दोलन में भाग लेने के लिये भारत आ रहा था । जहाज जब याकोहामा पहुँचा तो उसमें सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी भाई परमानन्द जी

1- भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन - मन्मथनाथ गुप्त, पृ०-76.

2- तदेव.

3- तदेव. .. .. पृ०- 77.

भी सवार होकर क्रान्तिकारियों में मिल गये । जापान पहुँच कर कुछ क्रान्तिकारी "तोशामारू" जहाज से भारत रवाना हुए । 29 सितम्बर, 1914 ई0 को कोमा गोटा मारू कलकत्ता पहुँचा । सरकार चाहती थी, यह क्रान्तिकारी एक स्पेशल ट्रेन से पंजाब जायें, परन्तु जहाज के यात्री अपने आपको आजाद समझते थे तथा किसी प्रकार की बंदिश नहीं चाहते थे । इस बात ने संघर्ष का रूप धारण कर लिया । दोनों ओर से गोली चलने लगी । इस संघर्ष में 18 यात्री मारे गये । अन्त में अनेक गिरफ्तारियाँ हुयीं । लाहौर षड्यन्त्र केस के नाम से मुकदमा चला जिसका फैसला 13 सितम्बर, 1917 ई0 को सुनाया गया । इसमें निम्न क्रान्तिकारियों को फाँसी की सजा सुनायी गयी :-

1- बाबा सोहन सिंह
2- बाबा केसर सिंह
3- पृथ्वी सिंह
4- करतार सिंह
5- वी0 जे0 पिंगले
6- भगत सिंह
7- जगत सिंह
8- पण्डित परमानन्द
9- जगत राय
10- बाबा चोहर
11- हरनाम सिंह
12- बख्शी सिंह
13- सोहन सिंह अव्वल
14- सोहन सिंह दोयम

15- निधान सिंह चुग्धा

16- भाई परमानन्द लाहौरी

17- हृदय राम

18- हरनाम सिंह

19- राम सरन कपूरथला

20- रलिया सिंह

21- गुलाब सिंह

22- बसाख सिंह

23- कालिया सिंह

24- बलवन्त सिंह

25- सावन सिंह तथा

26- नन्द सिंह ।[1]

इनमें सबको आखीर तक फाँसी नहीं हुयी । पहले 64 आदमियों पर मुकदमा चलाया गया जिसमें से सात को फाँसी हुयी, पाँच बरी हुए, चौबीस की समस्त सम्पत्ति जब्त कर ली गयी तथा काले-पानी की सजा हुयी । बाकी को 10 साल से लेकर दो साल तक की सजा हुयी । पण्डित परमानन्द को पहले फाँसी की सजा हुयी, बाद में वह कालेपानी में बदल गयी । इस प्रकार साढ़े तेईस साल लगातार जेल में रह कर वह रिहा हुए ।[2]

1- भारतीय क्रान्तिकारियों का इतिहास - मन्मथ नाथ, पृ0- 76-77-78-79-80.

2- तदैव. पृष्ठ 78-80.

चन्द्र शेखर आजाद जिला हमीरपुर में :-

हमीरपुर जनपद में कुलपहाड़ कस्बा उन दिनों क्रान्तिकारियों एवं ब्रिटिश सरकार विरोधी गतिविधियों का मुख्य केन्द्र था । झाँसी-मानिकपुर रेलवे लाइन पर एक सब स्टेशन होने के कारण कुलपहाड़ में आने-जाने की सुविधा भी थी । सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी [जिला-हमीरपुर] दीवान शत्रुघ्न सिंह एवं पण्डित बालेन्दु अरजरिया इस जिले के प्रमुख क्रान्तिकारी थे । पण्डित बालेन्दु अरजरिया, जो कुलपहाड़ में ही रहते थे, इस कारण उनका घर क्रान्तिकारी एवं अन्य ब्रिटिश सरकार विरोधी गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र था ।[1]

बिहार के सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी योगेन्दर सिंह एवं काकोरी केस के फरारी हालत में क्रान्तिकारी रोशन सिंह काफी समय तक कुलपहाड़ में रहे । उन दिनों क्षेत्रीय गाँधी आश्रम, जो बालेन्दु जी के घर के पास ही था, इन गतिविधियों का एवं क्रान्तिकारियों का आश्रय-स्थल था । योगेन्दर सिंह एवं रोशन सिंह इस मकान में फरारी हालत में काफी समय तक रहे ।[2]

1929 ई0 में फरारी हालत में चन्द्र शेखर आजाद कुलपहाड़ आये थे और कुछ दिनों तक रुके थे । पण्डित बालेन्दु एवं दीवान शत्रुघ्न सिंह आदि ने उनको यहाँ पर सैकड़ों रुपये चाँदी के भेंट स्वरूप

1- अनासक्त मनस्वी - पं0 बालेन्दु अरजरिया अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ0-190.
2- तदैव. .. .. पृ0-191.

प्रदान किये थे । कुलपहाड़ से ही आजाद बस द्वारा लाहौर गये । गाँव वाले के रूप में चन्द्र शेखर आजाद, जोगेन्दर सिंह, रोशन सिंह, दीवान शत्रुघ्न सिंह एवं पण्डित बालेन्दु अरजरिया साथ में थे । बस पर "लाहौर काँग्रेस-डेलीगेशन" का बैनर लगा होने के कारण लाहौर तक वह आराम से पहुँच गये थे ।[1]

----- :0: -----

1- अनासक्त मनस्वी - पं0बालेन्दु अरजरिया अभिनन्दन ग्रन्थ, पृष्ठ- 192.

खण्ड-ब

चन्द्र शेखर आजाद, पं० परमानन्द, डॉ० माहौर का योगदान

चन्द्र शेखर आजाद का क्रान्तिकारी आन्दोलन में योगदान :-

यद्यपि चन्द्र शेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई, 1906 ई० में मध्य प्रदेश की एक तहसील अलीराजपुर के एक छोटे से गाँव "भावरा" में हुआ था[1] एवं उनका प्रारम्भिक जीवन भावरा ग्राम, बम्बई एवं बनारस में बीता, परन्तु उनके जीवन का महत्वपूर्ण जवानी का समय बुन्देलखण्ड के झाँसी जिले में बीता । बाद में उन्होंने झाँसी से समस्त भारत के क्रान्तिकारी आन्दोलन का संचालन किया ।

आजाद सर्वप्रथम बुन्देलखण्ड के झाँसी नगर में 1924 ई० के अन्तिम महीनों में आये थे । उस समय उनकी आयु 19-20 वर्ष की होगी, उस समय आजाद "हिन्दुस्तान शोसलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी" के प्रधान नहीं थे, वरन् एक प्रमुख सदस्य थे । उस समय इस दल के प्रधान अमर शहीद रामप्रसाद "बिस्मिल" थे ।[2]

उस समय झाँसी नगर में क्रान्तिकारी दल के संगठन के सिलसिले में प्रसिद्ध क्रान्तिकारी शचीन्द्र नाथ बख्शी झाँसी आये हुए थे । झाँसी नगर में उस समय मास्टर रुद्र नारायण साहब का

1- चन्द्र शेखर आजाद - शंकर सुल्तान पुरी, पृष्ठ -24.

2- यश की धरोहर, माहौर भगवान दास, पृष्ठ-56.

घर, जो नगर के टकसाल मोहल्ले में स्थित था, क्रान्तिकारी गतिविधियों का मुख्य केन्द्र था । नाथूराम माहौर एवं मास्टर रुद्र नारायण साहब नगर के मुख्य संचालक थे एवं शचीन्द्र नाथ बख्शी यहाँ पर क्रान्तिकारियों को संगठित कर रहे थे ।[1] शचीन्द्र नाथ बख्शी झाँसी नगर के एक मोहल्ले मुकरयाने में एक मकान में रहा करते थे । आजाद ने झाँसी आकर सर्वप्रथम मास्टर साहब से मुलाकात की, बाद में मास्टर साहब ने मुकरयाने स्थित बख्शीजी के मकान पर आजाद का परिचय, दल के अन्य सदस्य — भगवान दास माहौर, सदाशिव मलकापुरकर एवं गंगाधर वैशम्पायन से कराई । इसके बाद कुछ समय झाँसी में रह कर आजाद, झाँसी से चले गये ।[2] चन्द्र शेखर आजाद झाँसी में 1926 ई0 के प्रारम्भ में "काकोरी केस" [9 अगस्त, 1925 ई0] के फरारी हालत में आये थे । इसके बाद वह 27 फरवरी, 1931 ई0 में "एल्फ्रेड पार्क" में शहीद होने तक झाँसी में रहे ।[3]

काकोरी काण्ड से फरार होकर आजाद मास्टर रुद्र - नारायण के घर टकसाल में रहने लगे, परन्तु काकोरी काण्ड के बाद चारों ओर गुप्तचर पुलिस का जाल-सा फैल गया था । झाँसी नगर में भी गुप्तचर पुलिस सक्रिय हो गयी थी । मास्टर साहब ने आजाद

1- झाँसी गजेटियर 1965, ई.बी. जोशी, पृ0- 72.

2- यश की धरोहर, माहौर भगवान दास, पृ0 56-57.

3- "साप्ताहिक हिन्दुस्तान" पत्रिका 23 फरवरी, 1964 का अंक ।

को घर पर रखना उचित न समझा और उन्होंने आजाद का रहने का स्थान ओरछा स्टेट के एक छोटे से गाँव ढिमरपुरा[1] में कर दिया, जो एक छोटी-सी नदी सातार के किनारे स्थित था। यहाँ पर आजाद साधु के रूप में रहे[2], परन्तु यहाँ पर एक हत्या हो जाने के कारण पुलिस गाँव में पूछताछ करने लगी। ऐसी स्थिति में मास्टर साहब ने आजाद का ढिमरपुरे में रहना उचित न समझा तथा वापस झाँसी में बुला लिया। झाँसी में उनको एक मोटर गैरेज में "अपरेन्टिस" के रूप में कार्यरत करा दिया और झाँसी नगर के एक अन्य मोहल्ले में रहने का स्थान बना दिया। इस प्रकार यहाँ पर रह कर चन्द्र शेखर आजाद ने दल का संचालन किया एवं भगवान दास माहौर, सदाशिवराव मलकापुरकर जैसे क्रान्तिकारियों के साथ मिल कर अनेक योजनाएं बनाईं और उस पर अमल भी करवाया। अन्त में एक दल के साथी फणीन्द्र घोष के पुलिस के मुखबर [मुखबिर] हो जाने पर आजाद को झाँसी छोड़ना पड़ा, परन्तु वे जिस क्रान्तिकारी दल को यहाँ संगठित कर गये थे वह चलता रहा। आगे चल कर भगवान दास माहौर एवं सदाशिवराव "भुसावल काण्ड" में पकड़े गये। उधर भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, अशफाक उल्लाह आदि को फाँसी हो जाने पर वह अकेले रह गये एवं अन्त में एक मुखबिर के कारण 27 फरवरी, 1931 में शहीद हो गये।[3]

1- अब इस गाँव का नाम आजादपुरा है।

2- झाँसी गजेटियर 1965 ई0, डॉ. बी. जोशी, पृ0- 72.

3- यश की धरोहर, भगवान दास माहौर, पृ0-59 से 127 तक.

पण्डित परमानन्द का क्रान्तिकारी आन्दोलन में योगदान :-

सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी एवं गदर पार्टी के सदस्य पण्डित परमानन्द को विद्रोही एवं क्रान्तिकारी की भावना उनको विरासत में मिली थी । उनके पितामह ने 1857 ई० की आजादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया था । बाद में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें बागियों का नेता बताकर सरकारी रियासत की जेल में कैद में डाल दिया था वहाँ पर विभिन्न यातनाओं के फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गयी थी ।[1]

पण्डित परमानन्द ने अपने क्रान्तिकारी जीवन की शुरुआत 1907 ई० से की थी । लाला लाजपत राय के स्वागत समारोह में भाग लेने के कारण उनको कायस्थ पाठशाला से निकाल दिया गया था । बाद में वह एक बार बम बना रहे थे, परन्तु अचानक उसके फट जाने के कारण उनका मुँह और हाथ झुलस गया था । उनके एक मित्र पण्डित सुन्दर लाल ने गुप्तरूप से उन्हें अपने घर में छिपाकर उनका उपचार करवाया था । स्वस्थ होने पर वह संस्कृत पढ़ने वाराणसी चले गये । वहाँ पर उनका परिचय अनेक क्रान्तिकारियों से हुआ और शीघ्र ही वह क्रान्तिकारी गतिविधियों में लग गये । कुछ समय बनारस में रह कर वह अमेरिका चले गये । अमेरिका में उनका परिचय गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल से हो गया । उनके सम्पर्क में आकर वह गदर पार्टी में सम्मिलित हो गये । कुछ समय बाद परमानन्द जी पार्टी के कार्य से जापान और जर्मनी गये । वहाँ से

1- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक, एस० पी० भट्टाचार्य (सम्पादक), पृष्ठ- 159.

पण्डित परमानन्द 'झाँसीवाले'

ब्रिटिश भारत में पैंतीस वर्षों तक असह्य यातना, बंदी-जीवन की वेदनाएँ और उपेक्षा की पीड़ा सहकर भी निर्भीक वाणी में स्वदेश-प्रेम और विश्व-बन्धुत्व के मन्त्रों का जाप करने वाला यह क्रान्ति-योगी आज भी प्रेरणा प्रदान कर रहा है।

जंगी नक्शा प्राप्त करके फिर वापस अमेरिका गये और वहाँ से होकर भारत आये । भारत में वह कलकत्ते में रहने लगे । वहाँ पर वह प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता जैसे - रासबिहारी बोस, शचीन्द्रनाथ सान्याल, विष्णु गणेश पिंगले और सरदार करतार सिंह आदि के सम्पर्क में आये ।

21 फरवरी, 1915 का दिन देश व्यापी क्रान्ति के लिये निर्धारित किया गया था । इस बीच मेरठ में क्रान्तिकारी विष्णु-गणेश पिंगले 5 बमों सहित गिरफ्तार कर लिये गये और पूरी योजना पुलिस को मालूम हो गयी । फलत: पण्डित परमानन्द भी 63 क्रान्तिकारियों सहित गिरफ्तार हो गये । बाद में समस्त क्रान्ति-कारियों को लाहौर जेल में बन्दी बना कर रक्खा गया । इन पर शासन के विरुद्ध षड्यन्त्र रचने का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया । इस केस में 26 आदमियों के साथ परमानन्द जी को भी फाँसी की सजा मिली । ब्रिटिश सरकार के इस फैसले पर जनता द्वारा भारी विरोध प्रकट किया गया । अन्त में सरकार ने 27 में से 20 व्यक्तियों की सजा कालेपानी में बदल दी, 7 को फाँसी पर लटकाया गया । कालेपानी की सजा पर परमानन्द जी अण्डमान द्वीप भेजे गये । वहाँ पर वह सावरकर, आशुतोष लाहिड़ी एवं बारिन घोष आदि क्रान्तिकारियों के सम्पर्क में आये । बाद में उन्हें वहाँ पर एकान्त कोठरी में रखा गया, क्योंकि उन्होंने जेल उपाध्यक्ष को पीटा था । इस अपराध में उन्हें 20 बेंत की सजा भी मिली थी । 23 वर्ष तक परमानन्द पोर्ट ब्लेयर [अण्डमान] में रह कर कष्ट सहते रहे । सन् 1937 ई० में उन्हें वहाँ से मुक्त किया गया था,

पर बाद में फिर उन्हें बन्दी बनाकर 7 वर्ष तक साबरमती जेल में रक्खा गया, परन्तु उस सम्मान को उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था । उनका कहना था कि मैं अंग्रेजों की कृपा पर छोड़ा गया, इस कारण मैं इस अभिनन्दन के योग्य नहीं । वर्धा में आश्रम की प्रार्थना-सभा में एक बार गाँधी जी ने कहा था -"मुझे परमानंद के रूप में मेरा एक सच्चा भाई मिला है जिसने अपने को घायल एवं पराजित मानकर अभिनन्दन लेने से इनकार कर दिया । देश को ऐसे सिपाही की आवश्यकता है ।" बाद में वह अमृतसर के एक कालिज में अध्यापक हो गये थे ।[1]

क्रान्तिकारी आन्दोलन में भगवान दास माहौर का योगदान :-

भगवान दास क्रान्तिकारियों के सम्पर्क में 1924 ई० के लगभग आये थे । इस समय झाँसी में क्रान्ति दल के संगठन के लिये शचीन्द्र नाथ बख्शी आये हुए थे । मास्टर रूद्र नारायण का घर क्रान्तिकारी दल का प्रमुख कार्यालय था । मास्टर साहब ने अपने घर में एक अखाड़ा खोल रक्खा था, वहाँ पर मास्टर साहब युवकों को दल के लिये चुना करते थे । 1924 ई० के अन्तिम महीनों में चन्द्र शेखर आजाद झाँसी आये और मास्टर साहब के घर पर ठहरे। मास्टर साहब ने शचीन्द्र नाथ बख्शी का रहने का प्रबन्ध झाँसी नगर स्थित मुकरयाने मोहल्ले में कर दिया था । एक शाम झाँसी के

1- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक, एस० पी० भट्टाचार्य (सम्पादक), पृष्ठ-160.

(क्रान्ति से डॉक्टरेट तक)

मुकरयाने मोहल्ले के शचीन्द्र नाथ बख्शी के मकान पर आजाद का परिचय झाँसी के नये नवयुवकों से कराया गया । उन नव-युवकों में सदाशिवराव मल्कापुरकर, विश्वनाथ गंगाधर वैशम्पायन के साथ भगवान दास माहौर भी थे । यहाँ से माहौर जी का सम्बन्ध पूर्ण रूप से क्रान्तिकारी दल से हो गया था ।[1] इस प्रकार गुप्त रूप से भगवान दास माहौर क्रान्तिकारी दल के लिये छोटे-छोटे कार्य करते रहे । शचीन्द्र नाथ बख्शी एवं आजाद के सम्पर्क में माहौर जी अनेक क्रान्तिकारी साहित्य जैसे -- शचीन्द्र नाथ सान्याल का "बन्दी जीवन", उपेन्द्रनाथ बन्धोपाध्याय का "राजनीतिक षड्यन्त्र" एवं बंकिम बाबू का "आनन्द मठ" आदि -का अध्ययन किया और पढ़ कर क्रान्ति व्रत लिया, परन्तु अपने जीवन को पूर्ण रूप से क्रान्ति दल को अर्पित भगत सिंह से साक्षात्कार के बाद किया ।[2]

सन् 1928 ई0 में काकोरी केस के बाद पुलिस की अधिक चौकसी के कारण दल के सदस्य इधर-उधर बिखर गये । दल के संगठन को पुनः मजबूत करने हेतु दल के लोग आगरा में एकत्रित हुए । माहौर साहब उस समय बी0 ए0 करने ग्वालियर गये हुए थे । वह ग्वालियर में विक्टोरिया कालेज के छात्र थे और होस्टल में रहा करते थे । क्योंकि माहौर का सम्बन्ध क्रान्तिकारी दल से झाँसी में हो गया था, परन्तु उनका दल के

1- यश की धरोहर, पृ0- 56.

2- वही. पृ0- 27.

सदस्यों में केवल चन्द्र शेखर आजाद, कुन्दन लाल, विजय कुमार सिन्हा एवं सुरेन्द्र पाण्डेय से ही परिचय था । शीघ्र ही दल के एक सदस्य एवं बुन्देलखण्ड के बाँदा जिले के निवासी विश्वनाथ-गंगाधर वैशम्पायन आकर होस्टल में माहौर साहब से मिले और अपने साथ आगरा ले गये । वहाँ पर नुल्ला नूरी दरवाजे के एक मकान में क्रान्तिकारियों का गुप्त कार्यालय था । भगवान दास माहौर का परिचय वहाँ पर अन्य सदस्यों के साथ-साथ सरदार भगत सिंह से हुआ । दल में भगत सिंह का नाम रणजीत था ।[1] भगत सिंह के सम्पर्क में आकर माहौर जी की आस्था मार्क्सवादी समाजवाद की ओर हो गयी । क्योंकि भगत सिंह पक्के मार्क्सवादी थे । वहाँ पर भगत सिंह ने माहौर जी को कार्ल मार्क्स रचित - "कैपिटल" एवं बाकुनिन की "गॉड एण्ड स्टेट" [ईश्वर और राज्य] पुस्तक पढ़ने को दी । आगरा में ही भगवान दास माहौर जी का नाम "कैलाश" रक्खा गया । आगरा के गुप्त कार्यालय में भगवान दास माहौर का परिचय दल के प्रमुख सदस्य बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजगुरु, शिव वर्मा एवं जयदेव से कराया गया । बाद में माहौर जी फिर ग्वालियर लौट आये । होस्टल में दल के अनेक लोग आकर मिलने लगे । शीघ्र ही चन्द्र शेखर आजाद का एक सन्देश माहौर जी को मिला, जिसमें कहा गया था कि - शीघ्र होस्टल छोड़ कर अन्य कहीं किराये का मकान लेकर रहना शुरू करदो । माहौर जी ग्वालियर शहर के बाहर नाका चन्द्रावदनी में एक मकान किराये पर लेकर रहने लगे ।[2]

1- यश की धरोहर, माहौर भगवान दास, पृ0 28-29.

2- वहीव .. .. पृ0- 27,30,35,36.

सितम्बर, 1929 ई० में "हिन्दुस्तान सोशलिस्ट - रिपब्लिकन आर्मी" के सदस्य भगत सिंह आदि "सॉण्डर्स" हत्या और एसेम्बली में बम फेंकने के सम्बन्ध में पकड़े जा चुके थे और उन पर मुकदमा चल रहा था । इस केस का नाम ब्रिटिश सरकार ने "यू० पी०-पंजाब कॉन्सपरेन्सी-केस" रक्खा था । उन दिनों दल के सरदार चन्द्र शेखर आजाद और उनके कुछ बचे-खुचे साथियों को सरकार ने फरारा घोषित कर दिया था, और इनको पकड़ने के लिये लम्बे-लम्बे इनामों की घोषणा कर रक्खी थी । वह सब ग्वालियर में थे ।[1]

उत्तर भारतमें इस समय पुलिस की सरगर्मी अत्याधिक बढ़ गई थी । उत्तरी भारत में चारों ओर उत्साही नवयुवकों को क्रान्तिकारी होने के सन्देह में पकड़ा जा रहा था । उस समय दल के नेता आजाद ने सोचा कि एक केन्द्र दक्षिणी भारत में बनाया जाये जिससे क्रान्तिकारी वहाँ पर रह सकें । कुछ क्रान्तिकारी पहले से ही दक्षिण भारत की ओर रवाना हो चुके थे । इनमें दल के प्रमुख सदस्य राजगुरु पहले से ही महाराष्ट्र पहुँच चुके थे । अतः आजाद जी ने सदाशिवराव मल्कापुरकर तथा भगवान दास माहौर को इस कार्य के लिये चुना और दक्षिण भारत पहुँचकर राजगुरु का भी पता लगाने को कहा । अतः माहौर और सदाशिव बम बनाने का कुछ रसायनिक पदार्थ, दो जीवित बम, दो पिस्तौल तथा कुछ कारतूस लेकर ग्वालियर से महाराष्ट्र की

1- यश की धरोहर, माहौर भगवान दास, पृ०- 129.

ओर रवाना हुए । यह सब सामान इन लोगों को राजगुरु के पास पहुँचाना था । जब ट्रेन भुसावल स्टेशन पर पहुँची तो शाम हो चुकी थी । यहाँ से इन लोगों को राजगुरु का पता लगाने अकोला जाना था । भुसावल स्टेशन, जो महाराष्ट्र प्रान्त का प्रथम स्टेशन था । अतः यहाँ पर आबकारी विभाग की चैकिंग की जाती थी । संयोग से जब यह लोग यहाँ पर उतरे तो स्टेशन पर उन्हें तलाशी के लिये रोक लिया गया । इस पर दोनों ही आपत्तिजनक सामान, बम, कारतूस, पिस्तौल एवं बम बनाने का सामान बरामद हो जाने के कारण बन्दी बना लिये गये, क्योंकि दोनों ही "यू0पी0-पंजाब षड्यन्त्र केस" के सिलसिले में फरार घोषित किये जा चुके थे । इस कारण जलगाँव में मजिस्ट्रेट की अदालत में केस चला । इन दोनों के विरुद्ध गवाही देने के लिये लाहौर के दो एप्रूवर [मुखबिर] - जयगोपाल एवं फणीन्द्र घोष लाये गये । इन दोनों की निःशुल्क पैरवी झाँसी के सुप्रसिद्ध काँग्रेसी नेता आर0वी0 धुलेकर ,एडवोकेट कर रहे थे। तभी धुलेकर जी के जरिये उनको चन्द्र शेखर आजाद का सन्देश मिला कि दोनों मुखबिर जयगोपाल एवं फणीन्द्र घोष को किसी सूरत से गोली मार दी जाये । गोली मारने के लिये पिस्तौल उन्हें मिल जायेगी । कुछ समय पश्चात् 20 फरवरी को सदाशिव के बड़े भाई शंकर राव उनको खाने के बर्तन में छुपाकर पिस्तौल दे गये ।[1]

1- यश की धरोहर, मास्टर भगवान दास, पृ0-135-137.

21 फरवरी को सेशन जज जलगाँव की अदालत में इस केस के मुखबिरों की गवाही होने वाली थी । पहले दोनों ने योजना बनायी कि दोनों एप्रूवरों को बीच अदालत में मारा जाये, परन्तु कटघरे में वहाँ पर माहौर जी और सदाशिव खड़े थे, वहाँ से निशाना लगने में परेशानी हो रही थी । इस कारण अदालत में वह एप्रूवरों को गोली नहीं मार पाये । बाद में दोपहर को खाने के समय इन लोगों ने उन्हें गोली मारने का असफल प्रयास किया । ठीक समय पर माहौर जी की पिस्तौल जाम हो गयी और वह मुखबिरों को मार न सके । इस बीच यह खबर समस्त जलगाँव में फैल गयी तथा वहाँ की स्थानीय जनता ने अदालत पर धावा बोल दिया और क्रान्तिकारियों की जय-जयकार करने लगे । बाद में 40 व्यक्तियों को बन्दी बनाया गया ।[1]

झाँसी मण्डल के कुछ अन्य क्रान्तिकारी, जिन्होंने क्रान्तिकारी आन्दोलन में भाग लिया एवं जेल गये अथवा शहीद हो गये, उनमें कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम निम्नलिखित हैं[2]:-

क्रमांक	नाम	स्थान
1-	श्री कालका प्रसाद अग्रवाल	झाँसी नगर
2-	श्री कृष्ण गोपाल शर्मा (क्रांतिकारी समाचार पत्र के सम्पादक)	झाँसी

1- यश की धरोहर, माहौर भगवान दास, पृ0 137-141 तक

2- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक, सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, भाग-1.

क्रमांक	नाम	स्थान
3-	श्री नित्यानन्द (बम बनाते हुए विस्फोट के कारण एक आँख चली गयी, बादमें 1940 में जेल में भूख हड़ताल के समय मृत्यु हो गयी)	झाँसी
4-	श्री राम सेवक रावत (बम बनाते हुए एक हाथ खण्डित हो गया था।)	झाँसी
5-	श्री सीताराम भागवत	सीपरी बाजारझाँसी
6-	श्री सदाशिवराव मल्कापुरकर	झांसी
7-	मास्टर श्री रुद्र नारायण	झाँसी
8-	श्री अनन्त प्रकाश (बम बनाते शहीद हो गये थे ।)	झाँसी
9-	राजा छत्रक सिंह जू देव	खनियाधाना रियासत

अन्य जिलो के क्रान्तिकारी

1-	दीवान श्री शत्रुघ्न सिंह	मगरौठ, जिला-हमीरपुर
2-	श्री मिथला शरण (मेरठ - षड्यंत्र केस में बन्दी)	बाँदा
3-	श्री विश्वनाथराव वैशम्पायन उर्फ रघुनाथ तथा अन्य उप नाम "एम. बानिया", चन्द्र शेखर आजाद के सक्रिय साथी ।	

—— :0: ——

उपसंहार

1919 ई0 से 1947 ई0 तक का बुन्देलखण्ड का स्वाधीनता आन्दोलन का इतिहास बुन्देलखण्ड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि 1919 ई0 से लेकर 1947 ई0 तक का युग अथवा दौर स्वाधीनता आन्दोलन का "गाँधी युग" कहलाता है और इस गाँधी युग के स्वाधीनता आन्दोलन में भी बुन्देलखण्ड की महत्वपूर्ण भूमिका रही । महात्मा गाँधी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1916 ई0 के आस-पास की थी । उनका प्रथम भाषण, जिसमें "स्वराज्य" शब्द का प्रयोग किया था, यह भाषण उन्होंने 4 फरवरी, 1916 ई0 को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अवसर पर दिया था;[1] तथा 1920 ई0 के नागपुर के काँग्रेस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने उन्हें अपना नेता स्वीकारकर उनके निर्देशन में शान्तिपूर्ण उपायों से स्वराज्य की प्राप्ति का संकल्प लिया था ।[2]

गाँधी जी के नेतृत्व से भारतीय काँग्रेस में एक नयी चेतना का प्रसार हुआ । गाँधी जी ने अपने दर्शन के दो महत्वपूर्ण अंग -- "सत्य" एवं "अहिंसा" को अपने आन्दोलनों का प्रमुख प्रयोग बनाया । इन दो शस्त्रों, सत्य एवं अहिंसा, का प्रयोग गाँधी जी दक्षिणी अफ्रीका में सरकार के खिलाफ कर चुके थे । इंग्लैण्ड से कानून

1- उत्तर प्रदेश में गाँधी जी, रामनाथ सुमन, पृ0 41से 44.

2- भारतीय इतिहास कोश, भट्टाचार्य सच्चिदानन्द, पृ0-330.

की शिक्षा प्राप्त करके वह वकालत करने के लिये दक्षिणी अफ्रीका चले गये थे । दक्षिणी अफ्रीका की सरकार वहाँ जाति-भेद की नीति का अनुसरण करती थी । वहाँ की सरकार के विरुद्ध संघर्ष करके गाँधी जी ने अपने सत्याग्रह के सिद्धान्त का पूर्ण विकास किया । भारत में जब उन्होंने इस सिद्धान्त का प्रयोग राष्ट्रीय आन्दोलन में किया तो उन्होंने भारतीय जनता से ब्रिटिश सरकार के अत्याचार के विरुद्ध अहिंसात्मक प्रतिरोध करने का आग्रह किया । इसके फलस्वरूप लाखों व्यक्ति इस संघर्ष में सम्मिलित हो गये । गाँधी जी के नेतृत्व में शक्तिशाली जन - आन्दोलनों की शुरुआत हुयी । इन आन्दोलनों में कानून भंग किये, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन किये, न्यायालयों का बायकाट किया, हड़तालें की, शिक्षा संस्थाओं का बायकाट किया, शराब और विदेशी वस्तुएं बेचने वाली दुकानों पर धरना दिया गया, सरकार को कर [टैक्स] नहीं दिया गया और समस्त व्यापार बन्द कर दिया । यह सभी कार्य अहिंसात्मक थे । इन कार्यों का गहरा प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर पड़ा । इन आन्दोलनों के कारण वीरता तथा लोगों में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न हुयी । जब सरकार ने जनता का दमन किया तो लाखों व्यक्तियों ने सहर्ष इस अत्याचार को सहन किया और निर्भीक होकर अपने को गिरफ्तारियों के लिये प्रस्तुत किया । गाँधी जी के आदेश पर उन्होंने लाठी प्रहार और गोलियों की बौछार सहर्ष सही । गाँधी जी एक तपस्वी की भाँति सादा जीवन बिताते थे और जनसाधारण से ऐसी भाषा में बातें करते थे जिसे प्रत्येक व्यक्ति समझ सकता था। इन कारणों से भारत की जनता उन्हें महात्मा गाँधी कहने लगी ।

उनकी एक अन्य सफलता घरेलू उद्योग का विकास था । उन्होंने अनुभव किया कि ग्रामीण जनता के कष्टों की मुक्ति चरखे द्वारा हो सकती है अत: काँग्रेस ने चरखे के प्रचार को अपने कार्यक्रम में प्रमुख स्थान दिया । अन्त में चरखे का महत्व इतना बढ़ गया कि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने अपने झण्डे पर प्रमुख स्थान दिया । गाँधी जी ने हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिये भी बहुत प्रयत्न किये । उनका विचार था कि साम्प्रदायिकता अमानुषिक है और राष्ट्रीयता में बाधक है । उनके नेतृत्व में भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन पूर्णतया असाम्प्रदायिक रहा और भारत की जनता ने स्वतन्त्रता-संघर्ष में बहुत प्रगति की । राष्ट्रीय आन्दोलन में जन-साधारण के भाग लेने का एक प्रमुख कारण गाँधी जी का नेतृत्व था ।

जहाँ तक बुन्देलखण्ड का प्रश्न है, तो बुन्देलखण्ड का समस्त इतिहास ही वीरता एवं बहादुरी का इतिहास रहा है एवं हर युग में स्वाधीनता का संघर्ष हुआ । चन्देल कालीन युग में बुन्देलखण्ड को पराधीनता से रोकने के लिये चन्देल शासक महाराज गण्ड [सन् 999-1025 ई०] ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था ।[1] मध्य युग में भी उनके जैसे वीर जुझार सिंह[2] [सन् 1628-1635 ई०] तथा छत्रसाल बुन्देला जैसे राजाओं ने अपनी स्वाधीनता के लिये मुगलों से संघर्ष किया। महाराजा छत्रसाल [सन् 1671-1737 ई०] ने इसमें सफलता भी पाई थी और अपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना भी की थी ।[3] परन्तु 1857 ई० में महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध

1- चन्देल और उनका राजत्वकाल, किशोरी लाल प्रसाद, पृ0-85.
2- बुन्देलों का इतिहास, हरि भगवान दास, पृ0-37.
3- भारतीय इतिहास कोष, पृ0-158.

स्वतन्त्रता संग्राम की दीप-शिखा बुन्देलखण्ड के झाँसी नगर से ही जलायी थी ।[1] इस प्रकार देखा जाय तो बुन्देलखण्ड स्वाधीनता के संघर्ष में हर युग में आगे था ।

1919 ई० से 1947 ई० के स्वाधीनता आन्दोलन में बुन्देलखण्ड का महत्वपूर्ण योगदान रहा । बुन्देलखण्ड में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस द्वारा चलाये गये विभिन्न आन्दोलन जैसे -- असहयोग आन्दोलन, नमक कानून भंग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा-आन्दोलन एवं 1942 ई० का भारत छोड़ो आन्दोलन समस्त बुन्देलखण्ड में चलाकर स्वाधीनता आन्दोलन को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया तथा ब्रिटिश सरकार के विरोधी कार्यकलाप एवं पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिये इस क्षेत्र से अनेक क्रान्तिकारी एवं काँग्रेस दल के अनेक सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारियाँ दी एवं यातनाएँ सहीं ।

बुन्देलखण्ड में अहिंसात्मक आन्दोलन का प्रारम्भ भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने किया । इस आन्दोलन के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में दो प्रमुख क्षेत्र थे --प्रथम झाँसी, एवं द्वितीय-जिला हमीरपुर । झाँसी नगर में बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक से कुछ राष्ट्रवादी विचार-धारा के लोगों का एक दल बनना आरम्भ हो गया था । इन राष्ट्रवादी, बाद में गाँधीवादी विचारधारा के लोगों के दल में सर्वप्रथम नाम हर नारायण गोरखार का आता है । राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत मास्टर हर नारायण गोरखार उन दिनों स्थानीय

1- भारतीय इतिहास कोश, पृ०- 174

मैकडोनल हाई स्कूल [वर्तमान में बिपिन बिहारी इण्टर कालेज] से अलग होकर अपने परम मित्र मास्टर रुद्र नारायण के साथ मिल कर एक राष्ट्रीय विद्यालय बनाने का प्रयास कर रहे थे ।[1] इस बीच 1916 ई0 में झाँसी में "संयुक्त प्रान्त राजनैतिक कॉन्फ्रेन्स" का आयोजन हुआ जिसके स्वागत अध्यक्ष श्री सी0 वाई0 चिन्तामणि बनाये गये, किन्तु वास्तविक रूप में इस कॉन्फ्रेन्स के प्रमुख आयोजक मास्टर हर नारायण गोरहार थे । यह कॉन्फ्रेन्स उस मैदान में हुयी जहाँ वर्तमान में सरस्वती पाठशाला इण्डस्ट्रियल इण्टर कालेज बना है ।[2] इस कॉन्फ्रेन्स में स्वराज्य प्राप्ति के लिये अहिंसात्मक आन्दोलन चलाने के लिये आगे के कार्यक्रमों पर विचार किया गया । साथ ही एक राष्ट्रीय विद्यालय इसी भू-खण्ड पर [जहाँ यह कॉन्फ्रेन्स हुयी थी] स्थापित करने का संकल्प लिया गया । गोरहार साहब के अथक प्रयत्नों से यह भू-खण्ड सदर बाजार के राय साहब गंगासहाय जी से प्राप्त कर ली गई । मास्टर गोरहार साहब ने 1917 में एक कच्चे भवन में यह विद्यालय प्रारम्भ किया और स्वयं प्रधान अध्यापक एवं अपने सहयोगी मास्टर रुद्र नारायण को अध्यापक नियुक्त किया । बाद में यह विद्यालय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम कार्यालय बना ।[3]

1- वीणा वादिनी, सरस्वती पाठशाला हीरक जयन्ती, अंक 1991-92, पृष्ठ- 4

2- तदैव. पृष्ठ- 5.

3- तदैव.

विद्यालय प्रारम्भ होने के तीन वर्ष बाद सन् 1920 ई0 में जब गाँधी जी का झाँसी नगर में आगमन हुआ तब उनको इसी विद्यालय में ठहराया गया था ।[1]

1920-21 में गाँधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आन्दोलन के तहत विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के समय मास्टर गोरहार साहब के भतीजे स्वरूप नाथ गोरहार के नेतृत्व में विदेशी वस्तुओं और वस्त्रों की एक होली इसी विद्यालय के प्रांगण में जलायी गई थी ।[2] 1946 ई0 में जब पं0 जवाहर लाल नेहरू झाँसी आये थे उस समय इस विद्यालय के एक कला अध्यापक मोहम्मद - इसहाक हैदर ने एक रूमाल पण्डित जी को भेंट किया था । इस रूमाल पर आजाद हिन्द के चार सेनानियों — कैप्टन ढिल्लो, कैप्टन शाहनवाज, कैप्टन सहगल और कैप्टन लक्ष्मी का चित्र बना हुआ था । बाद में उसी दिन शाम को किले के मैदान में होनेवाली सभा में एक नागरिक द्वारा नीलामी में यह रूमाल 172/= रुपये में खरीदा गया ।[3]

मास्टर गोरहार एवं सरस्वती पाठशाला राष्ट्रीय आन्दोलन के महत्वपूर्ण कीर्ति-स्तम्भ रहे । आगे चल कर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का कार्यालय मानिक चौक में स्थापित किया गया।

1- झाँसी गजेटियर, डी. बी. जोशी, पृ0 72-73.

2- वीणा-वादिनी, सरस्वती पाठशाला हीरक जयन्ती अंक 1991-92, पृ0-6.

3- तदैव. .. .. .. पृ0- 15.

इस दल में झाँसी के अनेक लोग शामिल हो गये । इनमें थे - रघुनाथ विनायक धुलेकर, आत्माराम गोविन्द खेर, कालका प्रसाद अग्रवाल, मथुराम कंचल, कुंज बिहारी लाल शिवानी, रुस्तम सैटिन, मास्टर रुद्र प्रताप, लाडिली प्रसाद श्रीवास्तव आदि ।

झाँसी जिले के अन्य कस्बों अथवा तहसीलों में भी गाँधी जी द्वारा चलाये गये अहिंसात्मक आन्दोलन एवं स्वराज्य के लिये ब्रिटिश सरकार के विरोध में बढ़-चढ़ कर कई नगरों के लोगों ने भाग लिया, उनमें मऊरानीपुर, चिरगाँव एवं ललितपुर प्रमुख हैं ।

मऊरानीपुर में 1921 में घासी राम व्यास के नेतृत्व में गाँधी जी द्वारा चलाया गया अहिंसात्मक आन्दोलन को अपनाकर एक विराट जुलूस निकाला गया जिसमें घासीराम व्यास, रामनाथ त्रिवेदी, रामनाथ राव, छोटा पण्डा, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल एवं पन्ना लाल अग्रवाल के साथ अनेक नागरिकों ने भाग लिया । बाद में इस जुलूस को लाल बाजार में पुलिस ने रोक लिया । पुलिस ने घेरा डालकर घासीराम व्यास, रामनाथ त्रिवेदी, छोटा पण्डा एवं ठाकुर दास टंटा को गिरफ्तार कर 14 दिसम्बर, 1921 ई0 को झाँसी जेल भेज दिया ।[1]

1- राष्ट्र कवि घासी राम व्यास, राम चरण ह्यारण मित्र, पृष्ठ- 20-21.

सन् 1928 ई० में मऊरानीपुर में एक राजनैतिक कॉन्फ्रेन्स का आयोजन किया गया था जिसकी अध्यक्षता पण्डित रामेश्वर प्रसाद शर्मा ने की थी । इस कॉन्फ्रेन्स में बुन्देलखण्ड के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था । कॉन्फ्रेन्स में वरिष्ठ नेता कृष्ण कान्त मालवीय- प्रयाग, उमा नेहरू - प्रयाग और बाल कृष्ण शर्मा "नवीन" - कानपुर ने भाग लिया । इनके अतिरिक्त झाँसी से आर० वी० धुलेकर, दीवान शत्रुघ्न सिंह, रानी राजेन्द्र कुमार-मगरोठ [हमीरपुर] तथा वेणीमाधव तिवारी- उरई भी उपस्थित थे । यह कॉन्फ्रेन्स बहुत महत्वपूर्ण साबित हुयी ।[1] आगे चल कर 1930 ई० में जिला नमक सत्याग्रह में झाँसी जिले के संयुक्त रूप से सभी तहसीलों के सदस्यों ने भाग लिया था । इसमें मऊरानीपुर के घासीराम व्यास, रामनाथ त्रिवेदी, पन्ना लाल - अग्रवाल, रामनाथ राय, झाँसी से रघुनाथ विनायक धुलेकर, कुंज- बिहारी लाल शिवानी, मास्टर रुद्र नारायण, कृष्ण चन्द्र शर्मा, रुस्तम कैटिन, शालिग्राम प्रसाद श्रीवास्तव, 13 एवं 27 अप्रैल, 1930 को नमक कानून भंग करते हुए गिरफ्तार किये गये ।[2]

उधर बुन्देलखण्ड के एक अन्य जिला हमीरपुर भी गाँधी जी द्वारा चलाये गये अहिंसात्मक आन्दोलन का प्रमुख केन्द्र रहा । गाँधी जी के नेतृत्व में काँग्रेस द्वारा चलाये गये असहयोग आन्दोलन

1- राष्ट्र कवि घासी राम व्यास, राम चरण ह्यारण मित्र, पृ० 35-36.

2- वही. .. .. पृ०- 37.

में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा-आन्दोलन तथा भारत छोड़ो आन्दोलन में बढ़-चढ़ कर जनता ने भाग लिया । भगवान दास अरजरिया "बालेन्दु", दीवान - शत्रुघ्न सिंह, राम दुलारे गोरहार, के अतिरिक्त बालेन्दु जी की पत्नी किशोरी देवी तथा दीवान जी की पत्नी रानी राजेन्द्र-कुमारी के नेतृत्व में समस्त जिले में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किये गये और जेल गये । सम्भवत: हमीरपुर जिले के कुलपहाड़ कस्बे में बुन्देलखण्ड में सर्वप्रथम खादी भण्डार की स्थापना की गयी थी । हमीरपुर जिले के कुलपहाड़ कस्बे में राष्ट्र के प्रमुख नेताओं का आगमन होता रहा, जिसमें गाँधी जी, पण्डित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, आचार्य कृपलानी, खान अब्दुल गफ्फार खान, आचार्य - नरेन्द्र देव, श्री-प्रकाश , पुरुषोत्तम दास आदि प्रमुख थे ।[1] हमीरपुर जिले में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था । जिस समय चरखारी कस्बे में काँग्रेस का एक सम्मेलन हो रहा था, उस समय उस सम्मेलन में एक महिला सम्मेलन भी आयोजित किया गया था । इसमें अरुणा आसिफ अली, पूर्णिमा-बनर्जी (अरुण जी की बहिन), उमा मालवीय, पार्वती देवी (लाहौर), डॉ० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, विद्यावती राठौर आदि ने भाग लिया था । सम्मेलन का सफल संचालन बालेन्दु जी की पत्नी किशोरी देवी तथा रानी राजेन्द्र कुमारी मगरौठ ने किया था । इस सम्मेलन में देश के चोटी के राष्ट्रीय नेताओं —पण्डित नेहरू,

---

1- अनासक्त मनस्वी, पृ0- 3.

लाल बहादुर शास्त्री, पण्डित कमलापति त्रिपाठी आदि ने भाग लिया था ।[1]

अहिंसात्मक आन्दोलन के साथ-साथ बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक से देश में विभिन्न भागों में कुछ-कुछ क्रान्तिकारी दल की स्थापना हुयी । इन प्रारम्भिक क्रान्तिकारियों की संवैधानिक आन्दोलनों में आस्था नहीं थी । इनके कार्य-क्षेत्र मुख्य रूप से बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब थे । इनका विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार पर आतंक जमाकर वे सरकार की पूरी मशीनरी को बेकार करने में समर्थ होंगे और इस प्रकार देश को स्वतन्त्र करा लेंगे ।

परन्तु बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक में "हिन्दुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी" का मुख्यालय संयुक्त प्रान्त के झाँसी नगर में हो गया था तथा समस्त क्रान्तिकारियों का संचालन झाँसी से होने लगा था । 1924 से 1931 ई0 तक झाँसी नगर क्रान्तिकारियों का मुख्य स्थल एवं क्रान्तिकारी गतिविधियों का मुख्य केन्द्र रहा । उस समय झाँसी में चन्द्र शेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, शचीन्द्र नाथ बख्शी झाँसी आये । चन्द्र शेखर आजाद तो अपने जीवन के अन्तिम समय तक झाँसी में रहे । बाद में उनकी माता जगरानी देवी भी अन्तिम समय तक झाँसी में रहीं । मार्च सन् - 1951 में यहीं पर उनका स्वर्गवास हुआ एवं अन्तिम संस्कार भी यहीं किया गया ।[1]

1- यश की धरोहर, मास्टर भगवान दास, पृ0-184

इस प्रकार बुन्देलखण्ड अपने हर युग में स्वाधीनता अथवा आजादी की प्रत्येक लड़ाई में अग्रणी रहा और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।

----- :0: -----

सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

'A' NATIONAL ARCHIEVED OF INDIA, NEW DELHI.

1. Foreign Department Political Consultation, 11 June 1817, File No. 14.

2. Foreign Department Political Proceeding consultation 17-1-1842, File No. 6-12

3. Foreign Department Political Consultation 26-10-1817, F.No. 49

4. Foreign Department Political Consultation 7-4-1817, F. No. 62

5. Foreign Department Political Consultation 16-11-1842, F. No. 125

6. Foreign Department Political Consultaion persian letter No. 256, 15-4-1856.

7. Foreign Department Political Consultation, letter dated 30 Dec. 1859, F. No. 283.

8. Foreign Department Political Consultation, letter dated 31 Dec. 1858, F. No. 2131.

9. Foreign Department Political Consultation, letter dated 8 Nov. 1858, Plate No.20

10. Foreign Department Secret Consultation, 18 July 1859, F. No. 188.

11. Foreign Department Secret Consultation, 28 May 1858, F. No. 151-55.

12. Foreign Department Secret Consultation, 30 April 1858, F. No. 145.

13. Foreign Department Political Consultation, 4-5-1817, F. No. 54.

14. Introductory note to discriptive list of Records of the Bundelkhand Political Agency, National Record-Office, New Delhi.

15. Foreign secret consultation, 18 December, 1857.

16. लैटर नं० 19, 1858, डेटेड कैम्प बानपुर, 11 मार्च, 1858.

17. लैटर नं० 22, आफ 1858 डेटेड कैम्प तालबेहट, 14 मार्च, 1858.

18. लैटर नं० 48, आफ 1858 डेटेड कैम्प बिफोर झाँसी दिनांक 22 मार्च, 1858.

19. लैटर नं० 69, आफ 1858 डेटेड कैम्प बिफोर झाँसी दिनांक 29 मार्च, 1858.

20. पिछले वीकली रिपोर्ट नम्बर 48, 22 मार्च 1858.

21. प्रोसीडिंग "होम डिपार्टमेन्ट पॉलिटिकल ब्रांच" फाईल नम्बर 19/1908, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली.

'B' U.P. ARCHIVES, LUCKNOW.

1. Foreign Deptt. 1858-59, Political April-June 1858, Collection No. 10

2. Foreign Deptt. 1841-44 Political July - Sept. 1841, Collection No. 12.

3. Foreign Deptt. 1853-60 Proceeding 18 Aug. 1855, Collection No. 13-16, 13 Sept. 1855, Colletion No. 17-19.

4. Foreign Deptt. 1844 Proceeding July- Aug-Sept. 1849. Procgs. 24 August 1849 No. 36-37, Procgs, 10 Nov. 1849 No. 12-15.

5. Foreign Deptt. 1853-60 Collection No. 1 year 1856, Procg. 11, Feb. 1856 Collection No. 24-26. Political 1856 Collection No. 7.

'C' NATIONAL ARCHIVES OF INDIA, BHOPAL.

1. File No. 77, 16 Aug. 1857.
2. File No. 78, 14 Oct. 1857.
3. File No. 79, 2 Oct. 1857, 14 March 1858.
4. File No. 19, 18 Oct. 1857.
5. File No. 30, 12 Aug. 1858 No. 24, 24 Aug. 1858, 31 Jan. 1858, 2 Feb. 1858, 3 Feb. 1858, 3 March 1858.
6. File No. 63, 11 Aug. 1857, 25 Aug. 26 Sept. 1857, 10 Oct. 1857, 5 Nov. 1857, 8 Nov. 1857.
7. File No. 41, 14 July 1857, 13 Aug. 1857.

'D'- GWALIOR DARWAR RECORD- STATE ARCHIVE, BHOPAL.

1. File No. 39, Year 1802.
2. File No. 160, Year 1832.
3. File No. 338, Year 1852.

PUBLISHED MATERIALS - SECONDARY SOURCE.

1. मित्रा, केशव चन्द - नागरी प्रचारिणी सभा, काशी से 1953 में प्रकाशित - चन्देल और उनका राजत्व-काल ।

2. भगवान दास गुप्त, भगवान दास श्रीवास्तव - विचार प्रकाशन दिल्ली से 1982 ई० में प्रकाशित - बुन्देलों का इतिहास ।

3. राम गोपाल - ज्ञान मंडल लिमिटेड, बनारस, उ०प्र० से 1953 ई० में प्रकाशित - भारतीय राजनीति ।

4. रामचरण ह्यारण मित्र - बुन्देलखण्ड शोध संस्थान, लक्ष्मी व्यायाम शाला, झांसी, उ०प्र० से 1978 ई० में प्रकाशित - राष्ट्रकवि घासीराम व्यास ।

5. भट्टाचार्य एस० पी० - सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से 1963 ई० में प्रकाशित - स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, भाग-1, (झांसी मण्डल) ।

6. मिश्र हरिमोहन - बुन्देलखण्ड अरजरिया अभिनन्दन ग्रन्थ - सम्पादक, श्रीराम प्रेस, झांसी से 1983 ई० में प्रकाशित -- अनासक्त मनस्वी ।

7. भट्टाचार्य सच्चिदानन्द - हिन्दी समिति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से 1976 ई० में प्रकाशित - भारतीय इतिहास शब्द कोष

8. - पेन्गुइन प्रकाशन, इंग्लैण्ड से 1977 ई० में प्रकाशित - ए हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, भाग-2

9. के. एन्टोनोवा ग्रोगरेश - पब्लिसर मास्को,रूस से 1973 ई0 में प्रकाशित- ऐ हिस्ट्री आफ इण्डिया ।

10. रामनाथ "सुमन" - सूचना विभाग,लखनऊ से 1969 ई0 में प्रकाशित- उत्तर प्रदेश में गान्धी जी ।

11. डॉ0 बी. पट्टाभि सीतारामैया. - सस्ता साहित्य मण्डल,नई दिल्ली से 1948 ई0 में प्रकाशित - कांग्रेस का इतिहास,भाग-3.

12. भगवान दास माहौर - आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली से 1984 ई0 में प्रकाशित -- यश की धरोहर ।

13. पाठक एस0 पी0 - रामानन्द विद्या भवन, नई दिल्ली से 1987 ई0 में प्रकाशित - झाँसी ड्यूरिंग दि ब्रिटिश रूल ।

14. शंकर सुल्तान पुरी - हिन्द पॉकेट बुक्स, दिल्ली से 1975 ई0 में प्रकाशित -- क्रान्तिकारी आजाद ।

15. पाठक लक्ष्मी प्रसाद - सम्पादक, स्वाधीन प्रेस,झाँसी से 1975 ई0 में प्रकाशित -- पं0 परमानन्द अभिनन्दन ग्रन्थ ।

16. विद्यालंकार जयचन्द्र - हिन्दी भवन,इलाहाबाद- लखनऊ से 1952 ई0 में प्रकाशित -- इतिहास प्रवेश ।

17. वर्मा वृन्दावन लाल - मयूर प्रकाशन,झाँसी से 1965 ई0 में प्रकाशित -- झाँसी की रानी ।

18. गुप्त मन्मथनाथ - एस0 चन्द एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली से 1980ई0 में प्रकाशित -- भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास ।

19. केला भगवान दास - प्रेस इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित -- भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन ।

20. गुप्त मन्मथनाथ - आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली से 1986 ई0 में प्रकाशित -- भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन।

21. त्रिपाठी मोतीलाल - बुन्देलखण्ड दर्शन ।

22. कनिंघम ऐलेक्जेण्डर - दि ऐन्सीएन्ट ज्योग्राफी आफ इण्डिया ।

23. सर जी. ए. ग्रीयर्सन - ज्योग्राफिक सर्वे आफ इण्डिया, वोल्यूम-1, भाग-1.

24. डॉ0 एस.पी.जायसवाल - ए ज्योग्राफिक स्टडी ऑफ बुन्देलखण्ड ।

25. गोरेलाल तिवारी - काशी नागरी प्रचारिणी सभा,वाराणसी द्वारा प्रकाशित -- बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास।

26. सरकार जे0 एन0 - फाल आफ दि मुगल एम्पायर, जिल्द-3.

27. ऐटकिन्सन सी.यू. - ट्रिटीज इंगेजमेन्ट्स एण्ड सनद्स ।

28. सिन्हा एस0 एन0 - दि रिवोल्ट आफ 1857 इन बुन्देलखण्ड ।

29. नागर वाई0 ए0 एल0 - वी गोडसे माझा प्रवास- हिन्दी अनुवाद शीर्षक -- आँखों देखा गदर ।

30. श्रीवास्तव खुशाली लाल - दि रिवोल्ट आफ 1857 इन सेन्ट्रल इण्डिया- एण्ड मालवा 1966.

31. रघुवंशी एम0वी0वी0एस0 - इण्डियन नेशनलिस्ट मूवमेन्ट ।

32. सिंह एस0 - फ्रीडम मूवमेन्ट इन दिल्ली 1858 से 1919, 1992, नई दिल्ली ।

33. बर्जेस जेम्स - दि क्रोनोलोजी आफ इण्डियन हिस्ट्री ।

34. विपिन चन्द्र - फ्रीडम हिस्ट्री ।

35. जिनकिन्सन ई० जी० - झाँसी सेटिलमेन्ट रिपोर्ट, इलाहाबाद 1871.

36. इम्पे तथा मेस्टन - झाँसी सेटिलमेन्ट रिपोर्ट, 1892.

37. सारदेसाई जी० एस० - न्यू हिस्ट्री ऑफ दि मराठा वाल्यूम ।

38. डॉ० भगवानदास गुप्ता - महाराजा छत्रसाल बुन्देला ।

39. डॉ० कृष्ण लाल हंस - बुन्देली और उसके क्षेत्रीय रूप ।

---- :0: ----

OTHER HISTORICAL WORKS

1. Asiatic Annual Register Vol. 11 year 1809.
2. Lee Warner - Native States of India (London 1910).
3. Lee Warner - The Protective Princes of India (London 1894).
4. Long John - Wanderings of India (London 1859).
5. Banerji - Indian Constitutional Documents - Vol.II, (Calcutta 1945).
6. H.T.Prinsip - History of the political and Military Transaction in India during administration of Marquise of Hasting 1813-23 (London 1825).
7. Major General W.H.Sleeman. - Rambles and recollection Vol.I-II (London 1844).
8. W.Malleson - The Revolt in central India, 1857-59.
9. Malleson G.B. - Historical sketches of the Native States of India (London 1875).
10. A. Duff - The Indian Rebelion- its causes and results.
11. T.R.Holm - A History of the Indian Muting . (London 1858).
12. Sir H.S.Cunningham- Rulers series- Earlcanning.
13. C.U.Aitchison - Treaties Engagement and sanads(1931).
14. C.H.Philip - The East India Company (1940).

15. The Countess of Minto- Lord Minto in India (London 1880).

16. H.H.Wilson - The History of British India 1805-1838.

17. Foreign Struggle in U.P. Vol.I (Publication Bureau of Lucknow).

18. Kasim Ali, Sajan Lal- Side lights of Auckland foreign-policy.

19- Kaye Sir John William. - A History of the Sepoy war in India, Vol.I (London 1880).

20. Savarkar B.D. - The Indian war of Independence 1857, (1947).

21. Ramesh Chandra Dutta. - Economic History of India, 1757-1837.

22. K.M.Panikar - Evolution of British Policy towards Indian states 1774 to 1857. (London 1929).

23. Dr. M.P.Jayaswal- A Linguistic Study of Bundely.

24. G.R.Abreigh Maichay. - The Chief of Central India.

25. H.H.Bhagwant Singh Orchha. - A short account of the Bundela Rajput Chief ship in Central India (1919).

26. Ramsay Muir - The Making of British India.

27. R.S.Sharma - Making of Modern India.

28. Henery Beverige - A Comprehensive History of India, Vol. III.

29. S.N.Sen - Eighteen Fifty Seven.

30. Majumdar and Raichoudhari. - An Advance History of India.

31. Karl Marx and F. Angels. - The First Indian war of Independence 1857-59.

32. D.V. Tahmankar - The Rani of Jhansi (London 1958).

33. H.A. Stark - The Case of the blood (1932).

34. S.B. Choudhari - The Crises of the Indian Mutiny 1857-59 (Calcutta 1965).

35. History of the Transaction of the British Government in India (London 1805 A.D.)

36. मुंशी श्याम लाल - तवारीख बुन्देलखण्ड । 1884 ई0 । ।

37. ग्रान्ड डफ - मराठों का इतिहास ।

38. रायबहादुर हीरालाल - सागर सरोज ।

39. डॉ0 रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल. - बुन्देली भाषा का शास्त्रीय अध्ययन ।

40. दीवान प्रतिपाल सिंह - बुन्देलखण्ड का इतिहास ।

41. शंकर दत्तात्रेय जावड़ेकर - आधुनिक भारत ।

42. विद्याधर महाजन - आधुनिक भारत ।

43. वासुदेव गोस्वामी - विद्रोही बानपुर ।

44. सुन्दर लाल - भारत में अंग्रेजी राज ।

45. कृष्ण रमाकान्त गोखले - स्वातंत्र्य लक्ष्मी झांसी की रानी । ।

46. श्रीनिवास बालाजी हर्डीकर. - अठारह सौ सत्तावन ।

47. डॉ0 ताराचन्द - भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास।

48. कार्ल मार्क्स - भारतीय इतिहास पर टिप्पणियाँ।

49. वेनी प्रसाद बाजपेयी - सन् 1857 का विद्रोह।

50. डॉ0 भागीरथ त्रिपाठी- बुन्देलखण्ड की प्राचीनता।
(वागीश्वर शास्त्री).

51. गौरी शंकर द्विवेदी - बुन्देल वैभव।

52. लक्ष्मीबाई रासो - सं0 भगवान दास माहौर।

53. श्याम लाल साहू - विन्ध्य प्रदेश राज्यों का स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास।

54. के. पी. जायसवाल - अंधकार युगीन भारत।

55. डॉफ - हिन्दुस्तान का इतिहास, भाग-3 ।

56. मर्नेट एग्रीमेन्ट कॉवनेन्ट एण्ड स्पेशल प्रिविलेजिस ऑफ स्टेट्स ऑफ बुन्देलखण्ड।

-- :0: --

GAZETTEERS

1. Atkinson E.T. - A Statical Description of Historical Account of N W.Provinces of India, Vol.I (Bundelkhand), Allahabad, 1874.

2. Imperial Gazetteer of India Vols. 10, 11, 13, 14, 19 and 22 (1908 AD).

3. Gazetteers of Banda, Saugor, Jhansi, Jubblpur, Damoh, Orchha, Datia, Samthar, Chhaterpur, Panna, Bijawar, Charkhari and Ajaygarh (1907 AD.).

4. झाँसी गजेटियर - ई.बी.जोशी (सम्पादक) 1965, उत्तर प्रदेश-लखनऊ से प्रकाशित।

5. जालौन गजेटियर - 1966 लखनऊ से प्रकाशित।

6. बाँदा गजेटियर - 1977 गजेटियर विभाग, लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्रकाशित।

7. हमीरपुर गजेटियर - 1965 गजेटियर विभाग, लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्रकाशित।

8. झाँसी गजेटियर - इलाहाबाद 1909, ड्रेक ब्राक मैन डी० एल० - इम्पीरियल गजेटियर - सेन्ट्रल इण्डिया 1908.

पत्र - पत्रिकाएँ

1. मधुकर - पं० बनारसी दास चतुर्वेदी, कुण्डेश्वर।

2. वीणा वादिनी - (हीरक जयन्ती विशेषांक) 1991-92, सरस्वती-पाठशाला इण्टर कालेज, झाँसी, रमेश चन्द्र भोरहा, वरिष्ठ अध्यापक, सेन्ट ज्यूड्स हा० सै० स्कूल, झाँसी के सौजन्य से।

3. कंचन प्रभा मासिक पत्रिका-- अंक अप्रैल 1975 ई0, कानपुर उत्तर प्रदेश से प्रकाशित ।

4. जर्नल ऑफ इण्डियन हिस्ट्री- यूनीवर्सिटी ऑफ केरल, त्रिवेन्द्रम ।

5. इतिहास अनुशीलन -- इतिहास अनुशीलन प्रतिष्ठान, भोपाल ।

6. साप्ताहिक हिन्दुस्तान -- 23 फरवरी 1964 ई0 का अंक, नई दिल्ली से प्रकाशित ।

7. दैनिक जागरण -- दैनिक समाचार-पत्र 26 जनवरी, 1978 ई0 का अंक, झाँसी से प्रकाशित ।

8. दैनिक जागरण -- 10 अप्रैल, 1978 ई0 का अंक ।

9. दैनिक भास्कर -- दैनिक समाचार-पत्र 27 दिसम्बर 1990 ई0 का अंक, झाँसी से प्रकाशित ।

10. ट्रान्सपोर्ट रिव्यू -- डा0 अयोध्या प्रसाद स्मृति अंक , सम्पादक-डा0 हरेन्द्र सक्सेना ।

----- :0: -----

प्रखर स्वातन्त्र्य-सेनानी श्री भगवानदास 'बालेन्दु' एवं उनकी स्वातन्त्र्य-सेनानी धर्मपत्नी श्रीमती किशोरीदेवी को 'स्वतन्त्रता के पच्चीसवें वर्ष'-समारोह, १५ अगस्त १९७२ को, भारत गणतन्त्र की यशस्वी प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी द्वारा प्रदत्त सम्मानसूचक ताम्रपत्र